# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बारहवां दिवस [संख्या: 3

**सोमवार,**

**08 जुलाई 2019**

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**
**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष:** श्री मदन प्रजापत।

### कपड़ा उद्योगों का संचालन

23. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कपड़ा उद्योग से संबंधित कारख़ानों का संचालन कहां-कहां किया जा रहा है? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त कारख़ानों में नियमानुसार कार्य हो मशीनरी एवं विशेषकर बायलर्स के रखरखाव एवं उनके निरीक्षण व पर्यवेक्षण हेतु क्या व्यवस्था है? औद्योगिक क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बालोतरा सहित प्रदेश के कई स्थानों से निर्धारित मापदण्डों में बायलर्स एवं अन्य मशीनरियों का उपयोग नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(4) सरकार नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उद्योग मंत्री** (श्री परसादी लाल): (1) प्रदेश में कपड़ा उद्योग से संबंधित कारख़ानों का संचालन निम्न ज़िलों में किया जा रहा है:-

1. पाली 2. बालोतरा, बाड़मेर 3. भीलवाड़ा 4. बांसवाड़ा 5. डूंगरपूर 6. अजमेर, किशनगढ़ 7. जोधपुर 8. उदयपुर 9. अलवर 10. झालावाड़ 11. जयपुर

कारखानों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त कारख़ानों में नियमानुसार मशीनरी एवं विशेषकर बायलर के

(उद्योग मंत्री)

रखरखाव एवं उनके निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु केन्द्रीकृत निरीक्षण प्रणाली के अनुसार ओपन निरीक्षण हाइड्रोलिक निरीक्षण व सुरक्षा प्रणालियों की विधिवत जांच कर प्रति वर्ष विभाग में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा वार्षिक निरीक्षक/पर्यवेक्षण कर प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

औद्योगिक क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) बालोतरा सहित प्रदेश के कई स्थानों से निर्धारित मानदण्डों में बायलर्स एवं अन्य मशीनरियों का उपयोग नहीं होने की विभाग में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा कारख़ानों एवं बायलर्स के निरीक्षण केन्द्रीकृत निरीक्षण प्रणाली के अनुसार व्यवस्था कर रखी है जिसके द्वारा आबंटित सूची के अनुसार विधिवत रूप से कारख़ानों एवं बायलर्स का निरीक्षण किया जाकर नियमों की अनुपालना कराई जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरा मंत्रीजी से निवेदन है छोटी-सी दो बातें। एक, जो बायलर लगे हुए हैं इनकी देखरेख के लिए विशेषज्ञ रखे हुए हैं या नहीं? बायलर के ऊपर चिमनी लगती है उनके राख के कण घर की छतों पर आते हैं। हम चाहते हैं कि उद्योगों को बढ़ावा मिले लेकिन जिंदगी-जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो, तो उनकी हाइट और माप क्या है? चिमनी की 100 फीट है या मनमानी है? यह दो बातें बताएं। एक तो यह कि उनके विशेषज्ञ रखे हुए हैं या नहीं? अगर नहीं रखे हुए हैं तो इनकी जवाबदारी किसकी है? बायलर के ऊपर चिमनी लगती है उसकी हाइट-माप के नियम क्या हैं?

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया, हर साल इनका निरीक्षण केन्द्रीय प्रणाली के अनुसार होता है। चिमनी व बायलर्स के जो भी धुआं व कण जाते हैं उसकी नाप एक तरह से मापदण्ड तय है, उसी के अनुसार लगाई जाती है। अगर कहीं माननीय सदस्य को इस तरह की शिकायत है बालोतरा की या अन्य कहीं की, तो हम उसका परीक्षण करवा लेंगे। चिमनी से अगर कहीं दिक्कत होगी तो उसकी ऊंचाई और बढ़ाने के लिए भी विभाग को निर्देश दे देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** मदन प्रजापत, अगला प्रश्न? शंकर सिंह जी रावत, अगला प्रश्न।

## पालनहार योजना के मानदण्ड

24. **श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पालनहार योजना के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्यावर शहर एवं जवाजा क्षेत्र में पालनहार योजनान्तर्गत गत वर्ष कितने आवेदन प्राप्त हुए? पालनहार योजना का कौन-कौनसा प्रकरण, किन-किन दस्तावेजों की कमी से, कितने-कितने समय से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनेकों प्रकरणों में प्रार्थियों द्वारा कार्यालय में दस्तावेज जमा कराने के बाद भी उन दस्तावेजों को आवेदनों में संलग्न नहीं बताकर आक्षेप लगाये जाते हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकरण कौन-कौनसे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री** (मास्टर भंवरलाल मेघवाल):
(1) (अ) विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के मापदण्ड निम्नानुसार हैं:-
योजनान्तर्गत निम्नानुसार श्रेणियों के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है:-

1. अनाथ बालक/बालिका
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के सभी बच्चे
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे
5. एड्स पीड़ित माता-पिता के सभी बच्चे
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के सभी बच्चे
7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
8. विशेष योग्य जन माता-पिता के सभी बच्चे
9. तलाकशुदा/परिव्यक्त महिला के सभी बच्चे

(ब) पालनहार को स्वीकृत अनुदान राशि व अनुदान की शर्तें निम्नांकित हैं:-

1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रतिमाह (आगंनबाडी जाना अनिवार्य)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

2. 06-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)
4. पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
5. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
6. आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों।

(स) आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया:-

नजदीक ई-मित्र कियोस्क पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने का प्रावधान है। स्वीकृति का कार्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।

नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) ब्यावर शहर एवं जवाजा क्षेत्र में पालनहार योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्राप्त आवेदनों एवं लम्बित आवेदनों की संख्या विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्राप्त आवेदन | लम्बित आवेदन |
|---|---|---|
| 2018-19 | 907 | 22 |

लम्बित आवेदन पत्रों के लम्बित रहने के कारण सहित विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। दिनांक 01.06.2016 से पालनहार योजना को आनलाइन पेपर लैस कर दिये जाने के कारण किसी प्रकार के दस्तावेज की हार्ड कापी नहीं ली जाती है। सभी दस्तावेज स्वयं प्रार्थी के द्वारा ई-मित्र के माध्यम से आनलाइन अपलोड किये जाते हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना चला रखी है, क्या आपका डिपार्टमेंट इन सभी का प्रचार प्रसार करके, जो पात्र बच्चे हैं उन पात्र बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है ? प्रचार-प्रसार की बहुत कमी है, 50 परसेंट से कम बच्चे....

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, रिलेवेंट प्रश्न। जो आपने प्रश्न पूछा है उस पर पूछो।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): उसी का पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष:** जनरल पॉलिसी नहीं, जो प्रश्न ब्यावर के संबंध में पूछा है उसी का।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): ब्यावर का ही पूछ रहा हूं कि ब्यावर में इस प्रकार के कितने उससे वंचित हैं प्रचार-प्रसार के अभाव में? आपका डिपार्टमेंट इस चीज का प्रचार-प्रसार नहीं कर रहा है। इतनी अच्छी योजना अनाथ बच्चों के लिए है।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, विराजें।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकायदा इसका अख़बारों में प्रचार-प्रसार होता है, टी.वी. के ऊपर भी। पहले वाले मंत्री भी और हम भी सब चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में इस प्रकार का प्रचार-प्रसार हो। लेकिन आप यह कह रहे हैं कि हमारे कितने पालनहार रह गए, तो यह इस क्वेश्चन से संबंधित है भी नहीं। अब कितने बच्चे रह गए, ऑनलाइन फार्म भरे गए उसके अंदर अगर कोई बच्चे वंचित रहते हैं तब आप कह सकते हैं कि हमारे बच्चे रह गए और आपने उनका फार्म रिजेक्ट कर दिया, वह तो एक अलग बात है, लेकिन पालनहार में कितने बच्चे रह गए यह क्वेश्चन से संबंधित है ही नहीं।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट का एक तो प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा। दूसरा, जो फार्म ऑनलाइन भरे जाते हैं उनको भी बाद में कमी पूर्ति निकाल कर निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है इसका किसी दल विशेष से नहीं, यह जनहित के लिए मैं बता रहा हूं कि जब तक उन बच्चों को चक्कर नहीं लगवा लेते तब तक उनके फार्म पास नहीं होते। ऐसे गरीब बच्चे वंचित रहते हैं।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने आज से एक महीने पहले यह तय कर दिया कि बच्चा जैसे ही डायरेक्ट फार्म भरेगा, समाज कल्याण का ब्लाक लेवल के अधिकारी के पास अगर वह समय पर किसी प्रकार की आपत्ति करता है, चूंकि हमारा डायरेक्ट्रेट ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन होने के बाद कोई कमी रहती तो ही नीचे वाला अधिकारी रिजेक्ट करता है, बाकी रिजेक्ट नहीं करता।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

और हमने ये निर्देश जारी किये हैं कि अगर रिजेक्ट करना है तो जिले के सोशल जस्टिस के अधिकारी उसको चैक करेंगे, उसके बाद में डाइरेक्टर लेवल के ऊपर तय किया जायेगा कि वह रिजेक्ट करने लायक थे या नहीं। जब पूर्ति कर लेंगे, हम पूर्ति कराएंगे और उसको पालनहार योजना में जोड़ देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): इसकी जांच कराने के आदेश दे दीजिये न। (व्यवधान) मंत्री महोदय, जांच कराने के आदेश दे दें।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): ब्यावर के जांच कराने के आदेश दे दें आप।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, हो गया। अगला प्रश्न सुरेश टाक।

## किशनगढ़ में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

25. **श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने ट्रोमा सेन्टर कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किशनगढ़ में ट्रोमा सेन्टर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री** (श्री रघु शर्मा): (1) प्रदेश में कुल 57 ट्रोमा सेन्टर संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वाई.एन. राजकीय चिकित्सालय, किशनगढ़, जिला अजमेर में ट्रोमा सेन्टर संचालित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, एक, कि ट्रोमा सेन्टर और ट्रोमा यूनिट में क्या अंतर है? ट्रोमा यूनिट में किस प्रकार की सुविधाएं होती हैं और इसमें कितने पद किस-किस श्रेणी के सृजित होते हैं, और ट्रोमा

(श्री सुरेश टाक)
सेन्टर में भी किस प्रकार की सुविधाएं होती हैं और कितने पद किस-किस श्रेणी के सृजित होते हैं?

नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में इससे सम्बन्धित एक प्रश्न लगाया था तब विभाग ने जवाब दिया था, किशनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में 2004 में ट्रोमा यूनिट स्वीकृत की गई थी और वर्ष 2014 से ट्रोमा यूनिट संचालित है। इसके अलावा इस प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया था कि अजमेर और ब्यावर में ट्रोमा सेन्टर संचालित हैं, अजमेर 34 किलोमीटर पर किशनगढ़ से है और 87 किलोमीटर पर... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये, प्रश्न पूछिये।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): इसी से रिलेटेड है।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न पूछें।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): यह प्रश्न ही है। मुझे पहले अलग जवाब दिया गया था। आज जवाब जो दिया गया है, उसमें ट्रोमा सेन्टर बताया गया। पहले मुझे ट्रोमा यूनिट बताया और यह लिखा गया ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, बात हो गई।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004-05 में वाई.एन. चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर स्थापित किया गया था, तब से ही यह संचालित है और इसमें 2004 में ही 29 लाख 20 हजार रुपये के, 06 लाख की एम्बुलेंस, एक लाख मेंटिनेंस, पी.ओ.एल. एण्ड इमर्जेंसी मेडिसंस के, 20 हजार की कम्युनिकेशंस फैसेलिटीज, 20 लाख के इक्विपमेंट्स और 2 लाख की मेंटिनेंस, ये 29 लाख 20 हजार रुपये उस टाइम जारी हुए थे। 2014 में किसी दानदाता ने वहां नया भवन बनाया है, 2014 से यह नये भवन में ट्रोमा सेन्टर संचालित है और उक्त ट्रोमा सेन्टर में एक माइनर ओ.टी. है, जहां पर अभी माइनर सर्जरी का काम होता है और जो अस्पताल का मेन आपरेशन थियेटर है, जिसमें सर्जरी की अभी व्यवस्था है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, संयम लोढ़ा, प्लीज, नहीं। आप बैठिये, प्लीज, माननीय सदस्य। प्रश्नकर्ता।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रोमा सेन्टर में एक न्यूरो सर्जन, एक सर्जन, एक एनेस्थैटिक, वेस्क्यूलर सर्जन, आर्थोपेडिशियन, रेडियोलोजिस्ट आदि विशेषज्ञ होते हैं। जिसमें से टीम लीडर एनेस्थैटिक होता है, और यह 24 आवर्स चलने वाला एक ओ.टी. होता है। अभी वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रोमा सेन्टर केवल कागजों में चल रहा है। मेरे वहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर साल डेढ़ सौ से दो सौ दुर्घटनाएं होती हैं।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): प्रश्न यही है, सर, ट्रोमा सेन्टर कागजों में संचालित है। अस्पताल में संचालित नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** बात आ गई, ठीक है। मंत्रीजी।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत किया गया था 2004-05 में, तब यहां पर सिर्फ एक ही ई.सी.जी. टेक्निशियन का पद स्वीकृत हुआ था। राजस्थान में जो 57 ट्रोमा सेन्टर्स अभी चल रहे हैं, उनमें भी अलग-अलग स्थितियां हैं। वैसे स्टैण्डर्ड 16 पदों का है, लेकिन इनके यहां जब स्वीकृत किया गया तो उसमें एक ही पद स्वीकृत हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भविष्य में जो मामला इन्होंने उठाया है, उसका ध्यान रखा जायेगा।

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): सर, सर।

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न। हो गया, माननीय सदस्य, बैठिये।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): ये वित्तीय संसाधन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे?

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, बैठिये। नहीं, संयम लोढ़ा, बैठिये। अगला प्रश्न।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाह रही है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न। आप बैठें। माननीय सदस्य, प्लीज, आप बैठिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): सर, यह 2004 से ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, प्लीज। I will not allow it. अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न। चन्द्रकांता मेघवाल।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष:** सारी। कैलाशजी मेघवाल।

## धानेश्वर तीर्थ (भीलवाड़ा) को पर्यटन स्थल बनाने की कार्ययोजना

26. **श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में धानेश्वर तीर्थ एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है? जहां पर सभी समाजों के लगभग 31 मंदिर स्थित हैं व कई सामुदायिक भवन भी बने हुए हैं तथा समय-समय पर धार्मिक समारोह व मेले का आयोजन भी होता है तथा अन्य शहरों से हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं? क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्थान को पर्यटक स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**पर्यटन मंत्री** (श्री विश्वेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं माननीय पूर्व अध्यक्षजी को जवाब देना चाहूंगा। पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत शाहपुरा बनेड़ा (भीलवाड़ा) के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धानेश्वर धाम (छोटा पुष्कर) को पर्यटक स्थल विकसित करने हेतु घाट निर्माण, बाउण्ड्रीवाल, सीसी रोड, टायलेट निर्माण एवं प्रवेश द्वार निर्माण हेतु राशि रुपये 47.25 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से राशि रुपये 31.06 लाख व्यय कर उक्त राशि से कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): इसमें मुझे कोई ज्यादा पूरक प्रश्न नहीं पूछने हैं, दो ही बातें पूछनी हैं। एक तो 16 लाख रुपये बचे हुए हैं, 47 लाख 25 हजार मंजूर थे। उसमें से जो खर्च हुआ है, एक तो उनकी सहमति आप भेज दो, जो भी प्रस्ताव आये हैं। दूसरा, इसको आपका जो राष्ट्रीय पर्यटन निगम है, वहां पर भी इसकी सूचना भेज दें। क्योंकि बहुत बड़ा

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

स्थान है। आपके बगल में बैठे हुए हैं, ये भी जानते हैं, धानेश्वर स्थान, वहां 31 मन्दिर एक साथ सभी सम्प्रदायों के हैं। राजभवन भी है और बहुत मेले हर साल लगते रहते हैं, इनके विकास के कार्यक्रम के लिये कभी मैं आपको सुझाव दूंगा तो आप कह देंगे कि बजट है ही नहीं, बजट पास होगा, तब उसके, अभी मैं सुझाव नहीं दूंगा, दो मांग करूंगा। मेरी दो ही मांगें हैं। एक तो 16 लाख की स्वीकृति भिजवा दें, सहमति भिजवा दें और एक राष्ट्रीय पर्यटन निगम को, इसको आगे पहुंचा दें।

**श्री विश्वेन्द्र सिंह** (पर्यटन मंत्री): आपके, जो आपने अभी सुझाव दिया है, उसकी मैं कद्र करता हूं और दोनों के वित्तीय संसाधन देखते हुए ... (व्यवधान)

**श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): यह तो मंजूर है। यह तो स्वीकृत है, बचा हुआ है।

**श्री विश्वेन्द्र सिंह** (पर्यटन मंत्री): ठीक है। इस प्रपोजल को अपन वित्त विभाग को भिजवा देते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न, ज्ञानचन्दजी पारख।

## रोहट (पाली) जिले में गैर आबादी भूमि का किस्म परिवर्तन

27. **श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किस-किस किस्म की भूमि को आवश्यकता होने पर आबादी भूमि में परिवर्तित किये जाने का प्रावधान है?

(2) उक्त में से किस-किस भूमि को किस-किस स्तर पर आबादी भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है?

(3) जिला पाली की रोहट तहसील के किस-किस गांव में ऐसे कितनी-कितनी बीघा गैर आबादी भूमि है, जिन्हें आबादी भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है एवं यहां कितने-कितने परिवार मकान बनाकर निवास कर रहे हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से कितने-कितने समय से किस-किस भूमि के प्रकरण किस-किस स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं अथवा लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विगत 20 वर्षों में रोहट तहसील के किस-किस गांव में कितनी-कितनी भूमि, कब-कब आबादी भूमि में परिवर्तित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(6) क्या सरकार ऐसी गैर आबादी भूमि, जिन्हें आबादी भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें आबादी भूमि में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में व यदि नहीं, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राजस्व मंत्री** (श्री हरीश चौधरी): (1) प्रदेश में आवश्यकता होने पर भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किये जाने का प्रावधान प्रपत्र-अ में संलग्न है।

(2) भूमि को आबादी हेतु परिवर्तित किये जाने के अधिकार का विवरण प्रपत्र-अ में है।

(3) पाली जिले की रोहट तहसील के ग्रामों में गैर आबादी भूमि का विवरण एवं इस तहसील के ग्रामों में गैर आबादी भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे परिवारों का विवरण प्रपत्र-ब में संलग्न है।

(4) गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन/आबंटन के प्रक्रियाधीन प्रकरणों का विवरण प्रपत्र-स में संलग्न है।

(5) तहसील रोहट में पिछले 20 वर्षों में कुल 18 ग्रामों के प्रकरणों में आबादी विस्तार हेतु भूमि परिवर्तित/आरक्षित की गई है, जिसका विवरण प्रपत्र-द में संलग्न है।

(6) जी हां। राज्य सरकार आबादी हेतु भूमि प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर शीघ्र आबंटित करने का विचार रखती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से, प्रश्न के बिन्दु संख्या तीन, माननीय मंत्री महोदय, आप थोड़ा उसको दुरुस्त कर दें। मैंने आपको पूछा है कि पाली जिले की रोहट तहसील के किस-किस गांव में ऐसे कितनी-कितनी बीघा गैर आबादी भूमि है, जिन्हें आबादी भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है एवं यहां कितने-कितने परिवार मकान बनाकर निवास कर रहे हैं? आपने प्रपत्र-ब में जो सूची मुझे दी है, क्या वह सारी सूची आबादी भूमि में परिवर्तित हो सकती है? ऐसे प्रकरण उसमें हैं, थोड़ा आप देखकर दुरुस्त कर लें। अगर हो सकती है तो आप कितनी अवधि में यह करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें सैकड़ों मकान बने हुए हैं

(श्री ज्ञानचंद पारख)

और इनको अनेक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। चाहे बिजली है तो रेट ज्यादा लगती है, चाहे किसी के प्रधान मंत्री आवास आ गया तो इसका पट्टा बना हुआ नहीं है, आया हुआ पैसा लगता नहीं है।

आपने बिन्दु संख्या-6 में लिखा है कि जी हां, राज्य सरकार आबादी हेतु भूमि प्रत्येक प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर शीघ्र आबंटन करने की मंशा रखती है। अब आपने 2011 के बाद में सीधे ही 2019 में मात्र एक प्रकरण को आबादी भूमि में परिवर्तित किया है। यह आपकी सूची बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मात्र एक, वह भी एक बीघा 06 बिस्वा की। तो यह शीघ्र है न, इसके आप दिन बता दें या महीने बता दें। आप बिन्दु संख्या-3 और 4 को थोड़ा क्लीयर कर दें।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र-'ब' के अंदर जो परिवाद है, उनकी संख्या भी बड़े स्पष्ट तौर पर दी गयी है और जो भूमि है, भूमि की भी कितनी माप है, वह भी दे रखा है और इसकी किस्म, इस किस्म के अंदर, जो कोई भी किस्म के अंदर हम आबादी के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, वह परिवर्तन कर सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर आप गौचर की बात करोगे तो यह गौचर के अंदर हम लोगों को उसकी भरपाई का प्रावधान है। वह भरपाई का प्रावधान अगर पूरा करता है तो उसको आबादी के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम परिवर्तित करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो तमाम प्रकरण चाहे आपके रोहट के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, उनको शीघ्र हम लोग आबादी के अंदर, पहले तो सरकार की तरफ से जितने प्रस्ताव आए हुए हैं उनके ऊपर हम निर्णय लेकर उनको आबादी के अंदर परिवर्तित करके उनको आबंटन करेंगे।

एक बात आपने कही है कि समय सीमा तय करनी है। समय सीमा प्रक्रिया के अंदर जो प्रावधान है, उन प्रावधान की पूर्ति होने के बाद में सरकार की तरफ से कोई भी इसके अंदर हम लोग समय जाया नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको कर लेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने माननीय मंत्री महोदय से पहले यह निवेदन किया कि 2011 के बाद में सीधा 2019, अगर आप कोई समय सीमा तय कर देंगे तो नीचे वाले अधिकारी इन सारे प्रकरणों को निपटा देंगे वर्ना आप समय सीमा तय नहीं करेंगे तो यह काम आगे बढ़ने वाला नहीं है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

बिन्दु संख्या-3 में, माननीय मंत्री महोदय, या तो आप अपने विभाग से आपके जवाब को वापस दुरुस्त करवाओ क्योंकि मैंने जो पूछा है, उसके अनुसार तो आपका प्रपत्र- 'बी' के अनुसार सारा का सारा यह जो खसरा है, वह आबादी में परिवर्तन योग्य है क्योंकि मैंने पूछा ही यही है आपसे और मुझे यह पता है कि यह सारा आप कर नहीं सकते क्योंकि आप खुद नियमों से बंधे हुए हो। पर इसमें कई सारे प्रकरण ऐसे हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो, वहां कोई न कोई सिवायचक भूमि पड़ी है आबादी की, जहां कोई बसा हुआ नहीं है, सरकार के पास पड़ी है, उसको आप चेंज कर दें गौचर में तो भी इसका काम हो जाएगा।

आप एक समय सीमा तय कर दें, यह जनता के हित में है, ग्रामीणों के हित में है क्योंकि ज्यादातर लोग वह हैं जो एस.सी., एस.टी. या गरीब परिवार के हैं वह ही गैर-आबादी में बसे हुए हैं तो उनका कल्याण हो जाएगा वर्ना 9 सालों में मात्र एक प्रकरण आपका निपटा है। आप मेहरबानी करके एक समय सीमा विभाग की तरफ से तय करवा दें, पाबंद करें उनको या आप कैम्प लगवाकर भी यह करवा सकते हो तो वह करवा दो तो एक बहुत बड़ा काम आपकी सरकार के माध्यम से यह हो जाएगा, यह मेरा आपसे आग्रह है।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले वर्षों के अंदर नहीं हो पाई, उसकी जिम्मेदारी भी विभाग के तौर पर मैं लेता हूं कि पिछले 9 वर्षों के अंदर सिर्फ एक ही हुई है। सरकार किसी की भी हो पर जिम्मेदारी विभाग की है इसलिए वह जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि उसकी मात्रा काफी कम रही।

समय सीमा तय है वह तीन माह की है और इस समय सीमा के अंदर इन सब प्रकरणों के ऊपर फैसला होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और सिर्फ आपके इस रोहट में ही नहीं, मैं खुद भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं और जो तकलीफें हैं, जो वंचित वर्ग है, गरीब है, उन लोगों का ही ऐसे प्रकरणों के अंदर मकान बने हुए हैं या उन लोगों को यह आवश्यकता है तो मैं प्राथमिकता से इन तमाम लोगों को रोहट में और राजस्थान के अंदर जल्दी से जल्दी समय सीमा, पर एक आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी नियमों से बंधे हुए हैं, उन नियमों के तहत जितनी भी राहत हो सकती है, उन लोगों को देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं यह पूरे सदन को बताना चाहता हूं।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, आपका हो गया। अगला प्रश्न।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): तीन महीने में यदि आप यह करवा देंगे न तो ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): 000

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न। श्री जगसीराम।

## रेवदर के जनजाति क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि

28. **श्री जगसी राम** (रेवदर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के जनजाति, आदिवासी टाडा/माडा क्षेत्र के लिये किन-किन योजना, उप-योजना मदों से गत दो वर्षों के दौरान कितनी -कितनी राशि का बजट किन-किन कार्यों के लिये आबंटित किया गया? विभाग को आबंटित बजट एवं खर्च व शेष राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अग्राह्य।

(3) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों के दौरान उक्त विधान सभा क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र के लिये आबंटित राशि का उपयोग सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रहीं? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए किन-किन अधिकारियों-कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है? भविष्य के लिये कौन-कौनसे सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास** (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अनुसूचित क्षेत्र में संचालित योजनाएं परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न हैं। इन योजनाओं पर गत दो वर्षों (वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19) में विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में 783.41 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई थीं तथा वर्ष 2018-19 में 783.75 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई थीं। यह राशि जिन कार्यों हेतु आबंटित की

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

गई थी, का विवरण परिशिष्ट- 'ब' पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के माडा क्षेत्र हेतु गत दो वर्षों में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

टी.ए.डी. की योजनाओं में स्वीकृत राशि एवं खर्च व शेष राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट- 'स' पर संलग्न है।

(2) खंड-2, यह खंड अग्राह्य करा दिया गया है, यह सभी विभागों का था इसलिए।

(3) इसके साथ में खंड-3, हां। यह सही है कि गत दो वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र रेवदर के जनजाति क्षेत्र के लिए स्वीकृत राशि का लगभग पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है।

योजनावार अर्जित भौतिक उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट- 'स' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री जगसी राम** (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो टी.एस.पी. टाडा/माडा के लिए सरकार की बहुत बड़ी मंशा रहती है और दूसरी तरफ इन्होंने अभी जिक्र किया कि माडा के क्षेत्र में गत दो वर्षों में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि मजरे, ढाणियां कितने रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अंदर हैं, वहां पर सरकार की ओर से कौनसी योजना आपने बनाई है? इस क्षेत्र के अंदर अपन यह चाह रहे हैं कि पिछड़ा क्षेत्र जो है, उनको बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए लेकिन आपने पिछले दो वर्षों के अंदर एक नए पैसे का भी जिक्र नहीं किया है और नई योजना तक लागू नहीं की है, यह मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माडा क्षेत्र में विधान सभा रेवदर का न तो कोई पहले का प्रस्ताव आया है, न ही कोई ऐसा प्रस्ताव लम्बित है जो माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया और जो माडा क्षेत्र की पंचायतें हैं, उनमें जिस-जिस भौतिक संसाधनों की आवश्यकता के आधार पर उनकी आवश्यकतानुसार पूर्ति कर दी जाएगी।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय संयमजी, नहीं। I don't allow.

**श्री जगसी राम** (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि मैंने कई बार कई प्रस्ताव भेजे हैं और टाडा/माडा के लिए अपन ने जो मां-बाड़ी केन्द्र रेवदर विधान सभा क्षेत्र के लिए, आबूरोड ग्रामीण के लिए मैंने खुद ने स्वयं जाकर उदयपुर में आयुक्त जो विराजते हैं, उनको मैंने स्वयं ने जाकर पहुंचाये हैं और उसके अलावा सम्पर्क सड़क है, एनीकट है, छात्रावास है, मां-बाड़ी है, इनके लिए मैंने, जैसे आपके छात्रावास है जाम्बुडी, उसके लिए और सियावा की देखरेख के लिए, वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वहां पर कोई एक योजना बनाने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि वहां पर अधिकारी और कर्मचारी तक नहीं है आबूरोड मुख्यालय पर तो, इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्रीजी, आप कब तक इन योजनाओं को लागू करने के लिए आपकी ओर से, वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरी टीम लगाकर हमारी सरकार की योजनाओं को लागू करें। आप यह बताने की कृपा करें।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार हमने छात्रावासों की सुरक्षा और उनकी निगरानी के लिए जिला उप शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करके अभी हमने आवेदन मांगे हैं, उसमें बहुत जल्दी उनको प्रति-नियुक्ति पर शिक्षा विभाग से लेकर उनकी नियुक्ति करके उन छात्रावासों को और जो-जो योजनाएं टी.ए.डी. विभाग की हैं, उसकी जानकारी के लिए, उसकी देखरेख के लिए हम अधिकारी नियुक्त करेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** कटारियाजी।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले का है।

**श्री अध्यक्ष:** हां, होगा। आप बैठें प्लीज। आप बैठें। माननीय सदस्य, बैठें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रश्न का भाग-2 है- क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र, केवल विधान सभा क्षेत्र की जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है या नहीं?

आपने इसमें उत्तर दिया कि क्योंकि यह अन्य विभाग से संबंधित है लेकिन पैसा जब आप देते हो तो निश्चित रूप से उन विभागों की मॉनिटरिंग भी आपके द्वारा होनी चाहिए कि जो पैसा हमने दिया, उस पैसे का उपयोग कैसे और कितना किया? अगर यह नहीं देखेंगे तो फिर तो विभाग लेकर बैठा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ही रहेगा। यह विभाग इसलिए सफर करता है कि आप पैसे का आबंटन तो करते हैं लेकिन पैसे का जमीन पर उपयोग हुआ कि नहीं हुआ इसको आपका विभाग देखता नहीं है इसके कारण से यह उपलब्धि नहीं आ रही है।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): यह अग्राह्य है, यह आपने कैसे कह दिया? किसने अधिकार दिया आपको? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठें प्लीज। आप अलाउ नहीं हैं। आप प्लीज बैठें। आप सीनियर हो। लीडर आफ अपोजिशन ने प्रश्न पूछा है और आप खड़े हो गये। आप बैठें प्लीज। मंत्रीजी, कुछ बोलना है? आप बैठें। प्लीज बैठें। प्लीज बैठें। आप प्लीज बैठें। मंत्रीजी।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को आवश्यकतानुसार पैसों का आबंटन उसकी कार्य-योजनानुसार आबंटित करते हैं और वह संबंधित विभाग को पैसा जाता है। उसकी सारी मानिटरिंग वह संबंधित विभाग करता है और समय-समय पर यू.सी. के लिये हम उस विभाग को पत्र-व्यवहार से और मीटिंगों द्वारा उसकी जानकारी लेते रहते हैं और माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई जानकारी है तो मुझे अवगत कराएं, मैं जांच करा लूंगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** संयमजी बैठें प्लीज।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके मार्फत जानना चाहता हूं आप बताएं कि प्रदेश में तुलनात्मक रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अंदर मां-बाड़ी केन्द्र के कितने आवेदन आये और आपने कितने स्वीकृत कराये? यह जरा बताने की कृपा करें।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मां-बाड़ी की योजना, जो स्कूलें हैं, उससे वंचित बच्चे होते हैं और स्कूल की परिधि से क्राइटेरिया में आने के बाद में जो-जो मां-बाड़ियां स्वीकृत करनी होती हैं, वह हम करते हैं। अगर माननीय सदस्य का ऐसा कोई प्रस्ताव होगा, मुझे अवगत कराएं। हम उसका सर्वे करवाकर उसके समाधान की पूर्ति करेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न, श्री जोगेन्द्र सिंह अवाना। (व्यवधान) प्लीज बैठें आप।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपने तय कर रखा है क्या?

**श्री अध्यक्ष:** हां, तय कर रखा है। तय कर रखा है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हमारे जिले का है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** कोई जरूरी नहीं है, बैठें। नहीं, अंकित नहीं होगा। बैठें। आप बैठें प्लीज, अंकित नहीं होगा। आप प्रश्नकर्ता हो क्या? बैठें आप प्लीज। आप सीनियर लीडर हैं, बैठें आप। आप बैठें। प्लीज, आप बैठें। अगला प्रश्न।

## उच्चैन (भरतपुर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

29. **श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उच्चैन (भरतपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा** (श्री भंवर सिंह भाटी): उच्चैन (भरतपुर) में निजी क्षेत्र में दो निजी महाविद्यालय संचालित हैं। संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर उच्चैन (भरतपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

**श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): माननीय अध्यक्षजी, प्रश्न काल के दौरान आपने मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील उच्चैन में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत आने वाली तहसील उच्चैन व रूपवास में 48 ग्राम पंचायतें हैं। उक्त 48 ग्राम पंचायतें, दो विधान सभा क्षेत्र नदबई व बयाना में आती हैं। साथ में लगी तीसरी विधान सभा क्षेत्र वैर के भी करीब 15-20 गांव आते हैं। उच्चैन के आस-पास लगभग 60 ग्राम पंचायतों व लगभग 30-35 किलोमीटर तक कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। कस्बा उच्चैन की आबादी लगभग 15 से 20 हजार के आस-पास है। उच्चैन के अन्तर्गत ए.सी.एम. कोर्ट व तहसील होने के बावजूद भी कालेज नहीं है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप प्रश्न पूछिये। प्रश्न पूछें।

**श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): इसी से संबंधित है, माननीय अध्यक्षजी। बयाना महाविद्यालय की दूरी लगभग 30 किलोमीटर व भरतपुर राजकीय महाविद्यालय की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्र के गांवों का आकलन किया जाये व बयाना और भरतपुर के राजकीय महाविद्यालय की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की हो जाती है। गांवों से शहरों के आवागमन का कोई संसाधन नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछें।

**श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): प्रश्न से संबंधित ही है।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, इससे संबंध नहीं है, प्लीज।

**श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): आवागमन का संसाधन नहीं होने के कारण छात्र-छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

**श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): बस मेरा यही निवेदन है, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से, कि क्या सरकार इस तरह की कोई मंशा रखती है कि छात्र-छात्राएं इतनी दूर लगभग 30-40 किलोमीटर जाते हैं तो वहां राजकीय महाविद्यालय की स्थापना होगी या नहीं?

**श्री भंवर सिंह भाटी** (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाले माननीय विधायक जी ने जिस प्रकार से बात कही है, उच्चैन में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में, तो वर्तमान में उच्चैन (भरतपुर) में दो निजी क्षेत्र के महाविद्यालय संचालित हैं। मैंने मेरे मूल जवाब में भी आपको अवगत कराया और उच्चैन (भरतपुर) से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भरतपुर मुख्यालय पर एक सह-शिक्षा, एक महिला और एक विधि महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त रूपवास उपखण्ड उच्चैन से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्रीजी, खोलना है या नहीं खोलना है, वह बताएं प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें। प्लीज बैठें, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

**श्री भंवर सिंह भाटी** (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, रूपवास में भी आठ सह-शिक्षा और तीन महिला महाविद्यालय निजी क्षेत्र में स्वीकृत हैं, गुणावगुण और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार किया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न। (व्यवधान)

**श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने जो जानकारी दी है कि दो निजी महाविद्यालय उच्चैन में हैं। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उच्चैन में जो दो निजी हैं, उनमें एक अग्रसेन कालेज बंद हो चुका है, दूसरे में केवल नाममात्र बच्चे हैं, क्योंकि वहां पर

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं, वह निजी महाविद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। बच्चे उतनी फीस नहीं दे सकते।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 30 और 31 स्थगित किये गये।

## प्रश्न संख्या 30

**(स्थगित)**

## प्रश्न संख्या 31

**(स्थगित)**

प्रश्न संख्या-32, श्री बाबुलाल।

## प्राकृतिक आपदा से मकानों के नुकसान का मुआवजा

32. **श्री बाबुलाल** (झाड़ोल): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्ष में प्रदेश में तूफान एवं प्राकृतिक आपदा के कारण कृषकों के मकानों का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दी गयी है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री** (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जी हां। विगत पांच वर्ष में प्रदेश में तूफान एवं प्राकृतिक आपदा के कारण कृषकों के मकानों को हुए नुकसान का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा उक्त पीड़ित किसानों को हुए नुकसान की सहायता राशि का विवरण भी परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री बाबुलाल** (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 2014 से 2015 और 2018 से 2019 तक 43,443 कृषकों का नुकसान हुआ। इनकी कुल राशि इन्होंने वितरित की है 431.86 लाख की। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र में जून, 2019 में तूफान आया था, उसमें काफी लोगों के पतरे उड़ गये थे, मकान भी गिर गये, जान-माल की भी हानि

(श्री बाबुलाल)

हुई थी। आप बताने की कृपा करें कि झाड़ोल में कितने किसानों के मकानों का नुकसान हुआ था? अब तक कितने किसानों को आपने मुआवजा राशि दी और कितने किसानों की जान-माल की हानि हुई? उनकी आपने क्या भरपाई की या नहीं? यह बताने की कृपा करें।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर विधान सभा क्षेत्र में दो तहसीलें हैं - एक कोटड़ा और दूसरी झाड़ोल। झाड़ोल के अंदर 3,234 मकान क्षतिग्रस्त हुए और उसके बाद 96 लाख 32 हजार 600 रुपये उनको मुआवजे के रूप में दिये गये। कोटड़ा के अंदर 5,184 मकान क्षतिग्रस्त हुए। उनको 1 करोड़ 71 लाख 76 हजार रुपये कोटड़ा के अंदर वितरित कर दिये गये। चूंकि यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो सरकारी जमीन है, चाहे वह पहाड़ है, चाहे सिवाय चक है, चाहे वन क्षेत्र है, उनके अंदर जो शेष रहे हैं, उनकी जानकारी, जब आपका क्वेश्चन लगा तो पूरी जानकारी मैंने प्राप्त की। आपदा प्रबन्धन विभाग केवल आबादी क्षेत्र में जो मकान क्षतिग्रस्त होते हैं, उनको ही राशि दी जाती है, बाकी सरकारी जमीन के ऊपर कोई मकान बनता है, उस पर राशि नहीं दी जाती। इसलिये माननीय सदस्य का यह कहना है कि इसके अंदर उनको भी दी जाये, तो यह सम्भव नहीं है। यह भारत सरकार के पूरे नोर्म्स बने हुए हैं, उन नोर्म्स के आधार पर ही पैसा दिया जाता है।

**श्री बाबुलाल** (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मैं यह जानना चाह रहा था कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पर जो नुकसान हुआ, किसी के मकान की दीवार फटी थी, उसका भी मुआवजा दिया था। आज ऐसा क्या हो गया कि आप यह कह रहे हैं कि जो आबादी क्षेत्र होगा, वहीं हम मुआवजा राशि देंगे। हमारी जो आबादी है, वह बिखरी आबादी है। उनका एक खेत यहां है, एक खेत दूसरी जगह है। वह अपने खेत पर जाकर मकान बनाता है। आप यह बताएं कि वहां उन लोगों को वहां यह राशि देंगे? अभी जून में जो नुकसान हुआ, उनको कितने लोगों को राशि दी, यह बताओ आप।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे कहा कि पूरा सर्वे कर लिया गया। पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एस.डी.एम. कलेक्टर के द्वारा, उन्होंने स्पष्टत: लिख दिया कि जो आबादी के अंदर नुकसान हुआ है, मकान का, झोंपड़े का, पक्के मकान का, उनको सारा पैसा दे दिया गया है। शेष चूंकि वह पहाड़ी इलाका है

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

झाड़ोल और कोटड़ा, आप तो स्वयं इस बात को जानते हैं तो वहां पर वन क्षेत्र के अंदर लोग बसे हुए हैं और वह जो मकान टूटते हैं, वह इस नोर्म्स में नहीं आते हैं, इसलिये पैसा देने का सवाल ही नहीं उठता है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें दो अन्तर करिये। इसी प्रकार का नुकसान पहले हुआ तब हमने इनको सरकारी राशि दी है। आप एक बार विभाग से दिखवा लें। जो बिलकुल फोरेस्ट के अन्दर हैं उनको छोड़ दीजिए बाकी उनके स्वयं के अपने खेत में हैं, खेत में बनाये हुए मकान हैं, ये छितरी हुई आबादी में रहते हैं, अगर पहले इनको नुकसान का दिया गया है तो एक बार दिखवा लीजिए कि उनको किस आधार पर दे दिया और आज हम रोकते हैं तो कानून का कौनसा आधार मिल रहा है जिससे रोक रहे हैं?

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, आपके समय का यह मामला है लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बात को बिलकुल दिखवा करके, क्योंकि आपने जब कहा है कि खेतों के अन्दर ही है, वहां नुकसान हुआ है, तो निश्चित तौर से दिखवा करके कार्यवाही कर दी जायेगी।

**श्री अध्यक्ष:** धन्यवाद। अगला प्रश्न, श्रीमती इन्द्रा।

## बौंली (सवाईमाधोपुर) में चिकित्सकों के नवीन क्वार्टर्स का निर्माण

33. **श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में डाक्टर्स के रहने हेतु क्वार्टर्स पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्वार्टर्स की मरम्मत हेतु कब क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डाक्टर्स के निवास हेतु नये क्वार्टर्स बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री** (श्री रघु शर्मा) : (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में डाक्टर्स के रहने हेतु बने क्वार्टर्स की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

| **चिकित्सा संस्थान का नाम** | **क्वार्टर्स की संख्या** | **सही एवं मरम्मत योग क्वार्टर्स की संख्या** | **मरम्मत हेतु अनुमानित राशि (रु. लाखों में)** |
|---|---|---|---|
| सीएचसी मित्रपुरा | 02 | 01 सही<br>01 मरम्मत योग्य | 6.30 |
| सीएचसी बौंली | 04 | 04 मरम्मत योग्य | 30.00 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपलदा | 01 | 01 सही | |
| | | **कुल राशि** | **रु. 36.30** |

(2) जी नहीं। उक्त क्वार्टर्स पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हैं, मरम्मत योग्य हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर मरम्मत कार्य करवाये जायेंगे।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, मरम्मत कार्य कब तक पूरे करवाये जा सकते हैं?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा संस्थानों में और आवासों के भवन निर्माण का काम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा 2006 और 2007 से प्रारम्भ किया गया। भवन निर्माण का काम तो एन.एच.एम. द्वारा कर दिया जाता है लेकिन इनके मेन्टिनेन्स का काम चाहे वो सामान्य हो, चाहे पीरियोडिक मेन्टिनेन्स हो, मरम्मत का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है और हमारे बजट में मद है, 2216 मद संख्या है उसमें जो आवासीय भवन बने हुए हैं उनके मरम्मत का काम मद संख्या 2216 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है और दूसरा बजट मद है 2059, उसके द्वारा जो चिकित्सा संस्थान हैं उनके मेन्टिनेन्स का काम इस मद के द्वारा किया जाता है।

अब हर साल बजट में सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस आशय की राशि जारी की जाती है और फिर वो खण्डवाइज पैसे जारी करते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** हो गया। अगला प्रश्न, श्री अमृतलाल मीणा।

## सलूम्बर में पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य

34. **श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में गत 10 वर्षों में पर्यटन विकास से संबंधित क्या-क्या कार्य कहां-कहां कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की वीरांगनाओं के प्रतीक हाडा रानी का महल, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली व समाधि स्थल चावण्ड (सराड़ा), विश्व विख्यात मीठे पानी की झील जयसमंद, अग्नि स्नान करने वाली शक्ति पीठ मां ईडाणा-सलूम्बर शक्ति पीठ मां जावर माता, रणछोड़दास, सुरखण्ड का खेड़ा, जयसमन्द झील किनारे हवामहल, रूठी रानी का महल ऐसे अनेक पर्यटक स्थल हैं जिनका विकास नहीं हुआ है? क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थलों का विकास करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा उक्त पर्यटक स्थलों पर विगत 10 वर्षों में कितनी -कितनी राशि किन-किन पर्यटक स्थलों पर व्यय की गई? वर्ष 2009 से मई, 2019 तक वर्षवार राशि तथा पर्यटक स्थल के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**पर्यटन मंत्री** (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में गत 10 वर्षों में किये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा चावण्ड एवं जयसमंद झील, जयसमंद झील किनारे हवामहल, रूठी रानी का महल उदयपुर में परिशिष्ट-'अ' में उपलब्ध विवरणानुसार कार्य कराये गये हैं।

(3) उक्त पर्यटक स्थलों पर पिछले 10 वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि जयसमंद की झील मीठे पानी की बहुत बड़ी विश्व विख्यात झील है। हाडारानी जो भूमि है, उसके महल खण्डहर हो रखे हैं और उस महल में उस जमाने में उस रानी ने कैसे अपना सर कटाया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाराणा

(श्री अमृतलाल मीणा)

प्रताप की कर्मस्थली भूमि भी है और अंतिम सांस भी वहीं ली है। पिछले 10 वर्षों का जो बजट आपने आबंटन किया वो नहीं के बराबर है।

आपसे मेरा निवेदन है कि आप सरकारी ट्यूर करें और निजी ट्यूर करके उन स्थानों का भ्रमण करके जयसमंद की झील को ...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): इसका भ्रमण करके इसकी राशि अधिक आबंटित की जाए।

दूसरा जो 10 वर्षों का मांगा है, जो भी निर्माण कार्य हुए उनकी आज तक कोई देखरेख, रख-रखाव नहीं है। आपने इसमें यह कहा है ...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। हो गया। मंत्रीजी।

**श्री विश्वेन्द्र सिंह** (पर्यटन मंत्री): माननीय सदस्य ने जो भ्रमण का प्रस्ताव रखा है, इसकी मैं कद्र करता हूं और यह मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मेरे साथ चलें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल (कठूमर)।

## रोनीजाथान ग्राम (कठूमर) में चरागाह भूमि पर कब्जा

35. **श्री बाबूलाल** (कठूमर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम रोनीजाथान में कितनी भूमि चरागाह व बारानी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त व्यक्तियों से भूमि मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**श्री अध्यक्ष:** राजस्व मंत्रीजी।

**राजस्व मंत्री** (श्री हरीश चौधरी): (1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम रोनीजाथान की किसी भी चरागाह व बारानी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पूर्व में अतिक्रमण की गई भूमि व्यक्ति एवं अतिक्रमण के संदर्भ में की गई कार्यवाही की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री बाबूलाल** (कठूमर): अध्यक्ष महोदय, दूसरे पृष्ठ में इन्होंने यह बता रखा है कि अतिक्रमण था और इसमें गेहूं थे और आज भी इसके अन्दर बाजरा है और रिपोर्ट दे रखी है कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रजेंट में उस जमीन में बाजरा बो रखा है, 20 बीघा जमीन है और इसी तहसीलदार ने 94 थाउजैंड में उसको करीब 8 लाख की फसल को नीलाम किया है। इसने उसको दोबारा बो दी। अब रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ भी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आपका प्रश्न पूछिये।

**श्री बाबूलाल** (कठूमर): जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनका नाम भी है और गेहूं की फसल बोई है और यह कह रहे हैं इसके अन्दर अतिक्रमण है ही नहीं। आज भी अतिक्रमण है।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्रीजी। एक मिनट बैठें।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूर्व में किये गये अतिक्रमण का नाम इसमें बताया गया है और जिन्होंने अतिक्रमण किया उनके खिलाफ, उनकी फसल को नीलाम भी कर लिया गया, अब वह अतिक्रमण हटा भी दिया। आज सदन के अन्दर माननीय सदस्य बता रहे हैं कि वर्तमान के अन्दर अतिक्रमण वापस कर दिया गया।

**श्री बाबूलाल** (कठूमर): हां, कर दिया।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): अगर वापस कर दिया गया है और गलत रिपोर्ट है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं तहसीलदार के खिलाफ या कोई भी कर्मचारी है, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा।

**श्री बाबूलाल** (कठूमर): अब प्रजेंट में बाजरे की फसल है, यह किसने बोई है?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, बात हो गयी, मंत्रीजी ने कहा कि जांच करके कार्यवाही कराएंगे। अगला प्रश्न, श्री प्रताप लाल भील।

## गुरु गोविन्द जनजाति सामुदायिक भवनों का निर्माण

36. **श्री प्रताप लाल भील** (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनजाति उप योजना क्षेत्र में गुरु गोविन्द जनजाति सामुदायिक भवन स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रताप लाल भील)

(2) क्या वर्तमान में उक्त सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास** (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी हां। जनजाति उपयोग क्षेत्र की 41 पंचायत समिति मुख्यालयों पर गुरु गोविन्द जनजाति सामुदायिक स्वीकृत किये गये थे। सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। 6 कार्य प्रगति पर हैं, सूची परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है। 34 गुरु गोविन्द जनजाति सामुदायिक भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने एवं प्रारम्भिक स्टेज पर होने से कार्यों को निरस्त किया गया।

एक कार्य पंचायत समिति कार्यालय परिसर सलूम्बर में स्वीकृत गुरु गोविन्द सामुदायिक भवन निर्माण का भौतिक सत्यापन के अध्याधीन होने से रिपोर्ट प्राप्त होने पर निरस्त या यथावत रखने का निर्णय लिया जायेगा। सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) निरस्त सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कार्य पुन: प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री प्रताप लाल भील** (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु गोविन्द जनजाति सामुदायिक भवन निरस्त करने के क्या कारण हैं? दूसरा, जो आपने 6 सामुदायिक भवन प्रगति पर बताए हैं, वास्तविकता यह है कि वह काम भी अभी बंद पड़े हैं। मेरी पंचायत समिति सायरा में एक सामुदायिक भवन का छत लेवल तक निर्माण हो गया था। उसका काम भी वर्तमान में स्थगित है। उसके अलावा जो कार्य प्रगतिरत थे, उनमें सरकार वापिस कब तक कार्य शुरू करने का विचार रखती है?

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन 6 सामुदायिक भवनों, जिनका कार्य प्रगति पर है, उनको यथा शीघ्र संचालित किया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री मेवाराम जैन।

## बाड़मेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

37. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती पिछड़े जिले बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर बालिकाओं के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर अलग से शिक्षा की व्यवस्था नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जिला मुख्यालय पर स्थित मुलतानमल भीखचंद छाजेड़ राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा** (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) यह सही है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बालिकाओं के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर अलग से कन्या महाविद्यालय नहीं है। परन्तु राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर में बालिकाओं के लिए स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

(2) जिला मुख्यालय पर स्थित सह शिक्षा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर में सत्र 2018-19 में कुल 2886 विद्यार्थी (2695 छात्र एवं 191 छात्राएं) अध्ययनरत हैं। संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर जिला मुख्यालय पर स्थित मुलतानमल भीखचंद छाजेड़ राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर को स्नातकोत्तर में अपग्रेड करने पर विचार किया जा सकेगा।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मुलतानमल भीखचंद छाजेड़ कन्या महाविद्यालय में कुल कितनी छात्राएं अध्ययन कर रही हैं? दूसरा मेरा प्रश्न होगा कि सरकार की क्या कोई गाइडलाइन है कि कितनी छात्राओं पर उस महाविद्यालय को अपग्रेड किया जाता है?

**श्री भंवर सिंह भाटी** (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में छात्राओं की संख्या 1178 है। जहां तक कन्या महाविद्यालय जिला मुख्यालय पर हो, या दूसरे महाविद्यालय यूजी से पी जी में क्रमोन्नत किए जाते हैं तो उसके लिए समय-समय पर सरकार के द्वारा अपग्रेडेशन करवाए जाते हैं। इसके लिए बाड़मेर से आने वाले माननीय विधायक ने जो मांग रखी है, छात्राओं की संख्या काफी अधिक है,

(श्री भंवर सिंह भाटी)

हालांकि जो दूसरा हमारा पीजी कालेज है, उसमें छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनकी जो मांग है, उस मांग को गुणावगुण और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तय किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था।

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न। श्री खुशवीर सिंह।

## पाली जिले में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां

38. **श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली मुख्यालय में कितनी औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं व कितनी इकाइयां कब से किन-किन कारणों से बंद हैं एवं उनमें कितने मजदूर कार्यरत थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बंद इकाइयों को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त संचालित इकाइयों के बॉयलर में किस ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त इकाइयों को गैस उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): मुझे बोलने ही नहीं दिया वापस। मेरा जवाब तो दिला देते।

**उद्योग मंत्री** (श्री परसादी लाल): (1) पाली जिला मुख्यालय में 2307 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं। इनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) इस प्रकार की सूचना संधारित नहीं की जाती है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उक्त संचालित इकाइयों के बॉयलर में कोयला तथा ट्रेड वेस्ट-आर्गेनिक वेस्ट (सरसों/मूंगफली आदि की भूसी से निर्मित) गिट्टी काम में ली जाती है। इकाइयों के बॉयलर में गैस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उक्त जो टैक्सटाइल यूनिट्स बंद पड़ी हैं। वहां पिछली एनजीटी ने भी सरकार के ऊपर पैनल्टी लगाई है। उन यूनिट्स के

(श्री खुशवीरसिंह)

बारे में आपने यहां कोई जिक्र नहीं किया है। पूरा का पूरा प्रदूषित पानी बांडी नदी में प्रवाहित हो रहा है। उसके लिए सीईटीपी प्लांट और जेड एलडी प्लांट हैं, उसके ऊपर जो बात हुई थी, उस प्रश्न को पूरा आपने घुमा दिया है। उसका कोई जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मैंने पूछा कि बायलर के ईंधन के लिए क्या उपयोग किया जा रहा है?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया है वह मैं बताना चाहूंगा कि न तो वहां पर गैस पाइप लाइन के लिए आपने बताया है कि उनको भविष्य में उपलब्ध करवाई जाएगी। वहां पूरा का पूरा भीलवाड़ा और उदयपुर का जंगल कटकर, आज भी हरी लकड़ी वहां बायलर के लिए पहुंच रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप गैस और कोयला उपलब्ध करवाएं ताकि हमारे जंगल बच सकें।

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी इकाइयों के द्वारा इस तरह की कोई मांग नहीं आई है। यदि इस तरह की मांग आएगी तो भारत सरकार को भिजवाएंगे। गैस की उपलब्धता उन इकाइयों पर डिपेंड करती है कि वह चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उनको मूंगफली और सरसों की गिट्टी सस्ती पड़ती है या गैस महंगी पड़ती है, यह उनको निर्णय करना है। सरकार के पास अभी इस तरह की कोई डिमांड नहीं है।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): हरी लकड़ी, जो जंगल कटकर के आ रहे हैं, उसको रोकने का विचार रखते हैं?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): हरी लकड़ियों के कटने की कोई सूचना हमारे पास नहीं है और न ही वहां जलाने की कोई सूचना है।

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह जी देवल।

## रानीवाड़ा में फसल खराबे का मुआवजा

39. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले सहित रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2017 में खरीफ फसल के समय अतिवृष्टि हुई थी? यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी किसानों की फसल के खराबे का आकलन करवाकर गिरदावरी

(श्री नारायण सिंह देवल)

रिपोर्ट प्राप्त कर ली थी? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों का, कितना-कितना नुकसान हुआ था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अतिवृष्टि प्रभावित उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी किसानों को फसल खराबे का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है? यदि हां, तो क्या सरकार मुआवजे से वंचित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री** (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में खरीफ फसल वर्ष 2017 में बाढ़ से फसल खराबे की प्राप्त वास्तविक सूची अनुसार कुल प्रभावित काश्तकार 62978 का कुल रकबा 54190 हैक्टेयर का नुकसान हुआ है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कुल प्रभावित 62978 काश्तकारों में से 35540 काश्तकारों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है, 27438 काश्तकारों द्वारा बैंक खाता व आधार कार्ड नंबर विवरण नहीं दिए जाने के कारण भुगतान से शेष हैं। काश्तकारों द्वारा बैंक खाता व आधार कार्ड नंबर की सूचना उपलब्ध कराने पर कृषि आदान अनुदान का भुगतान कर दिया जाएगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि खरीफ, 2017 का यह फसल मुआवजा है। करीब 2 साल हो गए हैं। अभी भी मंत्रीजी यह बता रहे हैं कि 27438 काश्तकारों ने बैंक खाता और आधार कार्ड नहीं दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि काश्तकारों ने आधार कार्ड, बैंक खाते की फोटो कॉपी कई बार दे दी। कर्मचारी व अधिकारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन लापरवाह कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या नहीं?

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर के द्वारा यह सूचना प्राप्त होती है कि इतने काश्तकारों की बाढ़ या अन्य कारणों से खरीफ की फसल खराब हुई है। लगातार 2 सालों से विभाग द्वारा जिला कलेक्टर से यह मांग होती रही है कि जो खाते शेष रहे हैं, उन खातेदारों, काश्तकारों का तत्काल खाता खुलवाने का काम करें।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, अगर किसी अधिकारी ने यहां पर नहीं भेजा है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर तहसीलदार स्तर पर, एसडीओ स्तर पर किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही बरती गई है तो जिले के कलेक्टर और डिवीजनल कमिश्नर के स्तर पर पूरी निगरानी के साथ इसकी जांच करवा ली जाएगी। अगर गड़बड़ पाई गई तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन काश्तकारों को अब खाता खुलवाना ही पड़ेगा। बगैर खाता खुलवाए हम पैसा नहीं जमा करवा सकते।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): माननीय मंत्री महोदय, काश्तकार ने 2-2, 5-5 बार कागज दे दिए। लेकिन फिर भी वह कर्मचारी नहीं कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य। मंत्रीजी का जवाब सुनें। बोलना है, मंत्रीजी? प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

**(12.00 बजे)**

# स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा व बूंदी जिले में ठप पड़े विकास कार्यों से जनता में आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली के जिला अस्पताल में निश्चेतना विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी (कोटा) के चिकित्सालयों की दयनीय हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री गिरधारी लाल, सदस्य की ओर से बाड़मेर गिरल पावर प्लांट बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में मिलावट के कारण लोगों के जीवन से हो रहे खिलवाड़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड मुख्यालय, जहाजपुर स्थित सीएचसी में चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में हिन्दुस्तान जिंक प्लांट के प्रदूषण के कारण पशुओं की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में जिला कलेक्टरों द्वारा वर्ष 2019 में मीसा बंदियों को स्वीकृत की जा रही पेंशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से गत 01 जुलाई को शास्त्री नगर, जयपुर में 07 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद बिगड़े माहौल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री नारायण सिंह देवल एवं श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से पाकिस्तान की तरफ से आए टिड्डी दल के हमले से सीमावर्ती जिलों की लाखों हैक्टेयर फसल के नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, श्री संयम लोढ़ा, श्री अशोक लाहोटी, श्री नारायण सिंह देवल एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति पर अपने पद के कार्य सम्पादन पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक होने से शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य बाधित होने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में गिरते जल स्तर को देखते हुए अविलम्ब जल संरक्षण के उचित उपाय किए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पेयजल समस्या का निराकरण किए जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से यूआईटी के पैराफेरी एरिया में

(श्री अध्यक्ष)

बसी कालोनियों को उदयपुर नगर निगम के वार्डों में शामिल कर उनका विकास करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मोहन राम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं किए जाने से आम जन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के कालाडेरा में स्थित अवैध फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण से आम जन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के कितपय गांवों में पानी के लिए संचालित जेजेवाई योजना के रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के स्थान पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विकास को दिए जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में पेयजल योजनाओं का कार्य धीमी गति से होने के कारण आम जन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गिरते भू-जल स्तर से उत्पन्न पेयजल समस्या का निराकरण किए जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से प्रदेश में भिश्ती समाज को केन्द्र की भांति राजस्थान की ओबीसी सूची में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की नारायणपुर उप तहसील को क्रमोन्नत करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा की ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा व हिंगोटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजगुरु सर्किल से कृषि मण्डी तक किसान गौरव पथ का कार्य पूर्ण न होने से आम जन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(14) श्री विजयपाल मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पेयजल से वंचित गांवों एवं ढाणियों में पेयजल की पुख्ता व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री चेतन सिंह चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के बंद होने के कगार पर पहुंचे नमक उद्योग को पुनर्जीवित किए जाने हेतु ठोस कदम उठाए जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

## पर्ची

आज दिनांक 8 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 27 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनकी शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री बाबुलाल | विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में सड़कों की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में। |
| 2. | श्री राजकुमार गौड़ | गंगानगर सहित 8 जिलों की नहरों में पंजाब से आ रहे जहरीले दूषित पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। |
| 3. | श्री अमृतलाल मीणा | स्टेट हाइवे 32ए ऋषभदेव से झामेश्वर तक, 106 किलोमीटर का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में। |
| 4. | श्री अविनाश एवं<br>श्री बलवान पूनियां | पंचायत सहायक कर्मियों की सेवा को पुन: बहाल करने के सम्बन्ध में। |

स्थगन प्रस्ताव पर, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 701 की ओर दिलाना चाहता हूं।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न आता नहीं है। यह परम्परा रही है सदन की।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप पुराने हैं, समझते हैं, बोल रहे हैं वैसे ही।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठ जाएं, माननीय सदस्य। आप भी सीनियर हैं, स्थगन प्रस्ताव में पाइंट आफ आर्डर आएगा?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो मैं जीरो आवर के बाद उठा दूंगा, अगर आप कहें।

**श्री अध्यक्ष:** उस समय का उस समय देखेंगे।

स्थगन प्रस्ताव।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

### चित्तौड़गढ़ जिले में हिन्दुस्तान जिंक प्लांट के प्रदूषण के कारण पशुओं की अकाल मृत्यु

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत बोलने की अनुमति दी उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चित्तौड़गढ़ जिले में हिन्दुस्तान जिंक का प्लांट है, वह प्लांट काफी समय से वहां है और उस प्लांट की वजह से हमारे आसपास में काफी प्रदूषण भी फैल रहा है और उस प्रदूषण की वजह से हवा का प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है। वहां पर पास में नदी है उसमें एसिड भी छोड़ देते हैं, इसकी वजह से कुछ समय पहले काफी मछलियां भी मर गई। उस पानी से आसपास के काफी जानवर भी मरे हैं। इससे काफी नुकसान हुआ है, वातावरण काफी गंदा हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां नगरी पंचायत का बिलिया गांव है, उस गांव की कंडीशन इतनी खराब है कि वहां 300-300, 400-400 मीटर खोदने के बाद भी पानी प्रदूषित ही मिलता है। वहां का इस तरह का पानी पीने से, आप जांच कराएं, पशुधन महीने, दो महीने से ज्यादा बचता नहीं है। वहां पीने का पानी बहुत खराब है, वहां आठ-दस किलोमीटर दूर से पीने का पानी आ रहा है। वहां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को शिकायत करते हैं तो भी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हो सकता है हिन्दुस्तान जिंक की जड़ें बहुत गहरी हैं, वह सरकार तक भी पहुंची हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार एक पत्रिका में आया था और आपने भी कहा था कि क्षेत्र में धन कमा रही कम्पनियां विकास पर भी ध्यान दें। पर वह विकास वहां हो नहीं रहा है और वहां प्रदूषण काफी हमारे फैल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वहां के लिए एक कमेटी बनाएं और पूरी जांच करवाई जाए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जांच करवाने पर वह जाकर वहां मिल लेते हैं,

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

वीडियोग्राफी कर लेते हैं जो उनकी अच्छी बातें करते हैं उनको वह प्रेषित करते हैं, जो उनके बारे में अगर वास्तविक बात करते हैं उनको सरकार तक पहुंचाते नहीं हैं। आप विधान सभा से कमेटी बनाएं जो वहां के प्रदूषण को भी देखे, वहां जो घटनाएं घट रही हैं उनको भी देखे। वहां से पांच-चार किलोमीटर दूर वहां किला है, इससे उस किले में भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हवा का प्रदूषण हो रहा है, पानी का प्रदूषण हो रहा है और वहां जो एसिड निकलता है, वहां वह नदी में छोड़ देते हैं वह उस एसिड को नदी में नहीं छोड़ें, काफी वहां परेशानी हो रही है, उन्होंने चारागाह का कब्जा कर रखा है, वहां लॉ एंड आर्डर भी बिगड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र में भी हिन्दुस्तान जिंक है, वहां की स्थिति भी आप जानते हैं, मेरे चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो हिन्दुस्तान जिंक है, उसके बारे में आप थोड़ा सोचकर उसके बारे में आप कार्यवाही करवाएं, एक कमेटी बनाएं और सरकार इसका जवाब भी दे कि कैसे हम जांच करवाकर उस प्रदूषण को हटा सकते हैं कैसे उसको कम कर सकते हैं। लोग वहां काफी दु:खी हैं और वहां का एरिया छोड़कर दूसरी जगह बसने के लिए तैयार हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसकी कमेटी बनाकर सरकार से इसका जवाब भी दिलवाएं, धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष:** श्री संयम लोढ़ा।

## मीसा बंदियों को स्वीकृत पेंशन

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जब सत्ता संभाली तो हमारे प्रदेश के मजदूर, जिनके हित की अनेक योजनाएं संचालित थीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 लाख 26 हजार 38 आवेदन जो मजदूरों के अलग-अलग हित के थे, जिसमें सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित थे, प्रसूति के थे, मजदूरों की छात्रवृत्ति के थे, ये सारे आवेदनलम्बित छोड़कर के यह सरकार गयी और करीब 2385.41 लाख रुपये की कमिटेड लाइबिलिटी पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार पर छोड़कर गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका ध्यान प्रदेश के लोगों के हितों की तरफ तो था नहीं, मजदूरों के हितों की तरफ तो था नहीं, उनके बच्चों के भविष्य की तरफ था नहीं, उनकी बच्चियां पढ़-लिख जाएं, काबिल बन जाएं, उन्हें छात्रवृत्ति मिल जाए, इसकी तरफ था नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका ध्यान किस तरफ था? मैं यह मानता हूं कि 1975 से 1977 के बीच

(श्री संयम लोढ़ा)

जो आपातकाल का दौर आया, वह एक गलती थी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इन भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने उस दौर का कैसे उपयोग किया? 1977 के बाद करीब तीस साल तक इन्हें कभी ख्याल नहीं आया कि उस दौर में कौन बंदी हुए, क्या हुए। अचानक 2008 में जब इनकी सरकार जा रही थी, तब इन्हें भान हुआ कि हम तो सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, अपने लोगों का कुछ कल्याण तो कर जाएं तो उन्होंने 12 सितम्बर, 2008 को मीसा के अंदर बंद हुए लोगों के लिए पेंशन के नियम बना दिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार फिर आ गयी। पांच साल वह पड़ा रहा। 2013 में कांग्रेस की सरकार चली गयी, 2014 में फिर ये आ गए, तब इन्हें फिर यह इल्म हुआ कि अपने लोगों को तो आब्लाइज ही नहीं किया। कुछ करना चाहिए उनके लिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने 2014 में अधिसूचना जारी की और उसके बाद 4 जुलाई, 2018 को यह सब करने के बाद इन्होंने नये सिरे से, कि कुछ लोग तो हो गए, बाकी जो बच गये हैं, उन्हें लाभान्वित कैसे किया जाए, तो इन्होंने फिर से एक अधिसूचना जारी की जिसमें पहले के कलेक्टर तो आथोराइज्ड थे ही, लेकिन जो लोग बच रहे थे, उन्हें लाभान्वित कैसे करें?

उक्त दस्तावेजों के अभाव में सीआरपीसी की धारा 107, 116, 151 के तहत निवृत्त रहे आवेदनकर्ता को किन्हीं दो मीसा डीआईआर बंदियों से निर्धारित प्रारूप में ऐसा शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिससे इसकी पुष्टि होती हो कि शपथ-पत्र देने वाले मीसा डीआईआर बंदियों के निवृत्ति काल में आवेदनकर्ता भी कम से कम एक बार तक आपातकाल का विरोध करने के कारण सीआरपीसी की धाराओं 107, 116, 151 के अंतर्गत निवृत्त रहा हो। ऐसे शपथ-पत्र का प्रमाणीकरण साक्ष्य के रूप में संबंधित विधान सभा, लोक सभा के वर्तमान अथवा भूतपूर्व सदस्यों से कराया जाना अनिवार्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्समय उस समय कोई आपराधिक गतिविधि में नहीं रहा, अनेक ऐसे लोगों की पेंशन स्वीकृत कर दी, जो उसके बाद में अनेक आपराधिक मामलों में लिप्त पाये गये, सांप्रदायिक हिंसा में लिप्त पाये गये, पथराव में लिप्त पाये गये, सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान करने के मामले में लिप्त पाये गये और उन सभी लोगों के जब-जब इनकी सरकार आयी, इन्होंने मुकदमे वापस ले लिये और उनका प्रजेंट रिकार्ड क्लीन

(श्री संयम लोढ़ा)

कर दिया। अलग-अलग तरह के झूठे शपथ-पत्र पेश करवा कर उनकी पेंशन स्वीकृत करने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब इमरजेंसी के दौर में भी +++ जो आई.बी. के प्रमुख थे, उन्होंने खुद ने जो करण थापर को इंटरव्यू दिया 'टू द पाइंट' और जो उनकी बुक थी 'द क्रूशियल इयर्स', उसमें उन्होंने लिखा है कि आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख +++ ने अनेक बार...

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): नाम लेना गलत है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** यह मेरा काम है। (व्यवधान) मेरा काम है हटाने का। (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही से इन शब्दों को हटाया जाए। (व्यवधान) एक तरफ तो कांग्रेस इमरजेंसी लगाती है, निरपराध व्यक्तियों को जेलों में ठूंसती है और इस तरह से इनके सदस्य यहां खड़े होकर बातें करते हैं। क्या अधिकार था कांग्रेस को निरपराध लोगों को जेलों में ठूंसने का। (व्यवधान) जेलों में ठूंसते हैं हमें और फिर इस तरह से बात कर रहे हैं यहां पर आकर।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप बैठिए, मेरा काम है। बैठें अनिता जी, बैठें। (व्यवधान) जगह पर बैठिये। मेरा काम है यह, आप नहीं करेंगे।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): इसे एक्सपंज करें। यह सहन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** यह मेरा काम है, आप करेंगे क्या? यह मेरी जिम्मेदारी है, आप बैठें। अंकित नहीं होगा।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): 000

**श्री अध्यक्ष:** बैठिये प्लीज। मेरा काम आप नहीं करेंगे। अंकित नहीं करना मेरी जिम्मेदारी है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि जो माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी है, वह अंकित नहीं होगी। यह मेरा काम है। आपको यह काम करने की जरूरत कहां पड़ रही है? यह मेरी जिम्मेदारी है, आप कृपया शांत रहें।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): 000

**श्री अध्यक्ष:** नीचे बैठें आप।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): 000

**श्री अध्यक्ष:** आप चलाएंगे क्या हाउस? बैठिये प्लीज। ऐसे हाउस नहीं चलेगा। You cannot dictate me. मेरा काम तो मैं करूंगा। आप बैठिए प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, नीचे बैठें आप।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): 000

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, नीचे बैठें। आपको समझ नहीं आया क्या?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष:** कटारिया साहब, I am very sorry.

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष:** आप एक मिनट बैठें, आप खुद एक सीनियर लीडर हैं। आसन पैरों पर है, हाउस को बंद कर दें? अब क्या सीनियर लीडर्स भी समझना नहीं चाहेंगे कि अध्यक्ष जब खड़ा हुआ है, फिर भी हम बैठे-बैठे बोल रहे हैं। उस दिन भी मैंने कहा, मुझे बहुत तकलीफ है। यदि माननीय सदस्य, अध्यक्ष जब पैरों पर खड़ा है, उसके बाद भी नहीं सदन चलाना चाहते तो सदन को बंद कर दें। मेरी जिम्मेदारी का काम मैं करूंगा। मुझे डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं है, पर यदि अध्यक्ष चेयर पर खड़ा हुआ है और उसके बाद भी हम खड़े होते हैं तो मैं समझता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं बन सकती। इस तरह हाउस चलेगा कैसे?

सदन में पुलिस का कोई कंट्रोल तो है नहीं। कोई एसपी तो नहीं है। हाउस चलाने का एक ही तरीका है कि जब भी अध्यक्ष चेयर पर खड़ा हो तो सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैठेंगे। अगर किसी ने कोई बात कह दी तो यह मेरी ड्यूटी बनती है कि जो माननीय सदस्य हाउस में नहीं हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं की जाए। यदि बोली गयी तो अंकित नहीं की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी मेरी है।

मैं आशा करता हूं माननीय सदस्यों से कि मेहरबानी करके बैठ जाएं, मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि जो माननीय सदस्य हाउस में नहीं हैं, उनके बारे में उल्लेख नहीं करें। यह गलत परम्परा है। हम सब जानते हैं कि जो माननीय सदस्य हाउस में नहीं हैं, अपनी बात को डिफेंड नहीं कर सकते, उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। मैं अपेक्षा करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि कृपया इस तरह की स्थिति नहीं बनाएं। जो सदस्य यहां नहीं हैं और अपनी बात को डिफेंड नहीं कर सकते, उनके बारे में चर्चा नहीं करें।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का निर्वहन मुझे करने दें। आप मुझे न बताएं कि आप जब कहेंगे तो ही ये चीजें होंगी। यह परम्परा ठीक नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कहना चाहता हूं कि यदि अध्यक्ष खड़ा है, उसके बाद भी आप खड़े रहते हैं तो कटारिया साहब, फिर मुझे हाउस चलाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं अपेक्षा करूंगा कि जब भी अध्यक्ष खड़ा रहे तो कृपया करके सभी माननीय सदस्य, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, आप सदन को चलाने की जो परम्परा है, उसका निर्वहन करें और अध्यक्ष पद की गरिमा के लिये यह आवश्यक है कि सदन में अच्छी डिबेट हो तो कम से कम जब अध्यक्ष खड़ा हो तो कृपया बैठें और फिर मेरे जवाब के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं, मैं अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकूं तो आप जरूर पाइंट आउट करें। यह मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी सदस्य किसी के बारे में आरोप लगाये या जो व्यक्ति हाउस में नहीं है, उसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, वह अंकित नहीं होगा। यह मेरा क्लियर-कट इंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों से जरूर निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके यदि हाउस में डिबेट चलानी है तो हम स्वयं रेस्ट्रेन करें, माननीय सदस्य जो हाउस में नहीं हैं, उनके बारे में नहीं बोलें, क्योंकि डिबेट तभी होगी जब नियमों का पालन करेंगे। नियमों का पालन नहीं करेंगे तो डिबेट नहीं होगी और डिबेट नहीं करना चाहते हैं और प्रोवोक करके हम डिबेट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो संसदीय परम्पराओं का ठीक तरह से पालन नहीं हो पाएगा। कृपया संसदीय परम्पराओं का पालन करें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना का पूरा सम्मान करता हूं लेकिन माननीय सदस्य ने नाम लेकर अपने आप उत्तेजित करने के लिए उसका उपयोग किया तो आप उसको इस प्रोसीडिंग से निकलवाइये।

**श्री अध्यक्ष:** कह दिया मैंने एक्सपंज का।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): और भविष्य में अगर ये कभी नाम लेते हैं तो इनको दण्डित करिये।

**श्री अध्यक्ष:** कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय आपातकाल था और आई.बी. के जो चीफ थे उन्होंने स्वयं ने पुस्तक लिखी है, ए.जी. नूरानी ने पुस्तक लिखी है, बिपिन चन्द्रा ने पुस्तक लिखी है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्लीज, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप। स्थगन प्रस्ताव दो मिनट के लिए है, प्लीज, वाइंड-अप।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। जो तथ्य हैं वो देश के सामने हैं, वो रिकार्डेड हैं, कोई भी आदमी कहीं भी उसका अवलोकन कर सकता है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्लीज।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह नई सरकार आई, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, राजस्थान की जनता पूछना चाहती है कि गरीबों को देने के लिए पेंशन नहीं है, इस पूर्ववर्ती सरकार ने लाखों गरीबों की पेंशन बन्द कर दी, दो रुपये किलो के गेहूं बन्द कर दिये, जिन्दा लोगों को मरा हुआ बताकर पेंशन कर दी....

**श्री अध्यक्ष:** बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे, प्लीज।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उसके लिए पैसे नहीं थे और आप, सरकार में आने के बाद, वोट तो इंदिरा गांधी के नाम पर मांगते हैं, वोट गांधी परिवार के नाम पर मांगते हैं...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप करें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): और इंदिरा गांधी को पानी पी-पीकर गाली देने वाले लोगों को आप पेंशन देने का काम कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, वाइंड-अप करिये प्लीज। वांइड-अप करिये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दु:ख है कि यह इस सरकार का, बीकानेर कलेक्टर का आदेश मेरे सामने पडा़ है, इस सरकार ने आने के बाद में इस तरह के लोगों को आप पेंशन दे रहे हैं जो अलग-अलग तरीके से अपराधी हैं।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, हो गया प्लीज, बैठें। वाइंड-अप करिये प्लीज। प्लीज, वाइंड-अप करिये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): छत्तीसगढ़ में पेंशन बन्द हो गई, मध्य प्रदेश में पेंशन बन्द हो गई, पर क्या कारण है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता का धन बर्बाद होने से बचाने के लिए....

**श्री अध्यक्ष:** समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण को मंत्रिमण्डल के सामने रखकर इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय अशोक लाहोटी। माननीय सदस्य, बार-बार नहीं। माननीय सदस्य, गलत परम्परा नहीं। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। प्लीज, आपने अपनी बात कह दी। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री अध्यक्ष:** प्लीज, बैठिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री अध्यक्ष:** आपका काम है क्या यह? आपका काम है क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप भी खड़े हों, आप क्या कर रहे हो? आपकी जरूरत नहीं है, आप विराजिये। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): 000

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं होगा। माननीय राठौड़ साहब, गलत परम्परा आप नहीं डालें। आप खुद खड़े हो गये, मैं खड़ा हूं न। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वो ही काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप नियमों का पालन करें। माननीय अशोक लाहोटी।

## शास्त्री नगर (जयपुर) में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 50 के अन्तर्गत जो मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

(श्री अशोक लाहोटी)

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की राजधानी में एक जुलाई का दिन हम सब के लिए बड़ा शर्मनाक दिन रहा। एक जुलाई के दिन एक सात साल की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म होता है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूरे प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं लेकिन मैं पूरे प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं देकर अभी केवल इस एक पाइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दुष्कर्म की घटना जिस प्रकार से घटित होती है और जो अपराधी है वह 7 दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। कौन अपराधी है? अध्यक्ष महोदय, जो 65 बार दुष्कर्म की घटनाओं में, इस तरह की घटनाओं में, यौनाचार की घटनाओं में, बलात्कार की घटनाओं में जीवाणु नाम का व्यक्ति बाद में गिरफ्तार होता है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को दिल्ली से फुर्सत नहीं है, वो अपनी पार्टी के मुखिया को मनाने के लिए 65 बार दिल्ली की यात्राएं कर चुके हैं। लोक सभा चुनाव के बाद में.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज। माननीय सदस्य, बैठिये।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): यह क्या भाषण दे रहे हैं?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनके खुद के खिलाफ ए.सी.बी. में 5-5 मुकदमे लगे हुए हैं। (व्यवधान)

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): यह आन रिकार्ड है अध्यक्ष महोदय। जो मैं कह रहा हूं आन रिकार्ड कह रहा हूं और जो माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं वो गिनती करके बता दें।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): ये असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, 65 बार मुख्य मंत्रीजी की दिल्ली यात्रा हुई है। यह राजस्थान के इतिहास में..... (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): ..... और ये राजनीति कर रहे हैं जयपुर की। (व्यवधान) हॉस्पिटल में मिलने गये थे। बच्ची से मिलने गये थे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्रीजी।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं, मंत्रीजी को दर्द इसलिए है कि यह इनका भी क्षेत्र है। ये भी उसमें मूकदर्शक थे।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य, आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलें। आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उस पर ही बात करें। फिर वो ही बात अपन करना चाहते हैं, अभी एक घटना हुई और फिर हम उसको करना चाहते हैं। आप इस प्रश्न की गम्भीरता को समझते हुए उसी पर अपनी बात को कन्फाइन करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह जीवाणु नाम का जो व्यक्ति है, पूरे जयपुर की जनता ने एक स्वर से इसको कीटाणु मानते हुए, एक स्वर से यह बात स्वीकार की और मांग की कि इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो। राजस्थान की राजधानी का जो हाल है, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जो घटना घटित होती है, पूरे प्रदेश में लोगों ने देखा कि इस घटना के बाद में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, पूरे जयपुर शहर में आतंक का माहौल पैदा किया गया, पूरे जयपुर शहर में जिस प्रकार का सड़कों पर तांडव किया गया, लोगों के घरों पर पथराव किये गये, लोगों के घर जलाये गये, लोगों के शीशे फोड़े गये, गाड़ियां तोड़ी गईं। अध्यक्ष महोदय, और तो और, पुलिस मूकदर्शक बनी रही और इसमें साफ-साफ मीडिया ने भी बार-बार लिखा कि 'बेबस पुलिस, बेखौफ अपराधी और भयभीत लोग', यह राजस्थान की राजधानी का हाल रहा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यहीं नहीं रुका, इस घटना को पूरा प्रदेश नहीं देखे यह पुलिस ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना में किसका श्रेय था, पुलिस को मूक-दर्शक बनाने के लिए किसका आदेश था? क्या किसी समुदाय विशेष था? क्या किसी समुदाय विशेष को संरक्षण था?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, अब वाइंड-अप करें। आप वाइंड-अप करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एक समुदाय विशेष के लोगों के आतंक को इस प्रकार खुली छूट देना, गुण्डागर्दी की छूट देना, प्रदेश की राजधानी में छूट देना, यह राजस्थान के इतिहास में शायद पहली बार देखने को मिला है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** वाइंड-अप करें। वाइंड-अप करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): जयपुर में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया, आधे जयपुर की इंटरनेट सेवाएं बन्द कर दी गईं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, बैठें। हो गया। हो गया माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं होगा। माननीय नारायण सिंह। माननीय मंत्रीजी, प्लीज। माननीय मंत्रीजी, नहीं। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): 000

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्रीजी, प्लीज। माननीय मंत्रीजी, सुन नहीं रहे हैं आप। माननीय मंत्रीजी, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। आप बैठें प्लीज। (व्यवधान) आप क्या कह रहे हो? माननीय मंत्रीजी, विराजें। विराजें माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): 000

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्रीजी, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप समझ नहीं रहे क्या? बन्द कर दें डिबेट को? आप खुद परम्पराओं का पालन नहीं करना चाहते, जिस विषय को आप उठाना चाहते हो उसकी गम्भीरता को नहीं समझ रहे। उस गम्भीरता की जगह आप क्या बात करना चाहते हैं। मुझे बहुत दु:ख है, मुझे बहुत दु:ख है कि हम अच्छी डिबेट को नहीं करना चाहते हैं। हम एक-दूसरे पर दोषारोपण करके उस विषय की महत्ता को खतम करना चाहते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे कहते हुए बहुत दु:ख है। माननीय श्री नारायण सिंह देवल।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): 000

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्लीज। आप बैठें प्लीज। आपको तकलीफ है क्या कोई? कोई प्राब्लम है माननीय सदस्य? कोई प्राब्लम है क्या आपको? आप बैठें प्लीज। माननीय सदस्य, आप बैठें, प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आप बैठें प्लीज। नारायण सिंह देवल। बैठें प्लीज। आप बैठें प्लीज, अंकित नहीं होगा।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, नहीं आया समझ में आपके? आप बैठें प्लीज। कटारिया जी, मुझे नाम लेना पड़ेगा। माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, बैठें आप। आप नीचे बैठो। माननीय मंत्रीजी, आप बैठो। (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): 000

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): 000

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): 000

**श्री अध्यक्ष:** सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 12.30 बजे 12.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

**(12.40 बजे)**

**पुन: समवेत् होने पर**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

### शास्त्री नगर (जयपुर) में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म

**श्री अध्यक्ष:** मैं फिर माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि सदन में डिबेट चलनी है, तो मेहरबानी करके नियमों का पालन करें। माननीय श्री नारायण सिंह देवल।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा...

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट..

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य प्लीज, मुझे बाय नेम करना पड़ेगा, प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। मैं कटारिया साहब बाय नेम लूंगा। मेरे पास कोई आप्शन नहीं है। इसको बाहर निकालना पड़ेगा। I have to set a wrong precedent, जिसको मैं नहीं चाहता। मैं आपसे अपील करूंगा कि मेहरबानी करके, जब चेयर पर खड़े हों, तब कोई खड़ा नहीं हो। जब मैं एक बार रूलिंग दे चुका हूं। मैं पुकार चुका हूं नारायण सिंह जी देवल को तो मैं आशा नहीं करता हूं कि उस इश्यू को आप स्टार्ट करें। नारायण सिंह जी देवल।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): केवल विषय को रखा था, उन्होंने। थोड़ा बहुत इधर-उधर किया, लेकिन जिन लोगों ने भी इस प्रकार की कार्यवाही की और तोड़फोड़ की उनके खिलाफ अगर कायर्वाई नहीं होती है तो मैसेज क्या जाएगा। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जिन्होंने कानून हाथ में लेकर के लोगों के व्हीकल तोड़े या उनके घरों में फेंका, उनके खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं करोगे तो आप मैसेज क्या देना चाहोगे।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक आपका सवाल है कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती। कार्यवाही दोनों पक्षों के खिलाफ हुई है और दोनों पक्षों के खिलाफ 5-5, 6-6 धाराओं में, मैं धारा बता देता हूं आपको, जिन लोगों ने 02/07 को जिन 500-600 व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर के पुलिस के ऊपर पथराव किया और 50-60 गाड़ियों के कांच तोड़े, उन सबके खिलाफ जो केसेज रजिस्टर हुए हैं, वो धाराएं मैं अभी आपको बता देता हूं, 143, 283, 332, 353, 427, 336, 323 और 149 आइपीसी में दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसी के साथ-साथ दूसरे पक्ष पर भी जिन्होंने कि 50-60 आदमियों के जाकर घर पर जो है तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। मुख्य अभियुक्त जो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो फैक्ट्स अब माननीय लाहोटी जी ने बताये हैं। वो ट्विस्ट करके बताये हैं और गलत बताये हैं। मैं आलोचना करता हूं इस बात के लिए ...(व्यवधान)

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): मंत्री महोदय, मैंने जो आपसे कहा...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): अध्यक्ष जी, इन्होंने आरोप लगाये, मुझे जवाब देने दीजिए...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्लीज आप गलत परम्परा, मंत्री खड़े हैं, आप खड़े हो गये। आदरणीय, प्लीज गलत परम्परा है, मंत्री जवाब दे रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। मंत्री महोदय प्लीज, बैठें आप, मंत्रीजी बोलें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो खुद गृह मंत्री रहे हैं। आप ये बता दें कि इस प्रकार की यदि घटना होती है। जिसमें अगर मान लीजिए पुलिस ने उसी वक्त ये इंतजामात नहीं किये होते, इंटरनेट बंद नहीं किये होते, सब कुछ जो प्रबंध किया, पुलिस के द्वारा जो प्रबन्ध था। अगर वो इस प्रकार का नहीं होता तो निश्चित तौर पर पूरे जयपुर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में बवाल पैदा हो सकता था। जिस प्रकार की यह घटना है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिस व्यक्ति पर आरोप है, वो मामूली आरोपी नहीं है, मामूली आदमी नहीं है। इतना हार्डकोर अपराधी है, जिसको पकड़ना पुलिस के लिए आसान बात

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नहीं थी। लेकिन, फिर भी इतनी जल्दी पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया, निश्चित तौर पर मैं यह मानकर चलता हूं कि आप भी पुलिस की तारीफ करेंगे।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने जब प्रारम्भ में भी अपनी बात कही तो कहा कि जिसने अपराध किया, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और वो कार्यवाही हुई है। पुलिस ने अच्छा काम किया लेकिन जो तोड़फोड़ हुई है उस तोड़फोड़ के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए और एक जो पुलिस का जो लेकुना है, इसको शांति से समझना। जब रात को चार हजार, पांच हजार लोग इकट्ठे हो गये तो पुलिस नदारद क्यों थी, सारे एरिये में केवल एक ही जगह क्यों कन्सनट्रेट क्यों कर दिया। उन्हें पता है कि जिस प्रकार का मॉब बन गया, वो मॉब डिस्टर्ब होगा ही होगा और मॉब जब जाएगा यहां से तो तोड़ा-फोड़ी होगी तो इतना चौकन्ना रहकर के सम्पूर्ण क्षेत्र की जो उनको देखभाल करनी थी या पुलिस की प्रजेंस वहां होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई उसको पुलिस छुपा रही है। पुलिस का सबसे बड़ा लेकुना यह रहा, इतनी बड़ी भीड़ बिना किसी बुलाये, अगर आ गई तो यह यहां से जब जाएगी तो ये क्या करेगी, इतना अंदाज नहीं लगता है क्या?

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, मुद्दे को डायवर्ट कर रहे हैं...

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठें प्लीज, प्लीज बैठें रिकार्ड नहीं होगा।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): 000

**श्री अध्यक्ष:** रिकार्ड नहीं होगा, बैठें प्लीज, मंत्रीजी खड़े हैं और आप खड़े हो गए। मंत्रीजी।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे निवेदन करूं न तो चार-पांच हजार आदमियों की भीड़ थी। कुल मिलाकर 600-700 आदमियों की भीड़ थी, जिस पर शांति समिति के सदस्यों को बुलाया गया। बुलाकर के उनको उनसे बातचीत करवाई गयी, उसमें काफी कुछ उनका जो जोश था, जो गुस्सा था, उसको काफी कुछ कम किया। सवाल ये है कि जब लोग उनको समझाकर के लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने पथराव किया, यह मानते हैं हम, पथराव किया, लेकिन उनके खिलाफ केसेज रजिस्टर हो गये हैं। इतने केसेज रजिस्टर हुए

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हैं, आप ये देखें कम से कम 9 धाराओं में केसेज रजिस्टर हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। आपने जो कहा कि पुलिस नहीं पहुंची, ये बिलकुल गलत है, फौरन पुलिस पहुंच गयी। एक मिनट की देर नहीं की पुलिस ने पहुंचने में।

**श्री अध्यक्षः** चर्चा समाप्त हुई, नारायण सिंह देवल।

## टिड्डी दल के हमले से सीमावर्ती क्षेत्र की फसल को नुकसान

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अंतर्गत सदन में चर्चा करने का मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में बड़े स्तर पर टिड्डी दल ने हमला बोल दिया है। थार के मरुस्थल में पिछले 15-20 दिन से टिड्डी दल को लेकर स्थिति बहुत ही खराब है। जालौर जिले में 1992-93 में टिड्डी दल आया था और आज भी वहां के लोगों के मन और मस्तिष्क में वो घटना नहीं भुला पा रहे हैं। पाकिस्तान की सरहद से लगे जिले जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के कई गांवों में आज टिड्डी दल का खतरा मंडरा रहा है। जालौर जिले के आकोडिया, हाजीपुर, खेजडीयाली, कुकरिया, रडका, जोरादर, मंडाली, शिवनगर और भवातरा सहित दर्जन भर गांवों के अंदर टिड्डी दल पहुंच गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक टिड्डी 10 दिन के अंदर लगभग सौ अंडे देती है और कुछ ही दिनों में हजारों की संख्या टिड्डी दल बदल जाता है और 15 दिन के बाद में अंडों में से टिड्डी का बच्चा पैदा हो जाता है और जब तक उस बच्चे के पंख नहीं आते तब तक जमीन पर पानी की धारा की भांति वो बच्चा चलता है और एक साथ एक जगह बैठने पर पूरे खेत पेड़-पौधे सारी फसलें टिड्डी दल चट कर जाता है। जालौर जिले के प्रशासन द्वारा छिड़काव किया जा रहा, परन्तु इसकी रोकथाम करने में अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। जालौर जिले के गांवों में टिड्डी दल आने के बाद प्रशासन की ओर से दवा छिड़काव किया जा रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) परन्तु वहां सबसे बड़ी बाधा है कि जालौर जिले के चितलवाना क्षेत्र में, नेहड़ क्षेत्र में काफी संख्या में चाहे सरकारी जमीन हो, वन विभाग की जमीन हो, बबूल की गाड़ियां बहुत अधिक होने के कारण, उस झाड़ियों के अंदर गाड़ियां अंदर नहीं जा पाती हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर आप हवाई स्प्रे से छिड़काव करें, तभी स्थित नियंत्रण में हो सकती है।

**श्री अध्यक्ष:** धन्यवाद।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): एक-दो मिनट।

**श्री अध्यक्ष:** राठौड़ साहब भी बोलेंगे, इसलिए कह रहा हूं, धन्यवाद।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): दो मिनट, अगर समय रहते ये रोकथाम की कार्यवाही नहीं की तो जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले में किसान की फसल पर भारी संकट पैदा हो जाएगा। किसान की अपनी आंखों के सामने फसल चौपट हो रही है, वो देख रहा होगा और इसको नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि वहां पर 4 गाड़ियां लगी हुई हैं, जिसमें 2 में मशीन सैट हैं, एक वायरलैस सैट है तो उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए और वहां पर कृषि विभाग ने जो हमारा भीनमाल उपखंड है उसमें पांच पंचायत समिति आती हैं वहां पर 146 के सामने मात्र 12 कर्मचारी/अधिकारी लगाये हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि कृषि विभाग के अधिकारियों की वहां पोस्टिंग करें तभी कंट्रोल हो पायेगा नहीं तो अभी वहां कृषि विभाग का मात्र एक ही अधिकारी लगा हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, 26 वर्ष के पश्चात् एक बार फिर वो संभावनाएं बन गईं कि टिड्डी दल राजस्थान के आठ जिलों में जो अन्नदाता ने फसल पैदा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है उनकी पूरी फसल को लील कर जाए इस प्रकार की संभावनाएं बन गईं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के समीपवर्ती जो हमारे जिले हैं चूंकि पाकिस्तान के अन्दर इस टिड्डी दल ने बहावलपुर, रोइड़ी, मीरपुरवास, रहमारखान, मंगलिया की ढाणी में पूरी फसल नष्ट कर दी और मैं निवेदन करूं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 19 जून को भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की मुनाबाबाद में बैठक हुई और दोनों ने तय किया कि जहां-जहां टिड्डियों के प्रजनन की संभावनाएं ज्यादा हैं उन क्षेत्रों में वो छिड़काव करेंगे। अफसोस इस बात का है मंत्री महोदय, आपने सिर्फ दो टीम बनाकर भेजीं। पाकिस्तान ने तो इस ओर कोई कदम उठाया ही नहीं और राजस्थान के अन्दर बाड़मेर, जैसलमेर,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जालौर, बीकानेर और गंगानगर जो इसकी चपेट में आ रहे हैं आपने सिर्फ दो टीम बनाकर भेजी हैं और हालात यह हैं, अध्यक्ष महोदय, कि सबसे ज्यादा जहां टिड्डी दल की संभावना है वह है डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र वहां टिड्डी दल एक तरह से प्रवेश कर चुका है चूंकि यह डेजर्ट नेशनल पार्क है जो 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है, यहां किसी प्रकार का स्प्रे और किसी प्रकार की कार्यवाही इसलिए नहीं की जा रही है कि यहां गोडावण है। वहां के अधिकारियों ने मना कर दिया और यहां से टिड्डी दल लगातार आगे बढ़ने की संभावना है और दूसरा जो क्षेत्र है वह है पोकरण फील्ड फायरिंग रैंज। वहां सेना के अधिकारियों ने कह दिया कि यहां जिन्दा बम हो सकते हैं। सामरिक महत्व के कारण से यहां भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की नहीं जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी टिड्डी दल चेतावनी संगठन के डा. के.एल. गुर्जर ने कहा है, जो समाचार पत्रों में भी आया है कि 1993 के बाद इस बार सबसे बड़े टिड्डी दल के हमले की संभावना है और जिस प्रकार माननीय सदस्य ने कहा कि एक टिड्डी सौ-सौ अण्डे देती है और जब ये चलती है तो एक किलोमीटर की एरिया में चलती है और सूरज को ढक लेती है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के आठ जिले इससे चिन्तित हैं और मैं चाहूंगा व निवेदन करूंगा कि यह सारे किसानों की बात है कोई राजनीति की बात नहीं। टिड्डी दल आ रहा है कोई आप बुला नहीं रहे हो। पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान से नरेन्द्र मोदी जी के रहते हुए आतंकवादियों का आना बंद हो गया पर टिड्डी दल रुका नहीं, इसके लिए आपको चाहिए आप सीमावर्ती इलाके में दौरा करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, अब कंटेंट खतम हो गया। माननीय सदस्य। प्लीज।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): ...राजस्थान सरकार ने कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की और मंत्री महोदय आप मौन रहोगे इसका मतलब यह जाएगा कि आपको राजस्थान के आठ जिलों के किसानों की चिन्ता नहीं है। मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा हूं। यह आपके हित में ठीक नहीं रहेगा।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्रीजी।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सुझाव है बिना दवाई के कंट्रोल करने का।

**श्री अध्यक्ष:** बैठिये। सुझाव नहीं। बाद में लिखकर दे देना। बैठिये। रिकार्ड नहीं होगा। आपका अच्छा सुझाव है। आप लिखकर दे देना।

**श्री लालचन्द कटारिया** (कृषि मंत्री): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पाकिस्तान, यमन और ईरान के रास्ते से ये टिड्डी दल बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और अब थोड़ा-बहुत यह गंगानगर की तरफ भी बढ़ रहा है। ये जिले चपेट में हैं विभाग ने व्यवस्था की है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार का दल भी वहां पूरी निगरानी कर रहा है और कृषि विभाग राजस्थान के अधिकारी हैं वो लगातार सम्पर्क में हैं। लगभग सत्तर कर्मचारी हैं। यह बात भी सही है कि वहां कर्मचारियों की संख्या कम थी जैसे ही टिड्डी दल का मालूम चला विभाग ने कार्यवाही करके आस-पास के जिले से व्यवस्था करके कर्मचारियों की व्यवस्था की, वाहनों की व्यवस्था की, छिड़काव की मशीनों की व्यवस्था की और मैं यह मानकर चलता हूं जैसा आपने बताया कि वो गोडावण वाला जो क्षेत्र है उसमें भी हमारी बातचीत चल रही है, जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां छिड़काव किया जा रहा है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि उनका नुकसान नहीं हो। रही बात आर्मी एरिया की वहां भी हमने अधिकारियों से और केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने भी बातचीत की है और जहां-जहां तक पहुंच है वहां तक गाड़ियां जाकर कर रही हैं।

माननीय सदस्य, आपने जालौर के बारे में जो बात कही है वह सही है कि कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां हमारी गाड़ियां जाने के लिए अन्दर जब गईं तो पंक्चर हो गई। उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि उस रास्ते को साफ करवा कर, आपने हवाई छिड़काव की बात की थी तो भारत सरकार के ज्वाइंट सैक्रेट्री जे.पी. सिंह जी हैं उनसे मैंने भी बात की है और अधिकारियों ने भी बात की है यदि वहां से परमिशन मिलती है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हवाई छिड़काव भी करवाने की हम बातचीत कर रहे हैं पर मैं यह आपको कह सकता हूं कि रोज मानिटरिंग हो रही है। मैंने खुद ने वीडियो कांफ्रेंस से कलेक्टर्स से बात की है। रोज लगातार मैं अधिकारियों से सम्पर्क में हूं और विभाग को पूरा सावचेत कर रखा है क्योंकि यह किसानों का मामला है यह कोई दलगत राजनीति का मामला नहीं है। यदि किसान का नुकसान होगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता का नुकसान होगा। तो, मैं यह आश्वस्त करता हूं कि इसके बारे में जो भी जानकारी होगी यदि

(श्री लालचन्द कटारिया)

माननीय सदस्य चाहें तो समय-समय पर मैं आपको अवगत कराता रहूंगा पर लगातार मानिटरिंग हो रही है और भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पूरा डेरा डाले हुए हैं। यह बात मैं कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** चर्चा समाप्त हुई। 295- श्री वासुदेव देवनानी जी।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति के पद के कार्य सम्पादन पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति पद पर प्रो. आर.पी. सिंह ने दिनांक 06.10.2018 को कार्य ग्रहण किया तथा दिनांक 11.10.2018 को ही माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कुलपति पद से संबंधित कार्यों के सम्पादन हेतु इन पर रोक लगा दी गई। आज तक किसी अन्य कुलपति को यहां का अतिरिक्त प्रभार नहीं सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त यहां पर रजिस्ट्रार का पद भी गत 4 माह से रिक्त चल रहा है। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य बाधित हो रहे हैं।

कुलपति के अभाव में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन लाभ तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्रियां व नये महाविद्यालयों को मान्यता व सम्बद्धता नहीं मिल पा रही है। अगले सत्र हेतु सिलेबस का प्रकाशन व नए पाठ्यक्रम तथा खेल व शैक्षणिक कलेण्डर जारी नहीं हो पा रहे हैं। एक लाख से अधिक राशि के कार्यों के टेण्डर तथा पूर्व में विज्ञापित शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है। रूसा के तहत मिले 5 करोड़ की राशि लैप्स होने की संभावना है व नये सत्र में प्रवेश प्रक्रिया भी प्रभावित होने सहित कई कार्य बाधित हो रहे हैं।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर में रजिस्ट्रार पद पर पदस्थापन तथा जब तक कुलपति के कार्यों पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक है तब तक के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति को यहां का अतिरिक्त प्रभार अतिशीघ्र दिलवाया जाए, जिससे शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य सुचारु हो सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री हमीर सिंह भायल।

## सिवाना में गिरता जल स्तर

**श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के सिवाना में गिरते जलस्तर से किसानों की हालत खस्ताहाल हो गई है। छप्पन की पहाड़ियों वाले क्षेत्र सिवाना में जल संरक्षण के अभाव में हर वर्ष 25 से 30 फीट जलस्तर कम हो रहा है। इस पर किसानों के लिए खेत जोतना तो दूर बागवानी फसलों की सिंचाई करना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार को जल संरक्षण को लेकर ठोस प्रयास नहीं करने से किसानों में रोष है।

सरहदी जिले बाड़मेर का उपखण्ड सिवाना सरसब्ज इलाका व कश्मीर के नाम से जाना जाता रहा है। उपखण्ड क्षेत्र के कई गांवों में से बरसाती लूणी नदी गुजरने एवं सिवाना में अरावली की छप्पन की पहाड़ियां होने पर बीते दशक में यहां जलस्तर ऊंचा था। इस पर बड़े पैमाने पर लोग खेती एवं बागवानी खेती करते थे।

अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनकी सरहद में बसे गांवों की भूमि का बरसाती पानी से कटाव होता है, इन गांवों में सरकार जल संरक्षण विभाग से बांध एवं एनिकट तथा चैक डैम बनाकर पानी रोक सकती है। जल संरक्षण की ओर कदम बढ़ाया जाए तो निम्न गांवों सिवाना, सिणेर, नाल, गुड़ा, पीपलून, गोलिया, धारणा, देवन्दी, मवड़ी, कांखी, इन्द्राणा, थापन, धीरा, सैला, जीनपुर, मुम्बारी, कुण्डल, तेलवाड़ा, फुलण, मोकलसर, मयलावास, काठाड़ी आदि गांवों में जल संरक्षण के कार्य किए जा सकते हैं।

इन गांवों की पैदावार एवं सब्जियां प्रसिद्ध थीं, लेकिन बीते कई वर्षों से लूणी नदी में बरसाती पानी नहीं आने के कारण, निरन्तर जलदोहन से भूजल स्तर गिर गया है, इससे किसानों की हालत पतली होती जा रही है और भूगर्भ में लगभग 600 फीट की गहराई पर मुश्किल से पानी मिल रहा है।

सदन के मार्फत अनुरोध रहेगा कि बाड़मेर जिले के कश्मीर सिवाना क्षेत्र को पुन: वो स्वरूप देने हेतु जल संरक्षण करवाना आवश्यक है। जल प्रबंधन के उचित प्रयास कर क्षेत्र को राहत प्रदान करवाने का श्रम कराएं।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री संजय शर्मा।

**(13.00 बजे)**

## अलवर शहर की पेयजल समस्या

**श्री संजय शर्मा** (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री संजय शर्मा)

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पेयजल की भारी विकराल समस्या व्याप्त है। पूरे शहर में त्राहि-त्राहि मची हुई है। वार्डवार पानी को लेकर संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। सुबह से लेकर रात्रि तक महिलाएं सड़कों पर पानी के इंतजार में बैठी रहती हैं जिसके कारण अलवर शहर में आये दिन धरना, प्रदर्शन, सड़क जाम जैसे आंदोलनात्मक कदम आमजन को उठाने पड़ रहे हैं। शहर में पेयजल आपूर्ति की मात्रा के अनुसार टंकियों में पानी नहीं भरा जाता जिसके चलते कहीं पानी आता है तो कहीं नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं ट्यूबवैल की मोटर खराब हो जाती है तो उसे सही कराने में जलदाय विभाग को 3 से 4 दिन का समय लगता है। विभाग के पास न तो स्पेयर में कोई पम्पसैट है, न ही सही करने वाले मैकेनिक। जलदाय विभाग द्वारा गर्मी से पूर्व उक्त समस्याओं के निराकरण के लिये किसी भी प्रकार के कार्यादेश जारी नहीं किये गये हैं जिसके चलते किसी भी प्रकार का लाभ गर्मियों में आमजन को नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ पेयजल समस्या हेतु टैंकरों की व्यवस्था हेतु कार्यादेश भी सही समय पर जारी नहीं किये गये जिसके कारण अलवर शहर में भारी पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अलवर शहर में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों में आमजन को पेयजल आपूर्ति करने हेतु अमृत जलम योजना के अंतर्गत टंकियों का निर्माण व लाइनों को डालने का कार्य काफी समय से चल रहा है जो कि निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने पर भी अमृत जलम योजना के तहत होने वाले कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे मांग है कि उक्त वर्णित समस्याओं के निवारण के लिये शीघ्र से शीघ्र आदेश जारी कर आमजन को पेयजल उपलब्ध कराएं, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री फूल सिंह मीणा।

## यू.आई.टी. पैरीफेरी कालोनीज का विकास

**श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के माध्यम से निवेदन है कि उदयपुर नगर निगम में वार्डों का विस्तार किया जा रहा है और

(श्री फूल सिंह मीणा)

यू.आई.टी. पैरीफेरी एरिया में बसी हुई कालोनी चाहे एस.डी.ओ. कन्वर्ट हो या यू.आई.टी. कन्वर्ट हो, इन कालोनियों में न तो साफ सफाई हो रही है और न ही पंचायतों के विकास के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होता है। उदयपुर नगर निगम के बिलकुल सटा हुआ है। इन कालोनियों में रोड लाइट, साफ सफाई, सड़क बनाना, नाली निकालना और पेयजल की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नगर निगम वार्डों का विस्तार हो रहा है उसको पैरीफेरी एरिया की ग्राम पंचायतों को नगर निगम में जोड़कर आम जनता को विकास का लाभ दिलाने का आदेश फर्माएं ताकि नगर निगम में आने पर आम जनता खुश भी होगी और अपनी आधारभूत सुविधाओं को प्राप्त कर सके और विकास से जुड़ सके। आये दिन छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन भी नहीं होगा। उदयपुर पर्यटकों का एक बहुत बड़ा केन्द्र माना जाता है, जिसका देश विदेश में नाम है। उदयपुर में झीलें हैं, अरावली पर्वतमाला है। बहुत बड़ा तीर्थ का भी स्थान माना जाता है और इसमें जो भी पर्यटक आता है, चाहे देश का हो या विदेश का, वह खुश होकर उदयपुर से जाता है। जो भी एक दफा उदयपुर की यात्रा कर लेता है तो वह बार-बार यात्रा उदयपुर की करने की इच्छा रखता है। इसलिए शहर को और सुन्दर बनाने के लिए इन पंचायतों को नगर निगम में जोड़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए नगर निगम में जुड़वाने के आदेश फर्माएं, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री मोहन राम चौधरी।

## नागौर की क्षतिग्रस्त सड़कें

**श्री मोहन राम चौधरी** (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन व यूडीएच मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर के नागौर शहर में अमृत कलश योजना व अन्य योजनाओं के तहत पानी की पाइप लाइन, सीवरेज लाइन व विद्युत लाइन को भूमिगत करने का कार्य करने के तहत शहर की समस्त सड़कें तोड़ दी गई हैं जिसके कारण शहर में यातायात वाहनों के कारण मिट्टी उड़ने के कारण कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। इसी प्रकार सड़कें टूटी होने व इन सड़कों को पुन: मिट्टी से नहीं भरने के कारण जमीन खोखली हो गई है जिससे कई बार ट्रैक्टर, टैंकर, आटो-रिक्शा व अन्य वाहन रास्ते में धंस गये जिससे कई दुर्घटनाएं हो गई हैं। अगर तोड़ी गयी सड़कों का समय पर डामरीकरण नहीं हो तो आने वाली वर्षा ऋतु में

(श्री मोहन राम चौधरी)

बरसात का पानी खोदी गई जमीन में घुसकर घरों की नीवों तक जा सकता है जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, नागौर शहर व शहर की कालोनियों में सीवरेज लाइन का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। सीवरेज लाइन के चैम्बर बनाकर घरों से भी नहीं जोड़ा गया है। मेरे द्वारा भी 29.05.2019 व 23.06.2019 को पत्र लिखने व जनता द्वारा जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त व अन्य अधिकारियों को बार-बार ज्ञापन देने व समाचार पत्रों में इस बारे में समाचार छपने के बाद भी प्रशासन कोई तरह की कार्यवाही नहीं कर रहा है। अधिकारियों द्वारा इस पर जनता को कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण जनता में भारी रोष व्याप्त है। अत: माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि नागौर शहर में तोड़ी गई सड़कों का अविलम्ब डामरीकरण व सीवरेज लाइन का कार्य करवाने का श्रम कराएं, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री राम लाल शर्मा।

## कालाडेरा में फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी की समस्या

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं में एक कस्बा है कालाडेरा। इस ग्राम में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। जिसमें सैकड़ों फैक्ट्रियां स्थित हैं जो भी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियां स्थापित करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह विभिन्न विभागों के निर्धारित मापदण्डों को पूरा करे, जिसमें वन, पर्यावरण, खनिज, ग्राम पंचायत आदि प्रक्रियाओं के बाद ही फैक्ट्रियां प्रारम्भ कर सकता है।

परन्तु कालाडेरा के इस ग्राम में स्थित कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जिन्होंने किसी भी मापदण्ड को पूरा करने का काम नहीं किया। आये दिन होने वाली दुर्घटनाएं, इनसे निकलने वाला धुंआ तथा कैमिकल युक्त पानी इस बात को प्रकट करता है कि ये फैक्ट्रियां किसी भी नियम की पालना नहीं कर रहीं, जिससे कालाडेरा की आबादी में बसे हुए लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंदे पानी व जहरीली धुंआ से गम्भीर बीमारियां उनके शरीर में प्रवेश कर रही हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन युक्त पानी को पशुओं द्वारा पीने से अनेकों पशुओं की भी मृत्यु हो रही है।

अत: आपके माध्यम से निवेदन है कि कालाडेरा रीको में स्थित फैक्ट्रियां जिनसे पशुओं और लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें चिह्नित कर आवश्यक मापदण्डों को पूरा कराएं तथा ऐसी फैक्ट्रियां जिनसे बहुत अधिक प्रदूषण फैल रहा है, उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करें। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती मंजु देवी।

## जायल में पेयजल समस्या

**श्रीमती मंजु देवी** (जायल): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत सिंगल फेस ट्यूबवैल एवं जेजेवाई योजना को ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय से हटाकर पी.एच.ई.डी. से संधारित करवाने के संबंध में निवेदन है कि पूर्व में सर्कूलर जारी कर सिंगल फेस ट्यूबवैल को पी.एच.ई.डी. द्वारा तैयार कर सम्पूर्ण रखरखाव व विद्युत खर्च ग्राम पंचायत तथा स्थानीय निकाय को देना तय कर दिया था। इससे पंचायतों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटी पंचायतों के पास निजी आय के स्रोत नहीं हैं और अन्य मद से इस काम में खर्च करने से गांवों के विकास में बाधा आती है। अत: इसी नियम में पुन: बदलाव कर जल स्रोत की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पी.एच.ई.डी. को ही दी जाए, ताकि व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 9-10 गांवों में जेजेवाई योजना भी चल रही है तो वहां पर जल स्रोत के संचालन, मेंटिनेंस व खर्च पूरा ग्राम पंचायत को ही करना पड़ता है। जिसके कारण व्यवस्था नहीं चल पाती है।

अत: जेजेवाई योजना को भी बंद कर सम्पूर्ण कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ही दिया जाना उचित है ताकि जनता को समस्या का सामना नहीं करना पड़े और पेयजल सुविधा सुलभ हो सके।

**श्री अध्यक्ष:** श्री संदीप शर्मा।

## कोटा शहर में पानी की समस्या

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान कोटा शहरवासियों से जुड़ी एक प्रमुख समस्या की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों से कोटा शहर पेयजल की गम्भीर समस्या के संकट से

(श्री संदीप शर्मा)

जूझ रहा है। चंबल के किनारे बसे कोटा शहर की कई कालोनियों में पेयजल की समस्या बनी हुई है। हालात ये हैं कि कोटा शहर के प्रेमनगर, डीसीएम आवंली रोजडी में पेयजल के लिये टैंकर लगाने पड़ रहे हैं। कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में बसंत विहार, दादाबाड़ी, महावीर नगर, केशवपुरा आदि कई कालोनियों में पेयजल आपूर्ति काफी दबाव में हो रही है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कोटा शहर में 5 करोड़ की लागत से पानी की नई पाइप लाइनें बिछाने का कार्य किया गया, लेकिन नई पाइप लाइन बिछाने के बाद भी क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। संवेदक द्वारा पाइप लाइनें बिछाने के कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। निर्धारित मापदंडों की उपेक्षा कर कम गुणवत्ता की पाइप लाइनें बिछायी गयी हैं। स्मार्ट सिटी में 6 हजार आटोमैटिक मीटर की खरीद में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ था। जिसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जारी है। अमृत जल योजना में 90.48 करोड़ की इस योजना का कार्य केवल 30 प्रतिशत हो पाया है। स्मार्ट सिटी में 154 करोड़ रुपये स्वीकृति के कार्य निविदा प्रक्रिया में अटके हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के केशवपुरा, दादाबाड़ी, महावीर नगर, गुमानपुरा, सिंधी कालोनी आदि स्थानों पर पाइप लाइन डालने का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है तथा पेयजल की समस्या बनी हुई है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि स्मार्ट सिटी व अमृत जल योजना के होने वाले स्वीकृत कार्य जल्दी पूर्ण करवाये जाएं तथा इन योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाकर इन योजनाओं के कार्य को पूर्ण किया जाए, ताकि कोटा शहर के लोगों को इन पेयजल योजना का लाभ मिल सके।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती इन्द्रा मीना।

## बामनवास में पानी का गिरता स्तर

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गिरते भू-जल स्तर के कारण अधिकांश ट्यूबवैल और हैंडपम्प सूख जाने के कारण विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहती हूं कि वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में अधिकांश ट्यूबवैल और हैंडपम्प सूख गए हैं, जिसके कारण क्षेत्र में पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ड्राई हो चुके ट्यूबवैलों एवं हैंडपम्पों को अतिशीघ्र गहरा किया जाये ताकि उनमें पानी उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में वर्तमान में जो हैण्डपम्प लगे हुए हैं वे

(श्रीमती इन्द्रा)

भू-जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण लगभग 90-95 प्रतिशत हैण्डपम्प या तो नाकारा हो गये हैं या खराब पड़े हुए हैं। अत: मेरी मांग है कि नाकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाएं और जो हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, उन्हें एक अभियान चलाया जाकर अविलम्ब ठीक किया जाए।

साथ ही, यह भी निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पेयजल की गम्भीर समस्या के स्थाई समाधान हेतु चम्बल परियोजना से बामनवास को जोड़ने हेतु एवं ईसरदा बांध से बौंली ब्लाक को जोड़ दिया जाता है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या हमेशा के लिये खतम हो जाएगी और इससे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी राहत मिल सकेगी।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के विभिन्न कस्बों व ग्रामों की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर पेयजल समस्या का निराकरण किया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती सफिया जुबेर।

## भिश्ती समाज का ओ.बी.सी. सूची में सम्मिलन

**श्रीमती सफिया जुबेर** (रामगढ़): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि भिश्ती समाज (सक्का, शेख अब्बासी) को राजस्थान सरकार की ओबीसी सूची में शामिल करने के संबंध में निवेदन है कि भिश्ती जाति राजस्थान प्रदेश एवं केन्द्र ओ.बी.सी. की सूचियों में सम्मिलित है। राजस्थान एवं देश के अन्य राज्यों में भिश्ती जाति को सक्का, शेख अब्बासी के नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार कुम्हार जाति को प्रजापति, कुमावत, सुआरा, मोयला एवं बढ़ई जाति को जांगिड़, खाती, सुथार, तरखान, खरादी के नामों से जाना जाता है।

इस भिश्ती जाति से संबंधित जो लोग अपने नाम के साथ सक्का एवं शेख अब्बासी जाति लिखते हैं उनके ओ.बी.सी. का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। इसके कारण इस गरीब जाति के लोगों का ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने में कठिनाई आ रही है।

जबकि केन्द्र की सूची में ये तीनों नाम भिश्ती, सक्का, शेख अब्बासी दर्ज है। अत: इस विषय में इस सदन के माध्यम से मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार की सूची की तरह राजस्थान प्रदेश की सूची में भी इस समाज की तीनों जातियों को जोड़ा जाए, जिससे इस गरीब समाज के लोगों को सामाजिक व आर्थिक न्याय मिल सके।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती शकुन्तला रावत।

## नारायणपुर तहसील में तहसीलदार/नायब तहसीलदार के रिक्त पद

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): बानसूर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नारायणपुर को पिछली कांग्रेस सरकार के समय पर ही ग्रामीण क्षेत्रवासियों की समस्याओं को देखते हुए उप तहसील बनायी गयी थी एवं पिछली बी.जे.पी. की सरकार ने पूरे पांच वर्ष तक मांग करने पर भी द्वेषतापूर्ण भावना से कोई कार्य नहीं किया। नारायणपुर ब्लाक की ग्राम पंचायतों का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। यह एक पहाड़ी इलाका है। ग्रामवासियों को एक-एक काम के लिए थानागाजी जाना पड़ता है। सबसे अधिक छात्र-छात्राओं को निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए थानागाजी जाना पड़ता है एवं आने-जाने के लिए सरकारी बसों का भी अभाव है।

अत: मेरा माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि क्षेत्र के छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए नारायणपुर को उप तहसील से तहसील में तुरन्त प्रभाव से क्रमोन्नत करवाने की कृपा करें एवं उप तहसील में कई महीनों से रिक्त पड़े नायब तहसीलदार/तहसीलदार के पद शीघ्र भरने की कृपा करें ताकि जुलाई महीने में बच्चों एवं ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

**(13.18 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

**श्री सभापति:** श्री ओम प्रकाश हुडला।

## बैजूपाड़ा एवं हिंगोटा ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

**श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा की ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा एवं हिंगोटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा में ग्राम पंचायत बैजूपाडा व हिंगोटा के आसपास करीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई अस्पताल नहीं है जबकि उक्त दोनों कस्बे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। मरीजों को सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाने में रास्ता खराब होने के कारण

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

लगभग 40 से 50 मिनट का समय लग जाता है और कई बार तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। ऐसी स्थिति में मेरे विधान सभा क्षेत्र के उक्त दोनों कस्बे बैजूपाडा एवं हिंगोटा में पीएचसी खोला जाना आवश्यक है, ताकि मेरे क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बैजूपाडा व हिंगोटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

**श्री सभापति:** श्री जोराराम कुमावत।

## सुमेरपुर में राजगुरु सर्किल से कृषि मंडी तक किसान गौरव पथ का कार्य

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संपादन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से सुमेरपुर शहर में राजगुरु सर्किल से कृषि मंडी तक स्वीकृत अपूर्ण किसान गौरव पथ का कार्य पूर्ण करवाने बाबत।

सुमेरपुर शहर में जवाई बांध रोड पर राजगुरु सर्किल से कृषि मंडी तक 2 किलोमीटर किसान गौरव पथ के कार्य हेतु 2.86 करोड़ रुपए की स्वीकृति लगभग 2 वर्ष पूर्व कृषि मंडी समिति से हुई थी, जिसका शिलान्यास दिनांक 18.11.2017 को हुआ था। इस सड़क कार्य निर्माण का टेंडर रावल कंस्ट्रक्शन, उदयपुर को हुआ था। संवेदक द्वारा सड़क का कार्य शुरू कर डब्ल्यूबीएम किया व बीच में डिवाइडर बनाकर एक लेयर डामर की भी कर दी। काफी महीनों तक इसका कार्य बंद पड़ा रहा। जिला कलेक्टर महोदय को शिकायत करने पर पुन: उसके ऊपर कहीं-कहीं एक लेयर और डामर की कर दी। बंद पड़े रहने से डिवाइडर जगह-जगह से टूट गया। डामर की लेयर सभी जगह एक रूप से नहीं की गयी है जिससे रोड पर सही ढलान नहीं है व गड्ढ़े पड़ गये हैं। बीच-बीच में जहां पानी का भराव या चौराहा था, वहां सीसी का निर्माण करना था, वह भी नहीं हो पाया है, वहां गड्ढे पड़ गये हैं और कीचड़ भी फैलता है। साइड पटरी का निर्माण भी नहीं किया है जिससे हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। सड़क का अधूरा कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। सड़क पर ढलान सही नहीं है। लेवल भी सही नहीं है। सड़क के बीच में

(श्री जोराराम कुमावत)

कई जगह बरसाती पानी भरने से पहले साल में ही सड़क टूट जायेगी। सड़क के दोनों तरफ जो मेटेरियल पड़ा है, उससे गंदगी फैल रही है और डिवाइडर भी टेढ़ा मेढ़ा है।

यह सड़क शहर की मुख्य आवागमन वाली सड़क है। इस सड़क पर जवाई बांध रेलवे स्टेशन, कृषि उपज मंडी, भगवान महावीर अस्पताल, पंचायत समिति, नगरपालिका, राजकीय चिकित्सालय रोड, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुलिस थाना, कृषि महाविद्यालय सहित कई राजकीय और निजी अस्पताल हैं, जिनमें दिन-प्रतिदिन लोगों का आवागमन रहता है। सबसे व्यस्ततम मार्ग में निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा होने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत करवाने पर भी इसका आज दिन तक समाधान नहीं हुआ है।

अत: आपके माध्यम से निवेदन है कि जनहित में इस सड़क का कार्य शीघ्र गुणवत्तापूर्ण करवाया जाए और संवेदक और संबंधित विभाग को पाबंद किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री विजयपाल मिर्धा।

## डेगाना में पेयजल की पुख्ता व्यवस्था

**श्री विजयपाल मिर्धा** (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अंतर्गत मैं मेरे क्षेत्र में अत्यन्त गम्भीर और जनहित के विषय की ओर राज्य सरकार एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना में अधिकांश गांवों एवं ढाणियों में पेयजल की भयंकर समस्या व्याप्त है। आम आदमी को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। विशेष रूप से मेरे क्षेत्र के भूखरों की ढाणी (पालड़ी), बिरमनाथ जी की ढाणी (रामगढ़), लवादन, कुल्यासनी खुर्द, राड़ों की ढाणी (शाहपुरा), माठों की ढाणी (थांवला), रेवास, सिरासवा, उदियास, देवला मादा, देवला कलां, लाखीना, बड़ी घाटी, बुगालियों की ढाणी (टेहला), खारियाबास (पूनास), डूंगरास, आच्छोजाई आदि गांवों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कई सालों से यहां आम आदमी, जनता सरकार से गुहार लगा रही है परन्तु कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है।

(श्री विजयपाल मिर्धा)

मेरा जलदाय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि कृपया डेगाना विधान सभा क्षेत्र के पेयजल से वंचित गांव एवं ढाणियों में पेयजल की पुख्ता एवं स्थाई व्यवस्था हेतु विशेष कार्य योजना बनाएं एवं जो प्रस्ताव सरकार तथा विभाग स्तर पर पैंडिंग पड़े हैं, उनको तुरन्त स्वीकृत करवाकर आम जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति:** श्री चेतन सिंह चौधरी।

## डीडवाना में नमक उद्योग का पुनर्जीवन

**श्री चेतन सिंह चौधरी** (डीडवाना): सम्माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। माननीय सभापति महोदय, उद्योग-धन्धे न सिर्फ रोजगार सृजित करते हैं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में नमक उद्योग जो मृतप्राय: हो गया है, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। इस उद्योग पर प्रकृति मेहरबान है लेकिन सरकारों की अनदेखी के कारण इस उद्योग में आज विद्युतीकरण नहीं होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है एवं इस पर आश्रित परिवारों को भरण-पोषण हेतु इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, डीडवाना नमक झील से उत्पादक को नमक उत्पादन के लिए कुई के अंदर से से पानी निकालने हेतु विद्युत कनेक्शन चाहिए होता है, वह नहीं मिल पा रहा है। नमक झील में कुई खोदने की स्वीकृति साल्ट मैनेजर द्वारा दी जाती है, वह नहीं मिल पा रही है। नमक उत्पादकों के लिए भयंकर सर्दी व गर्मी में बैठने के लिए शैल्टर बनवाये थे, वह भी क्षतिग्रस्त हो गए। धर्मकांटा बना था, वह भी खराब हो चुका है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का डीडवाना नमक उद्योग पर विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। डीडवाना नकम उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु प्रयास किये जाएं तथा डीडवाना नमक उद्योग पर लगने वाली रायल्टी को कम किया जाए ताकि उद्योग को संबल मिल सके एवं गरीब, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का साधन बन सके।

माननीय सभापति महोदय, सम्पूर्ण प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये अगर प्रदूषण के कानून में बदलाव की दरकार हो तो बदलाव भी किये जाएं ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों से प्रदेश में रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** आज दिनांक 8 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 27 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं जो निम्नानुसार हैं- श्री बाबूलाल, श्री राजकुमार गौड़, श्री अमृत लाल मीणा, श्री अविनाश एवं श्री बलवंत पूनिया। श्री बाबूलाल।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## झाड़ोल में सड़कों की मरम्मत

**श्री बाबुलाल** (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। गांवों का विकास सड़कों से होकर गुजरता है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें लंबे समय तक रहीं। कभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार नहीं किया। यह तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके मन में एक कल्पना थी कि अगर गांवों का विकास करना है तो उन्हें सड़कों से जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर उन्होंने गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया।

सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कें बनने के बाद में आज उन सड़कों की हालत यह है कि एक-एक फीट, डेढ़-डेढ़ फीट के गड्ढे पड़ गये हैं और विभाग ने उनकी मरम्मत नहीं कराई। आज स्थिति यह है कि उन सड़कों से गुजरने के बाद कई दुपहिया वाहनों की दुर्घटना हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उन सड़कों से किसी गर्भवती माता को गाड़ी से ले जाते हैं तो बीच में ही डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी रोड हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोटड़ा से देवला, कोटड़ा से मामेर, ऐसे ही झाड़ोल में कई सड़कें हैं, उनकी मरम्मत कराई जाए। उन सड़कों की मरम्मत में गड्ढे ही नहीं भरे, होता क्या है कि गड्ढे भरते हैं। सरकार उन पर पैसा लगाकर उनका पुन: पैवीकरण कराया जाए तो लंबे समय तक उसका लाभ मिल सकता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज ठेकेदार काम कर रहे हैं। काम करने के बाद में भी उन ठेकेदारों को समय पर भुगतान न होने की वजह से काफी काम ऐसे हैं जो स्वीकृत हो रखे हैं, लेकिन काम अटका हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन ठेकेदारों ने काम लिया है और उनके काम का पैसा समय पर नहीं मिला है तो उन ठेकेदारों को काम का पैसा दिया जाए ताकि काम को गति मिले। आज समस्या सिर्फ झाड़ोल की नहीं है बल्कि पूरे संभाग की है। हमारे मेवाड़ में सभी जगह की समस्या है।

(श्री बाबुलाल)

इसलिए आपसे आग्रह है कि सरकार से आप कहें कि समय पर सड़कों की मरम्मत कराएं। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री राजकुमार गौड़।

## इन्दिरा गांधी नहर में पंजाब से प्रदूषित जल का प्रवाह

**श्री राजकुमार गौड़** (गंगानगर): माननीय सभापति महोदय धन्यवाद। मैं मेरे ज़िले की तरफ से ही नहीं, जिस समस्या से राजस्थान के आठ ज़िले प्रभावित हैं, उस तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, हमारे यहां पानी की तीन योजनाएं हैं जो पंजाब से आती हैं। राजस्थान कैनाल जिसे आजकल इंदिरा गांधी कैनाल बोला जाता है। गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल, इनका पानी सतलज और रावी, व्यास से आता है। सतलज और रावी व्यास की यह नदियां हरिके बैराज पर आकर इकट्ठी होती हैं। इन पवित्र नदियों में पंजाब का गंदा पानी, सीवरेज का पानी, कैमिकल युक्त फैक्ट्रियों का पानी, चमड़ा रंगाई का पानी, शुगर मिल के शीरे का पानी, पंजाब के 06 जिलों का, 50 से अधिक फैक्ट्रियों का, जालंधर और लुधियाना जैसी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी का, तमाम सीवरेज का पानी, दूषित पानी, जहरीला पानी हमारी नहरों में आता है। यह जहरीला पानी गत कई वर्षों से आ रहा है। यह आज से नहीं आ रहा है। राजस्थान सरकार से कोशिश कर ली, भारत सरकार से कोशिश कर ली। यह मुद्दा तमाम विधायकों को मालूम है, मंत्रियों को भी मालूम है, मुख्य मंत्रीजी भी जानते हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जिन्होंने 2014 में स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी का वादा किया था, उस समय हमारे गंगानगर ज़िले में पधारे थे। आदरणीय वसुन्धरा जी भी साथ थीं, वसुन्धरा जी ने मुख्य मंत्री के रूप में, मोदी जी ने प्रधान मंत्रीजी के रूप में वहां के लोगों से वादा किया था कि हम इस समस्या का निराकरण करेंगे। भारत सरकार से इसलिए उम्मीद है कि नदियों पर उन लोगों का अधिकार है। पंजाब सरकार भी उस समय अकाली दल की थी। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी परन्तु वह केवल बातें ही रहीं और गंगानगर, हनुमानगढ़ ज़िले के साथ, अब तो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर भी प्रभावित हो रहा है। आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जहरीला पानी है, जब कई बार गंग कैनाल में, राजस्थान कैनाल में, भाखंडा में बंदी ली जाती है तो उसमें यह

(श्री राजकुमार गौड़)

बड़ा पानी है, जिसकी मात्रा एक हजार क्यूसैक्स से पांच हजार क्यूसैक्स तक है, यह गंदा पानी उन नहरों में आ जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो बोलता है उसके ऊपर ही कैमरा फोकस किया जाता है, इसको पूरे सदन में कर दें तो वहां के लोगों को भी मालूम चले कि उनके जन प्रतिनिधि ऐसे मामलों पर कितने गम्भीर हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गंदा पानी आता है। शीरे का पानी आया इससे तमाम जीव जंतु जो नहर में थे वह मर गए। एनजीटी में केस लगा, एनजीटी ने पांच करोड़ रुपये का फाइन लगाया। न तो पंजाब सरकार वह फाइन दे सकी और न ही उस फैक्ट्री मालिक से फाइन लिया जा सका। यह ऐसा मामला है जो अब लोगों के लिए काल बन चुका है। हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों ज़िलों में सैकड़ों लोग बीमारी से मर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी दोनों ज़िलों को जकड़ चुकी है। आए दिन जहां कहीं भी मौत हो तो पता लगता है कि कैंसर के कारण मौत हुई है। महोदय, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि भटिंडा से बीकानेर के लिए जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रख दिया गया। लोग उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पंजाब सरकार पर दबाव बनाया जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी, चिकित्सा मंत्रीजी पिछले दिनों गंगानगर पधारे थे, आप लोगों के सामने भी लोगों ने यह समस्या रखी थी। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार से बात करे। जितना मेरे ध्यान में है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंजाब के मुख्य मंत्रीजी को दो बार पत्र लिखा है, प्रदूषण बोर्ड को भी पत्र लिखा है, परन्तु अभी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी पंजाब जाकर आए हैं परन्तु इसका निराकरण अभी नहीं हो पा रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या को अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसका निदान नहीं होगा।

पंजाब के कुछ लोग भी इस पानी को पीते हैं। पंजाब में बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके बड़े-बड़े मालिक हैं, जिन पर न तो प्रदूषण बोर्ड का अंकुश है और न ही सरकार का कोई अंकुश है। जब पंजाब सरकार अंकुश लगाने की कोशिश करती है तो इण्डस्ट्रियलिस्ट धमकी देते हैं कि हम यह फैक्ट्री बंद कर देंगे तो फिर सरकार चुप हो जाती है। प्लांट भी लगे हुए हैं

(श्री राजकुमार गौड़)

जहां से सीवरेज का गंदा पानी आता है, जालंधर और लुधियाना से। बुढ़ा नाला करके एक नाम है, पांच सौ से सात सौ क्यूसैक्स सीवरेज पानी रोजाना नदियों के माध्यम से हमारी नहरों में आता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पक्ष-विपक्ष सब मिलकर भारत सरकार से भी कोशिश करें। हमारे वहां के जन प्रतिनिधि ने अभी लोक सभा में भी यह प्रश्न उठाया है। मैं मेरे सभी मित्रों से, सभी पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि हम मिल जुलकर इस समस्या का निदान करें, नहीं तो आने वाला समय है, आने वाली पीढ़ी है, वह हम लोगों को माफ नहीं करेगी। दोनों ज़िलों के जितने भी एमएलए बैठे हैं, इस बात से सहमत हैं। हम लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं कि यह बहुत भयानक बात है। हम सोचते हैं कि यह कैसे दूर होगी। राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग मिलकर अब आंदोलन कर रहे हैं। गत एक माह से आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। यह बहुत बड़ा आंदोलन बने, यह बहुत ज्यादा कठिनाई का कारण बने या जहां हम प्रदूषण की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ पानी देने की बात करते हैं वहां अगर हम यह सीवरेज का पानी, कैमिकल का पानी, चमड़ा रंगाई का पानी लोगों को पीने के लिए देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी।

वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं परन्तु फैक्ट्री के मालिक उनको चलाते नहीं हैं। चलाने में दो दिक्कत है, पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, इसके अलावा कैमिकलयुक्त है उससे मशीनरी भी खराब होती है। हमारे राजस्थान में जब वह पानी पहुंचता है, पीएचईडी डिपार्टमेंट के माध्यम से जांच कराई जाती है तो कहते हैं कि पानी ठीक है, पीने योग्य है। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप पानी की जांच करा लीजिए। जहां पानी में कैमिकल मिला हुआ है उस पानी की जांच नहीं हो सकती, वह उसमें कैमिकल नहीं बताता है, उसमें कैमिकल नहीं आता है, इसलिए इसके लिए बहुत बड़ी योजना बनाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस गम्भीर समस्या को देखते हुए पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से बात करें।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

**श्री राजकुमार गौड़** (गंगानगर): मैं एक और निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण हो।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, पर्ची पर बोलने की सीमा है। समाप्त करें।

**श्री राजकुमार गौड़** (गंगानगर): एक मिनिट, एक कमेटी का निर्माण हो जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय लोग भी हों। एक कमेटी हो और पंजाब में जाकर देखे, यहां आकर आपको रिपोर्ट दे कि इसकी स्थिति क्या है। इसके लिए हम कितने गम्भीर हैं और इसके लिए हमें कितनी गम्भीरता से काम करना चाहिए। आपने मुझे बात कहने का मौका दिया, मुझे सुना, आपका बहुत -बहुत आभार, धन्यवाद।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): सभापति महोदय....

**श्री सभापति:** श्री अमृतलाल मीणा।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): इसके संदर्भ में मैं एक सैकण्ड निवेदन करना चाहता हूं। यह समस्या....

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य पर्ची पर जिन्होंने दिया वह बोल लिए। इस तरह से नहीं...

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): यह बहुत गम्भीर विषय है।

**श्री सभापति:** मैं डिबेट नहीं करा सकता। माननीय सदस्य, प्लीज।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): पूरे राजस्थान के दस ज़िले....

**श्री सभापति:** श्री अमृतलाल मीणा। अंकित नहीं होगा।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): 000

**श्री सभापति:** अंकित नहीं हो रहा है, मैं डिबेट नहीं करने दूंगा।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): 000

**श्री सभापति:** अमृतलाल मीणा। प्लीज आप विराजिए। अमृतलाल मीणा।

## ऋषभदेव से झामेश्वर सड़क निर्माण

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को, सदन में हमारे उप मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, उनके पास ही यह विभाग है निवेदन करना चाहता हूं कि यह रोड संबंधी बात है, स्टेट हाइवे 32 तीन विधान सभाओं को जोड़ता है खैरवाड़ा, सलूम्बर और उदयपुर ग्रामीण।

यह स्टेट हाई-वे 32A, 2016-17 में घोषित हुआ था। इस हाई-वे में ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थंकर जैन समाज के हैं, वहां से शुरू होता है, बलुवा, सराड़ा उपखण्ड कार्यालय, चावण्ड जहां महाराणा प्रताप की कर्मस्थली भी है

(श्री अमृतलाल मीणा)

और पूर्व राजधानी भी रही है, वहां से केजड़, केजड़ से डींगड़ी, झाड़ौल, जयसमन्द जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसको पार करते हुए जावद, जगत, यह जगत एक ऐसा स्थान है जिसे पूरे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, वहां अम्बिका माताजी का बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है, जगत होता हुआ, झामरकोटड़ा की माइंसों को टच करते हुए झामेश्वर, शिवजी का मन्दिर है, यह 106 किलोमीटर लम्बी सड़क है। यह काफी समय से रोड बनने के, इसके पीछे तीन विधान सभा क्षेत्र हैं, तीन तहसीलें हैं, उपखण्ड कार्यालय भी हैं। अगर इस रोड की चौड़ाईकरण का प्रस्ताव ले करके कार्यवाही की जाये तो इस क्षेत्र के तीन विधान सभा क्षेत्र की रहने वाली जनता को काफी लाभ मिलेगा, काश्तकारों को भी मिलेगा, व्यापारियों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, अन्य-अन्य सभी को मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से चाहूंगा कि सदन में इस पर वक्तव्य दें। यही मेरा कहना है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

**श्री सभापति:** श्री अविनाश। आप जवाब फर्माएंगे?

**श्री सचिन पायलट** (उप मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य ने जो एक सवाल उठाया है, उसका जवाब, आपकी अनुमति हो तो।

**श्री सभापति:** जरूरी नहीं है कि आप जवाब दें। जरूरी नहीं है जवाब देना। आपकी मर्जी है तो आप दें।

**श्री सचिन पायलट** (उप मुख्य मंत्री): लेकिन, सभापतिजी, कल ही हम लोगों ने... कल ही लोक सभा के स्पीकर साहब भी थे, मनमोहन सिंहजी भी थे... सदन में चर्चा हो और अगर थोड़ा-बहुत विभागों की जानकारी माननीय सदस्य को मिल सके, मैं समझता हूं उसमें कोई बुरी बात नहीं है।

माननीय अमृतलालजी ने जो बात रखी है, इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, सभापतिजी, 106 किलोमीटर का यह फासला है, ऋषभदेव से झामेश्वर तक का। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को भी कि इसमें 85 किलोमीटर की सिंगल रोड है, 17 किलोमीटर इंटरमीडिएट लेन है, एक किलोमीटर टू-लेन और तीन किलोमीटर फोर-लेन है। वर्तमान में जैसा आपने खुद कहा, माननीय सदस्य ने, कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है और तीन विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ता है। इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सुबह कई बार जवाब आया

(श्री सचिन पायलट)

कि निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन एवं पारस्परिक प्राथमिकता एवं वरीयता आदि का कई बार उल्लेख किया। यह सच्चाई से दूर नहीं है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जेब हल्की-भारी हो सकती है, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो सारे काम हो सकते हैं। आपके प्रस्ताव को हम गम्भीरता से लेकर सकारात्मक कार्यवाही करेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): यही कारण है कि हम चाहते थे कि मुख्य मंत्री ये बनें। यही कारण था। और कोई कारण ही नहीं था।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): यही कारण है।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप लड़ाने का काम मत करो।

**श्री सभापति:** श्री अविनाश।

## पंचायत सहायक कर्मियों की सेवा की बहाली

**श्री अविनाश** (जैतारण): आदरणीय सभापति महोदय, इस विधान सभा सदन में आपने मुझे आज पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया है, इसलिये मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं और मैं वर्तमान परिस्थिति में राजस्थान की एक प्रमुख समस्या की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय और पंचायती राज मंत्री भी यहां विराजमान हैं, मैं उनका ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

ग्राम पंचायत सहायक, उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूं, उससे पहले मैं चंद लाइनें आपके माध्यम से पेश करना चाहता हूं, जरा मुलाहिजा फर्माएं। जो बेरोजगारों का दर्द है, आज जो ग्राम रोजगार सहायक ... (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह देखिये, ये प्रतिपक्ष के उप नेता हैं।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, बोलने दें। श्री अविनाश।

**श्री अविनाश** (जैतारण): ग्राम रोजगार सहायक, आज पूरे राजस्थान के लगभग 27 हजार के करीब ग्राम रोजगार सहायकों को पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियुक्तियां दी गई थीं। उसके बाद मई, 2017 में जोइनिंग दी गई। एक साल के लिये उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। उसके बाद एक साल का फिर कार्यकाल बढ़ाया गया, 19 मई, 2019 तक उन

(श्री अविनाश)

रोजगार सहायकों का कार्यकाल बढ़ाया गया और उनका मानदेय छह हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से तय किया गया था। पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार के समय संविदा पर कार्यरत उन सभी पंचायत सहायकों, दो साल के बाद में 19 मई, 2019 के बाद कांग्रेस सरकार बनने के बाद में उनका कार्यकाल अभी तक बढ़ाया नहीं गया। न सरकार की तरफ से एक साल कार्यकाल बढ़ाने का कोई आदेश पारित हुआ और उसी परस्थिति को देखते हुए आज जयपुर की सड़कों पर सारे जो रोजगार सहायक हैं, ये पंचायत सहायक आंदोलन करने पर तुले हुए हैं, धरना दे रहे हैं। आज उनको उपस्थिति पंजिका में सिग्नेचर नहीं करने दिया जा रहा है। उनको मानदेय का भी पता नहीं है, वे नौकरी तो कर रहे हैं, पर उनके लिये, अभी उनको मानदेय का भी पता नहीं कि नौकरी करने के बाद भी उनका मानदेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा।

चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र 2018 के पेज संख्या 15 के बिन्दु नम्बर 10, श्रम एवं रोजगार के उप बिन्दु 03 में यह लिखा था कि रोजगार सहायक की तरह ही, पंचायत सहायक की तरह ही विद्यार्थी मित्रों की समस्या का समाधान करते हुए विद्यार्थी मित्रों को नियमित किया जायेगा। मैं आपके मार्फत से निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों में जिन विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायक के रूप में लिया गया, क्यों नहीं अब पुन: इस पर कुछ अतिरिक्त भर्ती निकालकर विद्यार्थी मित्रों का भी समायोजन उसमें किया जाये।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, नियमों का पालन करें। कल आपको इतना सब समझाया गया था कि आप इस तरह से वैल क्रास नहीं करेंगे।

**एक माननीय सदस्य**: बिलकुल सही बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

**श्री सभापति:** सीखें कुछ। नहीं तो फिर उसका क्या उद्देश्य रहा फिर? सीखें कुछ। (व्यवधान) बातें नहीं, चर्चा नहीं।

**श्री अविनाश** (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग, दोनों के समन्वय से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जिन पंचायत सहायकों को लिया गया था उनकी ज्वलंत समस्या पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन पंचायत सहायकों का जल्दी से जल्दी जो कार्यकाल है, वह बढ़ाया है, जो वंचित हैं उनको पुन: लिया जाये। क्योंकि इस प्रदेश में बेरोजगारी, जिसका आलम आपकी सरकार बनने के बाद में देखने को मिल

(श्री अविनाश)

रहा है। मैं कुछ चंद लाइनों के साथ ही बेरोजगारों के दर्द के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं:

न रुला दूं जमाने को मैं अगर,
कह दूं अपने फसाने को मैं अगर,
एक बेरोजगार पंचायत सहायक की कहानी है,
हाल खस्ता है क्या जवानी है,
बच्चे भूखे हैं कई रोज से,
और मेरे पास जरा सा पानी है,
काम मिलता है तो सुकून पाऊं,
शाम लौटे मैं घर में कुछ लाऊं,
हमारे बच्चे भी अब समझने लगे हैं,
बोझा ढोने को साथ चलने लगे हैं।

मैं आपका ध्यान ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): सभापति महोदय, यह एक गम्भीर मामला है।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। कोई अंकित नहीं होगा। विराजिये, विराजिये, बिलकुल नहीं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): 000

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): 000

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): 000

**श्री सभापति:** माननीय नेता, प्रतिपक्ष, समझाइये। नहीं, बिलकुल नहीं। विराजिये। कहां से क्या-क्या परम्पराएं लेकर आते हैं आप लोग।

**श्री सचिन पायलट** (उप मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है हम सभी इसी बात से सहमत हैं कि पंचायत सहायकों के लिए जो व्यवस्था बनाई गयी थी दो वर्ष पूर्व उसको आगे बढ़ाना चाहिए।

चुनाव की आचार संहिता लग गयी थी और यह जो हमारे 26383 पंचायत सहायक-कर्मी हैं, इनके लिए दो साल से एक-एक वर्ष करके इनकी अवधि बढ़ाई जा रही है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास जो हमारा पैसा

(श्री सचिन पायलट)

है उसको हम 200 करोड़ रुपये इसमें देकर उनकी 6 हजार रुपये प्रति माह की जो तनख्वाह है, वह हम दे रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अब यह सूचित करना चाहता हूं कि मई के बाद इनके कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग दे चुके हैं लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन की जब एक्शन-टेकन रिपोर्ट आएगी, मैं समझता हूं कि उसके बाद इसकी वित्तीय स्वीकृति हो जाएगी और तब अगले साल तक का इनका कार्यकाल बढ़ सकता है।

**श्री सभापति:** विराजिए। विराजिए। श्री बलवान पूनिया।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): माननीय सभापति महोदय, हालांकि उप मुख्य मंत्रीजी का जवाब आ गया है, मेरा विषय भी यही था क्योंकि आज राजस्थान की विधान सभा को घेरने के लिए पंचायत सहायक आए हुए हैं।

इसमें आसमान से गिरे और खजूर में अटके। गिरे विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक बनकर खजूर पर अटके पड़े। खजूर में, खजूर में। मेरा निवेदन है कि आप वाले विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक बनकर खजूर में अटके हैं। जैसे टिड्डी दल वालों की गाड़ियां पंक्चर हो जाती हैं बबूल की झाड़ियों में ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** आपस में वार्ता नहीं। आपस में वार्ता नहीं।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): वैसे खजूर में अटके हैं नौजवान 27 हजार। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार इन खजूर में अटके हुए लोगों के मानवीय अधिकारों को मानते हुए 6 हजार रुपये पढ़े-लिखे लोगों के लिए कुछ नहीं है। साहब, इनका वेतनमान 24600 रुपये तब तक किया जाए जब तक यह स्थाई नहीं हो जाए और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं और डोटासराजी, आप 9 मिनट 48 सैकिण्ड बोले थे, जब आप उधर थे।

**श्री सभापति:** विराजिए।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): मैंने आज वीडियो देखा था तो आज सुबह-सुबह आपको ही सुना मैंने। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** विराजिए-विराजिए।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): सुनो, मैं कह रहा हूं, उसी काम में लगा हुआ हूं। उस समय राजेन्द्र राठौड़ साहब तो सामने पार्टी थे और आप बोल रहे थे। आज आप पार्टी हैं और आप तो बाद में बोलेंगे, हमारे बोलने के बाद। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान की सरकार जो हजारों नौजवान आए हुए हैं, जो विद्यार्थी मित्र से पंचायत सहायक बन चुके हैं, आप उनको राजस्थान सरकार के नियमित कर्मचारी बनाने का सरकार कष्ट करे और उनको मानवीय जीवन बड़ी इज्जत के साथ जीने का मौका दें। आप छह हजार रुपये भी आज के दिन खर्च कर रहे हैं, वह भी प्लेसमेंट एजेंसी से दिलवा रहे हैं। आप पंचायती राज के मंत्री होने के नाते पंचायत के सरपंच पर विश्वास कीजिए। उसके दस्तखत से पैसे मिल रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी पैसे दे रही है। व्हाई नोट? क्यों?

**श्री सभापति:** विराजिए।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): इसलिए साहब, आज पूरे राजस्थान के आज जो पंचायत सहायक आए हुए हैं, उनके साथ न्याय करें।

**श्री सभापति:** विराजिए। सरकार ने जवाब दे दिया, आप विराजिए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री सचिन पायलट।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैंने सुबह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आसन ने मुझे यह कहा था कि शून्यकाल की समाप्ति पर मैं मेरे व्यवस्था के प्रश्न को आपके सम्मुख रखूं।

**श्री सभापति:** माननीय अध्यक्ष महोदय के आने के बाद आपकी व्यवस्था के प्रश्न पर वह देंगे। आप विराजिए। विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): नहीं-नहीं, वह तो आसन ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** विराजिए। मैंने नाम पुकार लिया। मैंने सचिन पायलट साहब का नाम पुकार लिया, आप विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): साहब, मतलब मैं बैठ जाऊं?

**श्री सभापति:** मैंने सचिन पायलट साहब का नाम पुकार लिया, मेहरबानी करके आप विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मेरा निवेदन है कि इनके बाद मेरे को मौका दे देना।

**श्री सभापति:** आप विराजिए। यह पूरा निपट जाए, जो भी यह है, यह निपट जाए, उसके बाद बात करेंगे, आप विराजें। आप विराजें। श्री सचिन पायलट।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## अधिसूचना

### ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

**श्री सचिन पायलट** (उप मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2019/513 दिनांक 12.6.2019, जिसके द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नव-सृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात् तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिये अधिकृत किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापति:** श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

### वित्त विभाग

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित पांच अधिसूचनाएं एवं एक आदेश सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-17 दिनांक 24.6.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-06 दिनांक 23.4.2019 में संशोधन किया गया है ;

(2) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-18 दिनांक 28.6.2019 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यक्ति, जिसका संकलित आवर्त माह जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 तक रुपये 1.50 करोड़ रुपये से अधिक न हो, के लिये फार्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने के लिये तिथि निर्धारित की गई है ;

(3) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-19 दिनांक 28.6.2019 जिसके द्वारा ओआईडीएआर सेवाओं के प्रदाताओं के लिये वार्षिक रिटर्न/समन्वय विवरण प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की गई है ;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-20 दिनांक 28.6.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;

**आदेश**

(5) आदेश संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-21 दिनांक 28.6.2019 जिसके द्वारा फार्म जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9-ए तथा जीएसटीआर-9 -सी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है; एवं

**अधिसूचना**

(6) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-22 दिनांक 1.7.2019 जिसके द्वारा बहिर्गामी अन्तराष्ट्रीय पर्यटन हेतु रिफण्ड प्रणाली लागू की गई है ।

**श्री सभापति:** श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

## परिवहन विभाग

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या: प.7(3) परि/नियम/मु./2010 दिनांक 24.4.2019 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम,1990 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापति:** श्री सचिन पायलट।

# प्रतिवेदन एवं लेखे

## महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

**श्री सचिन पायलट** (उप मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा -12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापति:** श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

## जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का 10वां प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

**(I)** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 ; एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

## जोधपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित लेखा प्रतिवेदन (वर्ष 2009-10 से 2017-18)

**(II)** जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा-60 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक अंकेक्षित लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 से 2017-18.

**श्री सभापति:** श्री बुलाकी दास कल्ला।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखता हूं:-

## राजस्थान लोक सेवा आयोग का 69वां प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

**(I)** भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 69वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 ; एवं

## विद्युत वितरण निगमों के विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण पत्र (वर्ष 2018-19)

**(II)** राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा-3(1) के अन्तर्गत विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गये विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण पत्र वर्ष 2018-19

**श्री सभापति:** श्री भंवर सिंह भाटी।

**श्री भंवर सिंह भाटी** (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

## मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18) (वर्ष 2018-19)

**(I)** मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं 2018-19;

## महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

**(II)** महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987

(श्री भंवर सिंह भाटी)

की धारा-38 (4) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 ;

## राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

**(III)** राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा-25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 ;

## कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

**(IV)** कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 ;

## महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

**(V)** महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 की धारा-41 के अन्तर्गत महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 ;

## राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19)

**(VI)** राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 की धारा-41 के अन्तर्गत राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19;

## गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18) (वर्ष 2018-19)

**(VII)** गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012 की धारा-41 के अन्तर्गत गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के वार्षिक/प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 ;

## पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

**(VIII)** पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम,

(श्री भंवर सिंह भाटी)

2012 की धारा-41 के अन्तर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 ; एवं

**महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का**

**प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)**

**(IX)** महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19.

धन्यवाद।

**श्री सभापति:** सदन की मेज पर रखिए आप।

**श्री भंवर सिंह भाटी** (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सदन की मेज पर रखता हूं। मैं आपकी अनुमति से उपरोक्त प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापति:** डा. सुभाष गर्ग।

**(14.00 बजे)**

**राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का**

**प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)**

**डा. सुभाष गर्ग** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा-44 के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18, एवं

**बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का प्रतिवेदन**

**(वर्ष 2018-19)**

(2) बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 की धारा-44 के अन्तर्गत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापति:** श्री राजेन्द्र राठौड़।

# व्यवस्था का प्रश्न

## सत्र काल में नीतिगत निर्णयों की जानकारी सर्वप्रथम सदन में दी जानी चाहिए

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न, जो मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में रखने का प्रयास किया था और तब अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि शून्य काल समाप्त होने के पश्चात् मैं इसको रखूं। सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि राजस्थान विधान सभा नियम और प्रक्रिया के तहत चलती है और इसके साथ ही, सभापति महोदय, आपने हम सब सदस्यों को राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन दिया है। यानी यह जो निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय ने अलग-अलग समय पर दिये, यह एक तरह से विधान सभा के संचालन का मेरूदण्ड है। इसके आधार पर विधान सभा में तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्थाएं दीं।

मैं आपका ध्यान अध्यक्षीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण दिये गये निर्णय संकलन के पृष्ठ संख्या-701 की तरफ दिलाना चाहता हूं - 'सत्र चालू रहने की हालत में नीति संबंधी निर्णय की सूचना सर्वप्रथम सदन को देनी चाहिये।' यह 23 फरवरी, 1964 को श्री सतीश चन्द्र जी अग्रवाल ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। अध्यक्ष महोदय ने इसमें जो अपना निर्णय दिया, वह जो इसमें अंकित है -'इस प्रकार सदन के बाहर वक्तव्य दिये जाने के संबंध में इस सदन के समक्ष 10 दिसम्बर, 1959 को भी माननीय अध्यक्ष के द्वारा एक व्यवस्था दी जा चुकी है, जिसमें स्पष्ट किया जा चुका है कि जब कभी भी सरकार द्वारा इस तरह के नीति संबंधी कोई निर्णय किये जाएंगे, उस समय सदन की बैठक चालू हो, तो निर्णय की सूचना सर्वप्रथम सदन की दी जानी चाहिये। यह स्वस्थ परम्परा भी बतायी गयी है। आशा भी प्रकट की जाती है कि भविष्य में इस परम्परा की पूर्णत: पालना सरकार करेगी।'

इसी तरह, सभापति महोदय, पृष्ठ संख्या-692 के अंदर भी यह उल्लेख है। मैंने व्यवस्था का प्रश्न इसलिये उठाया, कि यह बजट सत्र चल रहा है। दो दिन पश्चात् माननीय मुख्य मंत्रीजी वित्त मंत्री के रूप में सदन में अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। सरकार को पूरा अधिकार है कि जी.एस.टी. के दायरे से बाहर जो भी कमोडिटीज हैं, जिनमें वैट लागू कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, सरकार को पूरा अधिकार है। पैट्रोलियम, हम सब जानते हैं कि जी.एस.टी. कमोडिटी से बाहर है और इस बार 6 जुलाई को 11

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बजकर 10 मिनट पर राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया, पैट्रोल और डीजल पर 4 प्रतिशत वैट बढ़ाया। पैट्रोल की कीमतें 2 रुपये 10 पैसे बढ़ीं, डीजल की कीमतें 2 रुपये 12 पैसे बढ़ीं। मेरा विरोध सिर्फ इसी का है। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** बोलने दें। माननीय राजेन्द्र राठौड़, आप बोलिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मुझे यह डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): इन्होंने धोखा किया पूरे देश के साथ। पैट्रोल-डीजल पर दाम इन्होंने बढ़ाया, उस पर इनको माफी मांगनी चाहिये। माफी मांगो न पहले। (व्यवधान).

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): बीच में बोल रहे हैं।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, क्या राजेन्द्र राठौड़ इन कोम्पीटेंट हैं क्या? अपने आप जवाब नहीं दे सकते।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मेरा सवाल यह नहीं है कि वैट क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, इसके पीछे क्या कारण हैं? मेरा सवाल सिर्फ यह है कि यह सदन के अंदर...(व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): यह माफी तो मांग लो कि गलती कर ली हमने।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आप बैठो तो सही।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): केन्द्र में माफी मांग लो न, क्या दिक्कत है? ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** मंत्री महोदय। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): माफी तो मांग लो। गलत किया है न आपने। (व्यवधान).

**श्री सभापति:** माननीय मंत्री महोदय, प्लीज। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): यह माफी तो मांगें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): इनको छूट दे रखी है क्या?

**श्री सभापति:** माननीय मंत्रीजी विराजें। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, यह कह रहा हूं मैं तो। (व्यवधान) यह घुमा-फिराकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माफी आपको मांगनी पड़ेगी।

**श्री सभापति:** विराजिए। आप उनसे आगे हो रहे हैं, आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सिर्फ इस बात को लेकर है कि इस सदन की परम्पराओं के लिये, कल ही हमने बहुत विद्वान लोगों के भाषण सुने, आज इस सदन की परम्परा तार-तार हो, और सदन के नेता 6 जुलाई को 11 बजकर 10 मिनट पर राजस्थान की जनता पर 4 प्रतिशत वैट बढ़ाएं, उनको पूरा अधिकार है। इस वैट को 4 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत और बढ़ा दें, उनको अधिकार है। हमें जो कुछ कहना है, हम कहेंगे। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अगर यह अध्यक्षीय संकलन, जो आपने हमें दिया है, यह महत्वपूर्ण निर्णय या तो, यह पुस्तक हमें क्यों दी गयीं, यह सदन की अवमानना है, सदन के साथ धोखा है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आचरण भविष्य में नहीं हो। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है ...(व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): पूरे देश के साथ धोखा करने वाले, सदन के साथ धोखे की बात कर रहे हैं। पूरे देश के साथ धोखा कर दिया।

**श्री सभापति:** आप बैठिये, सरकार के संज्ञान में आ गया। आप विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

**श्री सभापति:** आसन व्यवस्था देगा, आप विराजिए।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): यह तो घुमा-फिराकर टाइम लेते हैं, आदत है इनकी। देश के साथ धोखा किया, उसका भी तो जवाब दें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि जो पाइंट आफ आर्डर इन्होंने उठाया...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): व्यवस्था के प्रश्न पर तो कोई वही माननीय सदस्य बोल सकते हैं, अब नेता महोदय किस बात के लिये बोल रहे हैं, इनको कैसे राइट मिल गया? जब व्यवस्था का प्रश्न जिसने उठाया है...

**श्री सभापति:** माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह केवल अंकित कराने की बात कर रहे हैं।

**श्री सभापति:** आप विराजिए। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनको किसने पावर दे दिया तो।

**श्री सभापति:** आप विराजिए। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह भी व्यवस्था का प्रश्न है कि यह भी नहीं बोल सकते। (व्यवधान) नेता, प्रतिपक्ष भी नहीं बोल सकते।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अगर प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देंगे तो हम भी नहीं बोलने देंगे आपके नेता को। (व्यवधान) मजाक बना रखा है।

**श्री सभापति:** आप सब विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): हम भी आपके नेता को नहीं बोलने देंगे।

**श्री सभापति:** माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। (व्यवधान)

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कोई तरीका थोड़े ही है। डिक्टेशन थोड़े ही दोगे सदन में। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** विराजिए, आसन पैरों पर। विराजिए, विराजिए।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): आप डिक्टेट करोगे क्या सभापति महोदय को। (व्यवधान)

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप डिक्टेट नहीं कर सकते सदन में। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): यह डिक्टेट कर रहे हैं आपको। सभापति को यह डिक्टेट नहीं कर सकते।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): वह बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** आप विराजिए। आसन पैरों पर है। कल आपको इतना सिखाया। आप विराजिए। कल इतना सिखाया, सब कुछ गुड़-गोबर। एक भी बात समझने को तैयार नहीं आप लोग। (व्यवधान) आप विराजिए। आप इतने सीनियर आदमी हैं।

**श्री रोहित बौहरा** (राजाखेड़ा): सर, यह जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ायी है, एक्साइज ड्यूटी के बाद अपने आप ही वैट बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, उसमें वैट बढ़ेगा। माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो वैट बढ़ेगा। आप मंत्री रह चुके हैं मेरे ख्याल से, इनका ज्ञानवर्धन करा दीजिये।

**श्री सभापति:** आप विराजिए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मेरा केवल व्यवस्था के प्रश्न पर ही सवाल है।

**श्री सभापति:** माननीय नेता, प्रतिपक्ष विराजिए आप। जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब ने उठाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय आएंगे, वही इस पर व्यवस्था देंगे।

विधायी कार्य। श्री बुलाकीदास कल्ला।

# विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

## राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री सभापति:** श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 विचारार्थ है। मूल रूप से सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5(1) के अंदर सरकार एक संशोधन लेकर आयी है। संशोधन यह लेकर आयी है, इस संशोधन के माध्यम से सरकार यह अधिकार प्राप्त कर रही है कि लोकायुक्त का जो कार्यकाल आठ वर्ष था, उस कार्यकाल को कम करके पांच वर्ष किया जाए। सभापति महोदय, इसके साथ एक परन्तुक जो लगाया गया है 5 (1) एए, उससे सरकार यह भी अधिकार ले रही है कि वर्तमान पदधारण में जो लोकायुक्त हैं, ज्योंहि यह विधेयक पारित होगा। सभापति महोदय और अध्यक्ष महोदय, दोनों को ही सम्बोधित करके निवेदन कर रहा हूं।

**(14.08 बजे)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

यह जो विधेयक की धारा 5(1) के अंदर जो परन्तुक दिया है, उस परन्तुक का मायना यह है कि सरकार की मंशा यह है कि ज्योंहि यह विधेयक पारित हो, और जो वर्तमान में लोकायुक्त काम कर रहे हैं, उन लोकायुक्त का कार्यकाल समाप्त समझा जाए और वह अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं। मूलतः, अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, यह रिप्लेसिंग बिल है। यह रिप्लेसिंग बिल उस ओर्डिनेंस का है, जो ओर्डिनेंस राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्या-2) उसका रिप्लेसिंग बिल है। अध्यक्ष महोदय, यह रिप्लेसिंग बिल, जिस ओर्डिनेंस को 6 मार्च को सरकार ने जारी किया, ओर्डिनेंस जारी करने की शक्तियां काबिना में है, मंत्रिमण्डल, मुख्य मंत्रीजी की सदारत में बैठक करके और महामहिम राज्यपाल महोदय को अध्यादेश के लिये प्रार्थना कर सकता है और अध्यक्ष महोदय मैं कोट करना चाहूंगा आर्टिकल...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** स्काप आफ दी बिल, इसका कोई अंत नहीं है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आर्टिकल 213, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो।

**श्री अध्यक्ष:** मैं कह रहा हूं बिल के रिलेवेंस में ही।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): हां, बिल के रिलेवेंस में ही।

**श्री अध्यक्ष:** रिलेवेंस जनमत में, कि कट करना है कि नहीं करना है उसी पर, बाकी उस पर तो कोई है नहीं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, बाकी सब ठीक है, बिल पर भी मेरा जनमत जानने के लिए प्रस्ताव है।

**श्री अध्यक्ष:** कौन मना कर रहा है?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): उस प्रस्ताव में इस बिल के ओर्बिट में जो संशोधन, मूल संशोधन लेकर आये हैं 5 (1) में मैं उसी तक अपने आपको सीमित किये हुए हूं। उसके साथ इन्होंने जो परन्तुक लिखा है, अध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फर्मा लें। यह जो (कक) परन्तुक है उसके बारे में बात कर रहा था। इसलिए मैं निवेदन करूं, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल रूप से यह बात कही कि यह जो रिप्लेसिंग बिल है, 06 मार्च को सरकार जो ओर्डिनेंस लेकर आयी, ओर्डिनेंस में जो राज्यपाल महोदय में शक्तियां आर्टिकल 213 में निहित हैं, वो मैं कोट करना चाहूंगा, 'यदि किसी समय राज्यपाल महोदय को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण से तुरन्त कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक है...'

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप ओर्डिनेंस बिल कैसे हाउस में चर्चा कर रहे हैं? यह सीधा है, लोकायुक्त का टर्म कम किया है, उस पर जनमत जानने पर उसमें बोलें। बिल कैसे आता है, ओर्डिनेंस कैसे आता है, उसका तो कोई सम्बन्ध इसमें है नहीं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): तो मैं उस पर नहीं कर रहा।

**श्री अध्यक्ष:** आप कष्ट करके यह क्यों कट किया, उसका आप जनमत जानने पर करें, ज्यादा बैटर है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आप जैसा उदारमना आदमी आसन पर हो, आप जैसा विद्वान व्यक्ति आसन पर हो।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, उदारता का सवाल नहीं है। आपने खुद

(श्री अध्यक्ष)

ने पेयजल की चर्चा का समय रखा है, या तो पेयजल की समस्या की चर्चा का जो हमारा मेन मुद्दा है उसको हम लम्बा करके लम्बा खींच दें या फिर हम टू द पाइंट डिस्कस करके इस चीज को डिस्पोज करके आगे बढ़ें।

मेरा आपसे निवेदन है क्योंकि, माननीय सदस्य, मुझे अनप्लीजेंट बात नहीं कहनी चाहिए। आप मेरे चैम्बर में आये थे, मैंने आपको कहा था, उसको पाइंट आफ आर्डर उठा दिया, अपन पानी की डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं तो डिबेट हो ही नहीं रात दस बजे तक। पानी की अच्छी डिबेट हो, सब आदमी अपनी बात कह सकें वो ज्यादा जरूरी है बनिस्पत कि हम उस डिबेट को इतनी लम्बी ले जाएं कि जो मेन मुद्दा है उस पर डिस्कस नहीं हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपका अधिकार है जनमत जानने पर बोलने का मेरा निवेदन यही है कि ओर्डिनेंस कैसे आए, बिल कैसे आए इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अभी सिम्पल चर्चा है कि सरकार ने कर्टेल किया है, उस पर क्या चीज हो सकती है, जनमत जानने के लिए उस पर स्पेसिफिक करेंगे ज्यादा बैटर रहेगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आप जैसा ज्ञान तो मुझ में नहीं है फिर भी यह अधिकार तो इस सदन में जिस दिन चुन कर आते हैं उस दिन मिल जाता है।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप, don't argue in it. मेरा भी अधिकार है कि इस सदन में कार्यवाही ...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): तो आप कहो तो बैठ जाते हैं?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, यह बैठने का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य, यह मेरा भी अधिकार है कि सदन की डिबेट जिसका टोपिक है उसके अन्तर्गत हो। यदि उसके बाहर जा रही है तो उसको इन्टरवीन करने का मेरा अधिकार है। इतना तो मानते हैं आप? तो मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि ओर्डिनेंस से बिल कैसे आता है, यह चर्चा का इश्यू नहीं है। चर्चा का इश्यू सिम्पल है कि सरकार ओर्डिनेंस के बाद बिल लायी है, उस बिल पर जो कर्टेल किया है उसको जनमत जानने के लिए भेज रहे हैं, उस पर कन्सर्न करें ज्यादा बैटर रहेगा, प्रॉपर वैल डिबेट होगी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, अगर आप मुझे यह बात कहने दें उसके बाद आप फर्मा दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो रिप्लेसिंग बिल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

06 मार्च को सरकार लेकर आयी, ऐसे क्या कारण बन गये थे कि 06 मार्च को जस्टिस एस.एस. कोठारी को हटाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है और उसके बाद यह आज उसका रिप्लेसिंग बिल लेकर आती है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त 1973 की धारा 3 (1) की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस 3 (1) के अन्दर किस प्रकार लोकायुक्त का चयन होगा, उसकी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। लोकायुक्त का चयन हुआ, मुख्य मंत्री, सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधिपति तीनों मिलकर करते हैं। मार्च, 2013 को जिन तत्कालीन लोकायुक्त +++ को हटाने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आयी है उनके लिए बनी चयन समिति की सदारत हमारे सदन के नेता करते हैं, हमारी प्रतिपक्ष के नेता विराज रहे हैं, वो उस कमेटी के सदस्य हैं और मुख्य न्यायाधिपति उसमें बैठते हैं और उनका उन्होंने चयन किया सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में। अब 06 मार्च को अचानक उनका कार्यकाल समाप्त क्यों किया?

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार सरकारें जब उचित लोगों का, जो न्यायप्रिय लोग हैं उनका चयन कर लेती है तो दूसरी सरकारें ऐसे विद्वान लोगों के कार्य का आम-अवाम को और फायदा मिला है, लोकायुक्त जैसी संस्था निष्पक्ष नजर आये, इसके लिए उनका कार्यकाल भी बढ़ाती है और, अध्यक्ष महोदय, यह कार्यकाल यों ही नहीं बढ़ा है। इस कार्यकाल के लिए एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में हुआ था। अध्यक्ष महोदय, यू.पी. में मोहम्मद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश, एआईआर 251 वर्ष 2014, यू.पी. में लोकायुक्त का जो समय था वो 06 साल से बढ़ाकर 08 साल किया गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई करके यह निर्णय दिया कि लोकायुक्त का समय बढ़ाने का अधिकार सरकारों का है। राजस्थान की तत्कालीन वसुन्धरा जी की सरकार ने उस अधिकार का उपयोग करते हुए यह जो पांच साल का आठ साल किया यह उस समय किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं लोकायुक्त पहले लोकायुक्त नहीं है, यह जो 2001 से 2013 में जो लोकायुक्त के सामने मामले गये वो 15,180 गये, यानी प्रतिवर्ष 1265 मामले लोकायुक्त ने निष्पादित किये गये। यह जो **+++** साहब, जिनको इन्होंने घर रवाना किया है एक ओर्डिनेंस लाकर, उन्होंने पांच साल में 24,164 यानी 4832 मामले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिवर्ष इन्होंने निष्पादित किये गये, तहसील स्तर पर नियमित कैम्प लगाये गये। अध्यक्ष महोदय, अचानक ओर्डिनेंस लाने के लिए यह स्थिति क्यों आ गयी?

मैं इसलिए कह रहा था, आपको बुरा नहीं लगे, अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या, जब तत्कालीन सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की उसकी अभिशंसा उन्होंने की और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अवैध खनन के आबंटन के बारे में एक सरकार की अभिशंसा पर कुछ प्रकरण लोकायुक्त को भेज दिये। जस्टिस +++ ने इसके अन्दर ...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, मैं फिर इन्टरवीन करूंगा, प्लीज I'm extremely sorry. एक तरफ तो हम कहते हैं यह, दूसरी तरफ हम उन चीजों को मेन्शन कर रहे हैं। Now, we are pleading. आप जो स्कोप है उस पर डिबेट करें अब व्यक्तिगत केसों का, यों अंत नहीं होगा किसी चीज का।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ऐसा मत करो आप। नो, नो, नो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकिण्ड।

**श्री अध्यक्ष:** आप ऐसा नहीं करो, तो मैं कोई अपने मन से थोड़ी कर रहा हूं मैं? नियम और कानून की जो प्रक्रिया है उसी के अन्दर अपनी बात कह रहा हूं कि नियम और कानून की प्रक्रिया के अन्तर्गत ...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): +++ अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री हम पूछ नहीं सकें ...(व्यवधान) बिल पर हम बोल नहीं सकें, फिर सदन में काहे के लिए हैं, हम चले जाते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, मुझे फर्क नहीं पड़ता है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): हम चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** हां आप जाइये, कोई तकलीफ नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): छोड़ कर चले जाते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** हां, बिलकुल, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं, don't dictate me.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): यह कोई बात हुई क्या?

**श्री अध्यक्ष:** आप अध्यक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकते, आप बैठिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): हमें लोगों ने चुन कर भेजा है।

**श्री अध्यक्ष:** आप अध्यक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकते, बैठिये आप। आप सीनियर आदमी हैं, मुझे डिक्टेट कराएंगे क्या, मुझे डिक्टेट कराएंगे क्या? आप बैठिये प्लीज, आप बैठिये। आप मुझे डिक्टेट कराएंगे क्या? मुझे अपनी गरिमा पता है, मुझे मालूम है मुझे क्या काम करना है। आप नियम और कानून के अन्दर हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है पर नियम-कानून का मतलब यह नहीं है कि आप अध्यक्ष को दबाव बनाकर कहो कि फैसला ऐसा होगा, कि मैं डिबेट में भाग नहीं लूंगा, न बोलने दूंगा। ऐसा भी नहीं होगा। नियम और कानून के अन्तर्गत अध्यक्ष को पूरा अधिकार है डिबेट को रेगुलेट करने का और डिबेट टू द पाइंट नहीं है तो इन्टरवीन करने का। यह पूरा अधिकार है। आप सीनियर आदमी हैं, नियम और कानून को पढ़ लें। मैंने आपको यह निवेदन किया है कि आप अपनी बात कह सकते हैं लेकिन केस को ले जाकर उस तरह से ले जाना चाहें, यह ठीक नहीं है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया वो स्कोप में, इस बिल के स्कोप में उठाया कि ऐसा क्या मौका आ गया कि जिस व्यक्ति को पिछली सरकार में आपने नियुक्त किया और जिसके अच्छे कामों के कारण से अवधि बढ़ाई, उसको आपने बीच में ओर्डिनेंस के द्वारा समाप्त करने का जो काम किया, ओर्डिनेंस के बाद किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो जाती, अगर उसमें यह भी बिन्दु डाल देते कि अगली नियुक्ति तक यह आदमी काम करे, तब भी समझ में आ सकता था कि आपका ओर्डिनेंस लाने का कोई अर्थ है। यह तो केवल और केवल, यह स्कोप में नहीं आता तो फिर कौनसी चीज, बात यहां बोलेंगे, क्यों हटाया? आठ साल से आपने पांच साल क्यों किया और हमने पांच से आठ क्यों किया, इसको ही तो वो तर्क से अपनी बात को रख रहे हैं। मैं सोचता हूं यह तो इसके स्कोप में है। अगर इसको भी आप अपने स्कोप में नहीं मानते हो तो फिर तो इस बिल के ऊपर बोलने का कोई आधार ही नहीं रहा है।

**श्री अध्यक्ष:** कटारिया जी, स्कोप में है पर +++ प्लीड करने का स्कोप में नहीं है। आप लोकायुक्त के पद की गरिमा के अनुसार अपनी बात को कहें, पूरा स्कोप में है पर हम यह करें आज की डेट में तो यह ठीक नहीं है। आप खुद इतने सीनियर हैं, आप इस बात को जानते हैं कि सरकार को अधिकार है घटाना, बढ़ाना। आपने भी बढ़ाया, घटाया वह इश्यू अलग है

(श्री अध्यक्ष)

लेकिन आज हम डिबेट कर रहे हैं कि सरकार ने घटाया है, जनमत जानने के लिए आपको ठीक लगे कि इसमें यह स्थिति है, हम उन केसेज के बारे में जनरल बनाना चाहेंगे तो उसका जस्टिफिकेशन नहीं होगा। यह बिल के स्कोप में अपन जो आज डिबेट कर रहे हैं वो इर्रिलेवेंट हो जायेगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि बिल की गरिमा के अनुसार आप डिबेट करें, I'll be happy. पर बिल की डिबेट को ले जाकर हम वहां खड़ी कर देंगे कि लोकायुक्त के काम करने का तरीका ठीक था क्या वो रिफ्लेक्शन करना तो अपना काम नहीं है। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं। आप यह कह सकते हैं कि लोकायुक्त के पद पर जो आदमी था उसने इतने केस किये, इतने किये, बात खतम हुई। उसके बाद यह नाम लेकर वो इंडिविजुअल केस को डिस्कस करेंगे तो इसका अंत कहां होगा? हम एक तरफ तो यह कहते हैं कि, साहब, इंडिविजुअल आदमी को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए, वह हाउस में नहीं है उनकी बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरी तरफ हम उसका एडवांटेज भी लेना चाहें, दो चीज नहीं हो सकती। इसलिए आप मेहरबानी करके आपका जो जनमत जानने का है, आपने अपनी बात कह दी कि सरकार कोम्पिटेंट है या नहीं है?

आपका जनमत जानने का सीधा है कि सरकार उसको कर्टेल करने की काम्पीटेंस में है कि नहीं है? सरकार जब टर्म को बढ़ा सकती है तो सरकार कर्टेल भी कर सकती है। That's the debate. अब उसमें क्या इश्यु है, क्या इश्यु नहीं है, वह इश्यु तो उसका पार्ट नहीं है। मेरा निवेदन यही है कि आप व्यक्तिगत इस डिबेट को करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): आप पर्ची भेज दिया करो कि यह पढ़ लिया करो।

**श्री अध्यक्ष:** आप मेहरबानी करके मैं क्या करूंगा इस पर नहीं करें। मैं फिर कह रहा हूं, आप अध्यक्ष के ऊपर, चेयर के ऊपर, इस तरह से नहीं चला सकते। आप नहीं चला सकते हैं। आपको अधिकार है। आप अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाकर के नहीं चला सकते। अध्यक्ष क्या सुनेगा डिबेट, यह भी आप फैसला करेंगे? अध्यक्ष क्या करेगा, यह भी आप करेंगे?

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** किसके?

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): किसी के खिलाफ नहीं, हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मैं सदन चलाने के लिए लड़ रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत काम है क्या किसी से? सदन चलाने की मेरी जिम्मेदारी है। सदन में डिबेट कैसी होगी, यह मेरी जिम्मेदारी है। अनप्लीजेंट काम मुझे करना पड़ेगा। यह कोई तरीका थोड़े ही है कि सदन में हम डिबेट की बात करना चाहें और उसको इस ढंग से करें हम।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, क्या यह हो ...(व्यवधान) सकता है कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो।

**श्री अध्यक्ष:** बिलकुल।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): कर सकते हैं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बिलकुल, क्यों नहीं कर सकते हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्वेश्चन आवर के अंदर माननीय नेता प्रतिपक्ष को 2 पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया गया। हमें 1 प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया। हम जीतकर नहीं आए हैं...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय संयम जी, न, न, बैठिए आप ...(व्यवधान) बैठिए, डोंट कोरिलेट, एक चीज को गलत तरीके से मत जोड़िए। जब हमने फैसला किया है कि 2 ही अलाउ करेंगे तो आपको अधिकार नहीं है। लीडर आफ अपोजिशन को अधिकार है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): विपक्ष के नेता को है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** हां, अधिकार है। अधिकार है ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): दूसरे मैम्बर एक भी नहीं पूछेंगे ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** नहीं है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह कोई बात हुई क्या? क्वेश्चन आवर में हम आएं ही नहीं?

**श्री अध्यक्ष:** नहीं है। नहीं है। बिलकुल नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अगर हमारे सवाल नहीं हैं तो हम क्वेश्चन आवर में आएं ही नहीं।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं है। नहीं है। बिलकुल नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हम चले जाएं।

**श्री अध्यक्ष:** हां, बिलकुल नहीं है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या बात हो गई यह?

**श्री अध्यक्ष:** बिलकुल नहीं है। आप बैठिए। बिलकुल नहीं है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हम इस हाउस में 20 साल से आ रहे हैं ...(व्यवधान) हमेशा भाग लिया है।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं है। बैठिए, बैठिए। आप बैठिए। आप कुछ ही लोग मिलकर सदन को चलाएंगे? बाकी सदन के 200 आदमी कुछ नहीं बोलेंगे? हम सदन को इस तरह से चलने देंगे? बैठिए संयम जी। अनप्लीजेंट काम मुझे मत करने दीजिए। जब हमने पहले फैसला किया है कि सदन में जो प्रश्न रखेगा वह क्वेश्चन पूछेगा। आप भी प्रश्न लगाते। हर प्रश्न में अपना बोलना जरूरी है क्या? यह प्रीविलेज लीडर आफ दी हाउस को है या अपोजिशन को है। वह इंटरवीन कर सकते हैं और मैं उनको करने का मौका दूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर सदस्य खड़ा हो जाएगा कि मेरा भी क्वेश्चन है। आप भी क्वेश्चन लगाते न। कौन मना कर रहा है? क्वेश्चन तो इंडिविजुअल आदमी का लगता है। यह प्रोरोगेटिव थोड़े ही है कि आप इंटरवीन करें। इसको, उससे रिलेट कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप बैठिए, प्लीज। आपको अगर सदन को नहीं चलाना है तो अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए। मुझे सदन चलाना है। हां, मैं ऐसे ही चलाऊंगा। आपको नाराजगी हो तो लाइए। मैं सदन ऐसे ही चलाऊंगा जो नियम और कानून के अंतर्गत है। मिस्टर राठौड़ साहब, आप बैठिए। आप मेरे चैम्बर में मिले थे और पाइंट आफ आर्डर वगैरह मैंने उठाना मना कर दिया। मैं चेयर से गया और आपने लिबर्टी ले ली।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मैं क्यों नहीं उठाऊंगा ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** नो, नो, I'm extremely sorry.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): नो, नो, अध्यक्ष महोदय, ऐसा मत करो।

**श्री अध्यक्ष:** तो हम क्या करें ...(व्यवधान) बिलकुल नहीं है ...(व्यवधान) बिलकुल नहीं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): नो, नो, अध्यक्ष महोदय। इस तरह से नहीं।

**श्री अध्यक्ष:** बिलकुल नहीं। बैठिए आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): नहीं बैठूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** बैठिए आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): नहीं बैठूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** मत बैठें ...(व्यवधान)बाहर निकलिए आप ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): निकालो बाहर ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बाहर जाइए ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): निकालो बाहर ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** हां, बाहर जाइए ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): नहीं जाऊंगा ...(व्यवधान) नहीं जाऊंगा मैं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बाहर जाइए ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): नहीं जाऊंगा मैं ...(व्यवधान)

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह तरीका ठीक नहीं है आपका ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बाहर जाइए, मैं कह रहा हूं आपको ...(व्यवधान) ऐसे हाउस चलाएंगे क्या आप? (व्यवधान)

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह तरीका ठीक नहीं है आपका ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप मुझे डिक्टेट कराएंगे क्या ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य:** आसन को धमका रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप अपनी मर्जी से चलाएंगे सदन को ...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): +++ से सदन नहीं चल सकता ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** +++ क्या होता है? शब्द को वापस लीजिए। +++ क्या होता है? (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): नियमों से चलता है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** वह तो हमें भी पता है नियमों का ...(व्यवधान) मुझे जानकारी है ...(व्यवधान) नियम की जानकारी है मुझे ...(व्यवधान)

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऊंची आवाज में बोल-बोलकर...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** कोई जरूरत नहीं है मुझे सुनने की...(व्यवधान) आप जा सकते हैं। वाक आउट करके जा सकते हैं...(व्यवधान) करिए वाक आउट, जाइए। सदन चलेगा। सदन आपके कारण रुकेगा क्या?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसा नहीं चल सकता... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप समाप्त करिए ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आपकी कृपा से नहीं आया हूं ...(व्यवधान) राजस्थान के लोगों के ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं होगा। श्री संयम लोढ़ा ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000.

**श्री अध्यक्ष:** मैं भी आपकी कृपा से नहीं आया हूं। मैं भी आपकी कृपा से नहीं बना हूं ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, कानून बनाने की प्रक्रिया में ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): इस अमेंडमेंट को आपको पास करना है तो आप हमारी आवश्यकता को महसूस नहीं करते हैं तो हम चले जाएं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की प्रतिपक्ष के नेता अवहेलना कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्यवाही करो। आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): ताकि हमको कुछ करना न पड़े।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपने मुझे पुकारा है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आप यह चाहते हो कि वास्तव में हमारा कोई अधिकार नहीं है इस बिल के ऊपर, कुछ बोलने का अधिकार नहीं है...

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नियमों से बंधे हुए हैं आप भी ...(व्यवधान) नियम से ऊपर कोई नहीं है इस सदन में ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): हम इस बिल के स्कोप में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ऐसी कौनसी, केवल नाम लेना उचित नहीं था।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय कटारिया जी, आप प्लीज इन सबको बैठाएं। नहीं तो मैं सुनूंगा नहीं। आप खड़े हैं और बाकी सब खड़े हैं। यह तरीका नहीं है कि आप बोलें भी और यह सब भी खड़े रहें। यह कौनसा तरीका है? आप लीडर बोल भी रहे हैं और सब खड़े भी रहें। यह क्या तरीका है?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): आप अगर नहीं चाहते हैं तो ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** यह कोई तरीका है क्या? आप बोलें भी और यह खड़े भी रहें ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): आप इस तरह से सहयोग भी चाहते हो ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** इस तरह से तो हाउस नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): यह नहीं हो सकता है कि हमारी वाइस को खतम कर दें हम ...(व्यवधान) यह नहीं हो सकता है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं कि हम अपना राइट खतम कर दें ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** ऐसे भी हाउस नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): यह नहीं हो सकता।

**श्री अध्यक्ष:** आप भी खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): सदन नियमों से चलेगा ...(व्यवधान) नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): नियमों से चलाना पड़ेगा ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** संयम लोढ़ा जी, आप बोलें ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी कोई आवश्यकता नहीं है तो हम भले ही बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से इस विधेयक को पास करने के लिए हम नहीं हैं। हम अपनी बात जरूर कहेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** कौन मना कर रहा है? कटारिया जी, कौन मना कर रहा है? ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): हमने कौनसा खतम किया (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** ऐसा नहीं होता है। आप डिक्टेट नहीं करा सकते ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपने लोकतंत्र का गला घोटा था।

**श्री अध्यक्ष:** आज कौन कर रहा है ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): हमने क्या गलत किया था? हमने क्या गलत बात कही थी? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री अध्यक्ष:** मुझे डिक्टेट नहीं करा सकते ...(व्यवधान) जनमत में क्या बोलना है, यह मैं रैगुलेट करूंगा। मैं बिल पास नहीं कर रहा हूं। You can't dictate me. It is my prerogative.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): Nobody is dictating you. हर सदस्य को बोलने का अधिकार तो है ...(व्यवधान) एक माननीय सदस्य यहां बोल तो सकता है।

**श्री अध्यक्ष:** जरुरत नहीं है माननीय सदस्या ...(व्यवधान) मैं जनमत पर बिल को रैगुलेट कर रहा हूं। मैं बिल पास नहीं कर रहा हूं ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री अध्यक्ष:** It is my prerogative to regulate it. यह रूल्स में प्रोविजन है। मानें तो ठीक। संयम लोढ़ा जी ...(व्यवधान)

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बोल ही तो रहे हैं ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बोल तो सकता है ...(व्यवधान) आप बोलने से किसी को कैसे रोक सकते हैं?

**श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): एक मिनट। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): एक मिनट। अध्यक्ष जी ने अलाउ किया है। इन्होंने अलाउ कर दिया। यह परम्परा कभी हाउस में नहीं रही है कि चेयर को चैलेंज किया जाए और इतनी कटुता पैदा हो।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह शर्म की बात है।

**श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): इस पर विचार दोनों पक्षों को करना चाहिए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): हमें अपने अधिकारों की भी यहां पर तिलांजलि नहीं देनी है। यहां केवल तिलांजलि देने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर नियम से चलना है तो आसन को भी चलना पड़ेगा। हमको भी चलना पड़ेगा ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप आसन को इस तरह से दबा नहीं सकते ...(व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): इस तरह की परम्परा सदन में नहीं रही है ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): बिल पर बोलने का हमारा अधिकार नहीं है क्या?

**श्री अध्यक्ष:** बैठिए आप। धन्यवाद। आपको भाग लेना है? (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): आप अगर निकालना चाहो तो निकाल दो। हम जाने को तैयार हैं। निकालो तो जाएंगे, लेकिन हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे ...(व्यवधान) हम अपने अधिकारों को नहीं जाने देंगे ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** वह भी बोल रहे हैं ...(व्यवधान) आप पहले पूरी बात सुनिए। पूरी बात सुनिए। खड़े होकर के सुनना है कि बैठकर के सुनना है?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ऐसा मत करो आप।

**श्री अध्यक्ष:** बैठिए आप। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, जनमत जानने की डिबेट के रैगुलेट करने के संबंध में, मैंने बिल पास करने के संबंध में नहीं कहा। यह मेरा अध्यक्ष की हैसियत से अधिकार है कि डिबेट को रैगुलेट करूं। मैंने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया। आप पढ़ लीजिए। यह अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है। डिबेट को रैगुलेट करने का अधिकार मेरा है। उस अधिकार के अंतर्गत मैंने माननीय सदस्य को कहा है कि आप अपनी डिबेट को इस तरह

(श्री अध्यक्ष)

से करें। मैंने यह थोड़े ही कहा कि नहीं बोलें। मैंने यही तो कहा है कि आप जनमत जानने के लिए बोलें। आप अपनी बात को रैगुलेट नहीं करना चाहें, यह तो कोई आर्ग्युमेंट नहीं है। आप जनमत में जितनी बात कहनी है, अपनी बात कह दें। आज पेयजल की समस्या का डिस्कशन करना है। मुझे कहीं न कहीं तो रैगुलेट करना पड़ेगा या डिबेट शाम तक चलानी है। मैंने इसलिए कहा कि जब हमने खुद ने फैसला किया कि पेयजल की समस्या की चर्चा करनी है, अगर चर्चा करनी है तो इसको कहीं न कहीं तो रैगुलेट करना पड़ेगा। जनमत जानने में 6 आदमी बोलेंगे तो 6 आदमियों को आधा-आधा घंटा अलाउ करूंगा? यह तो आप भी मानेंगे। आप घड़ी उठाकर देख लें कि यह कितनी देर बोल चुके हैं। मैंने इसलिए कहा कि माननीय सदस्य अपनी डिबेट को रैगुलेट करें ताकि दूसरा सदस्य बोलना शुरू करे। आप ही एक घंटे तक बोलेंगे तो मेरा कोई काम बचा ही नहीं। मुझे इसलिए अनप्लीजेंट काम करना है। जनमत जानने के लिए 6 आदमी बोलने हैं। जितना आप बोल चुके। आप 2 मिनट में अपनी बात को वाइंड अप करिए, जिससे दूसरा आदमी बोल सके। यही तो बात मैं कह रहा हूं। इसमें क्या तकलीफ है। संयम जी, एक मिनट।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी बात को मैं मानता हूं कि अगर हम किसी विषय से विषयांतर हुए तो उसको रोककर ठीक करने का काम तो आपका है लेकिन यह काम नहीं है कि हम यह बोल नहीं सकते।

**श्री अध्यक्ष:** किसने कहा?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): जो विषय इन्होंने उठाया।

**श्री अध्यक्ष:** मान्यवर, फिर रिकार्ड उठाकर देख लें, +++ नाम लिया तब बोला है मैंने, आप उठाकर देख लें। आप लोकायुक्त के बारे में बोल सकते हैं, किसी +++ नाम पर बोलें, यह ठीक नहीं है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): यह बात ठीक है, किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता।

**श्री अध्यक्ष:** और क्या बोला मैंने?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन उसको करेक्ट किया जा सकता है।

**श्री अध्यक्ष:** मान्यवर, मैंने और क्या बोला?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): वह आपकी बात सही है, किसी का नाम नहीं लिया जाए, यह समझ में आ सकता है।

**श्री अध्यक्ष:** और क्या बोला मैंने?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): जिस पद के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पद के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** कौन मना कर रहा है?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): व्यक्ति के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। अब इतनी सी बात को करेक्ट करके भी तो लाइन पर लाया जा सकता था। डिपार्टमेंट पर चर्चा कर सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** मान्यवर, मैंने क्या कहा? वह तो मैंने कहा कि आप करैक्ट करके बोलिए। वाइंडअप कीजिए, और क्या बोला? और क्या बोला मैंने, आप चैक करो न? आप खुद ही बैठे हैं आराम से, मैंने कुछ नहीं कहा, जब +++ का नाम लिया, तब मैंने कहा कि यह ठीक तरीका नहीं है, इसको आप रैगुलेट करें, डिबेट को खतम करें। यह बात कही है मैंने। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब, आप मेहरबानी करके पहले ऑर्डिनेंस कैसे आता है, उसको रोका, फिर आपने नाम लिया तो मैंने फिर आपको रोका, मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप बोल चुके हैं, और माननीय सदस्य भी हैं बोलने वाले, आप दो मिनट में अपनी बात को वाइंडअप कीजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं?

**श्री अध्यक्ष:** हां।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं को समझते हुए कोशिश करूंगा कि कुछ ही मिनटों में अपनी बात को पूरा कर दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पृष्ठभूमि पर बात कर रहा था, मेरा एतराज सिर्फ इसी बात को लेकर था कि जिस लोकायुक्त का चयन तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय की सदारत में हुई कमेटी ने किया, जिसका कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया, जिसकी मैंने नजीर आपके सामने प्रस्तुत की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

थी कि उत्तर प्रदेश का एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, उस आधार पर तत्कालीन सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि आपात स्थिति पर कल बड़ी लम्बी चर्चा हुई थी, ओर्डिनेंस जारी करते हैं तो कोई न कोई ऐसी स्थिति होती है जिसको हम कह सकते हैं, आपात स्थिति। मेरी जानकारी के अंदर इस नई सरकार के सामने आपात स्थिति इसलिए आ गई कि दिसम्बर, 2018 में एक रिपोर्ट सरकार के सम्मुख गई लोकायुक्त की, तत्कालीन सरकार ने महामहिम राज्यपाल से प्रार्थना की थी कि कुछ अवैध आबंटन हुआ था माइंस में, उसकी जांच लोकायुक्त करे। लोकायुक्त ने जांच की, उसमें 54 अधिकारी और कर्मचारी जो आज सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर विराजे हैं, उन सबके विरुद्ध में लोकायुक्त ने अभिशंसा की कि इन पर कार्यवाही करो और इसी कार्यवाही की रिपोर्ट जब गई सरकार के पास तो अचानक ओर्डिनेंस लाकर इस प्रकार का काम किया गया, मेरा इतना निवेदन करना था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जीरो टालरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं, अच्छा रहता, मंत्री महोदय, आप सशक्त लोकायुक्त की बात करते, लम्बे-चौड़े भाषण भी आपने दिए, आपमें हिम्मत होती तो लोकायुक्त अधिनियम,1973 का सैक्शन 2(1) है, उसमें संशोधन करते। उसमें पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा के अंदर आप मुख्य मंत्रीजी को शामिल करते, मंत्रिगण को शामिल करते, हम आपका स्वागत करते। यह काम हमने नहीं किया पर आपकी तो बड़ी पारदर्शी सरकार है। अच्छा रहता कि आप 1973 के जिस एक्ट में आज 5(1) में संशोधन लेकर आए हैं उसके सैक्शन 6(1) के अंदर लोकायुक्त को मजबूत करने के लिए लोकायुक्त के पास अलग से जांच एजेंसी उनके अधीन हो, एक एडिशनल डी जी स्तर का अधिकारी उनके पास हो जो किसी मामले में वह चाहे तो जांच करवा पाए, इस प्रकार का संशोधन लेकर आते। अच्छा रहता, आप इसी लोकायुक्त एक्ट के सैक्शन 6(बी) के अंदर प्रोसीक्यूशन विंग अलग से हो, उसका प्रस्ताव लेकर आते और अच्छा रहता आप सैक्शन 9 के अंदर लोकायुक्त को अधिकार देते कि वह लोकायुक्त सुओमोटो अगर कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आती हो लोगों की तो लोकायुक्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खुद जाकर जांच कर सकते हैं, परन्तु आपने यह नहीं किया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप जवाब दें, मैं बैठ रहा हूं क्योंकि आप तो अध्यक्षजी को नाराज कर सकते हो, मैं अध्यक्षजी को नाराज नहीं कर सकता।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, वाइंडअप करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप सरकार को, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, आपकी निष्पक्षता को भी जानता हूं और आपके स्वभाव को भी जानता हूं, आप दूध की तरह गरम होकर उसी तरह से ठंडे हो जाते हो। आज भी आप हमारी तरफ मुस्कराकर देख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है जो दिसम्बर, 2018 को लोकायुक्त ने प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट पर सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करे, अगर सरकार का दामन साफ है वर्ना सरकार 54 अधिकारियों को जिनके विरुद्ध लोकायुक्त ने अभिशंसा की, उनको बचाने के लिए इस ओर्डिनेंस के माध्यम से लोकायुक्त को हटाने का काम कर रही है, मुझे इतना ही निवेदन करना है, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री अभिनेष महर्षि।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए इस विधेयक पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मेरे से पहले इस विधेयक पर माननीय राठौड़ साहब ने और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाबचन्द जी कटारिया साहब ने काफी कुछ बातें कह दीं। जो बातें मैं कहना चाहता था, जो मेरे मन में बातें थीं वह बहुत विस्तार से चर्चा हो गई इसलिए उन बातों के ऊपर मैं रिपीटीशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार तुरत-फुरत में कोई ओर्डिनेंस लाती है तो वह ओर्डिनेंस उस समय लाया जाता है जब कोई आपात स्थिति पैदा हो जाती है। एकाएक ओर्डिनेंस लाकर लोकायुक्त को हटाने की जो जल्दबाजी की है इसके अंदर सरकार कठघरे में खड़ी होती है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस लोकायुक्त को और अधिक सशक्त करने के लिए जो बातें अभी-अभी राजेन्द्र राठौड़ साहब ने कही हैं वह सारी बातें मैं भी रिपीट नहीं करूं लेकिन उन सब बातों से मैं सहमत हूं। अच्छा होता भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार इस लोकायुक्त को मजबूत करती। मेरा पर्सनल एक्सपीरिएंस यह है कि लोकायुक्त कोई भी जांच कर ले, वह सारी जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। ऐसी स्थिति में करोड़ रुपए लोकायुक्त पर खर्चा होता है, वह बहुत बड़ी मशीनरी के रूप में काम करते हैं, जिनके बारे में मंशा सरकार की यह होती है कि आने वाले समय में राजस्थान में भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब हो इस लोकायुक्त के माध्यम से वह सब काम नहीं हो पा रहा है। मेरा लोक सेवकों को जैसा अभी-अभी कहा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में मैं अपनी पूरी बात को समाप्त कर दूंगा कि लोक सेवकों को, मुख्य मंत्री सहित, सबको इस लोकायुक्त के दायरे के अंदर लेना चाहिए। क्यों किसी भी व्यक्ति को यदि लोक सेवक की परिभाषा के अंदर विधायक आता है, यदि कोई अधिकारी आता है तो उसके अंदर मुख्य मंत्री भी और बाकी सरकार के सभी लोग भी उस दायरे में लेने चाहिए। बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा, बातें तो बहुत हैं लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन है कि जनमत जानने के लिए जो परिचालित करने की बात है, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात कहना चाहता हूं कि इसको जनमत के लिए भेजना चाहिए। इसको इस तरह से तुरत-फुरत में पास नहीं किया जाना चाहिए बल्कि जनमत जानने के लिए इसको भेजना चाहिए, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** रामप्रताप कासनिया।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973, इस बिल के अंदर बार-बार संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बार-बार संशोधन करने की सरकार की जो मंशा है वह लोकायुक्त को कमजोर करने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह परम्परा इस प्रांत के लिए और इस देश के लिए ठीक नहीं है। सरकारों का काम यह नहीं है कि

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कोई लोकायुक्त हो, कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, उसको इस तरह से आनन-फानन में हटा देना, उपयुक्त बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे अनावश्यक खर्चा भी करना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा, मैं पहली बार बिल के बारे में बोल रहा हूं। मुझे इतना जरूर ज्ञान है कि यह जो बिल लाया गया है यह हकीकत में ही लोकायुक्त को हटाने के लिए लाया गया है और इसमें कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री संयम लोढ़ा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, समय बदला, संचार क्रांति हुई, सूचना क्रांति हुई, लोग अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये परम्परागत नेतृत्व पर निर्भर नहीं रहे। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये लोगों ने खुद संघर्ष करना शुरू किया और राजनीतिक नेतृत्व की उदासीनता के खिलाफ लोग सड़क पर आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जिस यूपीए-2 की सरकार में मंत्री थे, तब आपने देखा कि लोकपाल को लेकर दिल्ली की सड़कों पर ही नहीं, पूरे देश में लोग उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सड़कों पर आये और लोकायुक्त को जनाकांक्षाओं की पूर्ति के रूप में देखा।

आज क्या परिस्थितियां बन गयी हैं, बैंकों में लोगों के खाते तो खुले हैं, लेकिन गांव का गरीब, अनपढ़ आदमी जो अपने हाथ से बैंक से पैसा निकालने की पर्ची नहीं भर सकता, उसे अपनी पर्ची भरने का भी दस रुपया देना पड़ता है। वहां से लेकर के ऊपर तक हम आएंगे तो यह कथा बहुत लंबी है, लेकिन क्या सरकारें जो जनता ने बदली हैं, वह क्या सिर्फ इसीलिए बदली हैं कि कोई सरकार इसका कार्यकाल आठ साल कर दे, कोई सरकार इसका कार्यकाल पांच साल कर दे। लोग हमसे एक स्वच्छ और साफ-सुथरा शासन चाहते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश के मामले में लोग गये, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि सरकार इसका कार्यकाल पांच साल

(श्री संयम लोढ़ा)

रखे या आठ साल। सर्वोच्च न्यायालय ने यह पूरी तरह से स्टेट पर छोड़ दिया कि यह नीतिगत निर्णय है, जिस स्टेट को जो निर्णय करना हो, वह करे। वे पांच साल रखना चाहते हैं तो पांच साल रखें और आठ साल रखना चाहते हैं तो आठ साल रखें।

भारत सरकार में हमारे यहां लोकपाल की भी नियुक्ति हुई है, जिसका कार्यकाल पांच साल है। यह अलग बात है कि उसी लोकपाल आंदोलन की बुनियाद पर जो लोग सरकार में आये, साढ़े चार साल तक उन्होंने लोकपाल बनाने की कोई कार्यवाही नहीं की। लोग अपनी भावनाओं की अनदेखी के खिलाफ, इस सरकार की उदासीनता के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट गये। बार-बार सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया और आखिर में फाइनल अल्टीमेटम दिया कि दस दिन में आप अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए, नहीं तो आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट आर्डर करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यहां बढ़-चढ़कर बातें कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट की फटकार की वजह से देश को लोकपाल की प्राप्ति हुई और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि राजस्थान के लोकायुक्त के कार्यकाल की बात इनकी सरकार में 2015-16 की जो रिपोर्ट लोकायुक्त ने दी, प्रिय लोकायुक्त, जिनका बार-बार जिक्र कर रहे हैं, क्या किया आपने दो साल तक उस पर? आप दो साल तक उस रिपोर्ट को लेकर बैठे रहे और वह रिपोर्ट इस सदन में 9 मार्च, 2018 को प्रस्तुत हुई जबकि आपके जाने की घंटियां बज चुकी थीं। क्या कार्यवाही की आपने?

2017-18 की रिपोर्ट का क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो 32वां प्रतिवेदन है, वह इस सदन में प्रस्तुत नहीं हुआ है। आप यह जिक्र करते हैं कि फलां अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त ने कार्यवाही की सिफारिश की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यह 32वां प्रतिवेदन जो आपके प्रिय लोकायुक्त ने पेश किया, जिसमें 1239 लोक सेवकों के खिलाफ लोकायुक्त ने कार्यवाही की सिफारिश की, वह प्रतिवेदन राजस्थान के इस पवित्र सदन में आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ है।

**श्री अध्यक्ष:** प्लीज बैठें, माननीय सदस्य। Please wind up.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम क्यों नहीं चाहते कि लोकायुक्त को अभियोजन की स्वतंत्रता

(श्री संयम लोढ़ा)

मिले। इनकी सैपरेट इन्वेस्टिगेशन की यूनिट हो, इनके स्पेशल कोर्ट हों। बिना नाखून और बिना दांत के हमने सत्ता की चौखट पर लोकायुक्त को दरबारी बनाकर रखा हुआ है। आपको नया मैंडेट मिला है और आप राहुल गांधी के जमाने की कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको आगे बढ़कर यह व्यवस्था देनी चाहिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये और साफ-सुथरा शासन देने के लिये दृढ़-संकल्प हैं।

आप जब यह अमेंडमेंट ला रहे थे तो क्या साथ में आपको यह भी अमेंडमेंट नहीं लाने चाहिए थे कि हम एक स्वतंत्र, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान की जनता को देंगे जिसने हमें शासन में आने का मौका दिया है।

**श्री अध्यक्ष:** Please wind up.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, अशोक गहलोत जी 2013 की अपनी पिछली सरकार में जाते-जाते लोकायुक्त को पुलिस दे गये थे कि पुलिस का यह नैटवर्क सिस्टम लोकायुक्त के पास रहेगा। आपने क्या किया? (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

**श्री अध्यक्ष:** संयम जी, प्लीज। Wind up.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां ये बढ़-चढ़कर बातें कर रहे हैं, पांच साल में एक पुलिस अधिकारी आपने लोकायुक्त को दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये मुझे और अलाउ करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 24 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था 2003 से 2008 में। पिछली सरकार के खिलाफ भी यह कहा गया था, जेडीए- घोटाले का अड्डा, पुलिस कमिश्नरेट- घोटाले का अड्डा...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ये क्या कह रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष:** मेरा काम है, मैं देख रहा हूं। रिकार्ड देखने का काम मेरा है। आप मुझ पर छोड़िये न।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): कलेक्ट्रेट- घोटाले का अड्डा। जिस माथुर आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गयी...

**श्री अध्यक्ष:** बस संयम जी हो गया, प्लीज।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि अगर सरकार ट्रांसपरेंट है तो आप

(श्री संयम लोढ़ा)

जो नोटिफिकेशन माथुर आयोग के पास जिसमें फाइलें थीं, आप एक कमिशन गठित कीजिए और इनके सारे भ्रष्टाचार को बाहर निकालने का काम कीजिए।

**श्री अध्यक्ष:** चलिए, संयम साहब समाप्त कीजिए। प्लीज, डिबेट को रेग्युलैट करिए। Wind up within one minute.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह विनती कर रहा हूं कि आप एक सशक्त लोकायुक्त लाइये, उसे सारी ताकत दीजिए, राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दीजिए जिससे लोग जिस भरोसे से आपको सत्ता में भेजते हैं, उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** छगनसिंह जी।

**श्री छगनसिंह** (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के तहत आठ वर्ष का पांच वर्ष में सरकार ने आनन-फानन में संशोधन तो किया है, उसकी तो घोर निंदा हो ही रही है, उप-नेता ने जिस प्रकार से बात रखी, वह आप सबको विदित है। मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। यह एक गम्भीर मुद्दा है। आप जिस लोकायुक्त को हटाना चाहते थे, चलिये हटा दिया, कोई बात नहीं। आपका जो निर्णय था, आपकी इच्छा थी कि उसे तत्काल हटाया जाए, इसलिए आपने विद्यमान खंड (ककक) को भी हटाया कि तुरन्त पद से हटाया जाए, जबकि होना यह चाहिए कि जब तक दूसरा लोकायुक्त नियुक्त न हो, तब तक वह लोकायुक्त उस पद पर बना रहे, यह मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष:** धन्यवाद। कैलाश जी मेघवाल।

**श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** प्रभारी मंत्री।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रस्ताव के ऊपर बोला है, इसके बारे में मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं, आप यह कह रहे हैं इसे क्यों लाये, उसके पहले मैं आपको अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि 1978 में लोकायुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष से

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

तीन वर्ष किया गया। उस समय आपकी सरकार थी। उसके बाद 1987 में पांच वर्ष की अवधि कांग्रेस की सरकार ने बढ़ायी।

आप यह कह रहे हैं कि लोकायुक्त का जो कार्यकाल है, वह आठ वर्ष का जब किया तो उसे पांच वर्ष का क्यों किया। यह सरकार का अधिकार है कि वह उसे बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। लोकपाल विधेयक जो केन्द्र सरकार लेकर आयी थी, उसमें भी पांच वर्ष का ही कार्यकाल है। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि पूरे देश में सारी चीजें एक जैसी हों, पूरा देश एक साथ चले तो अधिकांश राज्यों में जब पांच वर्ष की अवधि लोकायुक्त की है तो फिर यहां आठ वर्ष की क्यों?

हम चाहते हैं कि यह संस्था भी आटोनोमस बाडी के रूप में काम करे और किसी भी प्रकार का प्रभाव इस पर न पड़े। देश में एक जैसा ढांचा लोकायुक्त का रहे, इसलिए हम यह ओर्डिनेंस लेकर आये थे। आज इसे विधेयक के रूप में पारित करवा रहे हैं। आपने एक केस का भी जिक्र किया। सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें भी सरकार को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह कार्यकाल की अवधि बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। मैंने आपके सामने उदाहरण रखा कि इसी विधान सभा ने 1978 में लोकायुक्त का कार्यकाल तीन वर्ष का किया, फिर हमने पांच वर्ष का किया।

आपने आठ वर्ष का किया इसके पीछे क्या उद्देश्य था, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह बात जरूर है कि जब देश में लोकपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का है तो लोकायुक्त की संस्था का कार्यकाल पांच वर्ष का ही होना चाहिए और इसीलिए आज का बिल लाया गया है। आपने धारा 6 (1), 9 आदि का उल्लेख किया है, यह भी कोई विचाराधीन मुद्दा नहीं है।

सिर्फ एक इतना-सा मुद्दा है कि लोकायुक्त का कार्यकाल जो 8 वर्ष का था उसको सरकार ने 5 का किया इसलिए जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है, मैं चाहता हूं कि इसको अस्वीकार किया जाए।

अन्य माननीय सदस्यों ने भी कुछ बातें कही हैं। रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का ही समर्थन किया। लोकायुक्त की मशीनरी पर जो व्यय होता है उसके बारे में भी कुछ

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रश्न उठाये गये। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने लोकपाल अधिनियम के बारे में और इसके बारे में कई उपयोगी सुझाव दिये तो मैं ये सुझाव जब कभी आगे इस पर मन्थन होगा तो उस समय आपके सुझावों का उपयोग लिया जाएगा। लेकिन अभी तो प्रश्न केवल इतना सा है कि यह कार्यकाल 8 वर्ष से 5 वर्ष का किया जा रहा है। अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए रखा है उसको अस्वीकार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डश: विचार**

खण्ड-2 श्री जोगेश्वर गर्ग।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक में संशोधन के लिए जो विचार हो रहा है उसमें 5 (1) के (कक) में जो संशोधन किया है उसमें तो सरकार को अधिकार है कि वह कार्यावधि घटाये, बढ़ाये यह कर सकती है और उसमें किसी को कोई प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, सरकार जो चाहे निर्णय कर सकती है। विचाराधीन जो है वह (ककक) है। उसमें जो प्रावधान अभी सरकार कर रही है, पूर्ववर्ती सरकार ने यह कर रखा था कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले तब तक वर्तमान को कार्य करने दिया जाए। इससे राजस्थान की जनता को यह लाभ होता कि हर समय, पूरे

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

समय तक उनके पास लोकायुक्त उपलब्ध रहता और एक दिन खाली नहीं रहता। इसमें संशोधन करके सरकार यह अधिकार लेना चाह रही है कि उसका कार्यकाल तो पूरा हो जाए, वह हट जाए और फिर नया लोकायुक्त जब चाहे तब करे, जब चाहे तब नहीं करे, जितने महीने चाहे उतने चला ले, जितने साल चाहे उतने साल चला ले और अभी भी चार महीने से हमारे राजस्थान में लोकायुक्त नहीं है। यह जो स्थिति पैदा की है इसमें आपकी सरकार की मन्शा पर प्रश्न खड़ा होता है, सरकार की मन्शा पर शक पैदा होता है। यह क्यों करना चाह रहे हैं? क्यों नहीं आप लगातार लोकायुक्त की व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, सहकारी संस्थाओं का उदाहरण हमारे सामने है कि पिछले दो साल से वहां कोई अध्यक्ष नहीं है। उनका कार्यकाल पूरा हो गया, दुबारा चुनाव होना चाहिए पर नहीं हुआ और उसमें हमारी सरकार दोषी है तो आपकी सरकार भी दोषी है, होना चाहिए। ये संस्थाएं खाली नहीं रहनी चाहिए तो फिर लोकायुक्त तो बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, बहुत व्यवस्थित संस्था है, बहुत उपयोगी संस्था है और लगातार उसके पद पर किसी न किसी व्यक्ति का बने रहना बहुत आवश्यक है। उस प्रावधान को हटाने की जो व्यवस्था सरकार कर रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इस संशोधन को इस ढंग से परिभाषित करे, इस भाषा को ऐसे नियोजित करे कि एक दिन भी लोकायुक्त का पद खाली नहीं रहे, मेरा केवल यही निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष:** प्रभारी मंत्री।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इन्होंने प्रस्तुत किया है कि धारा 5 (ककक) को विलोपित किया जाए तो जब इस मूल में यह संशोधन किया जा रहा है कि लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष ही रखा जाए, 5 वर्ष से ज्यादा अवधि तक वह काम कर चुके हैं तो निश्चित रूप से इस संशोधन से आप जो बात बता रहे हो वो इस तरह से सिद्ध हो जाती है कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा रहे। जब हम अमेंडमेंट यह लेकर आ रहे हैं कि उसका कार्यकाल ही 5 वर्ष का हो और वो आलरेडी 5 वर्ष से ज्यादा काम कर चुके हैं इसलिए इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्व में जो माननीय सदस्यों

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

ने लोकायुक्त द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में खान विभाग के जिन अधिकारियों के विरुद्ध टिप्पणी की गई है उन सभी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने चार्जशीट जारी कर दी है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाये जाने पर सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी और यह सरकार भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियम सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

## विधेयक का पारण

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** कटारिया जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, कुछ विषय जो कानूनी खड़े हुए हैं उनमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है कि सदन को कार्यकाल घटाने और बढ़ाने का पूर्ण अधिकार है। इस अधिकार को चुनौती भी दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला उत्तर प्रदेश के उस मुकदमे में यह रहा कि विधायी कार्य में विधान सभा सर्वोपरि है या लोक सभा में कोई चीज पास होती है तो वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसका मतलब यह तो प्रमाणित हो गया कि यह सदन कार्यकाल बढ़ा सकता है, घटा सकता है और इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। विवाद का विषय जो है वह यह है कि इसको जैसे-जैसे आपने समय के अनुसार ठीक समझा, इस कार्यावधि को बढ़ाया, घटाया। 1973 में इसका 5 साल था, 1978 में अपन ने फिर 3 साल किया। उसके बाद फिर 1987 में वापस 5 साल किया और उसके बाद यह 5 साल चल रहा था। समस्या कहां आती है? समस्या आती है कि इसमें जो (कक) जोड़ा गया था वह इस कारण से जोड़ा था कि यह ऐसा पद है जिस पद से इस प्रशासनिक ढांचे में जो अनियमितताएं हैं, जो कमजोरियां हैं उनकी शिकायत अगर होती है तो उसकी जांच का अधिकार लोकायुक्त का है और लोकायुक्त उसकी जांच करके इस प्रशासन को ईमानदारी, स्वस्थ और ठीक ढंग से लाने का प्रयत्न करता है इसीलिए इसकी मांग होती है। अन्ना हजारे ने भी अगर इतना बड़ा आंदोलन किया तो इसी कारण से किया कि जनता को इस प्रशासनिक ढांचे से न्याय मिल सके, इसके लिए इसकी स्थापना की। मैं सोचता हूं कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि आपने 3 कब किया, 5 कब किया, वो कब किया, वो कब नहीं किया। लेकिन तकलीफ यहां है कि इस संस्था को हमने कमजोर करने का प्रयास किया इसके पद को समय पर नहीं भरने के कारण। यहां एक लम्बी फेहरिस्त है कि जब हम लोकपाल या लोकायुक्त को हटा तो देते हैं लेकिन हटाने के बाद नियुक्ति वापस नहीं होती और उसके कारण से वो जो बीच का काल-खण्ड रहता है उसमें यह सारा डिपार्टमेंट डिफंक्ट हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बार नहीं हुआ, यह जो आप कर रहे हो न यह भी उसी लाइन में एक कदम है। हमारा विरोध इस बात के लिए नहीं है कि आपने 8 से 5 क्यों किया, जैसे आप चाहें कर सकते हो, आपको कानूनी अधिकार है, लेकिन समय-समय पर जो पद खाली रहा है उसको भी अपने ध्यान में लाना चाहिए और उसका परिणाम क्या हुआ उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि एम.एल. जोशी साहब जब यहां से गये 1982 में तो वापस लोकायुक्त नियुक्त हुआ था 1984 में 20 महीने के बाद। फिर उसके बाद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

1990 में एम.एल. श्रीमाल गये और 11 दिन के बाद ही घोषणा हो गई, यह ठीक है। उसके बाद पी. डी. कुदाल गये उसके बाद 5 महीने की अवधि में कोई भी लोकायुक्त नहीं रहा। उसके बाद 1993 से 1994 में एम. बी. शर्मा गये उसके बीच में भी आपके साढ़े तीन महीने का गैप था। उसके बाद फिर वी. एस. दवे के समय में भी साढ़े चार महीने का गैप था। फिर, वापस एम.बी. शर्मा के समय भी पौने पांच महीने का गैप था और उसके बाद 2004 से लेकर 2007 तक एम.सी. जैन, जब इस पद से हटे, उसके बीच में दो साल का गैप था और उसके बाद 2012 से 2013 में जी.एल. गुप्ता के समय में भी गैप था। यह जो सारी अवधि है, ये इस बात को बताती है कि हम हटा तो देते हैं, हमारा अधिकार है लेकिन इस पद को खाली करके, हम इस पूरे डिपार्टमैंट को कमजोर करने का काम करते हैं, यह है सबसे बड़ी इसमें दुविधा।

**(15.00 बजे)**

मैं सोचता हूं कि ऐसी क्या आवश्यकता थी आर्डिनेंस लाने की, जब यह हाउस चल ही रहा है, आप विधेयक लाकर पास कराकर अवधि कम कर देते। यहां आकर के आप उसका कार्यकाल समाप्त उसी दिन करना चाहते हैं, तो निर्णय ले सकते थे। आपने मार्च में आर्डिनेंस लाकर के 25 तारीख को उनको 5 साल पूरे हो रहे थे और ये जो लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं, ये हमारे समय के नहीं हैं। मैं उस समय प्रतिपक्ष में था, तब मैं उस मीटिंग में था सदन के नेता की मीटिंग में और उसमें सब लोगों की चोइस में से जो नाम थे, उसमें जो भी बैस्ट नाम हमको लगा, यहां तक की राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उस मीटिंग में थे और उसमें से इनका नाम सलैक्ट किया। उनकी काबिलियत और उनकी योग्यता के आधार पर आपके राज में किया था। हमने तो उनके काम को देखकर, उनके काम को पसंद करके, इसको आगे बढ़ाने का काम किया और हमारे अधिकार में था। हमने 5 से 8 किया तो कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं किया। अभी जो आप भाषण दे रहे हो कि हमने उनकी रिपोर्ट के आधार पर इस पर कार्यवाही कर दी, इसकी कार्यवाही कर दी, किसकी कार्यवाही की? उस लोकायुक्त रिपोर्ट की या नहीं की थी। रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक चीज थी क्या? उसने जो काम किया है। मैं सोचता हूं, मैं व्यक्ति के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं संस्था के पक्ष में जरूर हूं। मैं इस संस्था के पक्ष में जरूर हूं कि आखिर ये संस्था, इतना जो इसको काम देते हैं। इस काम के 2001 से लेकर के 2013 तक के मेरे पास आंकड़े हैं। इन सारे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सालों में जितने मुकदमे या जितने केस इनके पास आए, 2001 से लेकर 2013 तक लगभग 12 वर्ष में 15180 केस का निस्तारण इसमें से हुआ और इनके पास जो कार्यकाल रहा 5 साल भी पूरे नहीं हुए। उसमें इन्होंने 28595 केसों का निस्तारण किया। इसका मतलब ये कि काम किया। इनकी काम की गुणवत्ता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर और विशेषकर के खान घोटाला काण्ड जो हुआ, इसकी रिपोर्ट आपने उसको दी थी। उसमें भी उसने उस सारे केस का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट आपके पास सुपुर्द कर दी और उसी के आधार पर आप कह रहे हो कि हमने ये कार्यवाही की, तो की। उसी के आधार पर तो वास्तव में काम के आधार पर हमने बढ़ाया। एक सैकण्ड मैं आपसे कहना चाहता हूं इस आर्डिनेंस को जब आप लाए तो इस आर्डिनेंस में कम से कम आप ये तो डाल देते कि जब तक नया नियुक्त नहीं हो, तब तक ये काम करता रहे। यहां आपकी बदनीयति झलकती है कि आदमी को बिजली के बटन की तरह से दबाया और हटाया, ये बदनीयति को प्रकट करती है। उसके काम को एप्रीशिएट नहीं करती है। मैं सोचता हूं आज.....

**श्री अध्यक्ष:** मदन जी, मदन जी, नहीं, बैठो प्लीज।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आपको इस आर्डिनेंस लाने की ऐसी आफत ही थी, एकदम लगा कि कोई जादू हो रहा है, बड़ा तूफान हो रहा है तो उस आर्डिनेंस को लाने के पीछे अगर आपका कोई मंतव्य था तो कोई दूसरा तो नियुक्त करते। आज की तारीख में भी 4 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई लोकायुक्त नियुक्त हुआ है क्या? अगर आपको फुर्सत होती आर्डिनेंस लाने के बाद भी ये जो तीन लोगों की कमेटी है। उस कमेटी में आप तय कर लेते किसी व्यक्ति को इसका चार्ज दे देते तो भी चलता। एक और बड़ा रोचक इसमें सारे के सारे आंकड़े जिस प्रकार से हैं कि आप कब किसको लगा देते हैं, जब आपकी इच्छा हो, जिसको लगा दो। हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कम से कम इस पद को खाली मत रखो। पहले भी ऐसा हुआ कि जब कभी लोकायुक्त की नियुक्ति विधिवत नहीं हुई तो हमने टैम्परेरी चार्ज भी दिया है। आपने देखा होगा पूर्व न्यायाधीश डी.बी. गुप्ता जी को हमने चार्ज दिया था 1978 से लेकर 1979 तक, इसी तरह से हमने न्यायमूर्ति के.एल. सिन्धू को भी चार्ज दिया था। उस समय के बीच के समय में लगभग 1984 से लेकर 1985 तक, इसी तरह से हमने माननीय न्यायमूर्ति महेन्द्र भूषण शर्मा को भी चार्ज दिया था, वो हमने 10.08.1990 से लेकर 30.09.1993 तक तीन साल तक का भी चार्ज दिया, बिना विधिवत नियुक्ति के भी, लेकिन काम कम से कम सफर नहीं किया। उसी प्रकार से विनोद शंकर दवे को भी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हमने चार्ज देकर के इस पद को कम से कम भरा रखा। आपने इस पद को खाली कर दिया, आपने अधिकार की बात कर ली, लेकिन इसकी जगह अगर किसी को नियुक्त कर देते या चार्ज ही दे देते। मान लो अगर नियुक्ति होने में देरी हो रही है कोई बात नहीं। जो भी चीफ जस्टिस या जिसको आप उचित समझते, अगर उसको भी चार्ज दे देते, तब भी हम यह मानते कि आपकी मंशा ठीक है। इससे तो यह लगता है कि आप प्रिजुडिस होकर के, किसी न किसी बात से दुःखी होकर के जिस प्रकार का फैसला किया और लगभग इस डिपार्टमेंट में आज की तारीख में सौ सवा सौ कर्मचारी हैं। सौ सवा सौ कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। चार महीने की तनख्वाह भी ले रहे हैं और आगे कितने दिन लेंगे। हमारी ड्यूटी होती है जनता के प्रतिनिधि के नाते, आपकी इस बात को उजागर करने के लिए कि आपने ये जो लोकायुक्त का पद खाली किया ये किसी तर्क या वितर्क से ही अपनी मनमर्जी से, उस व्यक्ति को दण्डित किस कारण से किया। ये तो आपकी जो इच्छा है करिए, लेकिन ये बात तो प्रमाणित है कि उसने इस पांच साल के पीरियड में जिस प्रकार से काम करके दिया, नियुक्ति अवधि हमने बढ़ाई और वापस आपने उड़ाने का काम भी किया तो ये सब की सब आपकी नीयत को राजस्थान की जनता समझ रही है। अगर इसकी जगह कोई दूसरा नियुक्त हो जाता और यह पद खाली नहीं रहता तब भी लगता कि आपका इस संस्था के प्रति किसी प्रकार का स्नेह या इसके प्रति कोई लगाव है। मुझे लगता है कि इसका दुरुपयोग करने के लिए आपने ये तलवार जो लटकाई है न, ये इस डिपार्टमेंट को कमजोर करेगी। इस बड़ी संस्था को एक तरह से कमजोर करने का रास्ता बनेगा।

इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं जिद में मत रहिये, आज अगर ये खतम हो रहा है कल आप किसी न किसी को चार्ज तो दे दीजिए, कम से कम कोई तो इस काम को देखे, कोई तो 120 लोगों की इस मैन पावर का उपयोग करे, इतनी ही बात है।

**श्री अध्यक्ष:** प्रभारी मंत्रीजी।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, भाषाविज्ञ हैं और बहुत लच्छेदार अभी भाषण दिया, लेकिन मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो लोकायुक्त का पद है ये 604 दिन, 20 महीने तो आनरेबल मिस्टर जस्टिस एम.एल. जोशी साहब के बाद में 11 दिन जस्टिस एम.एल. श्रीमाल के बाद में, 5 महीने जस्टिस पी.डी. खुदाल के वक्त में और उसके बाद एम.डी. शर्मा के वक्त में

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

साढ़े तीन महीने, आनरेबल जस्टिस वी.एस. दवे साढ़े चार महीने, जस्टिस एम.बी. शर्मा के वक्त में करीब पौने पांच महीने और आनरेबल जस्टिस एम.सी. जैन का इन्होंने बता ही दिया, जी.एल. गुप्ता साहब के बाद 11 महीने तक ये पद रिक्त रहा है समय-समय पर।

अभी अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कोड आफ कंडक्ट लग गया, उसके कारण लगभग 3 महीने तक हम यह आदेश, निर्देश या नीतिगत फैसले नहीं ले सकते थे और जहां तक इनका यह कहना कि लोकायुक्त महोदय को आपने हटा दिया, आपने एक तरफ तो यह कहा कि आप जिस कमेटी में मौजूद थे और हमारी सरकार थी, तब लोकायुक्त को यहां पर नियुक्त किया गया, तो हम यह नहीं चाहते कि हमारे ऊपर आरोप लगे कि हमने अपने लोकायुक्त को फिर आठ साल तक रख लिया। मतलब क्या जोधपुर के थे, इसलिए जोधपुर के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनको रख लिया। हम चाहते हैं कि हम केन्द्र में लोकपाल का विधेयक जो पांच साल के लिए आया था। अधिकांश राज्यों में आज भी आप उठाकर के देख लें पांच वर्ष का ही कार्यकाल है और पांच वर्ष का टर्म, उनको कोई 20 में नहीं हटाया है। उनको कहीं कोई एक भी दिन उनका कम नहीं किया है। केवल मात्र एक सिमिलरिटीं कायम रखने के लिए हम लेकर आए हैं। जहां तक प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो बातें बताईं केन्द्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है। साढ़े चार साल तक आपने क्या किया, साढ़े चार साल बाद वहां पर लोकपाल का विधेयक आया, गुजरात में क्या स्थिति है? कुल मिलाकर के अपने सीने में झांककर देखना चाहिए कि वह क्या-क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जहां तक हमारी कोई बदनीयति नहीं है। हम चाहते हैं कि लोकायुक्त की संस्था को हम मजबूत करें, लोकायुक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करें और इसके साथ-साथ हमारे को किसी को दंडित करने का कोई मामला नहीं है। आप स्वयं कह रहे हैं कि हमने ही उनको बनाया।

और सरकार को पूरा अधिकार है, आप स्वयं इस बात से सहमत हैं कि वो कार्यकाल बढ़ाये या घटाये तो इसलिए बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है पांच साल का कार्यकाल लोकपाल का है और पांच साल ही लोकायुक्त का कार्यकाल हो इसलिए मेहरबानी करके सब इसको पारित करें, ताकि लोकायुक्त संस्था को और मजबूत करने के लिए जो आपके उपयोगी सुझाव होंगे उनको हम समय पर विचार करेंगें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): वी वांट डिवीजन। वी वांट डिवीजन। अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष:** राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार। माननीय बुलाकी दास जी कल्ला प्रस्ताव करेंगे।

# विभिन्न विषयों पर विचार

## राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्यों से निवेदन है कि गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बोलने वाले सदस्य बहुत ज्यादा हैं, कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें जिससे ज्यादा से ज्यादा सदस्य अपनी बात कह सकें। सबसे पहले श्री मदन दिलावर जी।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, गम्भीर विषय पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं जल ही जीवन है यानी जल नहीं है तो जीवन नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं पूर्व मुख्य मंत्रीजी श्रीमती वसुन्धरा राजे जी को जिन्होंने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के माध्यम से राजस्थान का जलस्तर बढ़ाने का काम किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी सभी घरों में नल से जल पहुंचाने की बात की है। यह भी हम सबके लिए अच्छी बात है। आप और हम सब जानते हैं देश में पिछले सालों में लगभग 4500 नदियां और बीस लाख तालाब गायब हो गये यानी सूख चुके हैं। आगे दस सालों में पीने का पानी हम सब लोगों को मुश्किल से मिल पायेगा। राजस्थान में भी लगभग बीस प्रतिशत स्थानों में चालीस मीटर तक जलस्तर नीचे चला गया। हम राजस्थान के शहरी क्षेत्र की बात करें तो मेरी मोटी-मोटी जानकारी के अनुसार 772 तालाब-बावड़ियां हैं उनमें से 443 में पानी नहीं है। यानी सूखे पड़े हुए हैं।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि नदियों में पानी रहे, कुएं-बावड़ियों में पानी आये इसलिए जो इनके आवक के स्थान हैं उन पर अतिक्रमण हो गया है उनको बंद कर दिया गया है उनको हम सख्ती के साथ खोलें तो जो वर्षा का जल है उनमें जाएं और वापस भूजल का स्तर बढ़े यानी रिचार्ज हो इसलिए आवश्यक हो गया है हम सब लोगों को सख्ती से कार्यवाही करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी का संकट चारों ओर है। पानी जहां है वहां भी संकट है हमारा प्रबंधन ठीक नहीं होने के कारण से।

## व्यवस्था का प्रश्न

### सत्रकाल में नीतिगत निर्णयों की जानकारी सर्वप्रथम सदन में दी जानी चाहिए

**श्री अध्यक्ष:** मदन जी, एक मिनट विराज जाएं।

माननीय सदस्य ने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया उसके संबंध में मेरा निर्णय है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है और उन्होंने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है उसको मैं रिजेक्ट करता हूं।

श्री मदन दिलावर।

## विभिन्न विषयों पर विचार

### राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि हमारा प्रबंधन ठीक नहीं होने के कारण से लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वर्षो पुरानी पाइप लाइन बदली नहीं जा रही है और हमारे कार्य की पद्धति भी नहीं बदली जा रही है और इसके कारण से हम देख रहे हैं कि गांवों में अधिकांश लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इसके कारण से लोग बहुत परेशान हैं। कई जगह झगड़े होते हैं। कई जगह फसाद होते हैं और उसके कारण से बहुत सारे लोगों को परेशानियां पैदा हो रही हैं। जैसा मैंने कहा कि रिचार्ज बढ़ाने की आवश्यकता है तो इसके लिए आप सब लोग जानते हैं कि रिचार्ज बढ़ाने के लिए हमको जो हमारी छोटी-छोटी नदियां हैं, छोटे-छोटे नाले हैं उन पर एनिकट बनाना पड़ेगा। उनके ऊपर छोटे-छोटे बांध बनाने पड़ेंगे, ताकि उनका पानी रुके और रिचार्ज हो सके और उसके कारण से जलस्तर बढ़े तो हमारे हैण्डपम्प्स, ट्यूबवैल स्वत: ही पानी देने लग जायें क्योंकि हम देख रहे हैं जैसा मैंने कहा कि चालीस मीटर तक जलस्तर नीचे चला गया है तो हम हैण्डपम्प पानी देने में असमर्थ हो गये हैं क्योंकि वो तीन सौ फीट से नीचे पानी आसानी से हमको नहीं दे पाते हैं। जब पानी का संकट होता है और जब

(श्री मदन दिलावर)

टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जाता है लोगों को तो हम कहते हैं कि एक आदमी को दस लीटर पानी उपलब्ध कराया जाए। दस लीटर पानी में कैसे काम चला सकता है यह हमको देखना चाहिए। जो अधिकारी हैं, जो सरकार है, जो यहां बैठे हुए

**(15.13 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

माननीय सदस्य हैं वो अपने- आप पर उसको उतार कर देखें कि क्या दस लीटर पानी में वो अपना एक दिन गुजार सकते हैं क्या। यह सम्भव नहीं है। पहले हो सकता होगा। पहले हमारे शौचालय भी नहीं हुआ करते थे और पहले हम देखते हैं कि बरतन भी साफ हम राख से किया करते थे। आजकल तो साबुन आ गये, विम आ गये और उससे पानी से धो-धोकर हम बरतन भी साफ करते हैं उसके कारण से बहुत सारा पानी हमारा वेस्ट चला जाता है। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि जो उपलब्ध पानी है उसका हम मैक्सिमम सदुपयोग कैसे करें, प्रबंधन ठीक कैसे करें इस पर हमको चिन्ता करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि बहुत सारी नदियां सूख गई हैं। मैं रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारी ताकली नदी सूखने के कगार पर है, पाटली नदी है वह सूखने के कगार पर है क्योंकि उसमें कोटा स्टोन का मलबा डाला जा रहा है और उसके कारण से वह लगभग बंद सी हो गई है। हाउ नदी जो सुकेत को पानी देती है और उसके कारण से सुकेत को पानी मिलता है वो भी गर्मी के दिनों में पानी देना बंद कर देती है और सुकेत के लोग बहुत परेशान रहते हैं। वहां 17 करोड़ रुपये की एक योजना है उस योजना को भी हमारे अधिकारी दबा कर बैठे हैं। उसकी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं और उस क्षेत्र के लोग पानी के मारे त्राहिमाम हैं, परेशान हैं, लेकिन अधिकारियों को पता नहीं क्या है कि बार-बार उसको पकड़कर बैठे रहते हैं। उसको स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा सरकार से निवेदन है कि जो सुकेत की योजना है उसको तुरन्त स्वीकृति दी जाये, ताकि वहां के लोगों को पीने का शुद्ध और पर्याप्त पानी मिल सके। यही नहीं माननीय सभापति महोदय, कोटा शहर का आवली रोजड़ी क्षेत्र है वह यह सच है कि वन विभाग की जगह पर बसा हुआ है लेकिन पानी पीने का अधिकार तो सबको है। पानी देने की चिन्ता हमको भी करनी चाहिए। वहां के अधिकारी कहते हैं कि वन की सीमा में बसा हुआ है इसलिए यहां न तो ट्यूबवैल खोदने देंगे, न हैंडपंप खोदने देंगे, न पानी की योजना बनाएंगे। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है क्योंकि मेरे को जब अभी यहां माननीय वन मंत्रीजी ने जवाब दिया था तो

(श्री मदन दिलावर)

उन्होंने यह कहा था कि वन सीमा में भी हम मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं। हमें पानी, बिजली और सड़क की सुविधाएं देनी पड़ेगी। लोगों को उससे वंचित नहीं रख सकते। जब यह सरकार यहां हां करती है तो फिर वहां वन विभाग के अधिकारी एनओसी क्यों नहीं देते हैं? और एनओसी नहीं देते हैं तो उनको पानी नहीं मिलता है तो सरकार यहां क्या कहती है और वहां फील्ड में जाकर के सरकार अधिकारियों से क्या करवाती है। यह ठीक नहीं है। मेरी मांग है कि कोटा का आवली रोजड़ी जो इलाका है उसको भी पर्याप्त शुद्ध पानी उपलब्ध हो इसलिए वन विभाग उसको एनओसी दे। यह मेरा निवेदन रहेगा।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): हां, मैं समाप्त कर रहा हूं। कुछ मिनट में समाप्त कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, 55 माननीय सदस्यों को बोलना है यदि आप मर्यादा और समय सीमा में नहीं बोलेंगे तो मुश्किल है कि इस पर आगे कोई चर्चा की जा सके। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपसे भी आग्रह करूंगा कि 55 माननीय सदस्यों को बोलने के लिए यदि मैं पांच-पांच मिनट भी दूंगा तो कितना टाइम लगेगा। सहयोग करें। प्लीज।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, पानी का जो टीडीएस होता है, 1500 टीडीएस का पानी हानिकारक होता है। वह पानी पीने योग्य नहीं होता है। 600 या 600 से कम टीडीएस के पानी को हम पी सकते हैं यानी 300 से 600 टीडीएस का पानी पीने योग्य होता है और इससे नीचे का भी पानी पीने योग्य नहीं होता है। यानी अशुद्ध पानी हो गया है। अशुद्धियां उसमें घुल गई हैं। जैसा खेती में भी हम जब पेस्टीसाइड और यूरिया उपयोग करते हैं तो वह परकुलेट होकर के नीचे धरती में जाता है उसके कारण से हमारा पानी अशुद्ध होता जा रहा है। हम बहुत सारे कामों में पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कितने पशु इस देश में काटे जा रहे हैं। उनकी संख्या अनगिनत हैं।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, एक पशु को काटने में 500 लीटर पानी बेकार जाता है। छोटा पशु काटते हैं तो 500 लीटर पानी बेकार जाता है। बड़ा पशु काटने पर 1000 लीटर ...

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र बुड़ानिया।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): मैं एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

**श्री सभापति:** आप विषय से इतर हो रहे हैं, एक मिनट में ही।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): हां। बड़ा पशु काटने पर 1000 लीटर पानी वेस्ट होता है।

**श्री सभापति:** आप पीने के पानी की बात रखिए, आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): हम देख रहे हैं दशहरे के दिन बकरे काटे जाते हैं। ईद के दिन तो अनाप शनाप सरेआम बकरे, भैंसे ....

**श्री सभापति:** अंकित नहीं होगा।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री सभापति:** हो गया आपका, श्री नरेन्द्र बुड़ानिया।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री सभापति:** विराजिए, विराजिए।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री सभापति:** विराजिए, सहयोग कीजिए। माननीय सदस्य, समय सीमा का ध्यान रखेंगे। आपको मैंने बता दिया कि 55 माननीय सदस्यों को बोलना है, आप सब लोग सहयोग करें।

**श्री नरेन्द्र बुडानिया** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। हमारे नीति आयोग ने अभी एक जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट झेल रहा है और नीति आयोग ने यह कहा है कि भारत में 60 करोड़ लोग पीने के पानी से जूझ रहे हैं और भारत के 70 प्रतिशत घर ऐसे हैं जहां पीने योग्य पानी नहीं मिलता है। महोदय, जल प्रबंधन की कोई ठोस नीति नहीं है, ठोस नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। मैं राजस्थान की जल प्रबंधन नीति को भी संतोषजनक नहीं मानता। आज राजस्थान जल प्रबंधन में भारत में दसवें नंबर पर है। इस दिशा में आज हम सबको सोचना होगा। महोदय, मैं सहमत हूं हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि आज पानी का स्तर नीचे जा रहा है। हमको इस पर चिंता करनी पड़ेगी और रीचार्ज कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन ने राजस्थान को पिछले साल 587 करोड़ रुपये दिये और राजस्थान ने वह खर्च भी कर दिये। महोदय, बहुत हैरानी की बात है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी राजस्थान में कहीं

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

धरातल पर नजर नहीं आता है। पिछले वर्ष 15 अप्रैल को केन्द्रीय पेयजल मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि राजस्थान ज्यादा दूषित पानी पीने वाला प्रदेश है। उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे 6153 गांव फ्लोराइड प्रभावित हैं। नाइट्रोजन प्रभावित 1074 हैं और लवण प्रभावित हैं 12656, मैं समझता हूं कि राजस्थान में आधे से ज्यादा जिले दूषित पानी पी रहे हैं। मेरे पास पूरी जानकारी है कि किस जिले में कितने गांव आज दूषित पानी पी रहे हैं। मुझे समय शायद कम मिलेगा इसलिए मैं ज्यादा बात इसके बारे में नहीं कहना चाहता।

महोदय, मैं इस बात के लिये चिंतित जरूर हूं कि आगे जो स्थिति पैदा होने वाली है, इस स्थिति को कैसे रोका जाये। आज पानी वाद विवाद का विषय नहीं होना चाहिये। आज हम सबको मिल बैठकर यह सोचना होगा कि जो हमारे देश में, प्रदेश में संकट आने वाला है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। महोदय, इसके लिये जन जागरण करना पड़ेगा। जन जागरण ही इसका सबसे बड़ा हल है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। महोदय, आज प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, नदियों में खनन हो रहा है, नदियां सूख रही हैं। आज इन सब चीजों के लिये हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा और वाटर हार्वेस्टिंग के लिये सख्त कानून बनाना पड़ेगा। यदि हमने सख्त कानून नहीं बनाया तो आने वाला समय हमारे लिये बहुत खतरनाक होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को, जो पिछली सरकार में उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के लिये कानून बनाया और रीचार्ज ज्यादा हो सके इसके लिये कदम उठाये, वह धन्यवाद के पात्र हैं और आज मैं उनसे फिर उम्मीद करता हूं कि आज वह इस दिशा में सोचेंगे। सभापति महोदय, आज पुरानी पद्धति को अपनाना पड़ेगा। आज तालाब, कुंड, बावड़ी, इन सबको वापस सिरे से देखना पड़ेगा। आज जितने भी तालाब हैं उन सब पर एनक्रोचमेंट हो गया। किसी में पानी नहीं आता, यह चिंता का विषय है, इस पर सोचना होगा। महोदय, हमें सिंचाई की पद्धति को बदलना होगा। आज नर्मदा नदी में जिस प्रकार से बूंद-बूंद पानी व फव्वारा पद्धति का प्रयोग किया गया है, वैसा ही प्रयोग करके हमें हमारे राजस्थान की आईएनजीपी से इस पद्धति को जोड़ना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं।

महोदय, मैं तारानगर विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं। इस विधान सभा क्षेत्र में 179 गांव है। तारानगर के 112, राजगढ़ के 49 और सरदारशहर के 19 गांव हैं। यह सारे गांव आपणी योजना के प्रथम फेज

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

से जुड़े हुए हैं। महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी गांव में पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। गांवों में इसकी भारी समस्या बनी हुई है। आज पर्याप्त पानी क्यों नहीं मिल रहा है, इसके भी कई कारण हैं जिनका हमें समाधान करना होगा। महोदय, यह योजना इन गांवों के लिये जिस समय बनी थी उस वक्त 2012 तक के लिये पानी डिजाइन हुआ, आज 2019 है। महोदय, कितनी आबादी बढ़ी है, कितना पशुधन बढ़ा है। आज इस दिशा में पानी की खपत ज्यादा हुई है इसलिए आज हमें इस पर सोचना होगा कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आज मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान में पीएचईडी में जिस प्रकार की लापरवाहियां हुई हैं, जो घटिया क्वालिटी के पाइप खरीदे गये हैं, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पांच साल में कितने पाइप खरीदे गये, उसकी आप जांच कराएं तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

महोदय, आज हमारे तारानगर विधान सभा क्षेत्र में गंधीली से साहवा तक नहर बनी हुई है, वह खुली नहर है और खुली नहर में पानी की छीजत होती है, चोरी होता है, पूरा पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां डीआई पाइप लाइन डालकर उसको ठीक किया जाये ताकि लोगों तक पानी पहुंच सके। महोदय, तानारागर विधान सभा क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये जो आरडब्ल्यूआर बने हुए हैं, जो फिल्टर प्लांट बने हुए हैं .....

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री नरेन्द्र बुडानिया** (तारानगर): एक मिनट और। वह बहुत सफिशिएंट नहीं हैं। कर्मसाना में 168 एमएलडी का आरडब्ल्यूआर बना हुआ है। कर्मसाना में 60 एमएलडी का फिल्टर प्लांट बना हुआ है। साहवा में 27 एमएलडी का प्लांट बना हुआ है। महोदय, इनको बढ़ाने की आवश्यकता है, इनको बढ़ाएगे तभी हम पानी दे सकते हैं।

महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में और मैं राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी गया हूं, वहां भी मैंने देखा है कि आप एक जलाशय से 15-20 गांवों को जोड़े हुए हैं। यदि आप एक जलाशय से यह उम्मीद करते हैं कि 15-20 गांवों में पानी की पूर्ति हो जायेगी, यह असम्भव

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नई डिजाइन देखनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री नरेन्द्र बुडानिया** (तारानगर): महोदय, मेरे इस विधान सभा क्षेत्र से प्रस्ताव आये हुए हैं जो 3000 से 4000 आबादी के जो गांव हैं, उनके लिये योजनाएं बनी हुई हैं। मैं बोलना चाहता हूं रैयाटुण्डा, बोघेरा, रातुसर, चंगोई और सारायण, जहां पर पीने के पानी की भारी समस्या है। यहां पर जलाशय बनाया जाये, सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है। महोदय, 4000 से अधिक आबादी वाले भी प्रस्ताव हैं, जिनके नाम बोलना चाहता हूं। साहवा, पुनसीसर, बांय, शिमला, जहां 4000 से ऊपर आबादी है, पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आज वहां भी जलाशय बनने बहुत जरूरी हैं।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री नरेन्द्र बुडानिया** (तारानगर): महोदय, इसी प्रकार आज वर्तमान में... एक पानी टंकी से गांवों को जोड़ने के लिए एक स्कीम राजस्थान सरकार को भेजी गयी है। मोर्थल, करणपुरा, कांजन, जोरजी, डाबरी, इनको जोड़ा जाए।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य। श्री रामप्रताप कासनियां।

**श्री नरेन्द्र बुडानिया** (तारानगर): महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि तारानगर विधान सभा क्षेत्र तीन तहसीलों से मिलकर बना है।

**श्री सभापति:** विराजिये।

**श्री नरेन्द्र बुडानिया** (तारानगर): पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज आजादी के 70 साल बाद भी पानी नहीं पी पाएंगे तो मैं समझता हूं यह हमारे लिये बहुत दुर्भाग्य की बात है। महोदय, सरदारशहर तहसील के गांव, जैतसीसर, बोगेरा, बंरजागसर। यहां पीने के पानी की भारी कमी है।

**श्री सभापति:** विराजिये माननीय सदस्य। श्री रामप्रताप कासनियां।

**श्री नरेन्द्र बुडानिया** (तारानगर): महोदय, ज्यादा नहीं बोलकर इतनी बात कहना चाहता हूं कि मैंने सभी माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है कि पीने के पानी की भारी समस्या है जो हमारे देश में है, इसका सही समय पर हम समाधान कर सकें। इसके लिए जन जागरण की जरूरत है। पेड़ लगाने की जरूरत है।

**श्री सभापति:** विराजिये माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। श्री रामप्रताप कासनियां।

**श्री नरेन्द्र बुडानिया** (तारानगर): 000

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): सभापति महोदय, पेयजल बहुत ही विकराल समस्या है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कोई बदले की भावना से या कोई पार्टी के हिसाब से आलोचना कर रहा हूं, यह मत मानना, प्रैक्टिकली चीज है, वह निवेदन कर रहा हूं। पिछले छह महीने से लगातार बिजली के कट लग रहे हैं। जिसके कारण गांवों में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, छोटी-छोटी बात है। विभाग द्वारा मानिटरिंग नहीं होने के कारण, सार-संभाल नहीं होने के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण देकर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी स्कीम हैं, करोड़-अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद भी कहीं अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच रहा है, कहीं हाई लेवल पर पानी नहीं पहुंच रहा है, उसका कारण अवैध कनेक्शन हैं। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि अमुक गांव में, अमुक बस्ती में पानी नहीं जाने का क्या कारण है? रास्ते के अंदर पांच-पांच, छह-छह, दस-दस किलोमीटर पाइप लाइन डालकर गांवों में पानी दिया जाता है। रास्ते में कोई पाइप तोड़कर अवैध कनेक्शन कर ले, कोई ढाणी, मजरे वाला, तो कोई पूछने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, कर्मचारियों की बहुत ही ज्यादा कमी है और मौके पर पी.एच.ई.डी. विभाग के जो कर्मचारी लगे हुए हैं। उनकी हालत ही खराब है। वे खुद काम पर नहीं जाते, सात-आठ हजार रुपये में अपनी जगह पर आदमी रख रखे हैं। यह हकीकत है और इतना नहीं, सभापति महोदय, अगर किसी एक्स.ई.एन., एस.ई., ए.ई.एन. को कहें कि ये काम नहीं करते हैं तो कह दिया जाता है कि इनकी यूनियन है। हद हो गयी, यह किसी की यूनियन है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पी.एच.ई.डी. विभाग..। कोई आपका दोष नहीं है। जब से पी.एच.ई.डी. विभाग ने पानी देना शुरू किया है, लोग पंगु हो गये। इस राजस्थान के अंदर चार-चार, पांच-पांच साल लगातार लोग अकाल की मार झेलते थे, उस समय भी लोग पानी पीते थे। पानी के प्रबंध थे। अब लोग इतने पंगु हो गये कि एक दिन पानी नहीं आये तो सारे लोग प्यासे मर जाएं, यह हालत है। बहुत तालाब, डिग्गियां, बावड़ी, गांवों और खेतों में जगह-जगह पानी के सोर्स थे। सब बर्बाद कर दिए।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इतना-सा सुधार कर लें कि मौके पर जो स्कीम बनी हुई है, उसके लिए आप किसी अधिकारी को कहकर अवैध कनेक्शन कटाएं और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को पानी उपलब्ध करवाएं, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं।

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): सभापति महोदय, अभी तो शुरूआत ही है।

**श्री सभापति:** आप बाहर जाकर पानी पीजिए और समाप्त करिए।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): समाप्त ही है। सभापति महोदय, मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो राजस्थान कैनाल नहर है, यह जीवनदायिनी कही जाती थी और आज मैं इसका नाम मरणदायिनी ले लूं तो कोई बुरी बात नहीं होगी। इस नहर के अंदर जहरीला पानी पंजाब से सतलज और व्यास नदी में डालकर लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। यह बात वर्षों से उठायी जा रही है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब लोग जाग्रत होने लग गये हैं। अगर समय रहते हुए समस्या का समाधान नहीं किया तो आप और हम सबको भुगतना पड़ेगा। इसमें केन्द्र सरकार की भी सहायता लेनी पड़ेगी। पंजाब से भी बात करनी पड़ेगी। तब जाकर यह जहरीला पानी रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं रूकेगा तो लोग मरते जाएंगे। अभी कैंसर के बहुत ज्यादा मरीज हो गये हैं। राजस्थान कैनाल का पानी कम-से-कम 15 जिलों में जा रहा है और आगे भी देने की व्यवस्था है। इस पर सरकार समय रहते हुए ध्यान दे, नहीं तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा।

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मेरो तो कालजो ही इयां इयां धड़क-धड़क करबो करे है। बोल्यों ही न जावे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करें क्योंकि प्रैक्टिकली ज्ञान अधिकारियों को नहीं है, कर्मचारियों को नहीं है। छोटी-सी बात है। आप डिमांस्ट्रेशन के तौर किसी अधिकारी की ड्यूटी लगाएं, 10 स्कीम में जो कमियां हैं, बिना कोई खर्च के, बिना किसी लागत के, उसका समाधान करके में दिखाऊंगा। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे।

**श्री सभापति:** आप मंत्री महोदय से मिलना।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं...

**श्री सभापति:** माननीय संयम लोढ़ा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं।

**श्री सभापति:** मैं आप पर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगा, यदि आप समय की सीमा का ध्यान रखेंगे तो।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मेरा सिरोही जिला पानी के लिहाज से लगातार गम्भीर कठिनाइयों का समाना करता रहा है। जब किसी राजनीतिक दल ने और राजनीतिक नेतृत्व ने पानी को लेकर कोई सपना दिखाया तो इस जिले के लोग हमेशा बहुत तेजी से आकर्षित हुए कि इनके माध्यम से ही हमारे आने वाले भविष्य को एक नयी शुद्धता, नयी सफलता, नए आयाम दिये जा सकते हैं। पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने हमारे सिरोही जिले के लोगों को सपना दिखाया कि मैं नर्मदा का पानी आपके जिले को पिलाऊंगी। जिस-जिस इलाके से मैं होकर आयी हूं लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि नर्मदा का पानी आपके घर-घर में पहुंचाऊंगी, आपके खेत-खेत में पहुंचाऊंगी।

माननीय सभापति महोदय, लोगों ने भरोसा किया और मौका दिया। वह भरोसा उस समय टूट गया जब उन्हीं की जल संसाधन मंत्री ने जिला कलेक्टर की सभा में यह कह दिया कि हम यह पानी नहीं पहुंचा सकते। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी और सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा, 1966 के अन्तरराज्यीय जल समझौते पर। गुजरात और राजस्थान के बीच में यह समझौता हुआ कि नर्मदा का पानी जब गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच जाएगा तो माही-व्यास का जो बचा हुआ पानी है, वह जालौर, सिरोही, बाड़मेर इन जिलों को प्राप्त होगा। नर्मदा का पानी खेड़ा जिले में पहुंच गया। यह पिछली सरकार तो लगातार इस बात को लेकर के हिचकिचाती रही कि नरेन्द्र मोदी से कौन मांगे? चिट्ठियां लिखते रहे। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने बार-बार पत्र लिखे कि 50 साल पुराने उस अन्तरराज्यीय समझौते को क्रियान्वित करें।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): एक भी नहीं लिखा।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, यह क्या परम्परा है? आप विराजिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने समय-समय पर उस अन्तरराज्यीय समझौते की क्रियान्विति के लिए जो गुजरात की सरकार को पत्र लिखें हैं, उन पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें जिससे इनको जानकारी हो सके और इनका ज्ञानवर्द्धन हो सके। मैंने स्वयं ने, इनकी सरकार के जो शुरुआत में जल संसाधन मंत्री थे डाक्टर रामप्रताप उनको फोन करके कहा था कि राजस्थान के प्रिंसिपल सैक्रेटरी और गुजरात के प्रिंसिपल सैक्रेटरी की आप इस पर बैठक कराएं। इस समझौते की क्रियान्विति से सिरोही, जालौर, बाड़मेर इन सभी जिलों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यदि वह पानी नहीं मिलता है आने वाले समय में, अब तो और बेहतर बात है कि जोधपुर के सांसद को जल शक्ति मंत्रालय सौंप दिया तो मैं समझता हूं कि राजस्थान को और ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** विराजिए। आप बोलिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेतृत्व इस बात पर पूरी तरह विफल हो गया कि अब नर्मदा के झांसे में सिरोही की जनता आने वाली नहीं है तो जब मैं एमएलए था 2003 से 2008 में जो मैंने सर्वे कराया था, बत्तीसा नाला का, ये वह लेकर के आ गए कि बत्तीसा नाले के जरिये हम पानी देंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** जिस सदस्य का नाम पुकारा गया है, उसी का अंकित होगा। बीच में इंटरवीन करने वालों का अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, जिन प्रिंसिपल सैक्रेटरी, वह आज दुनिया में नहीं है- एस.एन. थानवी साहब, सिरोही के सर्किट हाउस में जब वह जा रहे थे भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए, राजस्थान की सरकार, आपकी सरकार की ओर से नियुक्त किये हुये थे, तब मैंने उनसे विनती की कि आप पांच लाख रुपए हमें सर्वे के लिए मंजूर करें। मैं आज उनका भी इस पवित्र सदन में शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत उदार हृदय के साथ पांच लाख रुपए उस वक्त स्वीकृत किए। उसी वक्त, उसी वजह से वह पहला सर्वे हुआ और इस सपने को दिखाया और पूरे पांच साल निकाल दिए। वह बत्तीसा नाला जिसका पानी लाने का सपना दिखाया था, आज पांच साल हो गये, उसके बांध बनाने की योजना भी अभी बहुत प्राइमरी स्टेज में है। उसकी

(श्री संयम लोढ़ा)

डिजाइन भी मंजूर नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार ने और प्रधान मंत्रीजी ने 2024 तक हर घर को पानी के कनेक्शन का वादा किया है। राजस्थान की सरकार को इसको ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुसार आने वाले समय में योजनाओं को बनाना चाहिए जिसमें बत्तीसा नाला की जो सिंचाई परियोजना बनी है, जो सिरोही की पेयजल योजना है 236 करोड़ रुपए की, वह आपको सब्मिट हुई है, उसमें आप रास्ते के समस्त गांवों को जो आबू रोड से लेकर सिरोही तक गांव है, उसके हर घर को कनेक्शन देने का दिमाग में रखते हुए, भारत सरकार से इसमें आर्थिक सहायता लेते हुए इस योजना को क्रियान्वित करें जिससे पूरे इलाके के अंदर घर-घर कनेक्शन देने का सपना साकार किया जा सके। लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त पानी मिलेगा, उन लोगों का सपना भी पूरा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, जब पहली बार 1998 में मुझे राजस्थान की विधान सभा में आने का मौका मिला तो जवाई बांध से शिवगंज की हमने एक पेयजल योजना स्वीकृत करवाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2003 से 2006 के बीच में अनेक अड़चन उसमें पैदा की गयीं। राजस्थान उच्च न्यायालय में हमें जाना पड़ा और पानी का रिजर्वेशन जवाई बांध में हमने हाई कोर्ट के जरिये करवाया। लेकिन 2008 में शिवगंज तक पानी आने के बाद उस जवाई बांध से पेयजल की योजना का शिवगंज और सिरोही के ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से विनती करूंगा कि आप जवाई बांध से शिवगंज के ग्रामीण और सिरोही के ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सर्वे करवाएं। इसकी डीपीआर बनवाएं जिससे आने वाले वक्त में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वह पानी उपलब्ध हो सके। दो-तीन सुझाव मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं।

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपके नार्म्स हैं कि इतनी आबादी तक का गांव हैंडपंप विलेज रहेगा, इतनी आबादी तक का गांव पनघट में आएगा, इतनी आबादी तक का गांव पाइप विलेज में जाएगा। पंचायती राज और ग्रामीण विकास के जरिये इन सारी योजनाओं का मटियामेट हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। आपके पास संसाधन नहीं हैं, वह पाइप लाइन डलवा देते हैं, लगवा देते हैं और वह टांके बड़े-बड़े ताबूत बने खड़े रहते हैं। उन टांकों में पानी आता नहीं

(श्री संयम लोढ़ा)

है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि आप एकरूपता लाइये। जो भी काम करें वह एक ही एजेंसी करे। इसमें दूसरों को इन्क्लूड मत करिए, नहीं तो छोटे-छोटे आपके जेईएन, उनकी केपेसिटी नहीं है। कोई जन-प्रतिनिधि कहता है प्रस्ताव बनाकर लाओ। वह लाते हैं और भुगतना लोगों को पड़ता है। पानी मिलता नहीं है इसलिए मेरी विनती है कि एकरूपता लाइए।

**श्री सभापति:** समाप्त करिए माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, भर्ती कब करेंगे। अशोक गहलोत जी की तत्कालीन सरकार 1294 निचले पदों पर भर्ती निकाल कर गई थी। पिछले 26 साल से भर्ती नहीं हुई। निचले स्तर पर मैदान साफ है। ठेके पर आदमी काम कर रहे हैं। कोई समस्या का समाधान नहीं। पांच साल इन्होंने निकाल दिये। मैं 1294 तकनीकी हैल्पर और पंप चालक की भर्ती की बात कर रहा हूं। चार मंत्री बदल गए। यह भी रह लिए, वह भी रह लिए, भर्ती का नामोनिशान नहीं।

**श्री सभापति:** मंत्री महोदय से बैठकर चर्चा करें आप।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपने हैल्पर का जो यह आधार बनाया है 1965 का, आपका कार्यक्षेत्र कितना बदल गया, आबादी का कितना विस्तार हो गया।

**श्री सभापति:** समाप्त कीजिए प्लीज।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): धन्यवाद तो देने दीजिए।

**श्री सभापति:** धन्यवाद दीजिए। आप मंत्रीजी से मिलकर के सारी जानकारी देना।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को दो बात के लिए धन्यवाद दूंगा। आपको भी धन्यवाद दूंगा। पहला तो पानी की इस कठिनाई को अग्रिम समझते हुये बहुत से लोग, बहुत से जिले तो अभावग्रस्त घोषित थे, लेकिन जो अभावग्रस्त घोषित नहीं थे, उन जिलों के लिए भी आपने 28 फरवरी को आदेश निकाल दिया कि अगर पानी की कमी है तो टैंकर से पेयजल आपूर्ति की जाए। यह आपकी दूरदर्शिता थी। दूसरा, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदर्श नगर के आने वाले माननीय सदस्य के सुझाव पर इस सरकार ने पानी के बिल माफ कर दिए। आपने एक निर्धारित सीमा तक राजस्थान के उपभोक्ताओं को राहत दी, एक सहूलियत दी कि इतने पानी का

(श्री संयम लोढ़ा)

आप उपभोग करेंगे तो आपके पानी का बिल नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विनती करता हूं कि आप रेग्युलर मानिटरिंग करें जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री अशोक लाहोटी।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। अभी इन्होंने 11 मिनट बोला है, थोड़ी मेहरबानी कीजिए।

**श्री सभापति:** आप चालू कीजिए। मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, ऐसा अन्याय मत कीजिए। कभी आप भी नये आए थे। सभापति महोदय, हमारे यहां एक कहावत है कि-

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून।।

सभापति महोदय, मैं इस पानी पर किसी सरकार पर या किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं।

लेकिन हमको यह सोचना पड़ेगा कि आजादी के 72 साल बाद भी, शायद जल के बिना जीवन नहीं हो सकता। आज 72 साल बाद भी लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पानी मांगना पड़ता है। पानी के लिए मटके ले-लेकर गली-गली घूमना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आप हों या हम हों, यह हम सबके लिए बहुत ही शर्म का विषय है। मैं यह भी जानता हूं कि हमारा प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है, कुल क्षेत्रफल 342.67 लाख हैक्टेयर है। हमारे पास 14 परसेंट कृषि योग्य भूमि है। लेकिन पानी की भी उपलब्धता देखें, we have only 1.6 percent water of the ground surface. शायद दुनिया में सबसे भयावह स्थिति अगर कहीं पर है तो राजस्थान में पीने के पानी की सबसे भयावह स्थिति है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा इन सबके बावजूद भी आखिर यह पानी कहां से आएगा। इस सदन में मैं आपसे कहूंगा कि इस चीज पर चर्चा करवाई जाए।

सभापति महोदय, मैं हमारे पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो एक हजार साल पहले भी इस बारे में सोचते थे कि पानी कैसे आएगा। हम आज

(श्री अशोक लाहोटी)

भी उन्हीं नदी, नाले, टांकों से पानी पीते हैं। अगर वह एक हजार साल पहले नहीं सोचते तो आज हमारी क्या स्थिति होती वह अकल्पनीय है।

सभापति महोदय, पूरे राजस्थान के विषय में तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सरकार ने खुद ने आंकड़े दिए हैं। आपने इस किताब में लिखा है कि पूरे राजस्थान में 222 शहरों में केवल 23 परसेंट लोगों को हम पाइप लाइन से पानी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 77 परसेंट लोगों को पीने के पानी के लिए या तो हैण्डपम्प से या मटके ले जाकर पानी लाना पड़ रहा है, यह आजादी के 72 साल बाद की स्थिति है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो आपने लिखा है कि 31628 योजनाएं बनाई हैं उसमें से 2745 योजनाएं पाइप्ड हैं। सभापति महोदय, शर्म तो यह आंकड़ा देखकर आ रही है कि 17578 योजनाएं हैण्डपम्प पर चल रही हैं। We're running into 21st Century. 17 हजार गांवों में हम हैण्डपम्प से पानी दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको केवल जयपुर का उदाहरण दूंगा। पूरे जयपुरवासी बधाई के पात्र हैं कि कल हमको वर्ल्ड हैरिटेज सिटी में शामिल किया गया । वर्ल्ड हैरिटेज सिटी में शामिल करने के बहुत सारे कारण हैं, we are living in the Heritage City. मैं केवल पानी की चर्चा आपके माध्यम से करूंगा। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, इनके अधिकारी भी, जयपुर के पानी के सर्किट को मैं दो मिनट में यहां रख रहा हूं कि 200-300 साल पहले महाराजा माधोसिंह जी द्वितीय ने 1899 में जब अकाल पड़ा, सैकड़ों पशु-पक्षी मारे गए, लोगों ने पेड़ की छालें खाकर जीवन बचाया, तब उन्होंने सोचा कि पानी का क्या होगा, जब उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर स्वीटन एस जैकब को जयपुर में पानी की व्यवस्था करने के लिए। दो दर्जन बांध बनाए गए। उस समय कितनी सी आबादी थी, उतनी सी आबादी के लिए पानी की व्यवस्था अगर हम देखें, उस समय पहली बार द्रव्यवती नदी का उद्गम हुआ और नाहरगढ़ की पहाड़ियों से चरण मंदिर के पीछे छह वर्ग किलोमीटर का एरिया लिया, वहां से पानी शिवकुण्ड में आता था, शिवकुण्ड की चादर चलती तो रामकुण्ड में, रामकुण्ड से अथुनिया बांध में, अथुनिया बांध से अम्बाबाड़ी बांध में, अम्बाबाड़ी बांध से यह इसी सिविल लाइन में रावल जी के बंधे में पानी आता था और यहां नावें चलती थीं। यहां से हाथीबाबू के बांध में, वहां से महारानी फार्म ख्वासजी के बांध में सांगानेर का गुलर बांध, चंदलाई का बांध जिसको सिंचाई में काम लेते थे, खानिया का बांध, चूलगिरी का बांध, नेवटा

(श्री अशोक लाहोटी)

बांध, कूकस बांध, चोमरिया बांध।

सभापति महोदय, प्रभातपुरी की मैं चर्चा करना चाहता हूं। उस समय प्रभातपुरी का खोला बनाया गया था और उससे पानी इकट्ठा होता था। आज लगातार मीड़िया में आ रहा है प्रभातपुरी के खोले में छेद हो गया हम पिछले 70 साल से उस छेद को बंद करने में नाकाम हैं, हमको शर्म आती है कि उस छेद को नहीं भर पा रहे हैं, प्रभातपुरी को बचाने की तो बहुत बड़ी बात है। कानोता बांध की बात करो तो जयपुर के पानी की सप्लाई, ढूंड नदी पर बना था। सभापति महोदय, वर्तमान में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का वाटर, जो वेस्टेज पानी है वह कानोता बांध में डाला जा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी।

सभापति महोदय, शायद आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, जिसने जयपुर को बसाया, केवल जयपुर की बसावट का अगर आप लो तो पूरे जयपुर में वाटर सेनीटेशन एक कोरीडोर बना हुआ है। वह इतना बड़ा कोरीडोर है कि 60 फीट ऊंचाई पर एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर निकल जाए इस तरह की जयपुर के वास्तुशिल्प में व्यवस्था की गई है। यहां पानी का कैचमेंट ऐसा था कि उस समय केवल परकोटा था, चौड़ा रास्ता से यदि एक लीटर पानी डालो तो सीधा गोविन्द देव जी के मंदिर तालकटोरा में जाता था।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): वहां से जलमहल जाता, वहां से रामगढ़ जाता।

**श्री सभापति:** समाप्त करे।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं बाकी एरिया छोड़ते हुए अगर केवल रामगढ़ बांध की बात करूं...

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं समाप्त तो कर दूंगा लेकिन मेरा स्थगन 295 भी मैंने खुद ने विदड्रा किया था। आप अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए। मैंने कहा था कि मुझे पानी पर एक्स्ट्रा टाइम देना। वह भी पानी पर था, मैंने खुद ने विदड्रा किया था।

**श्री सभापति:** आप दुबारा लगाना उस पर और कल दुबारा बोल देना।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, इन्होंने 11 मिनट लिए हैं मेरे तो तीन मिनट ही हुए हैं। रामगढ़ बांध 2975 वर्गमील का कैचमेंट

(श्री अशोक लाहोटी)

था। 1982 में यहां एशियाड हुआ और नावें चलीं, आज कहां है रामगढ़ बांध? लास्ट टाइम 2006 में रामगढ़ बांध से 60 लाख लीटर पानी प्रतिदिन जयपुर शहर को मिलता था, आज वह पानी नहीं मिल पा रहा। सभापति महोदय, आखिर कब तक हम यह कंटीन्जेंसी प्लान बनाएंगे? हमारी स्थिति और प्रशासनिक जकड़न केवल डिपार्टमेंट केटीन्जेंसी प्लान पर चलाने के लिए है?

नहीं बचा धरती पर पानी, बहा व्यर्थ बेईमानी में
खूब मिटाया हमने तुमने पानी यूं नादानी में।

सभापति महोदय, यहीं नहीं रूकना पड़ेगा, यदि यही हाल रहा तो हम सब खड़े रहेंगे राशन पानी की कतारों में और पानी पर बिछेगी लाशें लाखों और हजारों में।

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी बताऊं। हमारी स्थिति देखिए, बीसलपुर का पानी आता है, सांगानेर में स्टोर होता है, सांगानेर से पाइप लाइन हमारी आंखों के सामने से जा रही है, पूरे जयपुर को आप पानी देने की बात कर रहे हो और सांगानेर प्यास मर रहा है। यह एक नक्सलवाद पैदा करेगा। लोग इस पानी की लाइन को फाड़ना शुरू कर देंगे। इसमें से जबरदस्ती पानी निकालेंगे। जिस तरह से पानी के गृह युद्ध का वातावरण बन रहा है।

सभापति महोदय, 600 कालोनियां हैं जिनमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनमें अनुमोदित भी और गैर अनुमोदित भी हैं। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए...

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 600 कालोनियों में से, यह डिपार्टमेंट ने आन रिकार्ड दिया है, पानी का धरना हुआ 311 कालोनियों ने धरना दिया। डिपार्टमेंट ने लिखित में दिया है कि 300 कालोनियों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा। यह डाकूमेंट है मंत्रीजी। 300 कालोनियों में पानी नहीं पहुंच रहा है यह डिपार्टमेंट ने राजधानी में लिखित में दिया है, यह डाकूमेंट आपके सामने है। इतना ही नहीं जब पानी मांगने जाते हैं तो एक्स ईएन क्या कहता है, यह मैं नहीं कह रहा, यह मीड़िया की रिपोर्ट कह रही है, एक्स ईएन कह रहा है यहां पानी नहीं है।

**श्री सभापति:** श्री कैलाश त्रिवेदी।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): पानी चाहिए तो यहां मकान क्यों बनाया।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति जी, एक मिनट महत्वपूर्ण बात है। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, राजस्थान की सात करोड़ जनता का...

**श्री सभापति:** समाप्त करिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): जम्मू कश्मीर जाओ, यह डिपार्टमेंट का एक्स ईएन कह रहा है। मुझे लगता है सरकार की संवेदना खतम हो गई है। ऐसे एक्स ईएन को आपने जयपुर शहर में रखा। किस व्यवस्था से वह बैठा है।

**श्री सभापति:** विराजिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): पानी चाहिए जम्मू कश्मीर जाओ, यहां मकान क्यों बनाया है। यह लोगों को जवाब दे रहा है। यह एवीडेंस है...

**श्री सभापति:** विराजिए, विराजिए।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय...

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): एक रामकरण सैनी नाम के व्यक्ति को यह कहना। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में तो मोदी जी 370 हटा रहे हैं...

**श्री सभापति:** विराजिए। अंकित नहीं होगा।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति:** श्री कैलाश त्रिवेदी। विराजिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, सहयोग करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय...

**श्री सभापति:** अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति:** आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिए। इस तरह से नहीं। आप सहयोग करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति:** एक मिनट भी नहीं, आप विराजिए, सहयोग कीजिए। श्री कैलाश त्रिवेदी।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य। माननीय नेता प्रतिपक्ष। हद हो गई यह।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति:** कैसा धन्यवाद दे रहे हो? इतनी देर तक बड़े-बड़े लोगों ने शिक्षा दी और यह शिक्षा ली आपने। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, मेरे बार-बार कहने के बाद भी नहीं बैठना अनुशासनहीनता है। कल आपने इतना अनुशासन का पाठ पढ़ा। आप नये-नये लोग हैं, कुछ सीखिए। अब कोई नहीं बोलेगा। मुझे मजबूरी में दूसरा नाम पुकारना पड़ेगा। अच्छी परम्परा नहीं है। आप सहयोग करें। आप लोगों को ही बोलना है, 50 माननीय सदस्य बोलेंगे। आपसे बार-बार कह रहा हूं। श्री त्रिवेदी।

**(16.00 बजे)**

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, अभी सभी माननीय सदस्य पानी पर चिंता जाहिर कर रहे थे। वास्तव में राजनीति से ऊपर उठकर पानी के ऊपर हमें सोचना चाहिए। हमारे पुरखों का जो वाटर-बैंक था, वह इतना नीचे चला गया कि डार्क जोन में डायवर्ट हो गया। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, जिन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी और वे उस पर काम करना चाहते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, अटल बिहारीजी वाजपेयी जब प्रधान मंत्री थे, उन्होंने यह कहा कि हम नदियों को जोड़कर पूरे हिन्दुस्तान के रिचार्ज सिस्टम को ठीक करेंगे। सारी नदियां जुड़ेंगी तो चारों तरफ से पानी रहेगा और वह रिचार्ज होगा। मुझे बड़ा दु:ख है कि उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। वर्तमान में भी भारत सरकार आपकी है। आपको इतनी चिंता यह है तो इस चिंता को थोड़ी उठा करके दिल्ली ले जाइये और रिचार्ज सिस्टम को ठीक करने के लिये इस परियोजना को राजस्थान में सबसे पहले स्वीकृत कराइये।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन के जो अध्यक्षजी हैं उनको

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)
2009 में भीलवाड़ा जिले से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और भीलवाड़ा की जनता को यह सौभाग्य मिला कि ऐसे विद्वान व्यक्ति को हमारा नेतृत्व करने का जो मौका मिला, उस व्यक्ति के चुनाव में जीतने के बाद हम सब लोगों को बुला करके उन्होंने पूछा कि इस भीलवाड़ा जिले की क्या मेन समस्या है, आज मैं हृदय से उनका भी आभार करता हूं और पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब का भी आभार करता हूं। हमारे भाई रामलालजी और जितने भी विधायक साथी थे उस वक्त के, 2009 में ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** आवाज नहीं, आवाज नहीं।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): आज के वर्तमान मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत, 2009 में भी वे ही मुख्य मंत्री थे और सी.पी. जोशी साहब सांसद के रूप में नेतृत्व कर रहे थे और केन्द्र में मंत्री थे। उस वक्त चम्बल परियोजना उन्होंने भीलवाड़ा जिले के लिये स्वीकृत कराई और भीलवाड़ा जिले के सारे शहर, कस्बों और गांवों के लिये यह योजना बनाई।

उसी वक्त माननीय गहलोत साहब ने बजट में, 27.09.2011 को 728 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। पूरा एक प्रोजेक्ट बना। इस प्रोजेक्ट की समाप्ति का समय 2016 था। इस बीच 30.05.2013 को गहलोत साहब ने अपने बजट भाषण में 1495.68 करोड़ रुपया पास किया और इस योजना को गति देकर 2016 तक पूरी करना था, लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक 1668 गांवों में से 753 गांव ही इस योजना से लाभान्वित हुए। बाकी बचे गांव अतिशीघ्र इससे जोड़े जाएं। छह साल की योजना जो आज 10 साल में पूरी होगी तो इसमें और पैसा बढ़ाया जाये। इसमें एक मेन समस्या और भी है। पूर्व में जब गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने नये राजस्व गांव घोषित किये थे। वे इस योजना में सम्मिलित नहीं हैं। उन सब गांवों को भी इस योजना में जोड़ा जाये।

अभी आप फर्मा रहे थे कि पानी की सोच में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भैरोंसिंहजी शेखावत थे, इसी सदन के मुख्य मंत्री, उस वक्त में 20 रुपये का मासिक बिल हमारे घर पर आता था। बीच में वसुंधराजी भी रहीं, गहलोत साहब भी रहे, पैसा नहीं बढ़ा। लेकिन 2015 में आपने उस 20 रुपये के 25 रुपये किये। 2017 में आपने उसके साढ़े सत्तइस किये, और 2018 में 30 रुपये 25 पैसे किये, प्रति माह हर व्यक्ति पर चार्ज लगाया। मैं धन्यवाद दूंगा गहलोत साहब को और मंत्री महोदय को कि उन्होंने इसको फ्री किया।

पूर्व मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने, उनके पिछले कार्यकाल में ...(व्यवधान) पूर्व कार्यकाल में गहलोत साहब ने जो ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** बोलने दीजिये, बोलने दीजिये। नये आदमी हैं।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): साहब, 2008 से 2013 के कार्यकाल में गहलोत साहब ने जो योजनाएं स्वीकृत कीं, चार योजनाएं स्वीकृत कीं, वे चार योजनाएं आपकी सरकार के आने के साथ ही आप लोगों ने पानी पर राजनीति करते हुए बंद कीं। नोखा, बीकानेर तहसील की इन्दिरा गांधी नहर से नागौर लिफ्ट परियोजना, 399 करोड़ की आपने उसको रिजेक्ट किया। इस परियोजना को अब अगर किया जायेगा तो 511 करोड़ रुपये चाहिए। अगर आप उसको बंद नहीं करते यह 309 करोड़ रुपये में काम होता। इसी तरह से आपने चौहटन के 119 गांव, गुढ़ामलई के 22 गांवों के पैकेज को जो 526 करोड़ में पूरा हो सकता था, उसको भी आपने निरस्त किया। चौहटन तहसील के 188 गांवों के 459 करोड़ का जो पैकेज था, उसको भी निरस्त किया। इससे 308 गांव लाभान्वित होते।

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): ऐसी कई परियोजनाएं जो आपने बंद की हैं, उन परियोजनाओं को वर्तमान में, गहलोत साहब से और मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इन परियोजनाओं को पुन: चालू करें। पानी पर पूर्व सरकार ने राजनीति की है, वर्तमान सरकार पानी पर अच्छी सोच रखती है। इसको लागू करके इस काम को पुन: चालू करें और इन सारी योजनाओं का लाभ लोगों को दें।

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): दो मिनट में, साहब।

2019 में सरकार आने के बाद सारे नये नलकूपों का निर्माण हुआ, जहां-जहां पानी की समस्या थी। पुराने पम्प सैट बदले, पाइप लाइनें बदलीं और परिवहन से पानी पिलाया। 59 शहरों में 4217 टैंकरों से पानी की व्यवस्था की। 60154 गांव टोटल राजस्थान के टैंकरों से इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था सरकार ने की।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 157 गांव और 52 मजरों की व्यवस्था की। इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है। जहां समस्या है, वहां है। लेकिन इस रिचार्ज सिस्टम के बारे में जो बात हो रही थी।

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): अभी तो बोलना ही शुरू हुआ है, साहब।

**श्री सभापति:** समाप्त करें। श्री ज्ञानचंद पारख।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): इस रिचार्ज सिस्टम के लिये आज आपने भास्कर अख़बार पढ़ा होगा, सभापति महोदय, उसमें भीलवाड़ा जिले का फोटो छपा है, फोटो यह छपा है कि भीलवाड़ा जिले की जनता जागरुक है रिचार्ज सिस्टम को डवलप करने के लिये और राजस्थान की जनता को जागरुक करने की जरूरत है।

**श्री सभापति:** श्री ज्ञानचंद पारख। विराजिये आप, विराजिये।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): और वाटर शेड, वाटर शेड के सारे काम और सारे डिपार्टमेंट्स, फोरेस्ट और पर्यावरण और ग्रामीण विकास विभाग, चारों विभागों की एक कमेटी बनाई जाये।

**श्री सभापति:** विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): और राजस्थान की अलग से एक जल नीति बनाई जाये। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री ज्ञानचंद पारख।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय जलदाय मंत्रीजी आप बहुत भाग्यशाली हो। ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देने को तैयार बैठा है और आपकी झोली में जितना दम हो न उतनी झोली भर देना। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने यह संकल्प लिया है कि 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक हम पेयजल पहुंचाएंगे। अब सारा खेल आपके ऊपर है। राजस्थान के लिये शायद मैं यह कह दूं कि यह स्वर्ण युग है, क्योंकि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री भी राजस्थान के और कैसा अच्छा संयोग कि वे जोधपुर के हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी जोधपुर के हैं।

**श्री सभापति:** आपके पास समय पांच मिनट का है।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): 11 मिनट सबको दिया है, 11 मिनट लूंगा।

**श्री सभापति:** समय पांच मिनट का है। प्रस्तावना में समय मत खराब करिये। सीधे-सीधे पाइंट पर आइये आप।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): सीधे पाइण्ट पर ही तो आ रहा हूं और कर क्या रहा हूं।

**श्री सभापति:** पाइण्ट पर आइये, आप प्रस्तावना कर रहे हैं। फिर आप समय मांगेंगे। समय पांच मिनट में है आपके पास में।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): जितना आप उनका उपयोग ले सकें,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मेहरबानी करके आप उपयोग लें, उसमें कहीं पीछे नहीं रहें। कल को ऐसा नहीं हो कि आपने आयुष्मान भारत योजना है, उसका भी लाभ नहीं लिया। आपके तो फर्क नहीं पड़ा पर जो करोड़ लोग इलाज के लिए मोहताज थे, वह वंचित रह गये। किसान सम्मान निधि में भी आपने देरी की तो राजस्थान के करोड़ों किसानों को हानि हो गयी और कल पेयजल के मामले में भी अगर आपने कोई लापरवाही की तो हमारा प्रदेश पीछे रह जाएगा। मुझे पता है माननीय मंत्री महोदय की छवि बहुत अच्छी है। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** इधर आसन की तरफ देखिए आप। आसन की तरफ देखिए। उधर नहीं, इधर बात करिए। मैं बता दूंगा मंत्री महोदय को, आप तो इधर देखिए।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूं, इनका सम्मान करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस कार्यकाल में क्योंकि नरेंद्र मोदीजी का संकल्प है और आप भी उतने ही मेहनती हो तो काफी कुछ फायदा राजस्थान की जनता को आप दिलवा दोगे, यह मेरा आपसे निवेदन है। अब मेरे दो-तीन काम हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप टोकोगे।

माननीय मंत्री महोदय, जितना पानी हमारे पास है, उसका बेहतर उपयोग कैसे हो जाए, हमारी लाइनें बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं तो उनकी समय पर मरम्मत हो जाए तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे कर्मचारी बराबर हों वर्ना पानी व्यर्थ भी बहुत जाता है।

हमारे जो ग्रामीण जल स्रोत हैं, जिनकी हम अनदेखी कर रहे हैं, थोड़ा एक बार उन पर भी नजर डालें, उनको किस प्रकार दुरुस्त करवा सकें, यदि आप करवा देंगे तो यह जो पानी प्रकृति का है, उसका लाभ हमको मिल जाएगा।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने पिछली बार एक योजना चालू की थी मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना। जहां-जहां पर इसका काम हुआ, वहां बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, इतनी महती योजना को भी आप मुख्य मंत्रीजी से कहकर लगातार चालू रखवाएं ताकि हम पानी के मामले में और ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकें, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

माननीय जलदाय मंत्रीजी, पानी का री-यूज भी आज, क्योंकि प्रकृति जो पानी देती है, उससे ज्यादा लेना हमारे हाथ में नहीं है पर पानी का री-यूज

(श्री ज्ञापचन्द पारख)

हो जाए, उस दिशा में यदि हम कोई कदम उठा सकें तो वह प्रयास हमको करने चाहिए। मैं पाली का एक उदाहरण आपको दूंगा।

पाली में जितनी पेयजल की आवश्यकता है न लगभग 30 एम.एल.डी. और लगभग इतना ही पानी पाली की इंडस्ट्री को भी चाहिए पर एक नई तकनीक आई है एम.बी.आर., जिसमें 45 से 50 डिग्री के तापमान में भी पानी का वाष्पीकरण करके शुद्ध पानी को एक तरफ और मलबे को एक तरफ किया जा सकता है, इस तकनीक को कल केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रीजी ने भी देखा है पाली में। एक बार आप पाली पधारें और उस तकनीक को देखें तो आपको खुद को लग जाएगा। यदि इस तकनीक के लिए राजस्थान सरकार कुछ सहयोग कर दें और पाली की हर इकाई में यह तकनीक लागू हो जाए तो हम रोज का लगभग 30-35 एम.एल.डी. पानी बचा सकते हैं। मैं पाली की बात कर रहा हूं, यही समस्या जोधपुर में भी है, यही समस्या बालोतरा में भी है।

माननीय मंत्री महोदय, इसमें तीन फायदे होंगे। एक तो प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि सारा का सारा जेड.एल.डी. है, एक परसेंट भी प्रदूषित पानी नदी में नहीं जाएगा, सारा का सारा शुद्ध पानी, 15 टी.डी.एस. का पानी, सी.ओ.डी., बी.ओ.डी. नहीं, इस दायरे के अंदर इतना शुद्ध पानी मिल जाएगा। पेयजल की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, इतना पानी बचेगा और जो रोजगार के ऊपर संकट पैदा हो रहा है इंडस्ट्री के बंद होने से उस संकट से भी हमको राहत मिल जाएगी। तो आप एक बार पाली पधार कर, यह मेरा व्यक्तिगत निवेदन आपसे है कि आप इस तकनीक को देखें और राज्य सरकार जो पहले एम.एस.एम.ई. स्कीम के तहत ई.टी.पी. लगाने के लिए 50 परसेंट अनुदान देती थी, इस नई तकनीक का राजस्थान सरकार एग्जामिन करवा दे और आपको लगे कि यह तकनीक सही है क्योंकि पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों ने तो कह दिया कि यह तकनीक बहुत अच्छी है, यह इस प्रदेश के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए वरदान है। तो एक बार आप देख लें और सब्सिडी दिलवा दें सरकार से जो पहले आपकी सरकार देती आई है। अशोकजी गहलोत ने पहले बहुत सब्सिडी दी है। तो यह इंडस्ट्री को भी बचा देगी और पानी को भी बचा देगी, यह मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय मंत्री महोदय, अब एक सुझाव और है मेरा। अभावग्रस्त गांवों में आपने पानी दिया, उसके लिए तो आपको धन्यवाद पर, माननीय सभापति महोदय, नियम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में प्रति दिन, प्रति व्यक्ति 30 लीटर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

पानी, मनुष्य को तो आपने पीने का पानी पर्याप्त दे दिया, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा पर जितने मनुष्य हैं, जितने इंसान हैं गांव में लगभग उतने ही पशु हैं और उनके लिए हमने कभी कोई प्रावधान नहीं किया। चाहे हमने कोई पेयजल की योजना भी बनाई तो उसमें भी क्या किया, आबादी कितनी है इंसानों की? उसमें पशुओं की आबादी कितनी है, इसकी कभी गणना नहीं की और उसका परिणाम क्या होता है कि हमारी सारी की सारी योजनाएं आगे जाकर बौनी साबित होती हैं, जितना पानी चाहिए, पशु चूंकि पानी पी लेते हैं तो इंसान के लिए पर्याप्त नहीं पड़ता इसलिए कोई भी योजना बनाओ तो पशुओं की जनसंख्या को भी साथ जोड़कर बनाओगे तो आने वाले कई वर्षों तक हमको गांव में कभी पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह भी आग्रह रहेगा कि मेरे क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की योजनाएं अभी चल रही हैं। थोड़ी गति दिलवा दो उनको मेहरबानी करके। थोड़ी गति हो जाएगी तो बरसात आने वाली है और उसके बाद में इन योजनाओं के माध्यम से काफी कुछ राहत मिल जाएगी और साथ में जो योजना स्वीकृत है, क्योंकि आपकी कई योजनाएं प्रथम चरण, द्वितीय चरण तो प्रथम चरण का काम तो चालू हो गया।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): दो मिनट में, मैंने आज बहुत ही शार्ट में बात की है। द्वितीय चरण, एक योजना है मेरी मंडली-जैतपुर-पुख्तारी 46 करोड़ की योजना है। प्रथम चरण की योजना कभी की प्रारम्भ हो गयी, छह-आठ-दस महीने हो गये। आप थोड़े द्वितीय चरण के आदेश मेहरबानी करके निकलवा दें ताकि वह पानी और उस योजना का लाभ पूरा मिल जाए।

अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है कि जोधपुर का जो पानी है यह पाली या रोहट जल्दी पहुंच जाए क्योंकि जवाई बांध से इतने गांव जुड़ गये कि अब जवाई बांध की इतनी क्षमता नहीं रही कि जो नए गांव जुड़े हैं उनके साथ -साथ पूरे क्षेत्र को वह पानी पिलवा सकें और इंदिरा गांधी केनाल के तृतीय चरण में पर्याप्त मात्रा में पानी है और हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने पुलवामा हमले के बाद में जो पाकिस्तान का पानी थोड़ा रोकना चालू किया है, वह पानी राजस्थान को मिलने वाला है। हां, चालू कर दिया उसको। आप थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें, उसका काम चालू हो गया। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** समाप्त करिए, समाप्त करिए। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): एक मिनट, लास्ट बात। इंदिरा गांधी कैनाल के तृतीय चरण का काम भी थोड़ा जल्दी ही चालू हो जाए, प्रशासनिक स्वीकृति कभी की निकल चुकी है, वित्तीय स्वीकृति के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मीटिंग ले ली है। एक बार वित्तीय स्वीकृति जारी करके काम चालू करवा दें।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति:** श्री अमीन कागजी।

**श्री अमीनुद्दीन कागजी** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज राजस्थान राज्य ही नहीं पूरे विश्व में पेयजल की कमी का संकट मंडरा रहा है। कहीं पर यह गिरते भू-जल स्तर के रूप में तो कहीं नदियों के प्रदूषित पानी के रूप में, कहीं सूखते, सिमटते तालाब और झील के रूप में, इसका कारण है इन स्रोतों में पानी का भारी दोहन किया जाना। भयंकर राजस्थान राज्य में अकाल, सूखा, औसत से कम वर्षा इत्यादि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भीषण पेयजल संकट सामने है। प्रदेश में गांव और ढाणियों के साथ-साथ बड़े शहरों में भी पेयजल संकट भयंकर आपदा के रूप में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक चिंताजनक आकलन यह भी है कि एक टन मल बहाने के लिए दो हजार टन शुद्ध जल बरबाद हो जाता है। शौच के लिए पेयजल की बरबादी को देखते हुए एक लेखक जोसेफ जैनिक्स ने समाज को दो रूप में देखा है। एक तो वह समाज जो अपना मल पीने के पानी से बहाते हैं और दूसरा वह समाज जो मल मिला हुआ पानी पीने के लिए मजबूर है।

मनुष्य बिना जल के तीन दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। पृथ्वी के कई देश भू-जल संकट से गुजर रहे हैं। औद्योगीकरण के चलते दुनिया का आधा पेयजल पहले ही पीने के पानी के योग्य नहीं रह चुका है। भू-मंडल की गर्मी बढ़ने के साथ-साथ पृथ्वी का जल तीन मीटर प्रति-वर्ष की दर से गिरता जा रहा है। यह एक सभी सरकारों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इस समय प्रति-वर्ष 160 अरब क्यूबिक मीटर की कमी दर्ज की गयी है। बदलते पर्यावरण के कारण कई स्थान सूखे में तब्दील हो चुके हैं।

शहरों में पेयजल ट्यूबवैल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इन ट्यूबवैलों के द्वारा भारी मात्रा में भूमिगत जल को बाहर निकाला जाना

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

दुर्भाग्यपूर्ण है और यह पूरे शहर की पक्की नालियों के द्वारा शहर से बाहर चला जाता है। मतलब यह कि भूमिगत जल के केवल दोहन का ही ध्यान है, घटते जल-स्तर की चिंता, एक चिंता का विषय है। शहरों में जो बड़े और छोटे तालाब हैं या थे, उन्हें भी भर-भरकर बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गयी हैं। यह तालाब भूमिगत जल-स्तर को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जल-संकट उत्पन्न करने में कई तरह के योगदान सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर रहे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोगों ने जल का दोहन, चाहे ट्यूबवैलों के जरिये किया हो, या और सोर्स के जरिये किया हो, लेकिन यह एक चिंता का विषय है जयपुर में 540 एम.एल.डी. पानी रोजाना खर्च होता है, जिसमें से 330 एम.एल.डी. पानी बीसलपुर से सप्लाई होता है और बाकी का पानी अभी यहां ट्यूबवैलों से सप्लाई हो रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि जयपुर में प्रतिवर्ष करीब तीन मीटर से साढ़े तीन मीटर तक का जल-स्तर नीचे जा रहा है, जो चिंता का विषय है। मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया था कि पिछले दस साल में जितने भी ट्यूबवैल, जो खराब हुए, जो डिस्कार्डेड हो गए और हम नये ट्यूबवैल बना रहे हैं, उन सारे डिस्कार्डेड ट्यूबवैलों को वाटर हार्वेस्टिंग में बारिश से पहले-पहले चेंज कर दिया जाए ताकि आने वाले समय में जल-स्तर में सुधार हो सके।

मैंने कुछ सुझाव मंत्री महोदय को पहले भी दिये थे। जब कंटींजेंसी प्लान जयपुर का बनाया जा रहा था तो मेरा यह मानना था कि जयपुर के पास में जो रामगढ़ बांध है, उसमें जितना भी जो उसके कैचमेंट एरिया है, उसमें जो एनक्रोचमेंट है, माननीय हाई कोर्ट के आदेश भी कई बार हो चुके हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कैचमेंट एरिए में जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं और जिसकी अनुपालना हाई कोर्ट के आदेश से होनी है, वह तत्परता से सरकार करे और उस सारे एरिये को बरसात से पहले ऐसा सही कर दिया जाए कि रामगढ़ बांध में भराव क्षमता हो सके।

दूसरी बात यह है कि पिछली सरकार ने द्रव्यवती नदी को एक स्वरूप देने के लिये 1100 करोड़ रुपये खर्च किये, जिसमें देखने में यह आ रहा है कि कई स्टेशन में उन्होंने ई.टी.पी. भी लगाए उसके अंदर। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाये, लेकिन एक एम.एल.डी. पानी भी वह दुरुस्त नहीं कर सके। यह एक चिंता का विषय है कि 1100 करोड़ रुपये जिस परियोजना पर खर्च हुए, उसके अंदर आज 80 एम.एल.डी. पानी जयपुर शहर का रोज जाता है और उस 80

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

एम.एल.डी. पानी को हम रोज बचा सकते हैं, जबकि इन्फ्रास्ट्रक्चर 1160 करोड़ की परियोजना में बनाया गया था, लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्परता से जितने भी द्रव्यवती नदी के साइड में इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाये गये हैं, उनको जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए।

राज्य में भूजल दोहन की स्थिति बड़ी भयावह है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का समुचित संवर्धन करने हेतु राज्य सरकार की ओर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। शहरों की सड़कों में बारिश का पानी बहकर चला जाता है, जबकि बारिश के पानी को जगह-जगह गड्ढे बनाकर डायवर्जन करके भूजल स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाना आज हमारा नैतिक, सामाजिक और सरकारी दायित्व बन गया है। मैं शहरों में, गांवों में खराब हैण्डपम्पों के बारे में अभी निवेदन किया, उनको जल्द से जल्द वाटर हार्वेस्टिंग में चेंज किया जाए। बीसलपुर बांध के पीछे बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, उसमें बेतहाशा अतिक्रमण हुए हैं। आप देखिए पिछले दो दिन की बारिश में जयपुर के लिये दो दिन का पानी भरा हुआ है, लेकिन यह ज्यादा हो सकता था, क्योंकि पिछली सरकार की एक स्वावलंबन योजना थी, उसमें जितने भी एनक्रोचमेंट हुए, उन सबमें एनक्रोचमेंट होकर सारी भराव क्षमता का सैचुरेशन हो गया और वह पानी आने से रह गया। बीसलपुर बांध का जो कैचमेंट एरिया है, उस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे और कैचमेंट एरिये को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

**श्री अमीनुद्दीन कागजी** (किशनपोल): जयपुर शहर में पेयजल की समस्या से और सीवरेज लाइन का जो कंटेमिनेशन है, पानी का आपस में जो मिलना है, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में चाहे स्मार्ट सिटी के माध्यम से, चाहे पी.एच.ई.डी. के माध्यम से जो भी काम हो रहे हैं, उसमें डक्टेबल पानी की लाइनें डाली जाएं और सीवरेज लाइन और पानी की लाइन को अलग-अलग कर दिया जाए ताकि कंटेमिनेशन की प्रोब्लम नहीं आए। आपने मुझे खास तौर से समय दिया, दूसरी बार मैं इस सदन में बोला हूं, कोई गलती हो तो माफ करिएगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पानी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति:** श्री सतीश पूनियां।

**श्री सतीश पूनियां** (आमेर): सभापति महोदय, मुझे लगता है कि पानी की महिमा के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर अखबारों में छपता है कि अगला युद्ध होगा, वह पानी के लिये होगा। पंचतत्व का जो सबसे बड़ा कारक और इस सृष्टि में जिंदा रहने वाली कोई चीज है तो केवल पानी के कारण। मेरे से पूर्व वक्ता ने रहिमन जी के दोहे को उद्धृत किया है तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में खून और पानी, जिसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इस सदन के लोग यह भी अच्छी तरह से जानते हैं, सियासत के लोग हैं, इन तीन चीजों का विकल्प नहीं है। राजनीति में जीत का और जीवन में खून और पानी का। इसलिये पानी की महिमा मुझे बहुत लंबे से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि इस सदन की सार्थक चर्चा निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश दे सकती है, एक अच्छा समाधान दे सकती है। यहां पर जो चर्चा हो, मौजूदा सरकार उस पर यदि ठीक तरीके से क्रियान्वयन कर दे तो निश्चित रूप से राजस्थान का भला हो सकता है, यहां पर सदन में बैठे लोगों का भला हो सकता है, जहां से यह चुनकर आते हैं, उस जनता का भला हो सकता है।

सामान्य तौर पर पानी के बारे में जो चीजें कही जाती हैं, एक तो प्रकृति पर हम लोग निर्भर हैं। दूसरा, जो जमीन के अंदर जल है, उस पर निर्भर है। जो प्राकृतिक सतह पर जल है, उस पर निर्भर है। यदि पिछले 20 वर्षों का लेखा-जोखा करें तो एवरेज रेनफाल धीरे-धीरे घटता चला गया। यहां पर बहुत विशद् चर्चा हुई कि हमारे जो पारम्परिक स्रोत थे, वह चाहे कुंड हों, कुएं हों, बावड़ी हो, तालाब हों, बांध हों, धीरे-धीरे उनमें या तो अतिक्रमण हुआ, अवरोध हुआ या उनकी देखभाल नहीं की गयी। मुझे लगता है कि पानी के बारे में जैसे प्रधान मंत्रीजी ने एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया, उस जल शक्ति मंत्रालय से उन्होंने यह आह्वान किया कि अब जल शक्ति को जन शक्ति के साथ जोड़ना है तो निश्चित रूप से पानी एक आम आदमी की चेतना का कारण बने। पानी का अपव्यय रूके, पानी का संरक्षण हो, पानी का दोहन रूके और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक जन चेतना की जरूरत आज की सरकार को, आम आदमी को और सियासत के लोगों को निश्चित रूप से है।

बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनैतिक तौर पर भी, शासकीय तौर पर भी एक बड़ी चेतना की जरूरत है। हम देखते हैं कि पानी का बहुत अपव्यय होता है। इस देश में पानी की कमी

(श्री सतीश पूनियां)

तो है, लेकिन शुद्ध पानी की भी कमी है। अभी पहले 295 के नियम की बहस में हमारे गंगानगर जिले के माननीय सदस्य ने इस बात पर उल्लेख किया कि शुद्ध पानी भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि पानी का संरक्षण तो जरूरी है ही, किसी बीमारी में एक स्लोगन आता है कि 'बचाव ही उपाय है', मुझे लगता है उस बीमारी से भी ज्यादा यह स्लोगन जल संरक्षण के लिये काम करेगा कि 'जल है तो कल है' और 'बचाव ही उपाय है'।

प्रबन्धन की कमी हम लोग अक्सर देखते हैं। यदि मिस-मैनेजमेंट है तो ठीक तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता और पिछले दिनों जो त्राहि-त्राहि मची, सरकार दिसम्बर में सत्ता में काबिज हो गयी, लेकिन आने वाली गर्मी का किसी तरीके से कोई प्लान नहीं बना। टैंकर माफिया बने और जिस तरीके की झगड़े की खबरें अखबारों में छपती थीं, वह निश्चित रूप से चिंताजनक हैं। इसका एक अच्छा प्रबन्धन हो और एक चेतना इसके साथ हो। मुझे लगता है कि जो हमारी पुरानी परम्परा थी वर्षा जल के संरक्षण की, उसका ठीक से उपयोग किया जाए डिग्गी, कुंड, जलहौद।

एक बड़ी समस्या पिछले दिनों पैदा हुई, माननीय सभापति महोदय, कि बजरी बंद हुई तो क्रेशरों के जरिए और डस्ट को बड़े तौर पर, व्यापारिक तौर पर जगह-जगह बेचा जाने लगा और उसके कारण बहुत ज्यादा पानी का दोहन हुआ। मुझे लगता है कि मंत्रीजी इस पर संज्ञान लेंगे। मैं कुछ सुझावों पर मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले दिनों आप दिल्ली पधारे और आपने राजस्थान की, जहां तक मुझे ध्यान है, राजस्थान क्योंकि परम्परा से भी पानी की समस्याओं से जूझता रहा है।

लेकिन आबादी कम थी, घनत्व कम था इसलिए वितरण में कोई दिक्कत नहीं आती थी। स्वाभाविक तौर पर बारिश भी बहुत होती थी।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री सतीश पूनियां** (आमेर): इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब आप दिल्ली पधारे तो आपने पूर्वी नहर परियोजना के बारे में केन्द्र से बात की है, मैं समझता हूं कि उसको आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसी पिछली सरकार की योजना थी जो राजस्थान के 13 जिलों को साढ़े सैंतीस हजार करोड़ से एक तरीके से जीवन बदलने का काम करेगी।

एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन के नाम

(श्री सतीश पूनियां)

से थी, 12 हजार गांव और शहरों में, उसका लाभ यह हुआ कि जल स्तर बढ़ा और निश्चित रूप से वो ऐसे स्ट्रक्चर थे कि जिनके कारण उन गांवों में आज भी यदि बारिश होगी तो एक बड़ा संरक्षण हो सकता है, निवेदन करूंगा कि उसको जारी रखें।

मैं सुझाव दूंगा। मैं जयपुर जिले से आता हूं, एक बड़ा बांध जिसका यहां जिक्र हुआ, रामगढ़ में यमुना के पानी को चैनल करके लाया जा सकता है। एक बड़ी नदी बांडी जो बरसाती नदी थी और पूरे जयपुर जिले को जीवनदान की तरह काम करती थी, उस बांडी नदी को इससे जोड़ा जाए। मैं जयपुर में जिस आमेर से आता हूं, पुरातन कस्बा है, बीसलपुर की 24 करोड़ की योजना पिछली हमारी सरकार ने स्वीकृत की, उस बीसलपुर परियोजना का काम आमेर शहर के लिए अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है, निवेदन करूंगा कि उसको त्वरित किया जाए।

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री सतीश पूनियां** (आमेर): अंत में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस पूरे आमेर शहर को, इस आमेर विधान सभा क्षेत्र को, क्योंकि आपने आसपास के क्षेत्रों को जोड़ा है, दूदू को जोड़ा, फुलेरा को जोड़ा, तो मैं निवेदन करूंगा कि आमेर विधान सभा क्षेत्र को भी बीसलपुर परियोजना से जोड़ा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** सुश्री दिव्या मदेरणा।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): सभापति महोदय, आपने मुझे पेयजल की स्थिति पर अपनी इजहार-ए-राय रखने का आज मौका दिया। कही अनकही वो बात पुरानी हूं, जो आप पर भी भारी पड़ जाए मैं वो पानी हूं।

जल जिसे हम अंजली में लेकर साक्षी मानते हैं, गंगा का जल देते हैं तो दक्ष मोहिनी मानते हैं कि वो हमें मोक्ष देती है, मोक्ष दायिनी कहते हैं। जब सोशल वैल्यूज हमारी जल से जुड़ जाती है तो हम उसे संजोते हैं। गंगा के जल के उस पानी को हम किस तरीके से संजो कर अपने मंदिर में रखते हैं और किस तरीके से हम एक तरफ जल की बरबादी भी करते हैं इसलिए हमें यह जागरूकता भी पैदा करनी पड़ेगी। यह जल हमें प्रकृति से विरासत में मिला, यह लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है, यह विकास के लिए, हर इंडस्ट्रीज हों चाहे खेती हो, हर चीज के लिए बड़ा, अति-आवश्यक है।

अगर हम ग्लोब को देखें तो दो-तिहाई पानी हमें दृष्टिगोचर होता है

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

लेकिन सिर्फ टू परसेंट वाटर पोटेबल है, उस दो परसेंट में 1.5 परसेंट ग्लेशियर्स भी नोर्थ पोल और साउथ पोल में हैं। इसका अभिप्राय कि सिर्फ पाइंट फाइव परसेंट पोटेबल वाटर हमारे पास है। जो है उसे संजोना है, उसी में जल प्रबंधन करना है।

आज हम पेयजल की स्थिति पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जल संकट से जूझ रहे हैं और इससे कैसे निकल पायेंगे, इसके लिए हमें अति-आवश्यक प्रभावी जल प्रबंधन की आवश्यकता है। यह जल प्रबंधन हम क्यों नहीं कर पाये? हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास टैक्नोलोजीज हैं फिर भी हम क्यों नहीं कर पाये? राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यन्त विषम हैं फलस्वरूप कई जगह पानी बिलकुल न के बराबर है।

मैं पश्चिमी राजस्थान से आती हूं और वहां पर पानी की स्थिति और भी भयावह और चिंताजनक है लेकिन सोर्स एक ही है, स्रोत एक ही है बारिश, वर्षा जल और किस तरीके से हम वर्षा से आये जल पर आश्रित हैं और किस तरीके से हम उस जल को संजोये, सहेजें, उसके लिए प्रबंधन करें?

वर्षा का पैटर्न भी अलग है ज्योग्राफिकली अगर चेरापूंजी में हाइएस्ट होती है तो जैसलमेर में कम होती है। इस बात पर यह जरूर मेज थपथपाएंगे कि झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, मैं जानती हूं। उत्तर-पश्चिमी राजस्थान जिसको मरुस्थली भाग भी कहा जाता है, अगर आप वाटर बेसिन्स के मैप्स को देखेंगे, जो 14 वाटर बेसिन राजस्थान में हैं तो वो माउंट आबू और अरावली के जो डिवाइड पर एक तरफ रह जाता है। पश्चिमी राजस्थान के 12 जिले हैं और 12 में से 8 जिलों में कोई वाटर बेसिन्स नहीं हैं। आप एक वाटर बेसिन एक्ट 2015 लेकर आये थे लेकिन वो इस जिले के लिए नहीं होगा। इसलिए जल प्रबंधन के लिए हमें लोकेशन स्पेसिफिक पालिसी लानी पड़ेगी, यह मेरा सुझाव है, ज्योग्राफिकली। मुख्यत: मारवाड़, शेखावाटी अलग-अलग हिस्सों में बांटकर पांच मुख्य क्षेत्र करके कोई पालिसी लानी पड़ेगी।

पहली जल नीति हम 1999 में लाये थे और दूसरी जल नीति तत्कालीन जलदाय मंत्री 2010 में लाये थे, उसके बाद आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 13 स्टेट्स में जल नीति है लेकिन राजस्थान की जल नीति सबसे डायनैमिक, इनोवेटिव और प्रभावी है, इसका लोहा आपने भी माना

(सुश्री दिव्या मदेरणा)
इसलिए आपने उसमें कोई संशोधन नहीं किये। इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल भी है लेकिन, सभापति महोदय, बड़ा आश्चर्य होता है कि 70 प्रतिशत पी.एच.ई.डी. अधिकारियों को यह नहीं पता कि राजस्थान में एक जल नीति है और उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल भी है। बड़ा सोच का विषय है।

हमने यह कहा कि ड्रिंकिग वाटर हमारी प्राथमिकता है, यह हमने हमारी जल नीति में भी कहा और जो बहुत अच्छी बात हमने हमारी जल नीति में कही वो यह कही कि, state is not an ownership, it's a facilitator. बहुत पहले एक बिल आया था जब कमला जी बेनीवाल ने कह दिया था कि धरती पर जो भी एक बूंद गिरे वो सरकार की है। पर इस जल नीति में हमने कहा नहीं, we don't have the ownership. हम फैसिलिटेटर हैं। डोमेस्टिक वाटर की हमने प्राथमिकता सबसे पहले उस जल नीति में दी। डोमेस्टिक वाटर के अन्दर दो तरीके से होगा, अरबन और रूरल। दोनों का नेचर आफ मैनेजमेंट डिफरेंट है। शहरी जलापूर्ति के लिए आपको बड़े सोर्सेज चाहिए, बिग डिस्ट्रिब्यूशन, फास्ट डिस्ट्रिब्यूशन चाहिए, आपको खूब सारे महकमे पी.एच.ई.डी., कैमिस्ट, इकोनोमिस्ट, सीवरेज बहुत सारी चीजें, संसाधन उसके लिए चाहिए। एक कमी उसमें जो बहुत ज्यादा उभर कर आती है कि, 30 to 40 percent at very high amount of leakage. अरबन की तरफ जहां पर हम जल प्रबंधन कर रहे हैं या डिस्ट्रिब्यूशन कर रहे हैं वहां हो रहा है जिसे हम नोन रेवेन्यू वाटर भी कहते हैं। अगर हम उसको भी 10 प्रतिशत पर ले आएंगे तो हम बहुत प्रभावी काम कर पाएंगे। कहीं पर एक दिन, कहीं पर आधा दिन, कहीं पर दो दिन से पानी आता है क्योंकि हम उसके प्रति गम्भीर नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूंगी कि पहले हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मेंडेटरी किया था और अब हमें रिसाइकल, रीयूज भी हर घर में मेंडेटरी कर देना चाहिए, ऐसा प्रावधान गुड़गांव में अरबन सप्लाई वाटर पोलिसी में है, it's our need. यह हमें करना पड़ेगा, जिस तरीके का जल संकट हमारे सामने आकर खड़ा है।

जहां तक रूरल एरियाज का सवाल है, ट्यूबवैल, जीएलआर, नलकूप अनेकों संसाधन हैं और इस तरीके से हम रूरल के अन्दर मैनेजमेंट करते हैं। खेती, कितना प्रतिशत हमारा सिंचित है और उसके अन्दर भी खेती में 40 परसेंट हम कैनाल से देते हैं 60 परसेंट हम ग्राउंड वाटर से देते हैं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कैनाल्स के थ्रू करते हैं। 150 के करीब मेजर, मीडियम

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

डेम्स, चार हजार से छह हजार माइनर डैम्स और इतना पैसा खर्च करके भी 40 परसेंट आउटपुट ही दे पाते हैं। हम पहले वो प्रदेश हैं जिसके पास लार्जेस्ट माइक्रो ड्रिपिंग से हमने ...

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): सभापति महोदय, हम पहली बार आये हैं, कम समय में बोलने की कला अभी सीख रहे हैं।

**श्री सभापति:** समय की सीमा है।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): सर, एक ज्वलंत मुद्दा है, पांच बजे तक विधान सभा चलेगी तो चलेगी, आप थोड़ा समय दें।

वैज्ञानिक पद्धति से ड्रिप इर्रीगेशन, माइक्रो इर्रीगेशन, डिग्गी स्प्रिंकल इर्रीगेशन करना जरूरी है ताकि हम जल प्रबंधन कर सकें।

**श्री सभापति:** दो मिनट में आप समाप्त करें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): Rajasthan has the highest coverage of micro-irrigation about 17,88,545 hectares. इसलिए पानी के संकट को हमें देखना पड़ेगा। हम एक वाटर सैक्टर रिफार्म भी लेकर आये। इंटिग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जिसके अन्दर हमने कहा कि एक अम्ब्रेला डिपार्टमेंट रहेगा और सब इंटिग्रेटेड एकीकरण करके सब इसके लिए काम करेंगे, but this is only in policy; it's not in practice. हमें इसे भी प्रभावी रूप से आगे सुचारु करना पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी देने के लिए 90 परसेंट ड्रिंकिंग वाटर का भू-जल से आता है, भूजल गिर रहा है इसके लिए हमें रीचार्ज करने के लिए अलग-अलग चीजें देखनी पड़ेंगी।

मैं जहां से आती हूं पश्चिमी राजस्थान से वहां ब्लाक्स ओवर एक्स्प्लायटेड हो चुके हैं तो मुख्य सोर्स सरफेस वाटर रह गया है। हम फोर वाटर कान्सैप्ट लेकर आये थे, वर्षा जल, सतही जल, भू-जल, मृदा जल और सरफेस वाटर के जल प्रबंधन के लिए हमें सुचारु काम करने पड़ेंगे। भू-जल के पुनर्भरण के लिए काम करने पड़ेंगे, नदियों को बचाओ, पुनर्जीवित करना पड़ेगा, तालाब और अगोरों के अतिक्रमण हटाने पड़ेंगे। नदियों के अन्दर अभी और भी लोगों ने कहा कि यहां पर क्या-क्या अतिक्रमण हो रहे हैं, अगर हमने यह अतिक्रमण नहीं हटाये तो रामगढ़ जैसी हर डैम की स्थिति हो जायेगी।

'जख्म सूखा और धरा हरी होनी चाहिए।
पानी आंखों से नहीं नदियों से आना चाहिए'।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

I have a few measures. In a very short time, I would like to conclude. ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी देने के लिए हमारा विजन क्या है? यह मैं पूछना चाहती हूं। इसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। हम राजस्थान में केवल एक विजन से काम नहीं कर सकते। एक जनरल स्टेटमेंट, एक सब्स्क्रिप्शन से हम जल प्रबंधन नहीं कर सकते। डिफरेंट एरिया के लिए लोकेशन स्पेसिफिक विजन प्रोग्राम हमारे क्या होंगे? उसका सोर्स क्या होगा? उस सोर्स की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी? इस पर हमें सोचना पड़ेगा और फिर हमारी पोलिसीज का गठन करना पड़ेगा। पानी की गुणवत्ता भी सबसे अधिक वैस्टर्न राजस्थान में खराब है। फ्लोराइड है, लावण्य है, सबसे हाईएस्ट है। अभी जोधपुर की बात कर रहे थे कि मुख्य मंत्री जोधपुर से आते हैं। यहां के केन्द्र में मंत्री जिनके पास जल शक्ति है, वह भी जोधपुर से आते हैं। सबसे हाईएस्ट फ्लोराइड 29.76 परसेंट जोधपुर में है। यह हमें सोचना पड़ेगा।

दूसरी चीज, अत्यधिक सोलर प्लांट्स हमारे वहां वैस्टर्न राजस्थान में लगे हैं। मिट्टी आने पर उनके ऊपर पानी डालना पड़ता है। वह भी उन पर मीठा पानी डालते हैं। कोई पंखा वगैरह लगाकर के उसका आल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। एक जगह तो गरीब झोंपड़ी में तिश्ना लब हैं, एक तरफ उसी के घर के सामने सोलर प्लांट्स वाले मीठा पानी उन प्लेटों पर डालते हैं। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा।

मैं 2-3 पाइंट्स मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहूंगी। 206 ढाणियां अभी भी ऐसी हैं जो लाभान्वित नहीं हैं। उनके लिए सुचारु रूप से काम करें। पिछली सरकार में हम 3 परियोजनाएं तिंवरी-मथानिया, पांचला-घेवड़ा और भेड़-हलाया लेकर के आए थे। भेड़-हलाया परियोजना की 2009 की बजट घोषणा हो गई थी। प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई। दूसरी सरकार ने भी उसको संसाधन नहीं दिए, 9 मार्च, 2019 को लोहावट की एक सभा में मुख्य मंत्रीजी ने इसको पुन: शुरू करने की घोषणा की। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहूंगी कि इसको जल्दी स्वीकृत कराकर इसका काम शीघ्र शुरू करें।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): ग्रामीण समितियां पीएचईडी के वाटर बिल नहीं दे पा रही हैं। इसमें किसकी नेग्लीजेंस है, वह भी देखना पड़ेगा। जेजेवाई की 698 ट्यूबवैल्स हैं, अमूमन वह सारी खराब पड़ी हैं। उसके लिए

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आप नई पोलिसी लाइए कि किस तरीके से आप उन सभी को सुचारु करेंगे। बीटीसी वाल्व गांव तक हैं, लेकिन आगे गांवों तक प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। पुरानी जो 2 स्कीम्स हैं उनमें बहुत सारी ढाणियां सर्वे में छूट गई हैं।

**श्री सभापति:** अब आप समाप्त करें। सहयोग करें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): मैं एंड कर रही हूं। पेयजल मामले में 1998 के अंदर हमारी सरकार जल नीति लाई थी।

**श्री सभापति:** आप एक मिनट में समाप्त करें। आप सहयोग करें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): मैं एक ही मिनट में समाप्त कर रही हूं। 'बेटी बचाओ, बिजली बचत और पानी बचाओ' 2008 में पुन: हमारी सरकार ने पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अभी 2019 में माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री ने नीति आयोग में जल संकट का मुद्दा उठाया। अभी जयपुर में प्रबंधन की बात कर रहे थे उन्होंने 1000 करोड़ रुपए जयपुर बीसलपुर प्रोजेक्ट के लिए मांगे। 1500 करोड़ रुपए उन्होंने राजीव लिफ्ट कैनाल थर्ड फेज के लिए मांगे। 5000 करोड़ पैंडिंग लायबिलिटीज, जो आपने नहीं दिए हैं, उसके लिए मांगे। 370 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए मांगे, जिसकी पहली किश्त उन्हें अप्रैल में मिल गई। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी सबमिशन 3 साल पहले लेकर के आए थे। 50-50 से 95 परसेंट उसका पैसा राज्य सरकार वहन कर रही थी और 5 परसेंट वह।

**श्री सभापति:** अब आप सहयोग करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें। श्री बलवीर लूथरा।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): नल से जल की बात करते हैं। सभापति महोदय, हम कल सुन रहे थे कि हम नई नजीर पेश करेंगे।

'कोई मस्त है तो कोई तिश्ना-ए लब,
मगर इसका कोई करे भी क्या,
यह तो मयकदे निजाम है'।

आइए, हम एक नया निजाम बनाएं कि सदन में जब हमारी बेटियां बोलेंगी तो कुछ-कुछ सैकण्ड आप सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देंगे।

**श्री सभापति:** विराजिए। विराजिए। अब आप विराजिए।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): चलिए। अब एक लास्ट पाइंट बोल देती हूं।

**श्री सभापति:** नहीं, नहीं, ऐसे नहीं।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): एक लास्ट पाइंट। यह अभी कह रहे थे कि हमारे मंत्री महोदय जोधपुर से हैं और मुख्य मंत्री भी जोधपुर से हैं।

**श्री सभापति:** विराजिए।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): नल से जल जिसकी बात कर रहे थे कि घर-घर आप जल पहुंचाएंगे। आप उसको रिवर्स करिए कि 95 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार दे और 5 परसेंट हम दें, तब हम मानेंगे कि आप जल के प्रति गम्भीर हैं।

**श्री सभापति:** विराजिए। श्री बलवीर लूथरा। अब ऐसे नहीं, माननीय सदस्य, प्लीज, सहयोग करें आप।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): साथ में ही मैं कहूंगी कि यदि पानी बचाने को हर जन करे प्रयास, न तरसेगा पानी को रखिए यह विश्वास।

**श्री सभापति:** श्री बलवीर लूथरा।

**श्री बलवीर सिंह लूथरा** (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, सदन में पहली बार और आज पेयजल के मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं तह दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ मेरी विधान सभा की बात करूंगा। मेरी विधान सभा रायसिंहनगर, जो कि सुरक्षित है, जहां ज्यादातर गरीब आबादी निवास करती है। मेरी विधान सभा भारत-पाक बार्डर पर स्थित है। भारत-पाक बार्डर पर सटे गांव आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इन गांवों में आज भी बहुत भारी पेयजल की दिक्कत है। आज भी कई गांवों के लोग टैंकरों से पानी डलवाते हैं। अधिकांश गांवों में जनता जल योजना के माध्यम से पानी सप्लाई होता है। वहां पीएचईडी भी इन गांवों की तरफ ध्यान नहीं देता है।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने मेरी विधान सभा रायसिंहनगर में 13 योजनाएं शुरू की थीं। जिनका काम अभी भी अधूरा है। जेजेवाई में 16 स्कीमों पर अभी तक काम चालू नहीं हुआ। इसी प्रकार 4 नई स्कीमें सरकार द्वारा लटकाई जा रही हैं। जिनमें अराइयांवाली बरानी, फौजूवालां, 62 एनपी, 9/11 बीजीडी आदि हैं। इसी प्रकार अनूपगढ़ में एक नई स्कीम 89 जीबी में, जो भेजी जा चुकी है, वह भी अभी चालू नहीं हुई है।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

सभापति महोदय, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के श्री विजयनगर कस्बे में 28 अक्टूबर, 1976 को तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय हरिदेव जोशी द्वारा वाटर वर्क्स का उद्घाटन किया गया था। इसको 42 वर्ष हो चुके हैं। यह वाटर वर्क्स पूरे कस्बे में पेयजल सप्लाई करने में असमर्थ है। कस्बे में नई परियोजना के लिए अभी तक डीपीआर तैयार नहीं करवाई गई है। पीने के पानी की भारी समस्या है। लोग टैंकरों से पानी भरवाते हैं। कई बार प्रशासन द्वारा टैंकरों पर रोक भी लगा दी जाती है। जिससे कस्बे में जगह-जगह पर धरना, प्रदर्शन की नौबत आती है। पिछली 3, 4 जुलाई को प्रशासन द्वारा टैंकरों पर रोक लगा दी गई। जिस वजह से हमारे विजयनगर कस्बे की औरतों ने धरना, प्रदर्शन किया। विजयनगर कस्बे की ग्राम पंचायत 42 जीबी का एक गांव 37 जीबी A की आबादी है। जिसमें आज तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है।

मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि वर्षा के पानी के संग्रहण की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान वाटर मैनेजमेंट में वाटर लोसेस भी बहुत हो रहे हैं। इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। घग्घर नदी, जिसको कि बरसाती नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे इलाके से होकर के गुजरती है। इसका पानी अनूपगढ़ तक, जो कि पाकिस्तान के बार्डर पर है, वहां पर एक बड़ा बांध बनाकर के पानी का संग्रहण किया जाए, ताकि इस इलाके में पेयजल उपलब्ध हो सके और सिंचाई की सुविधा भी ठीक हो सके।

सभापति महोदय, मैं एक ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि विजयनगर कस्बे में गंदे पानी की निकासी की भी बड़ी भारी समस्या है। गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। वार्ड नंबर 1 से 5 तक जगह-जगह पर गंदा पानी सड़कों, गलियों में पसरा रहता है। जनता को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहां गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करवाई जाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति:** श्री अमीन खां।

**श्री अमीन खां** (शिव): सभापति महोदय, पीने के पानी के लिए सभी आदमी चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन वह मेरे ख्याल से सिर्फ अपना ज्ञान प्रचारित करने के लिए। कइयों की चिंता हकीकत में भी है।

**श्री सभापति:** बोलते रहिए, आप बोलते रहिए।

**श्री अमीन खां** (शिव): सभापति महोदय, मेरा विचार है कि हर आदमी, नेता देश के प्रति वफादारी की सिर्फ बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन हकीकत में साबित करने के लिए वफादारी सिद्ध करना आसान नहीं है। कंवरसेन इंजीनियर के बारे में आप सभी बुद्धिमान लोग जानते हो। जो पहले राजस्थान कैनाल था, उसको आज इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। इस कैनाल को राजस्थान में, राजस्थान के आधुनिक निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया लाए। उनके बाद में इस पानी को आगे बढ़ाने के लिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया इसलिए पश्चिमी राजस्थान आज भी सूखा है।

इंदिरा गांधी नहर के बारे में जो मैं कंवरसेन इंजीनियर की बात कहता हूं, उसने पहली बात ही यह कही थी।

इस पानी को गुजरात के रण कच्छ तक डालेंगे। यह पानी सैकंड चरण में जो इंदिरा गांधी नहर का है इस पर राज्य का लिफ्ट करने का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा क्योंकि गुजरात के रण कच्छ तक जमीन सारी ढलान है और इतना आसानी से पानी वहां पर पहुंच सकता है पर हम सोचते हैं कि सरकार आज भी इस बड़ी समस्या पर गम्भीर नहीं है। अब जैसे पूर्वी राजस्थान है, इनके हिस्से के पैसे हमेशा भयंकर अकाल पड़े तो पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने खाए। अगर पश्चिमी राजस्थान में इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए जरा चिंता होती तो यह पूर्वी राजस्थान का भी पश्चिमी राजस्थान जो नुकसान करता है वह बच जाता और पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ा काम होता।

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर जो पाकिस्तान बार्डर के किनारे-किनारे ले जाकर गुजरात कच्छ रण तक का जो प्लान था उससे पहले नम्बर तो राष्ट्रीय सुरक्षा का पक्का बंदोबस्त होता जिसमें पाकिस्तान अपनी किसी हरकत के लिए सफल नहीं होता। दूसरे नम्बर में वहां के लोग, पशु पालक, बेगुजारा लोग थे जहां कोई धंधा नहीं था उनको सदा के लिए रोजी मिल जाती और पीने का पानी उस नहर के रिचार्ज से जमीन में भी आज अथाह पानी होता जो आज नहीं है। इंदिरा गांधी नहर का यह मुख्य उद्देश्य है देश की सफलता के लिए। यह परियोजना भारत पाकिस्तान अन्तराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की पहली पंक्ति है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों की पेयजल योजनाओं का मुख्य स्रोत है। यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान के स्थायी अकाल निवारण करने वाली है। यह परियोजना राजस्थान के रेगिस्तान को

(श्री अमीन खां)

रोकती है, इस परियोजना से 19.63 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी जिससे लाखों टन कृषि उत्पादन होगा। इस परियोजना से सीमावर्ती क्षेत्र के लाखों भूमिहीन किसानों को भूमि आबंटन कर बेरोजगारी उन्मूलन किया जा सकता है। इस परियोजना का निर्माण दो चरणों में किया गया है एवं योजनानुसार प्रथम चरण का वाटर अलाउंस 3.5 क्यूसेक था तथा दूसरे चरण जैसलमेर जिले का वाटर अलाउंस 3 क्यूसेक एवं लिफ्ट नहरों का वाटर अलाउंस 2 क्यूसेक निर्धारित है। प्रथम चरण पूरा होने पर जब नहरों में पानी छोड़ा गया तो दूसरे चरण का भी पानी सम्मिलित कर वाटर अलाउंस 5.34 क्यूसेक रखा गया था जिसको दूसरे चरण की भूमि आबंटन के पश्चात् 3.5 क्यूसेक करना था। वर्ष 1985 में जल वितरण हेतु राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें राजस्थान को 8.6 एमएएफ पानी निर्धारित किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं मिला। उस समझौते को पंजाब सरकार की विधान सभा में पंजाब ट्रिब्यूनल आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 द्वारा समाप्त कर दिया गया और उस अधिनियम की वैधता के बारे में एक प्रेसीडेंशियल रेफरेंस निर्णय के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में है जिसकी कोई पैरवी कारगर ढंग से आज तक नहीं हो पाई है। इस परियोजना में 6 लिफ्ट परियोजनाओं का काम करना था। मैं यह सोचता हूं कि जहां हमारा पश्चिमी राजस्थान सीमा से लगता हुआ बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें आज तक हम राजनीतिक पावरफुल आदमी नहीं रहे, इस कारण से हमें यह पानी नहीं मिला। बीच में जो बड़े-बड़े लोगों के पावर वालों के स्थान थे वहां पर कैनाल भी गई, वहां लिफ्ट कैनालों से पानी, पीने का पानी जो सीमा तक जाना था, वह भी पानी दूसरे लोग ले गए और हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, यह हम महसूस करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहली बात कही वफादारी की, वफादारी इस देश की सोचने वालों को सबसे पहले इस इंदिरा गांधी नहर को गुजरात के रण कच्छ में डालना चाहिए, उस आदमी को हम देश का वफादार मानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम एक दूसरे की जो बुराई करते हैं इस बुराई से हम आम गरीब जनता की भलाई नहीं कर सकते। आपकी पार्टी के नेता यह गुलाब चन्द कटारिया, हम तो इसको बड़ा आदमी मानते हैं। हमारे छोरे को पुलिस जेल में बंद कर रही थी, मैंने आकर कहा इनसे, इन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, डीजी को फटकारा और वह आदमी जेल से बच गया। मेरे को

(श्री अमीन खां)

इन्होंने कुछ नहीं कहा कि आपके लिए काम किया। इन्सान इस प्रकार की नीति पर चले, सरकार किसी की भी बने, वह इन्सान को रिलीफ देने के लिए है, किसी इन्सान को परेशान करने के लिए सरकार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा मंत्री महोदय, आप हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और जलदाय विभाग भी है आपका।

**श्री सभापति:** समय बढ़ाओ।

**श्री अमीन खां** (शिव): हमारी तहसील रामसर के 118 गांवों में एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें अंडर ग्राउंड जल का स्रोत हो, नर्मदा नहर से वह 118 गांव मंजूर हुए, छह साल पहले 601 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सेंक्शन था, उसमें आज तक 40 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ है और अब वह रेटें बढ़ने से ठेकेदार भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बजट में आप प्रावधान करावें। रेटें बढ़ने की वजह से उनको रोका जाए और इसका काम युद्ध स्तर पर करवाया जाए। जलदाय विभाग की स्कीम फेल्योर में अमूमन हमने यह माना...

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति:** सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

## विभिन्न विषयों पर विचार

### राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार

**श्री अमीन खां** (शिव): माननीय सभापति महोदय, जलदाय विभाग की जितनी भी योजनाएं पाइप लाइन से बनाई गई हैं वे 90 प्रतिशत फेल हैं और उस फेल होने का कारण अपन राजनीतिक लोग हैं। एमएलए, प्रधान, प्रमुख, सरपंच, जहां कहीं प्रभावशाली आदमी की ढाणी के पास लाइन है, उसको अवैध कनेक्शन हम दिलवाते हैं, उन अवैध कनेक्शनों के कारण मूल गांव में पानी

(श्री अमीन खां)

नहीं पहुंचता है और कई जगह लोग पाइप उखाड़कर, चोरी करके ले गए हैं, उसका कोई धणी धोरी नहीं है। इसका हमको कठोर इंतजाम करना चाहिए। पहले लोग राज से डरते थे, हाथ लगाने से भी, अब तो कोई एमएलए का कार्यकर्ता है, कोई एमपी का कार्यकर्ता है, कोई प्रधान का कार्यकर्ता है इसके घमंड से किसी चोरी की परवाह नहीं करते हैं और वाटर वर्क्स की सारी लाइनों का सत्यानाश हो चुका है। माननीय जलदाय मंत्रीजी, नर्मदा प्रोजेक्ट का पानी तहसील गडरारोड के गांव रामसर लाने के लिए विशेष ध्यान रखें, जय हिन्द, धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री बिहारीलाल।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पेयजल पर इस सदन में चर्चा हो रही है, जल ही जीवन है, जल ही कल है, और आने वाले कल पर आने वाली पीढ़ियों के इस महत्वपूर्ण विषय पर आज यह सदन चिंतित है। माननीय मंत्रीजी भी पूरे समय सदन में बैठे गंभीरता से प्रत्येक सदस्य की बात को सुन रहे हैं। मैं सदन का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय सभापतिजी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, अभी अमीन साहब एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान लाए कि 1981 का श्रीमती इंदिरा गांधी, माननीय शिवचरणजी माथुर और लोगोंवालजी का समझौता, जिसमें राजस्थान को रावी-व्यास-सतलुज नदियों से 8.6 एमएएफ, मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना था जो आज भी राजस्थान को पर्याप्त नहीं मिलता है। यह इसलिए है आदरणीय मंत्रीजी, मैं जिस क्षेत्र से मैं विधायक के रूप में आता हूं, नोखा बीकानेर जिले में ही है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण पेयजल का अगर कोई सोर्स है क्योंकि अंडर ग्राउंड वाटर तो डार्क जोन घोषित हो चुका है।

**(17.00 बजे)**

नोखा पूरा बीकानेर, पूरा उत्तर पश्चिमी राजस्थान इसी दायरे में आता है और महत्त्वपूर्ण पेयजल का अब कोई साधन बचा है तो यही लाइफ लाइन है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसमें पूरा पानी पंजाब से हमें नहीं मिल रहा है। आज पंजाब में कैप्टन साहब मुख्य मंत्री हैं। हमारे कैप्टन हैं आदरणीय अशोक गहलोत जी। दोनों कप्तान मिलकर तय कर लें ताकि हमारे हिस्से का पानी भी हमें मिले।

(श्री बिहारीलाल)

आदरणीय मंत्रीजी 7.5 में से 0.87 एमएफ ही सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिये रिजर्व किया गया है, जिससे कुल 1200 क्यूसेक्स पानी जो पेयजल के लिये मिलता है, उसमें से 300 क्यूसेक्स फर्स्ट स्टेज के लिये, 900 क्यूसेक्स सैण्किड स्टेज के लिये राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर- जो मूल रूप से इस योजना से लाभान्वित होने वाले जिले थे, समय के साथ-साथ जरूरतों के हिसाब से सरकारों ने इसमें परिवर्तन करते हुए आगे चूरू, सीकर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों तक इस पेयजल को पहुंचाने का काम किया।

पानी की जरूरत सब जगह है। मूल योजना में जो पेयजल के लिये 1200 क्यूसेक्स रिजर्व किया गया था, यह वर्तमान में बढ़कर 3000 से 3500 क्यूसेक्स हो गया है। अभी जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पांचवीं बैठक में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी शामिल हुए, उसकी चर्चा की। माननीय मुख्य मंत्रीजी के फेसबुक पेज से मैंने यह बात उठायी है कि दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पांचवीं बैठक में वर्षा जल संरक्षण, पेयजल, कृषि, सूखा प्रबंधन, राज्य के विकास आदि अहम मुद्दों पर राज्य का पक्ष मजबूती से रखा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसमें एक बात कही है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के तृतीय चरण के लिये 1454 करोड़ रुपये की वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। माननीय मंत्रीजी, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना में पाली और जोधपुर के लिये यह बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़ा दिल रखते हैं। आज सदन में हमने देखा हमारे अविनाश जी ने जिस बात को उठाया, पंचायती राज सहायक की बात को, उस पर हमारे सदन में उप-मुख्य मंत्रीजी ने बड़े दिल का परिचय देते हुए जवाब दिया और वित्तीय संसाधनों की बात को दूर करते हुए उन्हें नियमित करने की बात कही।

इसी तरह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी, भले ही जोधपुर ने साथ नहीं दिया हो, फिर भी जोधपुर और पाली की चिंता करते हुए इस बात को कहने का प्रयास किया है तो हम भी मांग करते हैं माननीय मंत्रीजी बड़ा दिल रखते हुए हमारी बात भी सुनें। आपके सदन के नेता जब अतिरिक्त पानी की मांग करेंगे तो उससे पहले बीकानेर जिले में जो पोंग बांध बना है, जिसमें सतलज,

(श्री बिहारीलाल)

रावी, व्यास का पानी एकत्रित होकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकलती है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन बनी है तो पोंग के विस्थापितों को जमीन देने का काम अगर किसी ने किया है तो बीकानेर जिले ने किया है।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा पोंग विस्थापितों को जमीनें अलोट हुई हैं। बीकानेर का फ्लोरा और फोना प्रभावित हुआ है, वैजिटेशन प्रभावित हुई है, इसलिए बीकानेर की मांग को सर्वप्रथम पूरा किया जाना न्यायोचित होगा, क्योंकि बीकानेर के नोखा विधान सभा क्षेत्र से नागौर के लिये लिफ्ट परियोजना गयी है, डीडवाना के लिये गयी है, लेकिन नोखा प्यासा रहे, यह कहां तक उचित है। निश्चित तौर पर आप इस परियोजना में नोखा को भी शामिल करें।

2008 में हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने उस बजट प्रस्ताव में नोखा के लिये 374 करोड़ रुपये की एक बड़ी घोषणा की कि नागौर लिफ्ट परियोजना के सैकंड फेज में नोखा और उसके समस्त गांव, ढाणियों को इस बड़ी योजना से जोड़ा जाएगा, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): सभापति महोदय, तीन-चार मिनट का समय और दीजिए, उसमें मैं अपनी बात कन्क्लूड कर दूंगा।

**श्री सभापति:** एक मिनट में आप समाप्त करें।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): हमारे नोखा की जो परियोजना 2008 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी और सबसे बड़ी बात, नोखा के लिये 59 एमएलडी पानी भी देशनोक तक लाकर छोड़ दिया यानी पानी का रिजर्वेशन नोखा के लिये हो चुका है। मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि अब तो योजनाएं बन रही हैं, लेकिन नोखा के लिये तो पानी का भी रिजर्वेशन हो चुका है, इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसे पुन: जीवित करें, अब हो सकता है यह योजना कुछ सैकड़ों करोड़ और बढ़ जाए। फ्लोराइड की समस्या नागौर से ज्यादा नोखा में है, इसलिए जब नागौर में पानी जा रहा है तो नोखा के लिये इस परियोजना को पुन: जीवित किया जाए।

**श्री सभापति:** समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): आदरणीय कल्ला जी, नोखा उम्मीद करता है कि आपके राज में कल-कल बहता हुआ पानी नोखा के ग्रामीणों और

(श्री बिहारीलाल)

शहरवासियों की प्यास बुझाएगा। यह योजना जब तक इंप्लीमैंट हो, मैं माननीय कल्ला जी से और सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी कई परियोजनाएं आपके विभाग में लम्बित हैं, जैसे हमारे पांचू की बड़ी योजना है, हमारे रासीसर की बड़ी योजना है, ढींगसरी काहिरा, सुरपुरा आदि की बड़ी योजनाएं हैं जो कि घर-घर पानी पहुंचाने की योजनाएं हैं।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): इन योजनाओं को भी स्वीकृत किया जाए और जो ट्यूबवैल फेल हो गये, उनके लिये नयी स्कीमों को लागू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, कई बार दिक्कतें आती हैं कि हमारे विभाग में मात्र दस-पंद्रह प्रतिशत कर्मचारी...

**श्री सभापति:** अंकित नहीं होगा, विराजिए।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): 000

**श्री सभापति:** विराजिए।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): 000

**श्री सभापति:** विराजिए। श्री सुरेश मोदी।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): 000

**श्री सभापति:** अंकित नहीं हो रहा है। श्री सुरेश मोदी।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): 000

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्री सुरेश मोदी** (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ करने का निवेदन करता हूं। पहली बार राजस्थान में 2006 में जब डार्क जोन घोषित हुआ तो सबसे पहले सीकर जिले के दो ब्लाक उसमें शामिल किये गये। पहला, श्रीमाधोपुर, जिसमें नीमकाथाना आता है और दूसरा धोद। नीमकाथाना में आज जल स्तर एक हजार फीट से भी नीचे चला गया है। विभाग ने अभी पिछले महीने बोरिंग की, जिसमें 1100-1200 फीट तक भी पानी नहीं मिल पाया। इतनी गहराई में पानी कहीं मिलता भी है तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा और टीडीएस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कई भयंकर बीमारियों को जन्म देती है।

क्षेत्र में जितने भी हैंडपंप और बोरिंग सरकार द्वारा विभिन्न

(श्री सुरेश मोदी)

योजनाओं में लगाये गये, वे सब पानी की गहराई की वजह से नाकारा हो चुके हैं। क्षेत्र में पिछले कई सालों में बहुत कम बरसात हुई है एवं अति दोहित क्षेत्र होने से जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। पानी की कमी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्यों एवं पशुओं की रक्षा के लिये शीघ्र उपाय सरकार द्वारा किये जाने बहुत आवश्यक हैं। मैं राज्य सरकार और जलदाय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में अपील करता हूं कि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, जो एकमात्र स्थायी समाधान है पेयजल समस्या का, उसे शीघ्र पूरा किया जाए।

पिछली गहलोत सरकार में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की योजना सीकर और झुंझुनूं जिले के लिये स्वीकृत की गयी थी, जिसके प्रथम फेज का काम साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये का पूरा हो चुका था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पिछली सरकार ने उस योजना पर ध्यान नहीं दिया, वर्ना नीमकाथाना क्षेत्र अब तक पेयजल की समस्या से मुक्त हो गया होता। अब द्वितीय फेज का जो काम है, उसकी दोबारा से डीपीआर हुई है और वह जो साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की योजना थी, वह अब ग्यारह हजार करोड़ रुपये के आस पास पहुंच गयी है।

मेरा जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि यह सारा पैसा एक साल में खर्च नहीं होगा, इसलिए इस बजट में द्वितीय फेज के लिये कुछ रकम जरूर दी जाए जिससे कि इसका काम शुरू हो सके और सबसे पहले पाइप लेइंग का काम हो, जिससे कि जैसे ही वह काम पूरा हो तो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उससे पानी की सप्लाई चालू हो सके। बाकी दूसरे, तीसरे साल में जब और रुपया उपलब्ध कराया जाए, तब इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम और पीएसपी वगैरह का काम उससे किया जा सकेगा।

मेरा दूसरा सुझाव है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया जाए, इसके लिए हम राजस्थान में कई क्षेत्रों में जो बरसों से तकनीक अपनायी जा रही है टांका सिस्टम की, वह तकनीक अपनायी जाए। जिस तरह से केन्द्र सरकार द्वारा शौचालय के लिए अनुदान राशि 12 हजार रुपये दी जा रही है उसी तरह से जो व्यक्ति टांका निर्माण करे चाहे वह 20 हजार लीटर का हो, चाहे वो 30 हजार लीटर का हो, उसके लिए सरकार अलग-अलग अनुदान निश्चित करे और वो अनुदान जो भी व्यक्ति टांका निर्माण करे उसे दिया जाए जिससे कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हर गांव, हर ढाणी में हो सके।

(श्री सुरेश मोदी)

जल स्वावलम्बन अभियान भी चालू रखा जाए। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कड़े कानूनों का प्रावधान किया जाए।

मैं खनन क्षेत्र से आता हूं उसमें पर्यावरण विभाग और एन.जी.टी. आजकल नये कानून बना रही है उसके अन्तर्गत जो खनन क्षेत्र की सड़कें हैं उन पर पानी स्प्रे का प्रावधान करती है। नियम इस तरह का बना रखा है कि उन सड़कों पर पानी छिड़का जाएगा। मेरा निवेदन है कि उसके लिए कोई दूसरा उपाय किया जाए और पानी की जो बर्बादी जिस-जिस क्षेत्र में हो रही है उसे रोका जाए।

सबसे आखिर में एक और कानूनी प्रावधान किये जाने हेतु मैं निवेदन करता हूं जिसके तहत यदि एक गांव में पानी उपलब्ध है और पास के दूसरे गांव में पानी उपलब्ध नहीं है तो दूसरे गांव को पहले गांव में पेयजल स्रोत बनाने का कानून प्रावधान हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस गांव में पानी है, दूसरे पड़ौसी गांव को पानी देने के लिए वो जल स्रोत नहीं बनाने देते हैं इसलिए इस तरह का कानूनी प्रावधान किया जाए कि पास के गांव के लिए जल स्रोत दूसरे गांव में बनाया जा सके।

पेयजल के अलावा कृषि क्षेत्र में भी पानी बिल्कुल बन्द हो गया है जिसका नतीजा बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी है। मेरे क्षेत्र में बुवाई बहुत कम होती है, खेती बहुत कम होती है जिसका एकमात्र कारण पानी की कमी है। सरकार ऐसा कोई उपाय करे, किसी नहर या नदी से मेरे क्षेत्र को जोड़े जिससे कि वापस खेती का काम क्षेत्र में शुरू हो और बेरोजगारी की समस्या पर भी लगाम लगे।

ऐसे विधान सभा क्षेत्र जहां पानी की बहुत कमी है उनके पेयजल के लिए सरकार ज्यादा बजट का प्रावधान करे, ऐसा मेरा निवेदन है।

एक और समस्या जो मैंने अभी देखी कि जलदाय विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको 200 रुपये का वेतन दिया जाता है। आज के जमाने में 200 रुपये में कोई कर्मचारी कहीं भी नहीं मिलता तो मेरा निवेदन है कि यह जो 200 रुपये की रकम है इसको बढ़ाया जाए और ऐसी रकम की जाए जिसमें आदमी मिल सके।

सभापति महोदय, नई सरकार को बने करीब 7 माह का समय हो गया लेकिन अभी तक मेरे क्षेत्र में पेयजल की कोई व्यवस्था, कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। वजह कई हैं, आचार संहिता लगी लेकिन समस्या अपनी जगह

(श्री सुरेश मोदी)

गम्भीर है और उसके लिए उपाय किया जाना बहुत आवश्यक है। आपने मुझे इस अत्यन्त महत्वपूर्ण सब्जैक्ट पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापतिः** श्री जोगेश्वर गर्ग।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य नदियों को नदियों से जोड़ने का जिक्र कर रहे थे। एक जानकारी आपके माध्यम से सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अधिक पानी वाली नदियों को कम पानी वाली नदियों से जोड़कर भूजल, सतही जल का वितरण पूरे देश में ठीक ढंग से हो सके यह परिकल्पना सबसे पहले जिस व्यक्ति के दिमाग में आई थी उस महापुरुष का नाम था डाक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उन्होंने एक अच्छा सा ड्राफ्ट बनाकर तत्कालीन प्रधान मंत्री नेहरू जी को दिया था। अब नेहरू जी और अम्बेडकर जी के सम्बन्ध आपस में कैसे थे वो सारा इतिहास जानता है, देश जानता है और इसलिए वो योजना आगे नहीं बढ़ी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस योजना को हाथ में लिया, कई जगह सर्वे भी हुए थे और वो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उन पर कार्यवाही करने के लिए वो कुछ करते उससे पहले वो सरकार चली गई। उसके बाद 10 साल तक वो फाइलें भारत सरकार में फिर धूल फांकती रही। उस नमूने पर 2-3 काम गुजरात में हुए हैं और 2-3 काम मध्य प्रदेश में हुए हैं। राजस्थान में उसी नमूने पर एक प्रोजेक्ट पिछली सरकार ने लिया था जवाई पुनर्भरण योजना का। साबरमती बेसिन से पानी लाकर सेई बांध के माध्यम से जवाई बांध में डालना ताकि जवाई बांध 12 महीने भरा रह सके और उसके नीचे डाउन स्ट्रीम में भी, पाली जिले में भी, सिरोही में भी, जालौर में भी उस पानी का सदुपयोग हो सके। यह महत्वाकांक्षी योजना, पिछली सरकार ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर एप्रूव कर ली थी और अब उस काम को आगे बढ़ाने का काम, मूर्त रूप देने की बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार पर आ गई है। मुझे विश्वास है मेरे क्षेत्र की, मेरे जिले की जनता की तरफ से मैं सरकार से निवेदन भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि उस योजना को हाथ में लीजिये और उसके लिए जो भी आपको करना पड़े, फण्ड्स की व्यवस्था के लिए भारत सरकार से भी आपको लाना पड़े तो लाइये, उसमें हम भी सहयोग करने को तैयार हैं पर उस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करना चाहिए।

मैं, दूसरा, धन्यवाद और करना चाहता हूं पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

वसुंधरा राजे जी का कि पिछली बार जब मैं विधायक था तो मेरे निवेदन पर उन्होंने नर्मदा नहर में आने वाले पानी से पूरे जालौर जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना स्वीकृत की थी और उसके कारण ही जो नर्मदा में हमको साल में कुल 170 दिन पानी मिलने वाला था उसकी बजाय 270 दिन पानी मिलना तय हुआ था और उस पर काफी काम हुआ भी।

एफ.आर. प्रोजेक्ट और ई.आर. प्रोजेक्ट मेरे क्षेत्र को लाभान्वित करते हैं। एफ.आर. प्रोजेक्ट का काम 2008 में शुरू हुआ था, 2010 में पूरा होना था पर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उस पर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लेकिन एफ.आर. और ई.आर. प्रोजेक्ट पर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा, मेरी साथी विधायक श्री छगन सिंह जी इस पर बोलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने माननीय मंत्री महोदय से कहा था कि आपके विभाग में टेंडर प्रोसेस में काफी गड़बड़ियां हो रही हैं। टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी होना कोई नई बात नहीं है, आज से ही शुरू नहीं हुई है, पहले भी थी, होती रही है। मैन्युअली होते थे तब तो बहुत ज्यादा होती थी, अपने चहेते ठेकेदार को लाभ देना कोई भी अफसर कर लेता था। उससे बचने के लिए हमने ई-टेंडर, आनलाइन टेंडर की प्रक्रिया शुरू की। उस आनलाइन टेंडर प्रक्रिया में भी घालमेल हो रहा है। मैंने जब माननीय मंत्री महोदय से हफ्ते भर पहले जिक्र किया कि ऐसा हो रहा है तो बहुत उत्साहपूर्वक मंत्री महोदय ने कहा कि आप मुझे बताइयेगा, मैं कार्यवाही करूंगा। मंत्री महोदय, आज मैं बता रहा हूं और आन रिकार्ड बता रहा हूं। जालौर सर्किल से टेंडर जारी हुए 24 दिसम्बर के आस-पास टेंडर नम्बर 31 से लेकर 42 तक कुल 12 टेंडर, 12 में से 9 टेंडर आपको निरस्त करने पड़े। इस आरोप में निरस्त हुए, इस कारण से निरस्त हुए कि उस आनलाइन टेंडर में भी घालमेल हो गया, गड़बड़ हो गई, एल-1 को एल-2, एल-3 पर लाकर पटक दिया और ज्यादा गड़बड़ नहीं की, सिर्फ जहां माइनस था वहां प्लस कर दिया और प्लस था वहां माइनस कर दिया। आनलाइन टेंडर जब होता है, ठेकेदार अपना डाकूमेंट आनलाइन अपलोड करता है और उसको कोई देख भी नहीं सकता। कैसे पता चला कि उसने क्या रेट भरी है? इसका मतलब आपके किसी न किसी बड़े अधिकारी ने उस बात को लीक किया और लीक करने के बाद उसको रास्ता बताया कि कैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद टैम्परिंग हुई,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

टैम्परिंग होने का सारा रिकार्ड उपलब्ध हो गया। यह उसका प्रिंट आउट है। पहले कुछ रेट है, बाद में कुछ रेट है। वह जानकारी मिलने के बाद आपने उन 9 टेंडर को कैन्सिल किया, उसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन कैन्सिल करने के बाद भी उसके तीन साइड इफेक्ट रह गये। पहला साइड इफेक्ट, नुकसान उस बेचारे कांट्रेक्टर को हो गया जिसको टेंडर मिलना था और नहीं मिला। आपने निरस्त कर दिया, निरस्त नहीं करना चाहिए, रियल एल-1 को देना चाहिए था पर आपने निरस्त कर दिया तो वो उस लाभ से वंचित हो गया। चलिये, यह तो उसका व्यक्तिगत नुकसान है।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): मेरे क्षेत्र को नुकसान यह हो गया कि जो दिसम्बर में टेंडर हो रहे थे वो टेंडर उस समय यदि हो गये होते तो अब तक तो वो काम पूरे होने पर आ गये होते। उस काम से मेरी जनता वंचित हो गई। तीसरा, नुकसान यह हो गया है कि टेंडर तो आपने निरस्त कर दिये पर जिसने टैम्परिंग किया है उसको अभी तक आपने ढूंढकर नहीं निकाला, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, उसको सस्पैण्ड करना चाहिए था पर वह भी नहीं किया। उसकी आई.डी. आपको जब्त करनी चाहिए थी पर वो भी आपने नहीं की। कुछ नहीं हुआ, केवल टेंडर निरस्त। ऐसा यदि करते रहेंगे तो भविष्य में टैम्परिंग करने वालों के हौसले बढ़ने ही वाले हैं, घटने वाले नहीं हैं।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): एक अन्तिम बिन्दु और माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाह रहा हूं, वो भी एक टेंडर है। एनआईटी नम्बर 9 से 12, दिसम्बर में ये जारी हुए थे और इनकी भरने की अन्तिम तारीख फरवरी में थी, 11 दिसम्बर को।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): आखिरी पाइन्ट है मेरा।

**श्री सभापति:** मंत्री महोदय से मिलकर दे देना, आप उन्हें।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): दो मिनट, बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है। 11 दिसम्बर को आपको भी सर्टिफिकेट मिला, मुझे भी सर्टिफिकेट मिला। ठीक 11 दिसम्बर को उस टेण्डर में घालमेल किया गया और उसमें नियम विरुद्ध काम करते हुए, उसकी तारीख बदल दी, उसका टैण्डर नम्बर बदल दिया। जो टैण्डर नम्बर 9 से 12 था, वो 13 से 16 किया गया। कैसे अधिकारी गड़बड़ कर रहे

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

हैं, 9 से 12 को 13 से 16 किया, उसकी डेट को प्रीपोन कर दिया, प्रीपोन किया नहीं जाता है कभी टैण्डर की डेट को। उसको प्रीपोन किया गया और प्रीपोन करते हैं तो...

**श्री सभापति:** विराजिए माननीय सदस्य, श्री जगदीश चन्द्र।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): आखिरी पाइन्ट है। सभापति महोदय, सिर्फ एक मिनट और, प्रीपोन करते हैं तो अख़बार में जाना चाहिए था, नहीं दिया और प्रीपोन करने के बाद..

**श्री सभापति:** मंत्रीजी के कक्ष में जाकर ज्यादा अच्छा समझाएंगे आप।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): ये पाइन्ट यदि अंकित नहीं होता है तो भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने की यह सदन कार्यवाही करेगा।

**श्री सभापति:** श्री जगदीश चन्द्र। अंकित नहीं होगा।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): 000

**श्री सभापति:** श्री जगदीश चन्द्र, विराजिए, विराजिए।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): 000

**श्री सभापति:** विराजिए, विराजिए। श्री जगदीश चन्द्र।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): 000

**श्री सभापति:** अंकित नहीं हो रहा है आपका। श्री जगदीश चन्द्र। बैठिए माननीय सदस्य। अच्छा रहता माननीय मंत्री महोदय से कक्ष में जाकर मिलते आप। विराजिए आप, विराजिए आप। माननीय जगदीश चन्द्र।

**श्री जगदीश चन्द्र** (सादुलशहर): मैं आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आपने मौका दिया और सरकार को इस बात के लिए बधाई कि इतने गम्भीर मुद्दे पर आज सदन में यह चर्चा कराई है। मैं राजस्थान के विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर से आता हूं। मैं उसी के बारे में चर्चा करता हूं। मेरे से पूर्व सदन के तमाम नेताओं ने, तमाम एमएलएज ने अपनी-अपनी बात रखी और टैक्नीकल-नान टैक्नीकल सारी बातों की चर्चा की है।

मैं समझता हूं कि दो-तीन मिनट लूंगा, ज्यादा लम्बी बात नहीं। सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र में करीब 213 गांव आते हैं। चार गांव हैं खासकर के, जिनमें पीने के पानी की समस्या है, करीब तीस-तीस, पैंतीस-पैंतीस साल हो गये वाटर वर्क्स को बने

(श्री जगदीश चन्द्र)

हुए, पाइपें खराब हो गई हैं, पाइपें पंक्चर हो गई हैं, पाइपें जमीन में चली गई हैं। 31 सीजी करतारशहर, 4 केआरडब्ल्यू अमरगढ़, 28 जीजी जोधेवाड़ा, 10 से छोटा और कालूवाड़ा ग्राम पंचायत 30 टीटीपी प्रतापपुरा, गंगानगर जिला जहां नहरों से सिंचाई भी होती है और पीने के पानी की व्यवस्था भी लोग करते हैं। मुझे कहते हुए इस बात का अफसोस है कि समुद्र के पास रहने वाला व्यक्ति भी प्यासा है। जहां पूरे राजस्थान में गंगानगर जिले को पानी के नाम से जाना जाता है। मेरे पूर्व साथी गंगानगर के हमारे माननीय सदस्य ने दूषित पानी की चर्चा की।

सभापति महोदय, चर्चा इस सदन में इस बात की होनी चाहिए थी कि वर्तमान में जो पानी की व्यवस्था है, पानी इससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। एक मात्र बरसात ठीक हो गई, डैम भर गये तो पानी आ जाएगा। डैम में पानी नहीं हुआ तो पानी नहीं आएगा। इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं हो सकती। हमें इसी पैरामीटर में व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किस तरह से राजस्थान की जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हम करा सकें। इस पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, हमारे पीएचईडी मंत्रीजी को बधाई देना चाह रहा हूं कम से कम गंगानगर के बारे में गंभीरता दिखाई। इन लोगों ने हमारी समस्याओं को सुना, इन्होंने इस बात के लिए और स्थिति यह हो गई है गंगानगर जिले की और खासकर सादुलशहर की तीन तरफ पंजाब लगता और एक तरफ अन्तरराष्ट्रीय सीमा लगती है। करीब 17 गांव जो जीरो से 10 किलोमीटर की लाइन पर हैं, जहां पीने की पानी स्थिति देखो आप तो हमें खुद को शर्म आती है कि हम इस जिले में रहते हैं, जहां गंग कैनाल, भाखड़ा और इंदिरा गांधी कैनाल की तीन-तीन सिंचाई योजना हमारे जिले के अंदर हैं। उसके बावजूद भी पीने की समस्या गम्भीर बनी हुई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे दो सुझाव हैं पानी बचाने के। पहला सुझाव है कि आज राजस्थान के हर घर में आरओ सिस्टम की व्यवस्था हो गई, सबके फिल्टर लगे हुए हैं। उससे होने वाला वैस्टेज पानी है, जिसके बारे में सदन में किसी ने भी चर्चा नहीं की, वो पानी कहां पर जाता है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। टैक्नीकल अफसर बैठे हैं, उसके बारे में आप चिंता करें। दूसरा, जनता जल योजना जो थी, जो ग्राम पंचायत के अधीन हम लोगों ने कर दिया, वो जनता जल योजना करीब-करीब आपकी फेल हो गई है। ग्राम पंचायतों ने ग्राम के सरपंचों ने वहां पोलिटिकल अड्डा बना लिया। जिसकी वजह से वाटर वर्क्स का नुकसान हो गया है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

इसलिए, पुनर्विचार करने की जरूरत है। दुबारा से इस पर चर्चा करके और वापस पीएचईडी डिपार्टमेंट को हैण्ड ओवर करें। जहां सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, सरकारी व्यक्ति की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वह ठीक ढंग से काम करके लोगों को पानी की व्यवस्था करा सके। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कैंसर के साथ-साथ अगर हार्ट अटैक का रेशो देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा सादुलशहर और गंगानगर जिले का है। ये बहुत चिन्ता का विषय है। आप मकान बना दोगे, आप नहर दे दोगे, सब चीज सरकार दे देगी, आने वाली पीढ़ी बचेगी क्या आपकी? सवाल उस पीढ़ी को बचाने का, सदन के माध्यम से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उस पर चर्चा करें और इस समस्या का कोई समाधान सरकार के माध्यम से करके जनता की चिंता दूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

**श्री सभापति:** श्री अभिनेश महर्षि।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जल ही जीवन है और यह आज बहुत गम्भीर समस्या हमारे लिए चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। व्यक्ति के जीवन में पांच मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं- बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा। उन सबमें भी पानी सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारा राजस्थान राज्य देश में सबसे बड़ा भू भाग के रूप में है लेकिन हमारे पास पानी की उपलब्धता बहुत कम है और मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने बताया कि करीब-करीब एक परसेंट के करीब हमारे पास में पानी है और जमीनी पानी के ऊपर हम निर्भर करते हैं। जमीन का जल स्तर लगातार नीचे चला जा रहा है। जल संसाधन सरकारी अंकेक्षक कैग उसने हालिया जो रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन पर बहुत बड़ी गिरावट आने के कारण जल संकट और गहराता जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज की समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसके अंदर और अधिक हम लोगों को प्रयास करने चाहिए। अनेक नदियां सूख गई हैं, नदियां नालों के रूप में आ गई हैं। गांवों के अंदर जो कुण्ड हैं वो या तो बने लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत कमजोर रही, जिसके कारण कुण्ड जिस उद्देश्य से बनाये गये थे, उस उद्देश्य

(श्री अभिनेष महर्षि)

की पूर्ति नहीं हो पाई है। हमारे यहां पर जो पानी की लाइन है माननीय मंत्री महोदय, वो बीस-पच्चीस वर्ष पुरानी पाइप लाइन डाली गई थी। दस-दस फीट, पन्द्रह-पन्द्रह फीट नीचे वो पाइप लाइन चली गई हैं और उनके अन्दर पेड़ों की जड़ें उन पाइप लाइनों के अंदर आ गई हैं। मेरा निवेदन है इस सदन के माध्यम से कि उन पूरी की पूरी पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता आज सबसे बड़ी हो गई है। गांवों के अंदर जेजेवाई योजना जो है, जनता जल योजना उसके अन्दर जो पीएचईडी ने कुएं बनवाये, उनको थोड़े समय बाद में ग्राम पंचायतों को दे दिया गया और ग्राम पंचायतें कहती हैं कि ये हमारा नहीं है, पीएचईडी कहता है कि यह कुआ हमारा नहीं है, सफर करता है गांव का वो व्यक्ति जो एक बार मोटर खराब हो जाए, कई-कई बार तो आश्चर्यजनक स्थिति होती है कि मोटर डाली है, नई पाइप लाइन डाली है, उसके बाद में भी पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाइपों की गुणवत्ता इतनी कमजोर होती है कि वो एक बार मोटर चलाते ही पाइप फट जाते हैं। मेरे इलाके के अंदर 13 ऐसे नलकूप मैंने स्वयं जाकर के देखे हैं। तीन दिन पहले उन पाइप लाइन को डाला था और उसके बाद में उन पाइप लाइन के अंदर छीजत आ गई है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा कि उन पाइपों की गुणवत्ता की भी जांच करवाएं और जो मोटर खराब होती है उनको जल्दी से जल्दी ठीक कराने की जरूरत भी है। जोहड़ पायतन के ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। कैचमेंट एरिया था उसके ऊपर कब्जा कर लिया जिससे जो बरसात के पानी का हमारा मुख्य स्रोत था वह रुक गया और जोहड़ पायतन की भूमि पर कब्जा होने के कारण आज मेरे रतनगढ़ शहर की भी मैं बात करूं परमाणाताल एक जोहड़ पायतन की भूमि जिसके ऊपर तथाकथित राजनीतिक लोगों ने मिल करके कब्जा कर लिया, उस परमाणा ताल के ऊपर जो पानी इकट्ठा होता था जो पानी पीने के काम में भी आता था उसके पास में दो-दो मंदिर भी हैं, आज वह पूरा का पूरा भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया ऐसी स्थिति में वहां पर भी बहुत गम्भीर समस्या आई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु के ऊपर दिलाना चाहता हूं। एससी/एसटी के लोगों के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जो एससी के मौहल्ले थे उनमें छोटी-छोटी सिंगल फेज की ट्यूबवैल बनवाई थी और उनके वहां पर पीने के पानी की टंकी की भी व्यवस्था की थी। पांच साल के अन्दर उन ट्यूवैल्स का ठेकेदार का काम पूरा हो गया उसके बाद

(श्री अभिनेश महर्षि)

ठेकेदार उन ट्यूबवैल्स को ठीक नहीं करवाता है। पानी के अभाव में वो टंकियां भी सूख करके टूट गई और ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी ट्यूबवैल्स बंद हुई पड़ी हैं। पीएचईडी के अधिकारियों से बात की जाती है तो वो यह कहते हैं कि ठेकेदार का काम पूरा हो गया। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को...

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें आप।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): सभापति महोदय, मुझे दो-तीन मिनट का समय दीजिये। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। पिछली सरकार के दौरान जो खारे पानी की समस्या से निजात पाने के लिए आरओज लगवाये थे वो आरओ भी अधिकांश खराब पड़े हैं उन आरओज को भी सुधरवाने की आवश्यकता है और जो ढाणियों में कनेक्शन देने की बात है जो घर-घर कनेक्शन देने की बात है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उनके लिए कोई सेपरेट सिस्टम की व्यवस्था की जाए क्योंकि वहां पर भी एससी/एसटी के लोग ज्यादा बसते हैं और गांव के बाहर बसने के कारण टीबों के ऊपर बसते थे वहां पर पानी नहीं चढ़ता है। गांव की लाइन से पानी दोगे तो वहां पर उन्हें पानी नहीं मिल सकेगा। उनको यदि पानी पिलाना है तो उनके लिए सेपरेट लाइन देनी पड़ेगी तब जाकर के बात होगी।

मैं बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, सिंगल फेस ट्यूबवैल की बात के बाद में पीएचईडी के कुएं जो ग्राम पंचायतों को सौंप दिये हैं वहां कर्मचारियों की कमी है वहां पर कर्मचारी नहीं हैं ऐसी स्थिति में पानी होते हुए भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कुएं चलाने के लिए आदमी नहीं है। अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए एक मिनट में मेरी बात को समाप्त करूंगा। आपणी योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी उसके अन्दर बहुत ढिलाई बरती जा रही है। इतना बड़ा बजट देने के बावजूद भी 971 करोड़ रुपये की वह योजना उसके बाद भी मेरे गांव के बीछड़ी, कुहाड़िया, बिडास की ढाणी, छापर, जोगलिया, लोच, खालिया, खूड़ी, नीमड़ी, छुआस, बड़ाबल, जेगणिया सूरजमाल सिंह, जेगणिया बीका नालसर वास, प्रेम नगर, इकलाई तलाई, राज्यासर, कागजी की ढाणी, नियामा, खारिया, जोगलिया, जैतासर, बामणिया, रतनादेसर, रामपुर, देवाणी, सांवतिया और खींचड़ों की ढाणी इन सबके अन्दर कहीं पर कोई पाइंट नहीं दिया गया है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

कहीं पर कनेक्शन नहीं दिया गया है। पानी की गम्भीर समस्या है जिसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और जो आपणी योजना का काम ढीला है, 2013 में शुरू हुई योजना 2016 तक कमप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2016 तक नहीं होकर के आज 2019 तक भी वह योजना कमप्लीट नहीं हो पाई है।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में मैं मेरी बात को पूरा कर दूंगा।

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): एक मिनट में मेरी बात को समाप्त कर देता हूं।

**श्री सभापति:** नहीं समाप्त करें। हो गया आपका।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, इस गम्भीर समस्या की तरफ सदन का ध्यान...

**श्री सभापति:** समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): 000

**श्री सभापति:** श्री गोपाल लाल मीना।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे पानी के इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा कि पानी की योजनाएं सरकारें आती हैं, बनाती हैं, लेकिन पुराने जमाने में हमारे जयपुर के महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय ने 1901 में जमवारामगढ़ बांध की नींव रखी और करीबन नब्बे साल तक उस पानी का फायदा हमारे जयपुर शहर ने लिया। पेयजल के साथ नहरों द्वारा सिंचाई के लिए यह बांध महत्वपूर्ण रहा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो जमवारामगढ़ बांध में पानी की जो कमी आई है वह सूख गया है उसका मुख्य कारण यह है कि बरसात नहीं आ रही है। जमवारामगढ़ बांध की पिछली सरकार में योजना भी बनी। उस योजना में 1069 करोड़ रुपये की योजना 2013 के बजट में रखी लेकिन पिछली सरकार ने इस योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि ऐसी योजनाएं जो सदियों तक चले उन योजनाओं को कोई भी सरकार आये उन योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि

(श्री गोपाल लाल मीना)

जमवारामगढ़ क्षेत्र में जो जमवारामगढ़ बांध है उसमें बिलकुल शुद्ध पानी की आवक है। उसमें कई जगह जो कब्जे हुए हैं उसकी वजह से पानी नहीं रुका है मैं यह मानता हूं। पानी रुका है तो केवल बरसात की वजह से। अगर बरसात आ जाए तो चाहे कितना ही कब्जा करते रहें लोग पानी अपने आप जगह बनाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए मेज नदी से जो 1068 करोड़ की स्कीम है, सरकार और माननीय मंत्री महोदय को मैं कहना चाहूंगा कि उस योजना को पुन: इस बजट में लाएं, ताकि जयपुर शहर के साथ-साथ में बूंदी के दो बांध, टोंक के 14 बांध और तालाब और जयपुर के सात बांधों सहित जयपुर शहर को पानी पिलाते हुए जमवारामगढ़ में पानी भरने की योजना थी। इस योजना को सरकार पुन: बजट में रखे, ताकि पानी की लंबी योजना जिस प्रकार से जमवारामगढ़ को जब बनाया था उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि सौ साल तक इस बांध का पानी जयपुर शहर पीएगा। आज अगर चम्बल नदी की मेज नदी से पानी आता है तो इस योजना का सौ साल तक फायदा लिया जा सकता है। अभी मेरे से पूर्व आमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यमुना नदी से पानी आये। मैं कहना चाहूंगा कि चम्बल नदी से जो पानी आता है वह साठ दिन के लिए ऐसा पानी है कि वह पानी व्यर्थ जाता है वह पानी व्यर्थ न जाकर साठ दिन अगर आता है तो जमवारामगढ़ सहित बीस-पच्चीस बांधों को उस पानी का फायदा मिलेगा। तो, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस योजना को बजट में रखे, ताकि चार जिलों बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा को इससे पानी का फायदा होगा और ऐसी बड़ी योजना जो हमारी सरकार ने रखी पिछली बार, वह केन्द्र के सहयोग से उस योजना को पुन: इस बजट में रखकर मैं समझता हूं कि पेयजल की समस्या को दूर किया जा सकता है।

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ क्षेत्र में जमवारामगढ़ बांध भी सूख गया उसके साथ-साथ हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में केवल ग्राउंड का पानी आ सकता है और ग्राउंड के पानी की स्थिति यह है कि आज पांच सौ से सात सौ और हजार फीट गहरा पानी है इसलिए पानी की बहुत-बड़ी समस्या है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को आप हमारे भानपुरकलां में गये थे और दो करोड़ रुपये की स्कीम पास की उसके साथ में सत्तर लाख की एक और पैंतालीस की एक योजना हमारे क्षेत्र के लिए दी। करीबन तीन करोड़ रुपये का जो बजट हमारे क्षेत्र के लिए दिया है अभी उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): एक मिनट। दूसरा यह कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, अभी आपने एक योजना और बनाई है वह योजना है ब्राह्मणी बीसलपुर इंटर लिंक परियोजना।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): इस योजना को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि मेरे जमवारामगढ़ क्षेत्र में जो बीसलपुर परियोजना बस्सी में है, वह दस किलोमीटर अंदर है। उसको इस तरह से बना दिया गया जैसे भारत पाकिस्तान का पानी पीता है, वैसे है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि हमारे जमवारामगढ़ क्षेत्र से लगा हुआ जो बस्सी का क्षेत्र है, बीसलपुर परियोजना की जो स्कीम है, उसमें हमारे जमवारामगढ़ क्षेत्र को भी जोड़ दें। दो भाई हैं और दोनों भाइयों में एक जमवारामगढ़ में और एक बस्सी में है, बस्सी वाला तो बीसलपुर का पानी पी रहा है और जमवारामगढ़ वाला नहीं पी रहा है। ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट इसको देखकर....

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य, सहयोग करें।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): मैं यह कहना चाहूंगा कि उस योजना से जमवारामगढ़ के क्षेत्र को भी जोड़ा जाए ताकि ऐसा महसूस नहीं हो कि इधर वाला भाई तो पानी पी रहा है और उधर वाला नहीं पी रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बीसलपुर से पानी देने की बड़ी योजना बना रहे हैं, इस योजना को अगर लेंगे तो निश्चित रूप से जयपुर शहर और आसपास के जिलों को उसका फायदा होगा। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति:** श्रीमती किरण माहेश्वरी (अनुपस्थित), श्री अमृतलाल।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, हमारे पीएचईडी मंत्रीजी उस क्षेत्र से आते हैं तो उनको पानी का पूरा अनुभव है।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, आपके सामने घड़ी है, आप घड़ी देख लीजिए, सही पांच मिनट में आप अपने आप बैठ जाएंगे, मुझे नहीं कहना पड़े आपको।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। मंत्रीजी पानी की समस्या को भलीभांति जानते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि

(श्री अमृतलाल मीणा)
मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां चारों तरफ बांध हैं माही डैम है- जयसमंद झील है, सोम कमला अंबा है, डाया डैम है। उनकी जो व्यवस्था है, जयसमंद झील का विषय बार-बार चर्चा में आता है, मीठे पानी की एशिया में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बनी हुई है, माही उससे बड़ा डैम है, वह भी भर जाता है। उसका पानी मय सागर में बहता हुआ कडाणा डैम होते हुए गुजरात और दरिया में चला जाता है। राज्य सरकार के द्वारा और हमारे भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रीजी जो राजस्थान से हैं, अगर यह स्कीम बन कर, माही का पानी जयसमंद में भरने की स्कीम आप हाथ में लेंगे तो सम्पूर्ण मेवाड़ को फायदा होगा जिसमें उदयपुर, सराड़ा तहसील, सलूम्बर तहसील, लसाड़िया तहसील, बिंडर, कुराबाड़, मावली तक पानी ले जा सकते हैं और वह पानी किसानों के खेती के लिये भी काम आयेगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि 93 गांव जयसमंद की परिधि में बिलकुल किनारे पर हैं और वे सारे पानी से जूझ रहे हैं, 72 गांव सलूम्बर तहसील के और 21 गांव लसाड़िया तहसील के हैं, उनको अगर शुद्ध पानी मिल जाता है तो लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तीसरी बात मैं यह कह रहा हूं नगर पालिका क्षेत्र में 550 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति मिली हुई है। उसमें अंडर ग्राउंड पाइप लाइन और चार टंकियों का निर्माण करना, वह आपके द्वारा अगर जारी हो जाएगी तो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। चौथा, देवेन्द्र एनीकट है जो पूरे सराड़ा तहसील के दो किलोमीटर में है, वहां पानी को डाइवर्ट किया, पानी तो डाइवर्ट हो गया लेकिन सराड़ा तहसील और सलूम्बर तहसील के 21 गांव हैं, उनको भी शुद्ध पानी मिले। सोम कमला अंबा से पेयजल के लिये 14 गांव जूझ रहे हैं, वह भी बांध के बिलकुल साइड में हैं, उनको भी शुद्ध पानी मिले।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): हमारा टीएसपी एरिया है उसमें 2000 तक की जनसंख्या को आकलन मानते हुए उस योजना को लागू किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी सराड़ा तहसील का बरगाम गांव, सीमारी, करावली, डाल है, उसमें पानी की भयंकर समस्या है। वहां से पाइप लाइन जाती है, छोटी-छोटी नदियों में-झामरी नदी, गोमती नदी, सोम नदी और टीडी नदी पर जीरो लेवल का अगर एनीकट बनाया जाए तो बरसात का पानी रुक सकता है। गामडी और नठाहवा ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाये, यही मेरा निवेदन है, जय हिन्द।

**श्री सभापति:** श्री लाखन सिंह (अनुपस्थित), श्री सुरेश टाक।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका मिला।

**श्री सभापति:** पांच मिनट में विराज जाएं आप।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): बिलकुल, बोलूं तो सही। धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री महोदय का भी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने चर्चा रखी। मैं यह चाहूंगा जिस तरह यह चर्चा हो रही है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं, अगर उनको वास्तव में लिया जायेगा तो इस चर्चा की सार्थकता भी साबित होगी।

मैं इसमें कोई भूमिका नहीं बांधते हुए कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और हरेक विधान सभा में यह एक बड़ा मुद्दा है। अभी जो हालात हैं, यह हालात तो इतने विकट हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। स्थिति यह है कि हम ग्रामीण लोगों को फेस भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वहां बीसलपुर का पानी है लेकिन बीसलपुर का पानी केवल स्टेटस सिंबल होकर रह गया। गांवों में टेल एण्ड तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण अवैध कनेक्शन हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

**(17.47 बजे)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

अवैध कनेक्शन सबसे बड़ी मुसीबत है जो प्रभावशाली लोगों ने अपने-अपने तरीके से ले रखे हैं और गरीब लोग आज भी उस पानी का इंतजार कर रहे हैं जो कि राजस्थान सरकार को देना है। पीने का पानी अगर हम आज भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं। मैं उन गरीब लोगों की बात करना चाहूंगा जो आज भी पानी नहीं ले पा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय सामने बैठे हैं और पूरी टीम भी बैठी हुई है, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को इतना ताकतवर बनाएं कि इन अवैध कनेक्शनों को हटाने के लिये उनको पूरी पुलिस फोर्स मिले, उनको पूरी सुविधाएं मिलें और वह इस काम को करने के लिये पूरे स्वतंत्र हों। तभी ऐसा हो पाएगा और जब तक अवैध कनेक्शन नहीं हटेंगे आपका पानी बंटा हुआ रहेगा। जो मजबूत लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वह लेते रहेंगे।

मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा, मैं पूरे सदन से यह कहना

(श्री सुरेश टाक)

चाहूंगा कि हम लोग तो नये हैं, मैं पहले नगर परिषद का चेयरमैन भी रहा हूं और मुझे पता है, हम हमारे पुराने सोर्सेज को भूल गये हैं। बहुत सारे विद्वान माननीय सदस्यों ने यह बात रखी है, मैं इसको और तरीके से रखना चाह रहा हूं। हमारे जितने भी इनकमिंग सोर्सेज हैं, जो पानी की हमारे तालाबों में आवक है, वह सारे सोर्सेज करीब-करीब बंद से हो गये हैं। कहीं खुले हुए हैं तो वह 200 फुट की जगह 50 फुट रह गये हैं। अगर पानी को वास्तव में बचाना है तो हमको सबसे बड़ी इच्छा शक्ति यह जगानी पड़ेगी कि जो पानी की आवक के रास्ते हैं, उन रास्तों को खोलना पड़ेगा और बहुत मजबूती के साथ उन पर एक्शन लेना पड़ेगा। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, उनके अतिक्रमण हटाने पड़ेंगे। जितनी भी बरसात होती है उस पानी को अगर पूरा हमने संचय कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि हमें पानी की कोई कमी आएगी। हमारा जल स्तर बढ़ेगा और जल स्तर बढ़ेगा तो जमीन का पानी हमें मिलना शुरू हो जाएगा। जितने भी सार्वजनिक कुएं हैं जो पहले पीएचईडी के पास थे, अब वापस पंचायतों के पास चले गये हैं क्योंकि उनकी सुध लेना छोड़ दिया। जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं कुएं, बावड़ी, नाड़ी, यह सब हम भूल से गये हैं। मैंने अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 65 कुएं ऐसे चिह्नित किये हैं जिनकी हम डीपनिंग कराकर, मोटर लगाकर पानी पिला सकते हैं। एक-एक पंचायत पर एक-एक कुआँ बहुत सफिशिएंट है। इतना पानी है भी सही कि हम पूरी पंचायत के चार-पांच गांवों को पानी दे सकते हैं। हमारे राजस्थान की संरचना अलग तरह की है। हमारे जो तालाब बने हुए हैं, यह तालाब एक तालाब के बाद दूसरा तालाब, दूसरे तालाब के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक तालाब का जो ओवरफ्लो होता है, उसका ओवरफ्लो दूसरे तालाब में जाता है और उसके बाद आगे बढ़ता है।

अभी बीच में एक एनिकट बनाने की स्कीम चली थी। मैं यह मानता हूं कि एनिकट वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। जो तालाब के ओवरफ्लो के बीच में बने हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। आप एक पायलट प्रोजेक्ट ले लें, मेरे कहने से ले लें। उस एनिकट में एक पाइप लगाकर उसे दूसरे तालाब में भेजें। हमारा क्रम बढ़ता जाएगा, जब तक पानी के तालाब नहीं भरेंगे तब तक हमारा जल स्तर नहीं बढ़ेगा। ये एनिकट वहां बनने चाहिए, जहां पहाड़ी क्षेत्रों से पानी आ रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सर, एक मिनट। जल पर बात हो रही है और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मुझे आज मौका मिला है तो मैं...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, बिजली के मंत्रीजी भी यही हैं, कल के लिए भी इनको तैयारी करनी है और जवाब भी देना है तो रात भर चलाएंगे तो कैसे होगा?

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): यह महत्वपूर्ण विषय है। यह किसी ने भी नहीं बोला होगा। मैं एनिकट्स की बात कर रहा हूं। भले ही अधिकारियों ने तालाब के पास एनिकट बना दिये होंगे, पर उनका औचित्य नहीं है। वह पैसा भी बर्बाद हुआ है, क्योंकि वे चौड़ाई में बने होते हैं, वे डीप नहीं होते हैं। उनका पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, जब हमें पानी की जरूरत होगी तब तक एनिकट में पानी खतम हो जाएगा। उसका औचित्य ही नहीं है। एनिकट वहां पर बनने चाहिए, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र का पानी आ रहा है। चरागाह का पानी आ रहा है। तालाब के पानी को रोककर एनिकट नहीं बनाये जाएं।

मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। मैं मेरी अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा। समय कम है, बहुत सारे सदस्यों को बोलना है। आप ट्यूबवैल की बजाय ओपन वैल दें। भू-गर्भ वैज्ञानिक से पूरा पता करने के बाद अगर आप तालाब के पास ओपन वैल देंगे तो ओपन वैल का पानी शायद बहुत दिनों तक काम आयेगा, ट्यूबवैल का अगले साल ही खतम हो जाएगा, कंडम हो जाएगा, उसकी मोटर खराब हो जाएगी। उसमें आप सोलर पावर कनेक्शन दें और पानी की मोटर लगाकर एक पंचायत में एक कुआ पांच गांवों को पानी दे देगा। उसकी सुरक्षा भी होगी। गांव वाले उसकी हिफाजत भी करेंगे और अवैध कनेक्शन का डर भी खतम हो जाएगा। मेरे तीन-चार सुझाव हैं, इन पर अमल करेंगे तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से हम पानी के लिये बहुत बड़ा काम कर पाएंगे और आने वाले बजट में यह बजट घोषित हो। डिपिंग के लिये और नये कुओं के लिये बजट घोषित हो, ताकि हम पानी की व्यवस्था कर सकें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री मुरारी लाल।

**श्री मुरारी लाल** (दौसा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। जो राजस्थान के लिये तो महत्वपूर्ण है ही, विशेषकर पूर्वी राजस्थान और उसमें भी हमारे दौसा जिले के लिये, जिसकी हालत पानी के मामले में बहुत खराब है। अति महत्वपूर्ण है। सर, वैसे तो राजस्थान में शुरू से ही प्राकृतिक पानी की बहुत कमी है। उसके आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। राजस्थान का भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल पूरे देश

(श्री मुरारी लाल)

में 10.4 प्रतिशत है। यहां सतही जल 1.16 प्रतिशत है। भू-जल भी यहां बहुत कम 1.72 परसेंट है और जो पानी है, उसमें भी 50 परसेंट पानी पीने योग्य नहीं है। मान्यवर, विशेषकर यहां पर बाहर से पानी लाया गया है। जो ईस्टर्न राजस्थान है। वैस्टर्न राजस्थान में जब से देश आजाद हुआ है, वहां कई ऐसे प्रोजेक्ट आये हैं, जिनकी वजह से वहां की जनता को पीने एवं खेती का पानी मिला। चाहे राजस्थान नहर का मामला हो, चाहे गंग लिंक का मामला हो, चाहे नर्मदा प्रोजेक्ट का मामला हो। माही डैम भी उदयपुर जोन में बना। कोटा जोन में भी कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आये, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पूर्वी राजस्थान जहां से मैं आता हूं, 1990 तक पूर्वी राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं थी। बांध थे, नदियां थीं, वे सब भरे हुए रहते थे। इसलिए हमारी तरफ से कभी डिमांड भी नहीं आयी, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गयी है जो रेगिस्तान का क्षेत्र था, वह तो हरा-भरा होता जाता रहा है और पूर्वी राजस्थान जो हरा-भरा था, वह धीरे-धीरे रेगिस्तान बनता जा रहा है। न पीने का पानी है, न खेती का पानी है। मेरा यह निवेदन है कि इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। हम सब यह महसूस करते हैं। ऐसा लग रहा है कि पूर्वी राजस्थान के मामले में हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हुआ है। विशेषकर जब पिछली बार गहलोत साहब की सरकार थी। उन्होंने दो-तीन प्रोजेक्ट, एक के बारे में जमवारामगढ़ से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने बताया। मेज नदी, चंबल का पानी आना था, लेकिन पिछली बीजेपी की सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। दूसरा, दौसा जिले के लिए ईसरदा डैम बनना था उसमें करीब 530 करोड़ रुपये गहलोत साहब ने दिये थे, लेकिन पिछली सरकार ने एक पैसे का काम भी नहीं किया। जैसे ही हमारी सरकार आयी है, उसमें बांध का काम तो चालू हो गया, लेकिन उसके निर्माण का समय तीन वर्ष है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसके साथ-साथ में जो दौसा जिले के 1089 गांव हैं, करीब चार-पांच कस्बे हैं, उनके लिए भी पैरेरल प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दें, ताकि आने वाले दो-तीन साल में हमारे पूरे जिले को पानी मिल जाए। यदि इस पर काम नहीं किया गया। आज दौसा जिले के अंदर करीब आठ से दस दिन में पानी आ रहा है। यह तो मुझे खुशी है कि सम्माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि 2024 तक प्रत्येक घर में पानी पहुंचाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि +++ इसलिए इसमें संशय है।

**श्री अध्यक्ष:** इस शब्द को निकाला जाए।

**श्री मुरारी लाल** (दौसा): मान्यवर, दूसरा यह प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम सुनते हैं, पूर्वी कैनाल प्रोजेक्ट। मैं समझता हूं कि यदि यह काम हो जाए। इसमें हमारे 12-13 जिले आते हैं, क्योंकि जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग। यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं। आप सब सोच लें। कई मेरी उम्र के बराबर हैं। 1990 तक हमारे दोनों संभागों की पानी के मामले में स्थिति बहुत अच्छी थी। देश आजाद होने के बाद में हमारी स्थिति इतनी बदतर हो गयी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने कभी 1990 तक सोचा भी नहीं था कि हमारी यह हालत होगी। इसका मूल कारण यह है कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने 1984 में सूरतगढ़ में नौकरी की थी। उस टाइम वहां पर ऐसे रेत के टीबे थे, रेत उड़ती थी, रोड बंद हो जाती थी। वह क्षेत्र तो काफी हरा-भरा हो गया, वहां पर गेहूं की फसल हो रही है और हमारा जो क्षेत्र हरा-भरा था, वह रेगिस्तान में बदल गया। मैं समझता हूं कि यह निश्चित रूप से इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय, मेरा तो आपसे विशेषकर निवेदन है कि इस बार हमने पूर्वी राजस्थान से विजय भी अच्छी दिलायी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछली बार जो हमारे दो-तीन प्रोजेक्ट मंजूर किये थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार उसमें हम तेजी से काम करेंगे ताकि हमारा भला हो सके। नहीं तो, ऐसी स्थिति हो रही है। हालांकि, आपने अभी हाल ही पैसा दिया। दौसा में भी दिया है। दस ट्यूबवैल खुदवा दिये, हैंडपम्प दे दिये। लेकिन उनका क्या करेंगे, क्योंकि ट्यूबवैलों में पानी ही नहीं है, हैंडपम्प में पानी नहीं है। इसलिए तुरंत प्रभाव से, हमारे दो-तीन प्रोजेक्ट हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, इन पर आप काम चालू करेंगे और आने वाले टाइम में जो दौसा के पूरे राजस्व गांव हैं, करीब 1080 राजस्व विलेज हैं, आप सोचें कि दस दिन में पानी आता है।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, वाइंडअप करें।

**श्री मुरारी लाल** (दौसा): दस दिन में पानी आता है और गांव में तो पानी की व्यवस्था नहीं है। गांवों में फ्लोराइड का पानी पीते-पीते लोगों के हाथ-पांव टेढ़े हो गये हैं। उनकी एवरेज लाइफ 40 रह गयी। इसलिए मेरा पुन: आप सभी से निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी मैंने निवेदन किया था, सम्माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था कि अभी जब 10 तारीख को बजट आयेगा, उसमें निश्चित ही दौसा जिले के लिये जो प्रोजेक्ट हैं, उसको आप स्वीकृत करें ताकि आने वाले समय में हमें पानी उपलब्ध हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** आप की आज्ञा है।

**(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

साढ़े सात बजे मंत्रीजी रिप्लाई देंगे। निर्मल कुमावत जी।

# विभिन्न विषयों पर विचार

## राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की बात माननीय मंत्रीजी तक पहुंचाऊंगा। अभी सदन में बीसलपुर बांध के पानी की चर्चा चल रही थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी बीसलपुर से हाल ही में जोड़ा गया है। दुर्भाग्य से बांध में पानी नहीं है। जो पानी हमें रोजाना मिलना चाहिए था, वह चार-पांच दिन के अंतराल से मिल रहा है। इस वजह से जो हमारी लोकल पुरानी स्कीमें थीं, उनमें किसी भी प्रकार का काम नहीं हो पा रहा है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर बांध में पानी नहीं है तो हमारे जो पुराने सोर्स हैं, डिपार्टमेंट को जो-जो आवश्यकताएं हैं। उसमें चाहे ट्यूबवैल की, बिजली कनेक्शन की, पाइप लाइन की, उसके लिए आप वहां से राइडर हटाएं कि बीसलपुर आ गया है इसलिए हम मंजूर नहीं कर रहे हैं। हमारा काम गांव में चलता रहे, यह मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि बीसलपुर का पानी कम आ रहा है। मेरा दूसरा निवेदन है कि हमारा प्रोजेक्ट भी अभी पूरा नहीं हुआ है। उसको भी आप जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं, जो भी हमारे अधूरे प्रोजेक्ट हैं। सबसे बड़ी तकलीफ अभी आ रही है कि हमारी पूरी गर्मी निकल गयी और अब बारिश आ गयी। कांट्रेक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। बार-बार यह बात आती है कि हैंडपम्प भी ठीक नहीं हो रहे हैं, सामान की सप्लाई भी नहीं हो रही है। ओ. एंड. एम. वाले आदमी भी आपका पूरा काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। पेमेंट्स की कोई ईशू है तो उसे भी आप दिखवायें। जब भी बात होती है तो स्टाफ वाले स्टोर में सामान की भी भयंकर कमी बताते हैं। छोटी-छोटी पाइप

(श्री निर्मल कुमावत)

लाइन, कभी कोई रोड बनती है या कोई सड़क बनाते हैं। छोटी बात है तो उसके लिये भी दस बार जनता को चक्कर काटना पड़ता। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि छोटे-छोटे काम कर दीजिए। करोड़-अरबों की जरूरत नहीं है। लाखों या हजारों रुपये की जरूरत है।

**(18.00 बजे)**

जहां कोई हैंड पंप से हमारे यहां कुछ पानी मिल जाता है तो नये हैंड पंप दे दें। कुछ ट्यूबवैल से पानी आता है तो वह करवा दें। सबसे बड़ी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां अधिकारियों की विजिट आप जरूर करवाएं। एक्सईएन और एसई स्तर के अधिकारी अगर फील्ड में जाएंगे तो थोड़ी अच्छी मानिटरिंग रहेगी। इसलिए कभी-कभार वह फील्ड में जाएं। नीचे जो एईएन और जेईएन स्तर के आदमी हैं, वह कम से कम हैडक्वार्टर पर रहें और नाइट स्टे वहां पर करें, पूरी प्रोपर मानिटरिंग करें। फुलेरा, सांभर कस्बे में पानी की उपलब्धता बहुत कम है। बीसलपुर में जब पानी की कमी नहीं थी, तब 48 घंटे से पानी मिलता था। अभी तो 72 घंटे से 90 घंटे में पानी मिल रहा है। हम आपके सहयोग में हैं, विरोध में नहीं हैं, मगर थोड़ी-सी व्यवस्था ठीक करवा दें। लोकल सोर्स, जो छोटे-छोटे संसाधन चाहिए, वह आप दिलवा दें। इतना ही मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** पुखराज गर्ग।

**श्री पुखराज** (भोपालगढ़): मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा जो भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र है, उसमें पानी की बहुत गम्भीर समस्या है। भविष्य में राजस्थान में पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए पूर्व में भी कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ विधान सभा की जो भौगौलिक परिस्थितियां हैं, आबादी गांव के अंदर बहुत कम है और ढाणियों में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। भोपालगढ़ के अंदर जो लोकल सोर्स है, वह सब कोलैप्स हो गये हैं और पूरे विधान सभा क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया है। वहां जो लोकल सोर्स है, उसमें करीब 600 से 700 फीट गहराई पर पानी है। अभी जो स्थिति है, वह बहुत ही भयानक है। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर जितनी जनसंख्या है, उससे ज्यादा पशु हैं, वन्यप्राणी हैं, उनके लिए पानी की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज देकर नहर का पानी

(श्री पुखराज)

उपलब्ध कराएं जिससे उन किसानों को जो कि दूर-दराज ढाणियों में रह रहे हैं, उनको पानी मिल सके। दलितों को जो दूर-दराज ढाणियों में रह रहे हैं, उनको पानी मिल सके। साथ ही मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान जो सिस्टम है, उसमें दो ही तरह के सोर्स हैं। एक जेजेवाई, जेजेवाई के जो ट्यूबवैल्स हैं, वह पीएचईडी ने सरपंच महोदय को हैंडओवर कर रखे हैं। दूसरा जो सिस्टम है, मीठे पानी की पाइप लाइन जो आई है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को भी पीएचईडी के अधिकारियों ने पानी की टंकी तक लाकर छोड़ दिया। टंकी के बाद में एक वीटीसी पाइंट बनाकर सरपंचों को हैंडओवर कर दिया। सरपंचों के पास में कोई संसाधन नहीं है। मीठा पानी आ गया। वहां रुपए लगे लेकिन उस पानी का मिसयूज हो रहा है। जगह-जगह अवैध कनेक्शन हो गए और वीटीसी जो बना रखी है, उसके बाद में कहीं भी गांव-ढाणी या किसी भी मौहल्ले में पर्याप्त पानी नहीं जा रहा है। मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो वर्तमान सिस्टम है, जो पानी अवेलेबल है, उसका सही यूटिलाइजेशन हो इसके लिए पीएचईडी के अधिकारियों को पाबंद किया जाए। सरपंच के भरोसे सिस्टम को नहीं रखें। सरपंच कतई उस पानी को टेल एंड तक नहीं पहुंचा पाएंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं पुन: आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान जो सिस्टम है, उसमें पीएचईडी के अधिकारियों को मजबूत करें। जो अवैध कनेक्शन है, वह काटने के लिए उनको पुलिस की व्यवस्था करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष:** धन्यवाद। रूपाराम जी, जैसलमेर।

**श्री रूपाराम** (जैसलमेर): पानी के मुद्दे पर बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद साहब। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां वास्तव में, जैसलमेर में पानी की बहुत दिक्कत है। जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, वह करीब राजस्थान के 7 जिलों की 35 विधान सभा क्षेत्रों के बराबर है। 1952 से पहले जो भी गांव और ढाणियों की बसावट थी, वह पानी की व्यवस्था स्वयं करते थे। 1952 के बाद जैसे-जैसे सरकारें बनीं तो गवर्नमेंट ने पानी की व्यवस्था की। 1952 से लेकर 1990 तक जो पानी की व्यवस्थाएं कीं, वह काफी कठिन था। सोर्स भी उपलब्ध नहीं थे। अलग-अलग जगह डैम बनाए, इंदिरा गांधी नहर बनाई। इस प्रकार के सोर्स डवलप किए, वह बहुत मुश्किल काम था। 1990 तक लगभग 1971 के जो भी राजस्व गांव थे, शहरों सहित उनको कमीशन किया। सबमें पानी जाने लगा। धीरे-धीरे आगे और नये राजस्व गांव बने, ढाणियां बनीं। काम चलता रहा। 1998 के पास यह महसूस किया

(श्री रूपाराम)

गया कि जितना भी ग्राउण्ड वाटर है, जैसा कि पहले कई सदस्यों ने कहा पानी लगभग बहुत कम हो गया था, उस वजह से 1998 और आनवर्ड सरफेस सोर्स पर पूरे राजस्थान के शहरों और गांवों को लाने के लिए परियोजनाएं बनीं। 1998 से 2003 तक काफी योजनाएं बनीं। उसके बाद में 2003 से 2008 तक थोड़ी धीमी गति आई। 2008 से 2013 तक लगभग पूरा राजस्थान का एक खाका तैयार किया गया कि पूरे राजस्थान के सभी शहरों, सभी गांवों और चिह्नित ढाणियों को सरफेस वाटर से जोड़ा जाए तो उसमें क्या एस्टीमेट आएगा? मोटा-मोटा एस्टीमेशन किया गया कि करीब 1 लाख 10 हजार करोड़ में यह काम उस वक्त की रेट से हो सकता था। 2008 और 2013 के बीच में लगभग 16 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए। उनके कामों को गति दी गई। जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, उनमें से किसी को 2014-15 में, किसी को 2015-16 में, किसी को 2017-18 में और 2018-19 तक सबको पूरा होना था, लेकिन 2013 के बाद में इन कामों में गति स्लो हो गई। अभी जब सरकार आई है तो कम से कम 47 परियोजनाएं ऐसी हैं जो 9 हजार करोड़ की हैं जिसमें 73 शहर और 17 हजार गांव और ढाणियां हैं, जिनमें पानी जाना है। वह पानी पहुंच जाना चाहिए था लेकिन जैसे अभी ईसरदा का मीणा साहब फर्मा रहे थे कि सोर्स ही डवलप नहीं हुआ। ऐसे कई सोर्स डवलप थे, उनमें भी पानी नहीं पहुंच पाया।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में राजस्थान की जो स्थिति है, वह बहुत विकट है। पूरे हिन्दुस्तान को 43 भागों में बांटा गया है, जो बरसात होती है, करीब दस भाग तो ऐसे हैं जहां 3000 एमएम के आसपास बरसात होती है। लेकिन राजस्थान में विशेषकर वेस्टर्न राजस्थान में करीब 300 का ही एवरेज है और जैसलमेर का तो 158 ही है। ईस्टर्न राजस्थान का करीब 675 के आसपास है। इस साल भी जून तक जो बरसात होनी थी, उसमें उदयपुर डिवीजन के अलावा सब जगह माइनस है। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आने वाले समय में दस से पन्द्रह साल में सभी गांव और ढाणियों को अगर सरफेस सोर्स से नहीं जोड़ा गया तो स्थिति भयानक हो सकती है जैसी पहले पाली और भीलवाड़ा में हुई थी। रेल से पानी परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ी। उस वक्त की सरकार ने, अशोक गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे, जवाई के पूरे सिस्टम को पाली के गांवों और शहरों को जोड़ने का, भीलवाड़ा को चम्बल से जोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि उसके बाद गति कम रही। जो एस्टीमेट टाइम था, उसमें प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। अब

(श्री रूपाराम)

हमको यह करना पड़ेगा आज की तारीख में जो मोटा-मोटा एस्टीमेशन है, राजस्थान के बचे हुए गांवों, ढाणियों और शहरों, जो ग्राउण्ड सोर्स पर है, हमको ग्राउण्ड वाटर लगभग रिजर्व रखना पड़ेगा। जब इमरजेंसी हो तब काम में लें। उसके लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़ की योजनाएं सैंक्शन करनी पड़ेंगी। इसके लिए हिल स्टेशन में अलग से पैसा भारत सरकार देती है। राजस्थान के लिए भी 2008 से 2013 तक इसकी पूरी डिटेलिंग की गई। माननीय अशोक गहलोत साहब उस वक्त मुख्य मंत्री थे। उन्होंने भारत सरकार को तीन चिठ्ठियां लिखीं जिसमें 50 हजार करोड़ स्पेशल पैकेज के रूप में आबंटित करना लिखा।

लास्ट में 2013-14 में पैसा मिला था वह करीब 1300 करोड़ मिला था। हर साल करीब 15 परसेंट पैसा बढ़कर मिलना चाहिए। 2013-18 तक यहां और केन्द्र में एक ही सरकार थी। 2013 का अगर 18 परसेंट बढ़ता तो आज 2018-19 में करीब 2600 करोड़ पैसा मिलता, लेकिन बड़े खेद की बात है 2018-19 में भारत सरकार ने पेयजल के लिए सिर्फ 700 करोड़ रुपये दिए। अब एक ही सोल्यूशन है कि अपन सब मिलकर कैसे करें। आने वाले 15 साल में पूरे राजस्थान के गांव और ढ़ाणियों को अगर सरफेस सोर्स से नहीं जोड़ा जाएगा, पूरा मोटा-मोटा प्लान है, बीकानेर डिवीजन और जोधपुर डिवीजन, सीकर और झुन्झुनूं दो जिलों को जोड़ते हुए, यह इंदिरा गांधी नहर पर है। भरतपुर और कोटा डिवीजन प्लस भीलवाड़ा यह चम्बल पर है। जयपुर, अजमेर, टोंक और नागौर का नावां यह बीसलपुर पर है। पाली जिला जवाई पर है। बाड़मेर और जालौर, बाड़मेर पासली आईजीएनपी पर हैं और बाकी नर्मदा पर है। जालौर भी नर्मदा पर हैं। उदयपुर डिवीजन में लोकल डैम वगैरह हैं। इसके लिए गुजरात में उदयपुर डिवीजन का पानी जाता है उस पानी को रोका जाए, बाकी इन सभी सरफेस सोर्स पर प्लान बनाकर अधूरी परियोजनाएं पड़ी हैं उनको तुरन्त पूरा किया जाए। आगे का भी 10-15 साल में, भारत सरकार से स्पेशल पैकेज में पैसा लेकर, बाकी स्टेट प्रावधान करें। अपन यह सुनिश्चित करें कि 2030 से पहले राजस्थान के सभी गांव, ढाणियां, शहर सरफेस सोर्स पर आ जाएं।

**श्री अध्यक्ष:** धन्यवाद माननीय सदस्य, वाइंड अप।

**श्री रूपाराम** (जैसलमेर): थैंक्यू।

**श्री अध्यक्ष:** रामलाल शर्मा जी। बी ब्रीफ । सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सबको भाग लेना है, थोड़ा जल्दी बोलें।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं निर्धारित समय सीमा में अपनी बात पूरी कर दूंगा लेकिन घण्टी मत बजाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता के अंदर जिस गम्भीरतापूर्वक जिस विषय पर हम सब चर्चा कर रहे हैं उसको मैं अपने शब्दों के अंदर बया करूं तो मेरे खयाल से आज प्रदेश के किसानों की हालत यह है कि धरती जल उठी है, आसमान बाकी है, सूखे कुए तेरा इम्तिहान बाकी है, समय पर बरस जाना हे मेघा, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। यह हकीकत स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम 40 साल पहले चले जाएं तो सिर्फ होली व दीपावली गेहूं की रोटी व्यक्ति को खाने को मिलती थी, 40 साल पहले मक्का का विकल्प था, चावल का विकल्प था, जौ का विकल्प था लेकिन पीने के पानी का कोई विकल्प नहीं है। मेरे खयाल से विज्ञान ने इतनी प्रगति भी नहीं की है विज्ञान यह कहे कि हमने ऐसा आविष्कार किया है कि एक कैप्सूल आप सुबह ले लेना एक शाम को ले लेना पानी की सारी आपूर्ति शरीर के अंदर हो जाएगी तो मेरे ख्याल से यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन विज्ञान मेरे ख्याल से अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय वैसे आप बहुत राजनीतिज्ञ व्यक्ति हो, बहुत काबिलियत वाले हो, प्रदेश की टीम आपको टिकट देना नहीं चाहती थी, किसी दूसरे को उन्होंने टिकट दिया, आपने उसका टिकट कटाया फिर खुद ने टिकट लिया और चुनाव जीत कर सदन तक पहुंचे हो, तो आपकी काबिलियत के ऊपर हम सब माननीय सदस्यों को विश्वास है। मंत्री महोदय मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पानी की समस्या का समाधान आप निश्चित रूप से कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि मुझे प्रदेश की पेयजल समस्या का समाधान करना है तो आप कर सकते हो, इतना मुझे विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर ज़िले में आने वाले दो-तीन साल में आप देखना, पीने के पानी के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना भी मुश्किल है। आज भी स्थिति यह पैदा हो गई है कि अगर किसी एक कालोनी में दस मकानों में पानी नहीं जा रहा, दस मकानों में अगर सौ मीटर की पाइप लाइन डालने की भी आवश्यकता है तो बिना पुलिस फोर्स के आप लाइन नहीं डाल सकते, दूसरी कालोनी के व्यक्ति आकर खड़े हो जाते हैं कि हमारी इस पाइप

(श्री रामलाल शर्मा)

लाइन से उस पाइप लाइन को हम नहीं जोड़ने देंगे, यह हकीकत है। यह मेरे शहर की ही बात नहीं है मेरे खयाल से राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनकी ऐसी स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जयपुर ज़िले के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, पीने का पानी सभी लोगों को मिले उसका एक मात्र विकल्प है यमुना का पानी, आप उसकी डीपीआर बनाइये। यमुना के पानी के माध्यम से अगर आप अजीतगढ़ के पास सुरानी धाम के अंदर पानी लाकर छोड़ते हैं तो वह त्रिवेणी नदी के माध्यम से जमवारामगढ़ भी पहुंच जाएगा। मेडा नदी के माध्यम से हमारे भूतेडा होते हुए, सांभर झील होते हुए लूणी नदी तक पानी पहुंच जाएगा। उसी तरीके से जमवारामगढ़ होते हुए यह पानी आगे दौसा व भरतपुर तक पहुंच जाएगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जयपुर ज़िले के साथ-साथ दौसा, सीकर, नागौर के अंदर भी अगर पीने का पानी उपलब्ध करवाना चाहते हो तो यमुना नदी की आपको डीपीआर बनानी पड़ेगी, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय, मेरी छोटी-छोटी दो-तीन मांगें हैं। 2012 में आपकी सरकार ने राजस्थान की सात नगरपालिकाओं को पेयजल आपूर्ति के लिए हैण्डओवर किया गया था कि पानी उपलब्ध कराने का काम नगरपालिकाओं का है। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के पास खुद का बजट नहीं है, वह कहां से पानी उपलब्ध करवाएंगी। मेरी चौमूं नगरपालिका को आपने पानी आपूर्ति की व्यवस्था दे रखी है, अगर कहीं पर लीकेज हो जाए तो वह लीकेज ठीक नहीं कराती है, टयूबवैल करना तो बहुत दूर की बात है। आपसे निवेदन है कि तत्काल चौमूं नगरपालिका की पेयजल आपूर्ति योजना को आप वापिस पीएचईडी को हैण्डओवर करें ताकि उस समस्या का समाधान हो सके।

चौमूं में जेडीए ने एक पेयजल स्कीम दी थी, उसकी वजह से काफी टंकियां भी बनी हैं, पेयजल लाइनें भी बिछी हैं। केवल हरमाड़ा तक बीसलपुर आया हुआ है, हरमाड़ा से चौमूं तक मात्र 25 किलोमीटर लाइन आपको जोड़ने की आवश्यकता है, इससे चौमूं की जनता को राहत मिलेगी।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मेरे यहां चार ग्राम पंचायतें हैं जो फुलेरा की सीमा से लगी हुई हैं, किशनमानपुरा, आष्टी, हस्तेड़ा

(श्री रामलाल शर्मा)

और नांगल गोविन्द हैं इन चार ग्राम पंचायतों को भी आप बीसलपुर परियोजना से जोड़े तो उसका लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सामोद और म्हार के अंदर 1996 से पहले राजोला का बांध हुआ करता था। 1996 में तेज बरसात होने के कारण राजोला का बांध टूट गया। अगर राजोला का बांध पुन: बनता है तो आस पास की सात-आठ ग्राम पंचायतों के अंदर जल स्तर ऊपर आएगा। राजोला के बांध के ऊपर भी अगर आपका विभाग काम करता है तो उसका लाभ मिलेगा।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक अंतिम निवेदन और करूंगा, खन्नीपुरा मेरा राजस्व गांव है उसकी एक पेयजल योजना थी, पी.पी.सी. के अंदर उसकी एप्रूवल हो चुकी है, सिर्फ 01 करोड़, 96 लाख रुपये की पेयजल योजना है। पी.पी.सी. में एप्रूवल होने के बाद भी अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ, आपकी मेहरबानी होगी अगर वह काम शुरू हो जाए तो। मेरे अन्नतपुरा ग्राम पंचायत में कुछ पाइप लाइन की समस्या है। हाडौती के अंदर पेयजल की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अंतिम निवेदन माननीय मंत्रीजी से करना चाहूंगा, मंत्रीजी वास्तविकता आपको बयां कर रहा हूं कि पानी की स्थिति के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है, मैं भी वही चिंता जाहिर कर रहा हूं। आपके पास स्टाफ नहीं है, 40 परसेंट लोग भी बिल का भुगतान नहीं करते, 60 परसेंट लोग बिना बिल दिए अवैध रूप से कनेक्शन करके, एक मकान में चार-चार अवैध कनेक्शन हो रखे हैं, आप कठोरता से कार्यवाही करें। सबको समान रूप से पानी का वितरण हो, इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** सुदर्शन सिंह रावत।

**श्री सुदर्शन सिंह रावत** (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। राजस्थान में पेयजल की गम्भीर समस्या है। घटता पेयजल स्तर हम सबके लिए चिंता का विषय है, इसके ऊपर पूर्व में भी कई माननीय सदस्यों ने कई बातों पर प्रकाश डाला है, इसमें वाटर मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लोगों को ग्रहण करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

पूर्व में कई माननीय सदस्यों ने बोला है। हम लोग यह चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर ही वाटर प्रिजर्वेशन में भी हम लोग कुछ सख्ती करें। खराब पानी को ठीक करने के लिए चेन्नई में वाटर की डिसेलेनेशन यूनिट लगी है, सन् 2010 के बाद से ही चेन्नई के अंदर वाटर की डिसेलेनेशन यूनिट्स लगी हैं। उसी तर्ज पर उन्होंने सी वाटर को यूज़ करना शुरू किया है। रिवर्स ओस्मोसिस टैक्नोलोजी है जिसके द्वारा समुद्री पानी को ठीक करने का काम शुरू किया गया है। मैं राजसमंद ज़िले के भीम विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। आप भी कई सालों तक उसी जिले का प्रतिनिधित्व करते रहे। राजसमंद अरावली के सैन्ट्रल में है और हमारी एवरेज हाइट पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा है। हमारा पानी मारवाड़ और मेवाड़ में जाता है। हमारे पानी का कोई भी हिस्सा हम लोगों को नहीं मिल पाता है। अरावली के वैस्ट में तो दो पेयजल के सोर्स हैं, आईजीएनपी भी है और कई सारे बांध भी हैं, जवाई है। ईस्ट में चम्बल, माही, बीसलपुर है, इनमें से किसी भी राज्य का स्रोत राजसमंद को दिया जाए।

**(18.19 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

हमारे भीम के ग्राउण्ड वाटर लेवल की स्थिति भी बहुत खराब है। पूरे राजसमंद ज़िले की ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारी स्थिति ओवर एक्सप्लाइटेड है। उसमें भीम की स्थिति डिक्लाइन इन प्री मानसून भी है और डिक्लाइन इन पोस्ट मानसून भी है।

तो मेरे खयाल से राजस्थान में कुछ-एक ब्लाक्स ही ऐसे होंगे, जिसमें दोनों बार डिक्लाइन होता है, मानसून के बाद में भी और हमारे यहां पर फ्लोराइड लेवल भी बहुत ज्यादा है, पानी की क्वालिटी भी बहुत खराब है। तकरीबन डेढ़ सौ गांव इस खराब पानी से परेशान हैं। इस एरिये में, राजसमंद जिले में दुर्भाग्य से सन् 2003 में माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय के विधायक काल में एक योजना बाघेरी के नाका पर स्वीकृत हुई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक 2019 तक किसी तरह का कोई सतही जल स्रोत हमारे यहां राजसमंद जिले में नहीं लाया गया। इस बात की हमें बड़ी घोर निराशा है कि पिछली बी.जे.पी. सरकार में हम उम्मीद कर रहे थे कि राजसमंद जिले से चार-चार विधायक आये। राजसमंद जिले को एक पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। परन्तु उसके बावजूद, मेवाड़ के लोगों ने, राजसमंद के लोगों ने वोटों की झोली भरी, पर

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

राजसमंद के लोगों की पानी की मटकी नहीं भरी गई। इस बात का हमें बड़ा गम है। हम लोग तो चुनाव जीत गये, सरकार भी जीत गई। बी.जे.पी. के लोग चुनाव जीत गये, सरकार आ गई, भारी बहुमत मिला, पर राजसमंद की जनता को पेयजल नहीं मिला।

2015-16 में एक घोषणा की गई, बजट घोषणा है, राजसमंद जिले की पेयजल समस्या के निदान के लिये साबरमती बेसिन की गोगुन्दा के अम्बावा गांव के पास, देवास-फोर्थ बांध का निर्माण कर राजसमंद में डायवर्जन करने हेतु डी.पी.आर. तैयार की जायेगी। उसके बाद में यह घोषणा की गई कि राजसमंद जिले में 2016-17 में देवास-थर्ड से राजसमंद झील में लाने के लिये 1064 करोड़ रुपये की लागत का काम किया जायेगा। यह घोषणा बजट घोषणा थी। उसके बावजूद देवास के पानी को नहीं लाया गया और जल संसाधन विभाग द्वारा नवम्बर, 2016 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया और इसके फलस्वरूप जो बजट घोषणा थी, वह असत्य साबित हुई। यह हमारे लिये एक बड़ी दर्दनाक घटना थी।

उसके बाद 2018-19 में फिर एक घोषणा की गई कि राजसमंद, चित्तौड़ और उदयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की कमी एक गम्भीर समस्या है। यह बजट घोषणा है, सभापति महोदय, दूसरी ओर माही सागर में पर्याप्त पानी उपलब्ध है, जिससे जयसमंद झील को कैनाल और लिफ्ट से भरकर समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की स्थाई व्यवस्था की जा सकती है। 10 लाख से अधिक शहरी, ग्रामीण जनों को लाभ पहुंचाने के लिये माही हाई लेवल कैनाल टू जयसमंद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट पर साढ़े चार सौ करोड़ का व्यय होना सम्भावित है।

इतनी घोषणाओं के बाद मैं आपको बड़े दु:ख के साथ कहना चाहता हूं कि 16 सालों में राजसमंद ही एक मात्र ऐसा जिला है, जिसके लिये किसी भी तरह की कोई बजट घोषणा सरफेस वाटर की नहीं की गई है। इसके विपरीत 2009-10 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भीलवाड़ा में चम्बल का पानी दिया। 2010-11 में आमेट के कस्बे को भी पार्शियल वाटर बाघेरी के नाके से दिया गया। उसके बाद 2013-14 में ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्र में 199 गांवों को दिया गया। हमारा भीम विधान सभा क्षेत्र इस पूरे चम्बल के पानी और इस बीसलपुर के बीच में है। हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि एक तरफ तो बीसलपुर है और एक तरफ चम्बल है, उसके बावजूद हमें किसी तरह का पेयजल नहीं मिल पाया। उसका एक मुख्य कारण था कि जो भी पेयजल योजनाएं बनती हैं,

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

वे रेवेन्यू एरिये के हिसाब से बनती हैं। जबकि इसकी जरूरत है कि हमको प्रोब्लम एरिये को देखना चाहिए कि कहां समस्या ज्यादा है। आज ब्यावर से जो पानी ठेठ टाडगढ़ में जा रहा है, वह भीम के अन्दर से 50 किलोमीटर होकर जा रहा है। भीम की जनता प्यासी है और उसके पानी के लिये मोहताज है क्योंकि यह रेवेन्यू एरिये का फार्मूला है, यह एक फाल्टी फार्मूला है, इसको ठीक किया जाये। आज भीलवाड़ा के अन्दर चम्बल का पानी है, वह मेरे भीम विधान सभा क्षेत्र के अन्दर उनका पम्पिंग स्टेशन बना है, वहां से वह पानी भीलवाड़ा में जा रहा है। हमको पानी यह कहकर नहीं दिया जाता कि यह रेवेन्यू एरिये के हिसाब से योजना आई हुई है।

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री सुदर्शन सिंह रावत** (भीम): इसलिये मैं इस बात की पूरी मांग मंत्री महोदय से करना चाहूंगा कि किसी भी सूरत में भीम विधान सभा क्षेत्र को राजसमंद में पूरी तरह से पानी की व्यवस्था की जाये। चाहे आप चम्बल से करें, चाहे माही डैम से करें, चाहे बीसलपुर से करें। हमें कहीं से भी पानी मिले, परन्तु हमारी पुरजोर मांग है कि हमको किसी भी सूरत में पेयजल की व्यवस्था हो।

माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जो यह घोषणा की है, भले ही एक टेन्योर निकलने के बाद की है, दूसरे टेन्योर में जनता की याद आई कि घर-घर जल पिलाना है। परन्तु इस टेन्योर में अगर याद आई भी है तो कम से कम राज्य सरकार को-आर्डिनेट करके इस चीज को सुनिश्चित करे कि 2024 तक जल हमारे राजस्थान के सब गांवों में पहुंचे। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति:** श्री राजकुमार रोत।

**श्री राजकुमार रोत** (चौरासी): सभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

पानी की समस्या पूरे राजस्थान में है। सभी सदस्यों ने आपके मार्फत मंत्रीजी को अवगत कराया। अपने-अपने क्षेत्र की समस्या, सभी सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिये। तो मैं भी आपके माध्यम से इस सदन का, इस सरकार का हमारे शिड्यूल्ड एरिये की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सभी ने अपनी-अपनी समस्या बताई, सभी ने यही कहा कि हमें पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। तो कहां से लाएं। सबने सुझाव दिया। किसी ने कहा यमुना से लाते हैं, किसी ने कहा चम्बल से लाते हैं, लेकिन हमारे एरिये में

(श्री राजकुमार रोत)

माही बांध, कडाणा बांध, सोम कमला अम्बा का बांध बना हुआ है। जब यह माही बांध, कडाणा बांध बना, 1966 में गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार का समझौता हुआ। जो बांध बना तो उसकी सारी जमीन, उस क्षेत्र के लोगों की गई और जो वहां से विस्थापित हुए, आज उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।

मैं पिछली सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक योजना बनाई। पिछली सरकार ने 2006 में, मुख्य मंत्री महोदय ने योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी कि कडाणा, माही बांध से 290 किलोमीटर बाड़मेर, जालौर, पाली इलाके में पानी दिया जाये। बड़ी दु:खद घटना है कि वहां से पांच किलोमीटर जो लोग रह रहे हैं उनके लिये कोई योजना नहीं बनाई और वहां से 90 किलोमीटर पानी ले जाने के लिये योजना बनाई। यह बड़ी दु:खद घटना है। हम वर्तमान सरकार से आशा करेंगे कि जो लोग उस कडाणा बांध, माही बांध में विस्थापित हुए हैं, उन लोगों को पीने के पानी की उपलब्धता कराई जाये।

अब मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हमारे एरिये में आसपुर विधान सभा क्षेत्र है, वहां फ्लोराइड की दिक्कत है, 15 साल के बच्चे के दांत गिर जाते हैं। लोगों की जो औसतन उम्र होती है, लास्ट 50-60 साल तक जीते हैं क्योंकि वहां अधिकतर पानी में फ्लोराइड की समस्या है। तो हम सरकार से यह आशा करेंगे कि सभी जो विद्यालय चल रहे हैं, मां-बाड़ी चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको तो कम से कम स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए।

आगे की कड़ी में जब बाड़मेर में पानी लाने की योजना बनी थी, तो जालौर जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, चार जिलों के लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था। जब आंदोलन किया तो सरकार की आंखें खुलीं और सरकार ने 290 किलोमीटर दूर एक योजना बनाई और केन्द्र सरकार को भेजी। केन्द्र सरकार ने यह कहकर इसको, अव्यावहारिक और बहुत महंगी योजना, मतलब 2255 करोड़ की योजना बनाई थी और केन्द्र सरकार ने इस पर इन्कार कर दिया।

मैं सरकार से यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आंदोलन ही एक रूप है, अगर आंदोलन के जरिये ही पानी हम पा सकते हैं, सरकार को आवाज या सरकार की नींद खुलती है तो आने वाले समय में आदिवासी बहुल क्षेत्र में

(श्री राजकुमार रोत)

पानी पर्याप्त है पर लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आने वाले समय में वे भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री राजकुमार रोत** (चौरासी): सरकार से हम आशा करते हैं कि उस एरिये में पीने के पानी की उपलब्धता कराएं।

एक भीखाभाई नहर योजना चल रही है। आज इस योजना को 30 वर्ष हो गये, काम चल रहा है पर आज तक वह योजना पूर्ण नहीं हुई है। भीखाभाई नहर, माही बेसिन से, माही डैम से भीखाभाई नहर के माध्यम से जल ढिडके में पानी डालने की जो यह योजना बन रही है, बहुत महंगी योजना है, तीस वर्ष हो गये, पर आज तक वह योजना पूर्ण नहीं हुई है। पिछली बार विभाग ने वह पानी ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें, प्लीज।

**श्री राजकुमार रोत** (चौरासी): तो वह नहर भी टूट गई है। इस तरह की योजना बनती है, सरकार से अपील करना चाहेंगे कि कडाणा बांध और माही बांध से आदिवासी बहुल क्षेत्र में पीने का और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएं। धन्यवाद, सभापति महोदय।

**श्री सभापति:** श्री मंजीत धर्मपाल। माननीय सदस्य, मुझे टोकना नहीं पड़े, समय का बिलकुल ध्यान रखें आप।

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): प्रणाम, सभापति महोदय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों में से एक पानी की समस्या पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि समय सीमित है, तो मैं प्रदेश की बातों पर नहीं जाकर सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की बातों पर आऊंगा।

करीब 68 हैंडपम्प की लिस्ट मैंने माननीय मंत्रीजी को दी और आदरणीय चीफ इंजीनियर साहब जयपुर रूरल को भी दी और उनसे यह निवेदन किया कि एक लिस्ट पूर्ववर्ती सरकार की पैंडिंग है, मेरे पिता के देहांत के बाद वह लिस्ट सैंक्शन नहीं हो पाई है तो उनसे निवेदन किया कि इसको आप जल्दी से जल्दी स्वीकृत करा देंगे तो क्षेत्र में जो पानी की समस्या बनी हुई है, उससे कुछ निजात मिल पाएगी। आदरणीय मंत्रीजी ने मुझे आश्वासन दिया कि उसका समाधान मतलब, वह लिस्ट जल्दी से जल्दी सैंक्शन करवाकर और आपके क्षेत्र में जो पानी की समस्या बनी हुई है, उसका समाधान जल्दी

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

से जल्दी निकाल दिया जाएगा और मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि उस बात को करीब पांच महीने पूरे हो चुके हैं पर आज भी वह लिस्ट आदरणीय मंत्रीजी की टेबल के ऊपर ज्यों की त्यों पड़ी हुई है और जब मैं चीफ इंजीनियर साहब से बात करता हूं तो वह कहते हैं कि साहब, मंत्रीजी के वहां से लिस्ट जब हमारे पास सैंक्शन होकर आएगी तब ही हम उसको आगे एप्रूवल के लिए भेज पाएंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि क्या मेरे क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर, उसको जिताकर कोई गलती की है? क्या सरकार सिर्फ कांग्रेस के विधायकों का काम करने की मंशा रखती है या सिर्फ और जो विधायक आते हैं, जो उनके पक्ष में आज खड़े हैं, सिर्फ उनका काम करने का विश्वास रखती है? उनका काम करने का विश्वास रखती है या जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतकर आए हैं और उनके क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी काम करने का विश्वास रखती है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र डार्क-जोन में आता है। करीब-करीब हरेक गांव डार्क-जोन के अंदर स्थापित है और वहां पर दिन-प्रतिदिन जो ग्राउंड वाटर लेवल है वह नीचे जाता जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा कि मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र से साबी नदी भी निकलती है, उसके नजदीक जो गांव लगते हैं, वहां पर तो हैण्डपम्प योजना फिर भी थोड़ी आज सक्सैसफुल है पर उससे जितना अपन दूर जाते जाएंगे तो वहां पर हैण्डपम्प कामयाब नहीं है। जैसा कि मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया कि आप सिर्फ उसके नजदीक हैण्डपम्प सैंक्शन करें। जैसे-जैसे अपन उससे दूर बढ़ते हैं, उनसे निवेदन करा और उनके पास जाकर रिपोर्ट भिजवाई और भी योजनाएं बनाकर भिजवाई हुई हैं, उनके लिए भी निवेदन है कि उनको भी जल्दी से जल्दी सैंक्शन करके भिजवाई जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो नई योजनाएं सरकार सैंक्शन करती है, उसका जो मापदंड इन्होंने तय करा है वह जनसंख्या का 2011 का है। आज हम 2019 के अंदर खड़े हैं और 2011 और 2019 का जब हम कम्पेरिजन करते हैं तो जनसंख्या का आधार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों की जनसंख्या 1500 से बहुत कम है, जिनमें हैण्डपम्प योजनाएं आज भी चालू हैं। मैं आपके माध्यम से

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में हैण्डपम्प आज इतने कामयाब नहीं हैं तो जो गांव 1500 की आबादी से कम है, वहां पर जल योजना पम्प एवं टैंक के माध्यम से जलापूर्ति की जाए और वहां के लोगों को राहत पहुंचाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के अंदर जनता जल योजना, जिसका खर्चा ग्राम पंचायत वहन करती है, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिए उचित वित्तीय सहयोग दिया जाए जिससे कि पंचायत इनका संधारण भली-भांति कर सकें क्योंकि समय-समय पर बिजली विभाग उनसे पैसा मांगता है और पंचायतों द्वारा समय पर भुगतान नहीं कर पाने की वजह से उनका कनेक्शन काट दिया जाता है जिससे गांव की गरीब और भोली जनता परेशान होती है। तो, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस योजना के लिए अलग से एक फंड बनाकर पंचायतों को दिया जाए कि बिजली का पैसा उसी के माध्यम से दिया जाए, उनके जो लाइट का खर्चा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के अंदर तीन मुख्य कस्बे आते हैं- शाहजहांपुर, नीमराना और मुण्डावर। इन तीनों कस्बों के लिए वृहत पेयजल योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एन.सी.आर.बी. योजना के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भेजी गयी है, जिनकी स्वीकृति वित्त विभाग तथा एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड से कराएं, यह आपसे निवेदन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी स्वीकृति करवाकर इन तीनों कस्बों में जो आबादी रहती है उनको जल्दी से जल्दी पेयजल की व्यवस्था करवाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि अधिकांश हैंडपम्प, अधिकांश सिंगल फेज और अधिकांश थ्री फेज बोरिंग मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के सूख चुके हैं और बहुत सारी योजनाएं सरकार के पास जे.ईएन., ए.ईएन. और एक्स.ईएन. साहब के माध्यम से पहुंची हुई हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): मेरा आपसे निवेदन है कि आदरणीय मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं। मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि उनकी जल्दी स्वीकृति करवाकर मेरे क्षेत्र की जनता पर जो पानी की समस्या बनी हुई है उसको दूर किया जाए।

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि शाहजहांपुर और नीमराना में औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर कम्पनियों के अंदर अति गहरे और बड़े-बड़े बोरिंग है यानी 12 इंच से भी बड़े बोर लगाये हुए हैं और प्रतिदिन सरकार से ज्यादा दोहन वहां की कम्पनियां करती हैं जिससे कि वहां का आसपास का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तो, आदरणीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस समस्या के ऊपर कोई निर्णय करवाकर इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करवाएं।

**श्री सभापति:** समाप्त करें। श्री खुशवीरसिंह।

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया, मेरी समस्या को रखने का मौका दिया, धन्यवाद।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मेरी बात प्रारम्भ करने से पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक छोटे से आग्रह पर मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र की तहसील देसूरी और रानी के शेष रहे जवाई पेयजल योजना के गांवों का काम प्रारम्भ करवा दिया, इसके लिए मैं आपको और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज जल पर जो चर्चा चल रही है, उस पर मेरा अनुरोध है, मैं संक्षिप्त में मेरी बात समाप्त करूंगा कि आज जल का संकट हमारे ऊपर नहीं है। पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे जरूरत से ज्यादा पानी बरस रहा है। कभी-कभी अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है लेकिन आज जरूरत है जल प्रबंधन की। संकट जल का कमी का नहीं है, जल प्रबंधन की हमें जरूरत है और उसको अगर हम सही तरीके से लागू कर दें तो निश्चित रूप से पानी की आने वाले समय में जो आज सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, उससे हमें निजात मिल सकेगी। उसके लिए मेरे छोटे-छोटे सुझाव हैं। पहले मैं आम बात माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय, जे.जे.वाई. के तहत जिन गांवों में यह योजना लागू कर दी और उन ग्राम पंचायतों ने अपने हाथ में ले ली है, वहां वास्तव में पानी का दुरुपयोग हो रहा है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जे.जे.वाई. के अंदर पिछले कांग्रेस

(श्री खुशवीरसिंह)

सरकार के तहत जो भी बिजली का बिल आता, वह रिएम्बर्स हो जाता और पुन: ग्राम पंचायत को वह पैसा मिल जाता, सरकार विभाग उपलब्ध करवा देती लेकिन पिछली सरकार में इसको बंद कर दिया और पंचायत के विकास कोष से, जिस ग्राम पंचायत के अंदर जे.जे.वाई. है, मेरे गांव के अंदर पेयजल योजना सरकारी है, उसी आबादी का गांव मेरे पास में है और उस गांव के अंदर जे.जे.वाई. के तहत उन्होंने ले लिया तो आज जितनी भी टी.एफ.सी., एस.एफ.सी. की जो राशि आ रही है, मेरे गांव में और उस गांव में जनसंख्या के अनुपात में बराबर मिल रही है लेकिन उस ग्राम पंचायत के अंदर पूरा का पूरा 70 प्रतिशत पैसा आपके बिजली के बिलों में और रखरखाव में जा रहा है। अतिरिक्त राशि, विकास कोष से पैसा बिजली के बिल में जा रहा है और वह गांव वंचित रह रहे हैं।

मेरा यह अनुरोध है कि यह जे.जे.वाई. के तहत जितने भी गांव हैं उनके बिजली के बिल का संधारण विभाग द्वारा, सरकार द्वारा करवाया जाए। साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ गांव, कुछ ढाणियां जो हमारी हैण्डपम्प योजना में है, आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं, आज हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाने की कल्पना कर रहे हैं और दूसरी बात हम यह कह रहे हैं कि शहरों पर गांवों का दबाव कम होना चाहिए। पलायन जो हो रहा है, उसको रोका जाए तो उसको रोकने के लिए हम उलटी योजना बना रहे हैं। आज जो गांवों के अंदर योजना है कि वहां पर आपको घर-घर कनेक्शन नहीं मिलेगा, उसको ही मिलेगा, इतनी आबादी अगर फुलफिल करते हैं पांच हजार, उससे अगर एक्सीड होती है तो हम घर-घर नल योजना देंगे, पांच हजार से कम है तो नहीं देंगे तो कई गांव वाले कहते हैं कि हम तो आबादी फटाफट बढ़ा लेंगे और हमें तो हर घर में नल की योजना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही उन ढाणियों के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, हैण्डपम्प योजना के अंदर आज भी 21वीं सदी के अंदर भी हम उन ढाणियों में पेयजल की पाइप लाइन योजना हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं और वह गांव में उनका दोष इतना ही है कि वह ढाणियों में बसे हुए हैं, अगर वह शहर में जाएं तो उनको पानी उपलब्ध हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि हैण्डपम्प योजना को पनघट योजना में आप परिवर्तन करें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा एक करिश्मा जो हुआ है पेयजल के लिए, मंत्री महोदय, मैं आपसे और पूरे सदन से यह अनुरोध करूंगा कि हम संकल्प के साथ में ऐसे व्यक्ति जो इस देश और दुनिया के सामने

(श्री खुशवीरसिंह)

एक नई नजीर पेश करने वाले हैं उनको सम्मानित किया जाए प्रदेश स्तर पर इसी 15 अगस्त को। अभी मेरे से पूर्व पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने संक्षेप में अपनी बात कही थी। मैं अभी दस दिन पहले पाली गया, पाली में जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पर मैं दौरा करके आया।

भास्कर के संवाददाता मेरे साथ में थे और उस खबर को बहुत सही तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं वहां उन लोगों से मिला, उन उद्यमियों से मिला और मैंने कहा कि हमारा किसान आज क्यों आंदोलन कर रहा है, हमें जो दूषित जल मिल रहा है, उसके लिये हमारा किसान ही क्यों आंदोलन कर रहा है, आप क्यों नहीं आंदोलन करने के लिये आगे आ रहे हो? हम आपके लिये तैयार हैं और उसमें से एक व्यक्ति, मैं उनका नाम कोट करना चाहूंगा, सभापति महोदय, श्री कमलेश जैन, ज्योति टैक्सटाइल मिल, उन्होंने स्वयं एक रिस्क लेकर एक इतना बड़ा काम करके दिखा दिया है, अब हमें करना है, उनको आगे बढ़ाना है और नई टैक्नोलोजी के साथ में। अभी सी.ई.टी.पी. का जो पानी है, वह 20 हजार टी.डी.एस. तक जो था, वह शोधन होने के बाद में सी.ई.टी.पी. से मात्र 10 हजार या 12 हजार तक आकर रह जाता है और वह रंगीन पानी नदी के अंदर प्रवाहित हो रहा है।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं इस बात के साथ ही मेरी बात को समाप्त करूंगा।

**श्री सभापति:** समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, समाप्त करें।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा उन्होंने एम.बी.आर. टैक्नोलोजी, जो वाष्पीकरण द्वारा और बहुत कम खर्चे में, कोई कैमिकल यूज नहीं हो रहा है। सी.ई.टी.पी. और जेड.एल.डी. के लिये तो कैमिकल का पैसा आपके अतिरिक्त लग रहा है और वह कैमिकल हमारे लिये नुकसानदायी है।

**श्री सभापति:** एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, दो मिनट मुझे दीजिये।

**श्री सभापति:** एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें अब।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): मैं चाहूंगा कि उस टैक्नोलोजी के थ्रू आप स्वयं पाली पधारें और 15 अगस्त को उस व्यक्ति को सम्मानित करें।

(श्री खुशवीरसिंह)
मैं प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। उसका सी.ओ.डी. 309 है।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, महत्वपूर्ण विषय है तो आप जाकर मंत्रीजी से कक्ष में मिलें, ऐसे नहीं। समाप्त करें आप, ऐसे नहीं। समय की सीमा है।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मेरी बात समाप्त करूं, उससे पहले मैं निवेदन करूं।

**श्री सभापति:** समाप्त करें प्लीज।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): एक मिनट मुझे दीजिये।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): यह पाली के लिये नहीं, पूरे प्रदेश के लिये वरदान होगा।

**श्री सभापति:** मैं समझ रहा हूं। माननीय सदस्य, महत्वपूर्ण विषय है तो आप मंत्रीजी के साथ बैठकर इस पर चर्चा करें।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय मंत्री महोदय, आपसे बहुत उम्मीद है हमको। आप पधारोगे और देखोगे न ..(व्यवधान)

**श्री सभापति:** अंकित नहीं होगा।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): 000

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मुझे दो मिनट दीजिये।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, आपको समझना पड़ेगा। बीस माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, साढ़े सात बजे मुझे मंत्रीजी का रिप्लाई दिलवाना है। अब सम्भव नहीं है, प्लीज।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे जो हमारे लिये एक नजीर पेश हुई है, ऐसे लोगों को, और उसके लिये मैं चाहूंगा और सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि विधायक कोष की राशि पांच करोड़ तक बढ़ाकर और एक तिहाई पैसा हमारे वाटर हार्वेस्टिंग के लिये करें।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, सहयोग करें।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): इस तरह लगाने के लिये अनिवार्य कर दिया जाए तो मैं चाहूंगा कि आने वाले समय के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। सभापति महोदय, आपने समय नहीं दिया। बहुत कुछ बोलने को था और मैं सवेरे से बैठा था और इससे महत्वपूर्ण कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

**श्री सभापति:** सहयोग करें आप।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): दो घंटे जाया हो गये, सभापति महोदय। झगड़े पर अगर दो घंटे जाया हो सकते हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा के लिये, सभापति महोदय, अगर रात के 12 भी बज जाएं तो कोई गलत बात नहीं होगी।

**श्री सभापति:** अब अंकित नहीं होगा। श्री रूपाराम। माननीय सदस्य, जो बोलने वाले हैं, समय की अपनी सीमा है, आपको लगता है कि यह विषय बहुत गम्भीर है और इस पर मंत्रणा करना जरूरी है तो आप माननीय मंत्री महोदय के चैम्बर में जाकर इस पर चर्चा करें, कौन आपको मना कर रहा है। यही सारी बात बताकर, यहीं पर उसको डिबेट करना, यह जरूरी नहीं है। समय की अपनी सीमा है। माननीय सदस्य, विराजिए आप। (व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। विराजिए, अंकित नहीं होगा। विराजिए। समय की अपनी सीमा है। माननीय मंत्री महोदय को रिप्लाई देना है। कल फिर इनकी ऊर्जा पर डिबेट है। आप सहयोग करें। मैं नहीं चाहता कि आपको बार-बार टोकूं। मैं तो चाहता हूं कि आप रात को एक बजे तक बैठें। आपके सचेतक और डिप्टी चीफ साहब यहां बैठे हुए हैं न, आपके नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। रात को एक बजे तक बैठिये आप। मैं मना नहीं कर रहा हूं। दो बजे तक बैठिये, चार बजे तक बैठिये। मैं बैठा हूं यहां पर, लेकिन समय की सीमा है, अब बंद करिये आप। श्री रूपा राम जी। (व्यवधान) विराजिए, बहुत सीनियर सदस्य हैं आप।

**श्री रूपा राम** (मकराना): माननीय सभापति महोदय, बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मैं तो आपके सख्त स्वभाव को देखकर वादा करता हूं कि दो मिनट और तीन सौ सैकिण्ड बोलूंगा।

**श्री सभापति:** मैं आपका आभारी रहूंगा।

**श्री रूपा राम** (मकराना): और यह भी वादा है कि आप कहोगे बैठ जाओ, तो मैं तुरन्त ही बैठ जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है।

**श्री सभापति:** नहीं-नहीं, बिलकुल नहीं कहूंगा। आप इस सदन के माननीय सदस्य हैं, आपके सुझाव बड़े अमूल्य हैं। आप सुझाव दीजिये।

**श्री रूपा राम** (मकराना): मैं तो माननीय मंत्रीजी, आपसे मिल लूंगा। मुझे तो बोलना था इसलिये बोल रहा हूं। लोगों ने कहा विधान सभा में जाइए, इसलिये मैं भी यहां बोल रहा हूं। पानी पर कुछ गीत भी है, मैं गाऊंगा नहीं-

'पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
जिसकी सरकार आए, उसके ढंग जैसा,

**एक माननीय सदस्य:** जोड़ दिया।

**श्री रूपा राम** (मकराना): जोड़ना है।

'कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों की अच्छी सैटिंग है,
हमारा हाल देखो,
ना बालर है, न बाल है,
फिर भी कहते हैं अच्छी बैटिंग है।
क्योंकि जब-जब कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों की
कमीशन पर अच्छी सैटिंग है।'

मैं पानी के बारे में कहूंगा और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं बैठ जाऊंगा।

'पानी के अधिकारियों से राखियो सांठ-गांठ,
न उनको हम खाने दें और न ही लेवे हम कुछ बांट,

कुल मिलाकर देखा जाए तो गंगानगर के हमारे माननीय सदस्य ने जो बात कही, अगर सार में बोलूं तो इतना है कि जिस पानी को मनुष्य पी रहा है जीने के लिए, उसी से मर रहा है। यह जहर है, इसमें तो मंत्रीजी हों, चाहे सरकार हो, सभी को इस बात पर गम्भीर चर्चा करनी चाहिये। आज हमको दिख नहीं रहा, फिर भी जहर पी रहे हैं तो यह बहुत बड़ा गम्भीर मुद्दा है। मैं तो सोचता हूं कि कभी इस पर लंबी चर्चा की जाए। अब हमारी गलती है या अधिकारियों पर लिखा है -

'वह इतने नादान हैं कि गुनाह करके भी मुस्कुराते हैं,
हमको देखो, उनके गुनाह से अपने आपमें शर्माते हैं,
सदन में चर्चा के अलावा और कर ही क्या सकते हैं,
सच तो वह है जो राजस्थान के लोग बताते हैं।।'

माननीय सभापति महोदय, मैं मकराना के बारे में इतना ही बोलूंगा, वैसे माननीय मंत्रीजी से मिल लूंगा, जो इंदिरा गांधी नहर के पानी की

(श्री रूपा राम)

व्यवस्था है, उस पर मैं यह कहूंगा कि गांव में रहने वाले, ढाणी में रहने वाले, दूर-दूर तक रहने वाले दो-दो, तीन-तीन घरों में भी पानी की व्यवस्था करवा दें।

दूसरी बात यह है कि पानी के विभाग में, माननीय मंत्रीजी, मोटरें जलने के बाद में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह दिन में, सच कहता हूं, मैंने शपथ ली है, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, वहां पर मोटरें नहीं बांधी जाती हैं और आप अपने अधिकारियों की जांच करवाएं कि वह जो पानी के पाइप डाल रहे हैं, उसकी टैस्टिंग करवाइऐ। मोटरें जलती रहती हैं। दूसरी बात है, एक ही मुद्दे पर आ जाइए आप तो, पिछली बार भी बात चली थी। भ्रष्टाचार पर चाहे कितनी ही चर्चा कर लो, जब तक एक भी माननीय सदस्य भ्रष्टाचार पर गम्भीर नहीं है तो चलती रहेगी, यह तो परम्पराएं हैं, शुरू हो गयीं। मेरा हाथ जोड़कर यह कहना, पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, कुछ ऐसा करके गुजर जाइए ताकि लोग याद रखें। वर्ना यह पानी, यह कुर्सी, यह जवानी एक दिन जाने वाली है। इसी आशा के साथ में, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मकराना की जो भी पानी की समस्या है, मैं माननीय मंत्रीजी, आपसे मिल लूंगा, क्योंकि मुझे भी एक-एक मिनट की चिंता है तो बोलने से ज्यादा आपसे मिल लूंगा और मेरी काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

हमारे धर्मपाल जी के बच्चे ने जैसे कहा यह बात सही है माननीय मंत्रीजी, मैं सभापति महोदय के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं कि अधिकार विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में, विधायकों का है। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता हो या हमारे अधिकारों के हिसाब से काम नहीं होता हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमको इस जनता ने वोट दिया है, उसके अधिकारों का हनन होता है। यह पुरानी व्यवस्था है, नई शुरूआत है, मुझे पता नहीं है, पक्ष और विपक्ष के आधार पर विधान सभा क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, अगर इसी तरह शुरूआत हुई है तो आगे जाकर पक्ष और विपक्ष का मतलब ही नहीं रहेगा। हम जीत गये, मैं भी एम एल ए हूं, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको कुछ बातें मिलकर कहूंगा। आपके जो लोग हार जाते हैं, या इधर से हार जाते हैं, वह किस आधार पर काम करते हैं। उनकी अच्छी सैटिंग है और हमारी खाली बैटिंग है, तो मैं आपसे बहुत निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर। जीवन में हम दुबारा जीतें न जीतें, लेकिन एक बात और बताता हूं, सभापति महोदय, जो मेरी खास बात है, मेरे मन की बात है।

कितने ही कानून से चलो चाहे किसी की जांच करवा लो जब तक आदमी अपने धर्म पर नहीं है, जब तक आदमी को पता नहीं है कि यहां से

(श्री रूपा राम)

जाने के बाद में हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर आदमी धर्म के आधार पर चलेगा तो सारे कानून-कायदे अच्छी तरह से चलने लग जाएंगे।

एक लास्ट बात है। इस पानी पर किसी ने एक गीत भी गाया है, गीत गाता चल। उसमें लिखा है:-

'अम्बर से निकले जमीन से मिले,
नीर के बिना तो भैया काम ना चले,'

तो, माननीय मंत्रीजी, नीर के बिना काम नहीं चले। धन्यवाद। नमस्कार।

**श्री सभापति:** विराजिये। श्री बलवान पूनियां। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उत्तर-पूर्व में पहाड़ है हिमालय और दक्षिण-पश्चिम में समुद्र है, बहुत पानी है। मैं बहुत आशावादी आदमी हूं, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि पानी की कहीं कमी है, सवाल सिर्फ मैनेजमेंट का है। ईरान, इराक से पाइपों के जरिये तेल आ सकता है, कच्छ के रण से तेल की पाइप लाइन जा सकती है वापस भटिण्डा की तरफ, नीचे से ऊपर जा सकती है तो पेयजल की व्यवस्था करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है।

मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां जर्मन स्कीम का पानी आता है। जर्मन स्कीम की जो पानी की व्यवस्था की गई जो व्यवस्था आप देखेंगे कि जब तक जर्मन के हाथ में थी आठ जिलों में इतनी शानदार थी, हमारे हाथ में आते ही वो स्कीम दम तोड़ गयी। दस फीट गहरी खाई में एक जोरदार पाइप लाइन जो एस.आर. में सीधा पानी चढ़ा देती थी, आज वो एस.आर. दम तोड़ रही हैं, वो व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की।

'आपणी योजना' जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के पांच गांव आते हैं, मैं एक दिन एक टंकी पर गया, मैंने देखा कि सिर्फ मैनेजमेंट की खराबी की वजह से पांच गांव के लोग एक महीने तक मुझे फोन करते रहे कि पानी, पानी, पानी। जब जाकर देखा तो उस एस.आर. को भरा नहीं जा रहा, उससे पहले पानी छोड़ दिया, प्रेशर नहीं था तो पानी पहुंचा नहीं। मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि 'आपणी योजना' की जितनी भी एस.आर. बनी हुई हैं, सबकी कैपेसिटी यह हो गयी कि उसके बराबर ही एक एस.आर. और खड़ी की जाए ताकि पानी की व्यवस्था हो। हर गांव में इतना शुद्ध

(श्री बलवान पूनियां)

पेयजल और जैसे दूसरे साथी चिंता कर रहे थे, इंदिरा गांधी नहर से पेयजल के लिए चाहे पानी डूंगरगढ़ ले जाओ चाहे जोधपुर ले जाओ, पेयजल के राजस्थान में पानी कहीं खतम होने की स्थिति है नहीं बशर्ते की हम उसका मैनेजमेंट करें।

अगर रूपराम जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊं, 'पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस ब्रांड में डालो उस ब्रांड जैसा,' तो फिर रात के एक बजे अलसीसर-मलसीसर का डैम टूट जायेगा। अभी तक जांच नहीं हुई। उस डैम के लिए कौन दोषी था? कोई बरसात का सीजन नहीं, डैम खड़ा-खड़ा ही भचाक देंई टूट गया और अलसीसर-मलसीसर, झुन्झुनूं में पानी ही पानी हो गया। अगर यह स्थिति रही तो, साहब, पानी नहीं पहुंचेगा। फिर पानी की स्थिति क्या बनेगी? जैसे हमारे राजकुमार जी गौड़ साहब चिंता कर रहे थे, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पूरे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में जो प्रदूषित पानी आता है जिससे कैंसर बढ़ रहा है, मेरे क्षेत्र में सिद्धमुख नहर और पूरे नोहर-भादरा में जो हम पेयजल में काम लेते हैं उस परियोजना को, मंत्रीजी, हरियाणा के गोरखपुर गांव में एक परमाणु का बिजली संयंत्र लगा, 40 क्यूसेक का एक माइनर निकाल करके उस सिद्धमुख नहर के पानी को डायवर्ट किया गया और वापस परमाणु संयंत्र को ठंडा करके हमारी नहर में वापस पानी डाल दिया गया। मेरे पूरे इलाके में कैंसर का रोग बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि आप कल ही हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखिये कि हमारा पानी बिना रोक टोक के आना चाहिए, आप अपने परमाणु संयंत्र को ठीक करना चाहते हो, ठंडा करना चाहते हो तो अपनी दूसरी नहरों से पानी लें।

मैं आपका इस बात के लिए भी ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि अब की बार गर्मी में आपके दोनों मंत्रालय हैं, बिजली के कट लगे और पेयजल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई, 'आपणी योजना' में भी हुई दूसरे वाटरवर्क्स में भी हुई।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): मैं अभी एक सैकिण्ड में कर रहा हूं।

इसलिए आप जो-जो व्यवस्था है बिजली और पानी की उनको दुरुस्त करें क्योंकि उठते ही सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो पानी की पड़ती है और अगर आप पानी में थोड़ा सा गम्भीरता से काम करेंगे तो इस योजना को आगे ले जा सकेंगे। पिछली सरकार ने जल स्वावलंबन के नाम से सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपये बहाये थे, मेरे क्षेत्र में तो जल स्वावलंबन की इनकी

(श्री बलवान पूनियां)

दो योजना थी जिसमें करोड़ रुपये लगे, कोई काम नहीं आये, वहां एक बूंद पानी ठहरता नहीं है, मैं तो आपसे कहता हूं उसकी भी जांच करवाई जाए।

**श्री सभापति:** विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): साहब, मेरे क्षेत्र की दो-तीन परियोजनाएं हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। भादरा शहर की 53 करोड़, जाटान, भानगढ़, जोगीवाला और रामगढ़, ऊज्जलवास और गोगामेड़ी की यह कुछ करोड़ रुपये की स्कीम हैं, मैं आपको अलग से एक कागज दे दूंगा, वो आप इस बजट में सैंक्शन करेंगे ताकि हम पेयजल के लिए लोगों की व्यवस्था कर पाएं।

मैं अध्यक्ष जी के मार्फत यह बात राजस्थान की सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो विधायक का कोटा है सवा दो करोड़ रुपये उस सवा दो करोड़ रुपये को तो पेयजल के लिए और अन्य विकास के लिए विधायक का कोटा बढ़ाया जाए ताकि हम पेयजल की व्यवस्था सब जगह कर सकें। आपने हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर टाइम दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री सुरेश सिंह रावत।

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का सीधा ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा।

पुष्कर विधान सभा में पानी की भयंकर समस्या है और पूरी तरह बीसलपुर बांध से जो पानी आता है उस पर निर्भर है लेकिन करीब 80 ढाणियां ऐसी हैं जिनको बीसलपुर से जोड़ा नहीं गया। अनआक्युपाइड ढाणियों का बहाना बनाकर उस समय अधिकारियों ने लापरवाहीपूर्वक उन ढाणियों को छोड़ दिया, इससे लोगों को पीने के पानी की भारी समस्या हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, पुष्कर विधान सभा में बहुत सारे हैण्डपम्प और ट्यूबवैल ऐसे हैं जिनमें पानी तो है लेकिन किसी हैण्डपम्प का पाइप खराब हो गया, किसी ट्यूबवैल की मोटर जली हुई है। मैंने कई बार अधिकारियों से सम्पर्क करने का प्रयास किया, उनसे बात भी की, मीटिंग्स भी कीं लेकिन वो आज तक ठीक नहीं हो पाये, तो माननीय मंत्री महोदय, आप उनको जल्दी ठीक कराएं।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तीर्थराज पुष्कर हम सबका आस्था का केन्द्र है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी राजस्थान की पूर्व यशस्वी

(श्री सुरेश सिंह रावत)

मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को कि हमारे निवेदन पर उन्होंने बीसलपुर का पानी जो पीने के काम का है लेकिन तीर्थराज पुष्कर की महत्ता को देखते हुए उन्होंने पुष्कर के अन्दर बीसलपुर का पानी डालने के लिए अनुमति दी और तत्काल प्रभाव से वहां लाइन डाल कर बीसलपुर का पानी छोड़ा गया। लेकिन जैसे ही राज बदला, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आयी और बीसलपुर का पानी सरोवर में डालना बंद कर दिया। उसका यह परिणाम है कि हजारों की संख्या में पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं लेकिन बिना स्नान करे हुए वापस चले जाते हैं।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय जलदाय मंत्रीजी के जवाब तक बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति:** सदन का समय जलदाय मंत्रीजी के जवाब तक बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

समय बढ़ाया गया।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): सभापति महोदय, सब बैंच खाली पड़ी हैं, कोई सीरियस ही नहीं है।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): मैं हूं न सीरियस।

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

## विभिन्न विषयों पर विचार

### राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर): माननीय मंत्री महोदय, जैसा कि मुझे पता लगा कि आप स्वयं ब्रह्मा जी को मानने वाले हैं और आपके मंत्री होते हुए तीर्थराज पुष्कर में पानी के अभाव में हजारों की संख्या में मछलियां तड़प कर मर गयीं। तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं निश्चित रूप से वो पाप के भागी हैं। मैं तो आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तीर्थराज पुष्कर की सुध लेवें।

पुष्कर से नागौर मात्र छह किलोमीटर है और वहां इंदिरा गांधी नहर

(श्री सुरेश सिंह रावत)

की परियोजना भी लगभग दस-ग्यारह किलोमीटर की दूरी पर ही है तो तीर्थराज पुष्कर में अगर इंदिरा गांधी नहर का पानी छोड़ दिया जाए तो वह साल भर भरा रहेगा।

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर): इसके अलावा भी हमारे छह-सात बांध हैं, उन बांधों की भराव क्षमता अच्छी है लेकिन उनके भराव क्षेत्र में कई सैकड़ों की तादाद में छोटे-छोटे एनिकट बना दिये जिसका परिणाम है कि अजमेर जिले में अच्छी बारिश हुई लेकिन एनिकट होने के कारण उन बांधों में पानी नहीं आ पा रहा। तो, मंत्री महोदय, उन एनिकटों को हटा दिया जाए तो हमारे पांच बांध हैं, कायड़ है, ऊंटड़ा है, सींगला है, बीर का तालाब है, और भी दो-तीन बांध हैं, अगर वो भर जाएंगे तो निश्चित रूप से आसपास के किसानों को फायदा मिलेगा और लोगों को पीने का पानी मिलेगा। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** समाप्त करें। श्री रामलाल मीणा।

**श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

प्रतापगढ़ जिला समुद्र से औसतन 1610 फीट या 580 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह कहा जाता है कि ऊंचाई की दृष्टि से राजस्थान में माउंट आबू के बाद सर्वाधिक ऊंचाई वाला यह जिला है। भारतीय उप-महाद्वीप की सर्वाधिक प्राचीन पर्वतमाला अरावली और मालवा के पठार की संधि अवस्थित राजस्थान के इस जिले में भूगोल में अरावली और मालवा दोनों की भौगोलिक विशेषताएं एक साथ पहचानी जा सकती हैं।

**(19.00 बजे)**

जिले में औसत वार्षिक वर्षा 856 से 900 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है। इसमें थोड़े-बहुत उतार-चढ़ाव होते हैं। यहां काली मिट्टी है और वह उपजाऊ है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बरसात का पानी बहकर के चला जाता है। भाजपा के ही वहां 27 वर्षों तक एमएलए रहे। जब-जब भाजपा की सरकार बनी, वह मंत्री रहे। लेकिन प्रतापगढ़ की जनता के लिए उचित बंदोबस्त नहीं कर पाए। आज भी जनता कई किलोमीटर दूर से सिर पर मटका रखकर के पानी लेकर के आती है। वन क्षेत्र में आज भी खड्डों और कुए से पानी भरकर लाते हैं। जिसकी वजह से आदिवासी क्षेत्र में बीमारियां पनपती रहती हैं। यहां

(श्री रामलाल मीणा)

के एमएलए लगातार मंत्री रहे। लेकिन भूमि उपजाऊ होने के बावजूद गरीब आदिवासी के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से यहां आज भी गरीबी का आतंक है।

भाजपा सरकार द्वारा 2010 में जल संरक्षण के लिए चलाया गया जल स्वावलंबन अभियान भी पूरी तरह से फेल रहा। स्वीकृत कार्यों में से कई कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुए। कई कार्य अधूरे रह गए और कई कार्यों की तो कागजों में ही लीपा-पोती हो गई। प्रतापगढ़ की दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को समझने में भाजपा की सरकार नाकाम रही। जिसके कारण से भी जल संरक्षण के सरकार के प्रयास खोखले साबित हुए। जिससे सिंचाई तो दूर, कई वर्षों से गरीब आदिवासी पीने के पानी को भी तरसते रहे।

पूर्व में भी जब-जब कांग्रेस की सरकार आई, तो हमेशा गरीब आदिवासियों के हित में काम किया। समय-समय पर कई प्रयास किए, लेकिन स्थानीय भाजपा नेताओं ने इन्हें सफल नहीं होने दिया। यह विधान सभा क्षेत्र जो वर्षों से उपेक्षित रहा है, इसे अन्य जिलों की तरह अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए विशेष बजट से जल संरक्षण के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि 6 महीने के कार्यकाल में 2 बार प्रतापगढ़ में उनका प्रवास रहा। प्रतापगढ़ की जनता को यह अपेक्षा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय वहां छोटे-छोटे बांध एवं एनिकट बनाकर के प्रतापगढ़ की जनता के लिए पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे।

सभापति महोदय, कहा गया है कि राजस्थान का सबसे अधिक पानी प्रतापगढ़ एरिये में पड़ता है। इस मौसम में भी पहली बारिश में 11 इंच पानी प्रतापगढ़ में पडा। आज की तारीख में वहां 27 इंच तक पानी पड़ चुका है, लेकिन वहां पानी को रोकने की उचित व्यवस्था नहीं है। वहां बांधों की व्यवस्था नहीं है। आज भी आदिवासी क्षेत्र में मौका डैम, चूना डैम, कैला डैम, अमृतिया बावजी बांध और ऐसे कई बांध हैं जो बनने से वंचित हैं। अगर वह बन जाते हैं तो आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल के साथ-साथ सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आशा करता हूं कि 2019 का जो बजट है, इसमें इन बांधों की व्यवस्था कराई जाए, जिससे आदिवासी क्षेत्र में पेयजल के साथ-साथ सिंचाई की व्यवस्था हो सके। जिससे

(श्री रामलाल मीणा)

सदियों से जो गरीबी उस क्षेत्र में व्याप्त है, उसको कम किया जा सके।

सभापति महोदय, प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी भराव क्षमता 5015 एमसीएफटी पानी है। जिसमें से 3650 एमसीएफटी धरियावद की नहरों को दिया जाता है, 81 एमसीएफटी पानी प्रतापगढ़ शहर के लिए जाता है, 344 एमसीएफटी पानी डैड स्टोरेज हेतु रखा जाता है। शेष 940 एमसीएफटी पानी बचता है।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें।

**श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, 27 वर्षों से कांग्रेस वहां शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, उसके बाद जीतकर के आया हूं। कुछ समय और मुझे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए दीजिए। वर्तमान में सम्पूर्ण प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सहित बड़ी सादड़ी की भी 18 पंचायतों की पेयजल के लिए चल रही स्कीम, जिसमें 890 एमसीएफटी पानी की आवश्यकता है। जाखम बांध में डैड स्टोरेज को बचाते हुए 940 एमसीएफटी में से 890 एमसीएफटी पानी खर्च करने के बाद भी 50 एमसीएफटी पानी शेष बचता है। जिससे गरीब आदिवासियों सहित प्रतापगढ़ की गरीब जनता को पेयजल समस्या से निजात मिल सकती है।

सभापति महोदय, जाखम बांध में पर्याप्त जल होने के बावजूद भी 554 गांवों की पेयजल स्कीम 918.32 करोड़ रुपए की, सिंचाई विभाग द्वारा यह कहकर के अड़ंगा लगाकर अटका दी गई है कि जाखम बांध में पानी की कमी है। डैड स्टोरेज को काटने के बाद भी 940 एमसीएफटी पानी बचता है। उसमें इस स्कीम के लिए खाली 890 एमसीएफटी पानी की आवश्यकता है। उसके बावजूद भी 50 एमसीएफटी पानी बचता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस स्कीम को तत्काल प्रभाव से लागू करें। जिससे प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र से जुड़े बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र की 18 पंचायतों में भी आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सके।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जाखम बांध की जो सिंचाई परियोजना है, इसका काम अभी अधूरा पड़ा है, 3 मीटर गेट लगाकर के इस सिंचाई परियोजना को अगर सरकार पूरा करती है तो आदिवासी बहुल पंचायतों को जैसे ग्यासपुर, चिकलाड़, नकोर, देवगढ़ और

(श्री रामलाल मीणा)

देवपुरा जो कि बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र की पंचायतें हैं, वहां सिंचाई हेतु भी किसानों को पानी उपलब्ध हो सकता है। प्रतापगढ़ जिले में जो सबसे गरीब एरिया है, वह सफल होने की ओर जा सकता है।

सभापति महोदय, अगर इस तरह से काम होता है तो हजारों एमसीएफटी पानी जाखम का जो बहकर के चला जाता है, उसके लिए अगर 3 मीटर जाखम की हाइट बढ़ जाती है तो पूरे प्रतापगढ़ जिले की पानी की समस्या का समाधान होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य इन्दिरा देवी।

**श्रीमती इन्दिरा देवी** (मेड़ता): माननीय सभापति जी, पहली बार मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मेड़ता क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि आप पूरा ध्यान देकर मेड़ता में पानी की कमी को पूरा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री सुरेश रावत।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, वह बोल लिए।

**श्री सभापति:** बोल लिए? विराजिए। बोल लिए पहले। श्री छगन सिंह राजपुरोहित।

**श्री छगनसिंह** (आहोर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पेयजल की ज्वलंत समस्या पर बोलने का अवसर दिया। पूरे राजस्थान में घरों में पानी के कनेक्शन के लिए 4 हजार आबादी की एक सीमा तय है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जो 4 हजार आबादी तय है, उस सीमा को तोड़कर, जो भी रेवेन्यू विलेज हैं, उनमें घर-घर तक पानी पहुंचाएं। यह मेरा पहला निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं मेरे जालोर जिले की बात करूंगा। जालोर जिले में पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी को देखते हुए नर्मदा जल योजना के तहत प्रोजेक्ट तैयार किया गया। जिसमें एफआर और ईआर, 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। एफआर प्रोजेक्ट की शुरुआत 300 करोड़ से की। फिर एफआर में ही डिस्ट्रिब्यूशन क्लस्टर के लिए ही 600 करोड़ सैंक्शन किए गए। उसका काम चल रहा है। लेकिन जहां से पानी की शुरुआत है, जहां तेतराल से, जहां 21 दिनों के पानी स्टोरेज के लिए डिग्गी

(श्री छगनसिंह)

बननी थी, वह आज तक नहीं बनी। जिससे क्लोजर पर बड़ी समस्या होती है। क्लोजर होने पर पानी बंद हो जाता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात, जो पानी की मात्रा पंप के द्वारा निकलती है, वह 300 हार्स पावर वाली मोटर से निकलती है। मैं निवेदन करूंगा कि उस पंप की जो पावर है, वहां 1200 हार्स पावर वाली मोटर लगायी जाए। जिससे उस क्षेत्र में पानी की मात्रा सही रूप से आ सके। तीसरी बात, डिग्गी के बाद जितने भी यहां पर स्कोर वाल्व बने हुए हैं, उनसे हमेशा पानी चोरी होता है।

मैं चाहूंगा कि स्कोर वाल को भी आप कोई लोहे की चद्दर या पट्टी के द्वारा बंद कर दें, इसकी लगभग दो साल के बाद में पानी की सफाई के लिए जरूरत पड़ती है, आप उसको भी चद्दर के द्वारा बंद करें तो नर्मदा के पानी की चोरी की समस्या है, वह भी खतम हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, ईआर प्रोजेक्ट के लिए मैं मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। ईआर प्रोजेक्ट रामसीन तक आ चुका है, फिर यहीं सदन में पूर्व मंत्री ने घोषणा की थी कि ईआर प्रोजेक्ट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्लस्टर बागरा, सियाना, आकोली, देलदरी, कानदर, डूडसी, दी गांव, भैंटाला, मायलावास आदि 22 गांवों में और जालौर विधान सभा क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जो पानी की कमी है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन क्लस्टर, ईआर प्रोजेक्ट के द्वारा जो यहां सदन में पूर्व मंत्री ने घोषणा की थी उस पर अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है, अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जो आश्वासन दिया था उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस ईआर प्रोजेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्लस्टर पर काम करें जिससे आमजन जो पानी के लिए तरस रहे हैं उन पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के 9 ग्राम पंचायत क्षेत्रों और जालौर विधान सभा क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ईआर प्रोजेक्ट के तहत डिस्ट्रीब्यूशन क्लस्टर के द्वारा पानी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो खारे पानी और फ्लोराइड से मुक्त होने के लिए आरओ प्लांट शुरू करवाए थे लेकिन फर्स्ट फेज में जो भी आरओ प्लांट बने थे, वह आज तक न तो शुरू हुए और जो शुरू हुए वह आज बंद है। जिसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कवराड़ा, रामा, भाद्राजून, हरजी, बागरा आदि

(श्री छगनसिंह)

में जो आरओ प्लांट शुरू हुए थे उनसे आज तक न तो पानी मिला न ही उन पर कोई काम हुआ, आरओ प्लांट आज भी बंद हैं। लगभग फर्स्ट फेज के जितने भी आरओ प्लांट हैं वह आज भी बंद हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि नर्मदा का प्रोजेक्ट, ईआर प्रोजेक्ट और एफआर प्रोजेक्ट मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में चल रहे हैं, वे पूरे होने में कम से कम दो वर्ष लगेंगे।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री छगनसिंह** (आहोर): माननीय सभापति महोदय, वहां बड़ी समस्या है, इसलिए आपको अवगत करवा रहा हूं कि दो वर्ष लगेंगे उसमें पूर्व में जो नलकूप सूखे हैं, जिन गांवों में नलकूप सूख गए हैं उनकी नई घोषणा की जाए, नए नलकूप की घोषणा की जाए, उसके बाद वहां हैंडपम्प की भी घोषणा की जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी समस्या है जवाई बांध की। जवाई बांध जब से बना है सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो जालौर जिले को, सूखा भी अगर कोई झेलता है तो जालौर जिला और बाढ़ को भी अगर कोई झेलता है तो जालौर जिला।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से जवाई बांध से पीने के पानी के लिए पाली जिले को पानी मिल रहा है, अच्छी बात है लेकिन 35 फीट तक पानी स्टोरेज करने के बाद जो पानी बचता है, जो पानी पीछे से आ रहा है, उसको 25 प्रतिशत तक उसी नदी में छोड़ा जाए और नदी में छोड़ने से उस क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के नलकूप रिचार्ज होंगे।

**श्री सभापति:** आप विराजिए। श्रीमती कृष्णा पूनियां।

**श्रीमती कृष्णा पूनियां** (सादुलपुर): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज सदन में पहली बार बोलने का मौका मिला है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। काफी गम्भीर विषय के ऊपर आज चर्चा चल रही है। जिस जगह पर मैंने जन्म लिया, वहां पर मैंने पानी की कमी नहीं देखी लेकिन शादी के बाद जब ससुराल पहुंची तो एक बच्चे के सवाल ने मन के ऊपर अमिट छाप छोड़ी कि जब एक महिला ने पानी मांगा तो बोला कौनसा पानी लेकर आऊं, खारा या मीठा? यह हमारे मरु प्रदेश की मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ी हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रति एक सोच थी। ससुराल में मैंने देखा कि बारिश के पानी को संचित किया जाता है और उसे पीया जाता है। मेरे पीहर में मैंने वह चीजें नहीं देखी थीं जो मैंने गागड़वास में देखी थीं। खेल

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

के दौरान बहुत से देशों में जाने का मौका मिला, प्रैक्टिस करने का मौका मिला, काम्पीटिशंस किए, मैं कहना चाहंगी कि पोर्टलैंड, अमेरिका के शहर में मैंने काफी अभ्यास किया, जहां पर काफी बारिश होती है लेकिन वहां का जो सिस्टम है, किस तरीके से पानी को संजोया जाता है उस सिस्टम से बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरी तरफ मैं कहूं कि हमारे जो अरब कंट्रीज हैं, जहां पर बारिश नहीं होती है, बावजूद इसके संभावना के लिए भी इस तरीके के सिस्टम तैयार किए जाते हैं। दूसरी तरफ जब इंडिया में देखा जाता है कि जब बारिश आती है तो सबसे बड़ा कारण प्रदूषण जो प्लास्टिक है, हमारे बांधों को रोकने का काम कर रहा है, उस विषय पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, आज प्लास्टिक इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ चुका है जो कि अवरुद्ध का कारण बनता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर टीवी में भी एक प्रोग्राम देखा था, सत्यमेव जयते प्रोग्राम के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोग्राम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर थे तो वह राजस्थान के अंदर हुए थे, चाहे वह बावड़ी के तहत हुए हों, चाहे जलाशय के तहत हुए हों, जोहड़े के तहत हुए हों, इसके ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था लेकिन आज से फिर से सोचने की जरूरत है कि आज हमें फिर से उन जलाशयों को भरने की जरूरत है तो पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, प्लास्टिक पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा और हमारी सोच को भी बदलना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं ज्यादा लम्बा न बोलकर अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ ध्यान जरूर आकर्षित करवाना चाहूंगी। मैं धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी का, जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान राजगढ़ के लिए, बुंगी-राजगढ़ पेयजल योजना हमें एक सौगात में दी थी जो कि 2041 तक की आबादी तक के लिए पेयजल का प्रावधान था। बड़े अफसोस की बात कि गत सरकार के दौरान जब इस योजना को लागू किया जा रहा था, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन पीएसपी को लगाया गया जिसके अंतर्गत वह गरीब परिवार जो डेढ़ सौ दो सौ रुपए मजूदरी करके अपना परिवार चलाए या फिर वह पानी का टैंकर डलवाए, यह उसके लिए काफी गम्भीर विषय बना हुआ है। उन छोटी-छोटी ढाणियों को भी वंचित रखा गया, आज मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी ढाणियां छूट गई हैं जहां पीएसपी नहीं लगी। आज पेयजल के लिए हम पूरी तरह से बुंगी-राजगढ़ परियोजना के ऊपर आधारित

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

हैं। इसके साथ-साथ में कहना चाहूंगी कि 80 प्रतिशत एरिया जिसमें भूजल नहीं है और जिस एरिया में भूजल है वहां पर टीडीएस और फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि हमारे वह पानी पीने के लायक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अवगत करवाना चाहूंगी कि राजगढ़ शहर के अंदर जो पाइप लाइन की व्यवस्था है वह काफी पुरानी है, या तो वह ब्लॉक हो चुकी है या लीकेज है, काफी ऐसी कालोनियां जो बाहर बसी हुई हैं उन तक पाइप लाइन की व्यवस्था भी नहीं है। इसके साथ-साथ ग्रामीण एरिया के अंदर आज भी पानी तीन-चार दिन के अंतराल के बाद दिया जाता है। चूंकि मैं महिला हूं और एक महिला की परेशानी एक महिला अच्छे से समझ सकती है। आज जब गांवों में जाती हूं तो गांवों की महिलाएं मुझे घेर लेती हैं और कहती हैं कि इस सदी के अंदर भी हमारे सिर पर मटका है तो इस मटके को आप छुड़वाइए।

आपके माध्यम से मैं मंत्री मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि विभागीय नीति के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुरूप पूरे प्रदेश भर में 4 हजार की आबादी वाले जो गांव हैं वह पाइप्ड हैं और खासकर अगर चूरू जिले की बात की जाए तो उसमें चाहे वह तारानगर है, चाहे वह चूरू है या फिर उसके साथ-साथ मैं कहना चाहूं, चाहे सरदारशहर, सुजानगढ़ या नोहर, भादरा का मैं कहना चाहूं, तो 4 हजार की आबादी वाले गांव पाइप्ड हैं बल्कि बड़े अफसोस की बात की राजगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया जिसमें राजगढ़ के गांवों को इस योजना के साथ नहीं जोड़ा गया। मैं मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे पास 2041 तक की आबादी के लिए पीने का पानी का प्रावधान है, स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण आज राजगढ़ शहर और राजगढ़ का ग्रामीण एरिया प्यासा बैठा है। तो, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि 4 हजार तक की आबादी के जितने गांव हैं, उनको घर-घर पीने के पानी की योजना से जोड़ा जाए। जब यह योजना लागू हुई थी तो हर घर से घर-घर पानी देने की योजना के अंतर्गत सिक्योरिटी राशि भी जमा करवाई गई थी पर इस योजना को पीएसपी में तब्दील किया गया तो आज उन वंचित परिवारों को जोड़ने के लिए आपसे आग्रह करती हूं कि इस योजना को घर-घर तक पहुंचाने के लिए आपसे अनुरोध करती हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं, जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति:** श्री वाजिब अली।

**श्री वाजिब अली** (नगर): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज मुझे भी सदन में पहली बार अपनी बात रखने का मौका मिला है। पेयजल बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में पेयजल और सभी तरह के जल की बहुत बड़ी समस्या है। नगर कस्बा आज भी खारा पानी पीने को मजबूर है और जो ग्राउंड वाटर है, वह दूषित भी है, फ्लोराइड भी बहुत ज्यादा है। चंबल परियोजना 2013 में पिछली कांग्रेस सरकार ने चालू की, लेकिन इन पिछले पांच सालों में सिर्फ 30 या 35 परसेंट काम ही पूरा हो पाया।

उसके अलावा भी उस क्षेत्र में पीने के पानी के लिये और कोई संसाधन नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि वे काम जो पैंडिंग हैं, वे पूरे हों ताकि लोगों तक पानी पहुंच सके। उस परियोजना में भी जो सर्वे हुए, उनमें भी बहुत सारे गांव और ढाणियां छूट चुकी हैं। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सर्वे दोबारा कराकर जो क्षेत्र रह गये हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए ताकि आम जनता को पानी मिल सके।

अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जिन्हें पीने के पानी के लिये कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। गुड़गांव कैनाल के द्वारा हरियाणा सरकार से हमें पानी मिलना था, उसके लिये पिछले पांच सालों में कई बार आंदोलन हुए, धरने भी हुए, कई बार डीपीआर बनी, पर पता नहीं कौन-से दफ्तरों में वे फाइलें गायब हो गयीं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गुड़गांव कैनाल का पानी सीकरी बांध में डाला जाए ताकि वहां के किसानों के लिये और जो क्षेत्र का ग्राउंड वाटर है, उसमें वृद्धि हो सके। समय का अभाव है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति:** श्री नरेन्द्र नागर।

**श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं झालावाड़ जिले से आता हूं और राजस्थान में झालावाड़ जिला चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि राजस्थान की दो बार की मुख्य मंत्री माननीय वसुंधरा जी वहां से रही हैं और उन्होंने जो बहता पानी था, उसे रोकने का प्रयास किया। माधवी, गुलंडी, काली खाल, राजगढ़, छापी, भीमसागर जैसे बहुत सारे डैम वहां पर बने और आज वर्तमान समय में पेयजल की बहुत सारी व्यवस्था डैम्स से है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत-सी जगह पेयजल की व्यवस्था हैंड

(श्री नरेन्द्र नागर)

पंपों से भी है और बहुत-सी जगह जो जनता जल योजना है, उससे भी है। ज्यादा बड़ा काम मेरे हिसाब से मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाकी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता जल योजना में बहुत सारे पूर्व माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है। जनता जल योजना ग्राम पंचायतों के भरोसे चल रही है। ग्राम पंचायत वाले न तो समय पर उसका बिल जमा कराते हैं, न उसकी लाइन खराब होने पर उसे ठीक कराते हैं।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप उसे व्यवस्थित तरीके से, चाहे उसके बिल का मामला हो, चाहे लाइन का मामला हो, पूर्व सरकार द्वारा भी बजट देकर के व्यवस्था की गयी थी कि उसे व्यवस्थित तरीके से चलाकर पुन: पंचायतों को संभलाया गया तो इस बार आप इसमें बजट का प्रावधान करें ताकि यह जो योजना है, उसका लाभ जनता को मिल सके। साथ ही हैंड पंप की जगह ट्यूबवैल, क्योंकि अब हैंड पंप की स्थिति यह हो गयी है कि वाटर लेवल जिस प्रकार नीचे चला गया है, तो हैंड पंप की जगह सिंगल फेज मोटर का प्रावधान हो, उसमें बाकायदा बिजली का कनेक्शन हो और बिजली का बिल देने की व्यवस्था ग्राम पंचायत करे या पीएचईडी करे।

स्थिति यह होती है कि एक बार चालू करने के बाद बिजली का बिल जमा नहीं होता है और बिजली विभाग वाले उसका कनेक्शन काट देते हैं। वास्तव में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है मुंडेरी, उसके पास काली सिंध नदी है जिस पर एक एनिकट बना है, उस गांव में बहुत बड़ी प्रोब्लम है। मैं आपसे यह चाहता हूं कि उस एनिकट पर कोई योजना बनाकर पेयजल की व्यवस्था आप कराएं ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से हैंड पंप मिस्त्रियों के भरोसे हैं और मिस्त्रियों की संख्या दिनों-दिन कम होती जा रही है। एक-एक मिस्त्री के भरोसे पांच-पांच पंचायतें हैं और चाहे वह कितना ही प्रयास करे, उसके बाद भी चार-चार, पांच-पांच दिन तक उसे हैंड पंप के लिये समय नहीं मिलता है, इसके लिये विशेष रूप से आप या तो प्राइवेट सैक्टर में कोई व्यवस्था करें। साथ ही, मिस्त्रियों के लिये कोई गाड़ी की व्यवस्था करें। सीजन के समय आप दो-दो, तीन-तीन गाड़ियां लगाएं ताकि हैंड पंप समय पर ठीक हो सकें।

(श्री नरेन्द्र नागर)

माननीय मंत्री महोदय, पूर्व में जहां पर वास्तव में बिजली की दिक्कत आती है, कहीं बिजली का बिल जमा नहीं होता है, सौर ऊर्जा के माध्यम से भी पिछली सरकार ने प्रयास किया था कि सौर ऊर्जा से सिंगल फेस मोटर उन्होंने लगायी। वास्तव में वे मोटरें अभी तक चल रही हैं। इस प्रकार का भी प्रयास आपका हो और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सिंगल फेस मोटर या कुछ हैंड पंप जितने भी माननीय सदस्य, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, सबको आप निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे।

मंत्री महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने जो हैंड पंप स्वीकृत किये थे, जितने भी माननीय सदस्य थे, उन्हें जितने हैंड पंप दिये थे, वे अभी तक भी नहीं लगे हैं। इस पर आप विशेष रूप से जांच कराएं कि एक साल होने के बाद भी अभी तक उनकी खुदाई नहीं हुई। इसके पीछे क्या कारण इसमें किसकी गलती रही, ताकि सरकार की इतनी घोषणा करने के बाद भी, सरकार की इच्छा शक्ति होने के बाद भी वे मौके पर नहीं लगे, इसके लिये भी आप ध्यान देकर जांच कराएं। माननीय सभापति महोदय, आप घंटी बजाएं, उसके पहले ही बैठ रहा हूं मैं तो। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री रफीक खान।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने अति संवेदनशील मुद्दे पर मुझे यहां बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं जयपुर शहर के आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और जयपुर शहर ने पानी के मसले पर बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं। रामगढ़ डैम को भरा हुआ भी देखा और उजड़ता हुआ भी देखा। बीसलपुर लाइन से पानी सप्लाई का दौर भी देखा।

दिसम्बर, 2018 में इलेक्शन हुए और कांग्रेस पार्टी आयी। जयपुर शहर में पानी की स्थिति का हम सबने जायजा लिया। मैं हमारे मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आगे से इनिशिएटिव लेकर के जो बीसलपुर डैम से सप्लाई में कटौती थी, उसका जायजा लिया। जहां 400 एमएलडी पानी, 500 एमएलडी पानी की रिक्वायरमेंट थी, वहां 250-300 एमएलडी पानी दिया जा रहा था। जितनी रिक्वायरमेंट थी, अगर उतना पानी बीसलपुर से सप्लाई कर देते तो आज की तारीख तक बीसलपुर डैम खाली हो जाता। एक कंटिंजेंसी प्लान बनाया गया, 700 बोरिंग सैंक्शन किये गये और मार्च में उनका काम

(श्री रफीक खान)

चालू किया गया, इसके लिये मैं माननीय मंत्रीजी को, मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

700 में से 600 बोरिंग चालू हो चुके हैं और लाइनों में जुड़ चुके हैं, यह मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। बहुत सारे मुद्दे आये, बहुत सारे लोगों ने बातें कीं, ग्राउंड लेवल की बातें कीं, जयपुर के बीजेपी के कोई भी विधायक यहां मौजूद नहीं हैं, मैं यहां आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल नीचे जाने की बात की गयी। पिछले नौ साल से हम ग्राउंड वाटर यूज ही नहीं कर रहे हैं। आप सीनियर विधायक हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, नौ साल से हम बीसलपुर का पानी पूरे जयपुर शहर को पिला रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर यूज नहीं कर रहे हैं।

पिछले नौ सालों में तीन से लेकर पांच मीटर तक जगह-जगह पर अगर एरिया वाइज हम आइडेंटीफाई करेंगे तो वाटर लैवल बढ़ा है। जब 300 एमएलडी पानी की सप्लाई हम मेंटेन कर रहे थे और 500 एमएलडी पानी की रिक्वायरमेंट थी तो यह तय किया गया कि हम यह पानी ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्स्ट्रैक्ट करके इसको लाइनों में जोड़ेंगे, जिसमें हम सफल हुए, कामयाब हुए।

कुछ लोगों ने यह एतराज किया कि पानी तो सर्टेन एरिया में आ ही नहीं रहा। हमने सब जगह, जो अन-रिप्रजेंटेड एरिया था, जिन लाइनों में दिक्कत थी, जहां ऊपरी हिस्से में लाइनें जाती थीं या टेल-एंड थे, जहां प्रेशर कम होने से पानी पहुंचने में प्राब्लम थी उस एरिया को आइडेंटिफाई करके हमने बोरिंग कराये।

कुछ लोग पिछले महीने में धरने-प्रदर्शन के लिए तैयार हुए, मैं मौके पर पहुंचा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं मौके पर पहुंचा और मैंने कहा कि जिस एरिया में पानी कम आ रहा है वह आप मुझे बताओ, मैं खुद पहुंचूंगा और मैं सरकारी कर्मचारियों, एक्स.ईएन., ए.ईएन., जे.ईएन., सबको लेकर मौके पर पहुंचा। लोगों ने कहा कि यहां पानी ही नहीं आ रहा तो मैंने खुद टाइमर लगाकर पानी का लेवल चैक करवाया तो किसी जगह 45 मिनट से लेकर एक घंटा, सवा घंटे तक पानी पूरे शहर में मिलता हुआ पाया गया। जब मैं मौके पर पहुंचा तो बोले कि यह आपका क्षेत्र नहीं है तो मैंने कहा कि अब मैं आ गया हूं तो मेरा क्षेत्र हो या नहीं हो, मैं टाइमर लगाकर,

(श्री रफीक खान)

चैक करके जनता को सैटिस्फाई करके ही जाऊंगा। तो वहां के नेताओं से बात की, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एतराज कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप सब जगह बोरिंग करा रहे हो तो हम तो यह एतराज इसलिए कर रहे थे कि एक बोरिंग हमारे यहां भी करा दो।

पानी का मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। तीन तरह की बातें हैं। एक तो पानी को हम सुचारु रूप से, अच्छे मैनेजमेंट से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क ठीक करें। एक मुद्दा यह है कि जो बारिश से आने वाला पानी है, जो हमें सौगात बनकर मिलता है उस पानी को हम स्टोरेज करें, रिचार्ज करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें। तीसरा, एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि जयपुर शहर में हम डेली, एवरी-डे 510 एमएलडी पानी सप्लाई करते हैं। बीसलपुर का हिस्सा इसमें 330 एमएलडी होता है और 180 एमएलडी हम ग्राउण्ड वाटर एक्स्ट्रैक्ट करके करते हैं। यह पानी किसी न किसी रूप में, सर्टेन छीजत के बाद में सीवरेज लाइन में चला जाता है। अगर हम सीवरेज वाटर पर थोड़ा ध्यान दें, हम साढ़े तीन सौ से चार सौ एमएलडी पानी वाटर ट्रीटमेंट करके, एस.टी.पी. लगाकर इर्रिगेशन के काम में ले सकते हैं और एक बहुत बड़ा सहयोग इर्रिगेशन को, खेती को, किसानों को मिल सकता है और ग्राउण्ड का दोहन भी 500 एमएलडी के लगभग एवरी-डे हम सेव कर सकते हैं।

एक और प्रपोजल रामगढ़ डैम के रिवाइवल के लिए सभी लोगों ने दिया, हमारे गोपाल जी मीणा ने भी दिया। चम्बल नदी से मेज नदी में होता हुआ पानी वेस्ट हो जाता है, नालों के जरिये बह जाता है। इस वेस्टेज को रोकने के लिए एक प्रपोजल यह दिया गया आदरणीय अशोक गहलोत जी के पिछले टेन्योर में, जो बाद में किसी वजह से रुक गया, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उस पानी को हम अगर किसी तरीके से रामगढ़ डैम तक ले आते हैं तो हमारे रामगढ़ डैम का भी रिवाइवल होने के चांसेज बन जाएंगे।

एक सजेशन मैं और देना चाहूंगा। आज जो पेयजल के नाम पर वाटर बाटल यूज किये जा रहे हैं इन पर बैन लगाने की सिफारिश मैं करना चाहूंगा। जो पानी पीने लायक है उसको साफ्ट करने के नाम पर....

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): जब हम आर.ओ. सिस्टम लगाते हैं, साफ्टनर लगाते हैं तो उसको साफ्ट करने के नाम पर हमें 10 प्रतिशत पानी ही पीने योग्य मिल जाता है जिसको साफ्टनर लगाकर काम में लेने लायक

(श्री रफीक खान)

बनाते हैं। नेचुरल मिनरल वाटर में इसकी जरूरत नहीं होती है। स्पेशली बीसलपुर से जो पानी आ रहा है उसमें आर.ओ. की जरूरत नहीं है। आर.ओ. अगर हम यूज करते हैं तो हम करीब 90 प्रतिशत पानी वेस्ट कर देते हैं और 10 प्रतिशत पानी ही काम में ले पाते हैं। मेरी मंत्रीजी से गुजारिश है कि इस मुद्दे पर अगर ध्यान देंगे और इसमें कोई पालिसी ऐसी बनाएंगे जिससे हमारी वेस्टेज बच सके।

जो बारिश का पानी हमें मिलता है, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम कोई ऐसा प्लान बनाएं जिससे हम उस पानी को वेस्ट होने से बचाने के लिए ग्राउण्ड में वाटर हार्वेस्टिंग के फार्मूले को एडाप्ट करते हुए, वाटर रिचार्ज स्टेशंस को एडाप्ट करते हुए अगर हम उसको ग्राउण्ड में डाल देंगे तो हमारे लिए वह पानी आगे की जनरेशन के लिए डिपोजिट हो जाएगा।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): बीसलपुर योजना का एक्सटेंशन प्लान 2013 में बनाया गया जो सैकण्ड फेज में 190 एमएलडी पानी के लिए बनाया गया था। 24.04.2018 को यह केन्द्र सरकार को भेजा गया। 2013 में प्लान बना, 2016-17 में प्लान की परमिशन आई, 1105 करोड़ रुपये की परियोजना थी, केन्द्र सरकार को लिखा गया पर इसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ।

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): 15 जुलाई, 2019 को, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद इसमें 7.6.2019 को सैंक्शन जारी की गई और उम्मीद यह कर रहे हैं कि अगले महीने के अन्दर-अन्दर इसकी निविदाएं आमंत्रित कर ली जाएंगी और 170 एमएलडी पानी की अतिरिक्त सप्लाई जयपुर शहर को मिल सकेगी।

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य। सहयोग करें माननीय सदस्य। श्री लाखन सिंह। माननीय सदस्य, सहयोग करें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): एक मिनट, सर। इण्डस्ट्रियल एरियाज में जो पानी का गैर कानूनी दोहन होता है, अगर उस पर भी हम गौर करेंगे और उस पर बैन लगाने की कार्यवाही करेंगे तो जो ग्राउण्ड वाटर एक्स्ट्रेक्ट हो रहा है उससे हमारे पानी की बचत होगी और आगे जाकर उसको स्टोर करने में हम कामयाब होंगे।

(श्री रफीक खान)

आपने अति संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।

**श्री सभापति:** श्री लाखन सिंह। लाखन सिंह जी, समय का ध्यान रखेंगे।

**श्रीमती रमीला खड़िया** (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मैं कुशलगढ़ क्षेत्र से आई हूं और पहली बार मुझे बोलने का मौका दें।

**श्री सभापति:** विराजिये। ये बोल रहे हैं इसके बाद बताएं आप। विराजें।

**श्री लाखन सिंह** (करौली): मान्यवर सभापति महोदय, आपने मुझे जो जल की विकट समस्या है इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं करौली विधान सभा क्षेत्र से हूं और वैसे यह समस्या सम्पूर्ण राजस्थान की है। जो करौली विधान सभा क्षेत्र है वह भौगोलिक दृष्टि से एक पथरीला इलाका है और यह पथरीला इलाका ढाणी और गांवों में बसा हुआ है जहां पर हैण्डपम्प की स्कीम है। जो हैण्डपम्पों की स्कीम है उसमें भूजल स्तर आज 400-500 फीट नीचे चला गया है, हैण्डपम्प ऊपर रह गये हैं और हैण्डपम्प चलाते हैं तो हवा निकलती है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह जो हैण्डपम्प वाली योजना है यह 350 की ही योजना है तो या तो इसको आगे बढ़ाया जाए या फिर इसकी गहराई ज्यादा की जाए या लाइट सहित सिंगल फेस मोटर की व्यवस्था की जाए।

कई जो ढाणियां हैं उन ढाणियों में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी को पीकर अपना गुजारा करते हैं। जब गर्मियों में पानी सूख जाता है तो उनके लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो गांव के गांव, ढाणी की ढाणी वहां से पलायन कर जाते हैं। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी जगह पानी की कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। टैंकरों की भी व्यवस्था की गई है लेकिन वहां जाकर देखा है कि वहां कोई टैंकर नहीं पहुंचते। आप चाहें तो सर्वे करवा लें कि अधिकतर गांव वाले गर्मियों के दिनों में वहां से पलायन कर चुके हैं।

हमारे यहां पर सबसे बड़ी जो योजना है वह चम्बल के पानी की है। जब हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि चम्बल के पानी की योजना आ रही है लेकिन हमारे पूर्वी राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आज तक वह चम्बल के पानी की योजना नहीं आई। यह क्यों नहीं आई? सरकारें बदलती रहीं.....

(श्री लाखन सिंह)

दोनों सरकारें आईं, कभी कांग्रेस आई, कभी बीजेपी आई। आज हमारी स्थिति यह है कि 1500 फुट तक पानी नहीं है और पूरे क्षेत्र में तीनों-चारों जिलों में पानी की विकट समस्या है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारी इस विकट समस्या को गंभीरता से लिया जाए और इसको एक योजना के रूप में, जो चम्बल का पानी है, उसको जो हमारा पांचना डैम है, उसमें डाला जाए और जो छोटे-छोटे डैम हैं, यहां तक कि दौसा तक जो जिले हैं, यहां तक भी इनको लाया जाए। करौली में तो सबसे बड़ा जो एक पांचना बांध बनाया गया था...

**श्री सभापति:** समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री लाखन सिंह** (करौली): पांचना बांध में पानी भरा है और 2006 से पानी भरा हुआ है लेकिन सरकारों की मंशा नहीं है कि उस पानी को कहीं यूज में लिया जाए। अगर उस पानी को ही फिल्टर करके जनता के लिए दिया जाए तो पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। पानी भरा है, 2006 से भरा है, लेकिन अभी उसको चालू...

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य। इधर देखें, समाप्त करें।

**श्री लाखन सिंह** (करौली): मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या है पानी की।

**श्री सभापति:** आप मंत्री महोदय से मिलना वहां जाकर के, समाप्त करें। श्री सुमित गोदारा।

**श्री लाखन सिंह** (करौली): पहले भी मैंने गुजारिश की है और बहुत सालों से पानी इतना भरा है, लेकिन वहां पीने की अभी...

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य विराजिए, अब आप विराजिए। श्री सुमित गोदारा।

**श्री लाखन सिंह** (करौली): थैंक्यू साहब।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): आभार, सभापति जी का, एक ऐसा विषय जो आपने दिया पानी का, जब हम हिस्ट्री शुरू करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले आता है- ancient human civilizations and all ancient human civilizations were based on their rivers, either it is 'Indus Valley Civilization', 'Nile Civilization', 'Huang Civilization (Chinese Civilization)' or 'Egypt Civilization', सारी की सारी नदियों पर बेस थी। इसी का महत्व हम समझते हैं। राजस्थान में जहां पानी की हमेशा किल्लत रही है। भारत का 10.4 ज्योग्राफिकल हिस्सा, जिसमें 5.5

(श्री सुमित गोदारा)

परसेंट ह्यूमन पापुलेशन पर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये कि 18.7 परसेंट पशुधन लाइव स्टाक भारत का, वो हमारे राजस्थान में है। ये पानी की योजना बनाते, हमें यह विषय जरूर देखना चाहिए कि राजस्थान में पशुधन है, वो कितना है।

हम उस हिस्से से आते हैं उत्तर पश्चिम राजस्थान का बीकानेर और वहां का लूणकरणसर, जिसका नाम ही लूणकरणसर, जहां पानी की लवणता ज्यादा होने के कारण जिसका नाम लूणकरणसर उस क्षेत्र से। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप जो भी स्कीमें बनाते हैं, हम अधिकारियों से बात करतें हैं। वो यही विषय देते हैं कि हम तो ह्यूमन पापुलेशन देख रहे हैं। जबकि हमारे क्षेत्र में पशुधन इतना ज्यादा है वहां हमारे रेगिस्तान का क्षेत्र उन गहरी विषय परिस्थितियों में, जहां हमारे पूर्वज रहते आये, वहां पशुधन ही उनका सहारा था। पशुधन के सहारे ही वे अपना जीवन यापन करते थे। उस समय पानी होता नहीं था और जब कुआं सूख जाता था तो गांव के गांव आबादी गांव छोड़कर चले जाते थे। बरसात का पानी जिसे पीकर लोग जीवन यापन करते थे। वे कुएं, बावड़ियां जिनके लिए लोग रात-रात भर पहरा लगाते थे कि पानी खराब नहीं हो, वह समय बदला, पानी नहर से आया, पानी ट्यूबवैल से आया, इंदिरा गांधी नहर, जिसके बारे में सभी वक्ताओं ने कहा। कैंसर के बारे में कहा, मेरे पिताजी बीकानेर में कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहें। 1980 से तो मैंने वो दिन भी देखे, जब बीकानेर में आसपास के गांव से कोई केस भी नहीं आते थे, पिताजी बताते थे। जब 2011 में कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से रिटायर हुए तो बीकानेर और लूणकरणसर का कोई ऐसा गांव नहीं जहां साल में दस-दस केस कैंसर के नहीं आते। यह विषय जहां हम देखते हैं हमारे समीप में ही पंजाब, जहां से हमारी नहरों में दूषित कैमिकलयुक्त पानी डाला जा रहा है। उसका हमारी सरकार चाहे कोई भी हो, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से यह दिक्कत आ रही है। आप देखोगे वो सीधे का सीधे पानी खालों के थ्रू गांवों में जा रहा है और उसकी कोई सफाई नहीं हो रही। पंजाब सरकार ने आरओ प्लांट्स लगाए हैं, पानी को साफ करने के लिए और अपने क्षेत्र वासियों का ध्यान रखने के लिए।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आरओ प्लांट्स अधिक से अधिक संख्या में लगाये जाएं। हमारे यहां लूणकरणसर में हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय वसुंधरा जी ने आरओ प्लांट्स लगाये और आरओ प्लांट्स काफी सफल रहे। उसमें 20 लीटर के जरिकेन के 4 रुपये चार्ज किये जाते, पर

(श्री सुमित गोदारा)

गांवों में लोगों ने उसका उपयोग करना शुरू किया। साथ में मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीजी से कि जो वाटर स्टोरेज टैंक है, जहां पर नहर का पानी कई जगह आता है और वहां से आगे पम्पिंग करके दिया जाता है। उसमें कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसा बदबूदार पानी घरों में जाता है कि लोग कहते है कि अधिकारी पानी साफ करके बिलकुल नहीं दे रहे। यह विषय भी गम्भीर है।

माननीय मंत्रीजी से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि दीया तले अंधेरा, हमारे लूणकरणसर के 152 गांवों में लगभग 40-50 गांवों में पानी की नहर की सुविधा है। बाकी पानी पहुंच गया जैसलमेर, पानी पहुंच गया नागौर और आगे की सब योजनाएं आ रही हैं, पर हमारे लूणकरणसर के अधिकतर गांव आज भी नहर के पानी से वंचित हैं और ट्यूबवैल के पानी में इतना फ्लोराइड और इतने कैमिकल्स हैं लोग कहते हैं कि घुटने दुखते हैं, शरीर खराब, लोग उम्र से पहले ही बूढ़े होने लगे हैं। सरकार से निवेदन है कि शुद्ध पानी दिया जाए और फिल्टर प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ओवर हैड टैंक्स के जो नार्म्स बनाये हुए हैं चार हजार आबादी के, जिस तरह आपने पंचायत चुनाव में आबादी रेगिस्तान में ढाई हजार की है तो ओवर हैड टैंक्स के लिए भी आपसे निवेदन करूंगा, ढाई हजार आबादी की जाए ताकि गांवों में पानी मिल सके। एक मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मोटर पम्प वो पांच-पांच, दस-दस दिन तक खराब रहती है। जिस तरह तकनीक का जमाना आया है तो आनलाइन सिस्टम किया जाए। जिससे अधिकारियों को तुरन्त सूचना जाए और हमारे पास भी यह समाचार रहे कि हां, भई मोटर ठीक की है। मोटर कई-कई जगह लगातार खराब रहती है और कई-कई जगह तो ऐसी विडम्बना है एक मोटर ही बार-बार एक गांव में दस-दस बार चेंज कर दी जाती है, पर नहीं सुधरती। चाहे केबल हो, चाहे अपने फाल्ट्स स्टार्टर में हों, ये छोटी-छोटी समस्या, जिसकी वजह से आम आदमी निरन्तर परेशान रहता है।

एक विषय यह कि पानी की पाइप लाइनें पंक्चर की जाती हैं। जहां हम सोचते हैं कि सोर्स से पानी स्टार्ट होता है और गांव तक जाता है। वहां अधिकतर कई जगह लोग ढाणियों में पंक्चर कर देते हैं, सब्जियां उगाते हैं और पूरा का पूरा गांव प्यासा रहता है। उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): निवेदन करते हुए माननीय कल्ला

(श्री सुमित गोदारा)

साहब से कि जब हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे, तब आप मंत्री बने। आज आपके साथ यहां बैठे हैं। आपने बीकानेर के लिए काम किया, हमें बड़ी उम्मीद है, पर इस बार 7 महीने में वो करंट आपकी कार्यशैली में नहीं दिखा है। जो बिजली पानी की समस्या का हो, हम उम्मीद करेंगे कि वो करंट हमें देखने को मिले।

**श्री सभापति:** श्री किसनाराम बिश्नोई।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): क्योंकि मैंने कई समस्याएं आपको बताईं। हमारे लूणकरणसर में जो हमने पिछले वसुंधरा जी की सरकार...

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। पिछली सरकार में 60 गांवों में हमने पेयजल योजना स्वीकृत करवाईं, 55 गांवों में हमने योजना क्रियान्वित करवाई पिछले 5 साल में, पर अब 5 योजना आरडी 291 से लूणकरणसर, डेलाना बड़ा, रामबाग ये आज भी पैंड़िग हैं। मेघाणा गांव में अभी आपकी सरकार आने के बाद पेयजल योजना की ऐसी पाइप डाली गई, ऐसी घटिया पाइप की एक्स ईएन भी कहे पाइप हमने गलत डाल दी। वहां पानी नहीं पहुंचा, उसकी तरफ ध्यान दें।

मंत्रीजी, मैंने आपसे एक सूरतसिंहपुरा गांव में ट्यूबवैल का निवेदन किया, 6 महीने हो गये उसको खोदे हुए पर उस ट्यूबवैल में अभी तक लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ। कभी कहते हैं ये समस्या, जबकि मैंने आपसे व्यक्तिगत आकर निवेदन किया था। उम्मीद है कि आपमें जो करंट था, वो करंट जरूर देखने को मिलेगा और यह कहते हुए कि जिस तरह इजराइल वर्ल्ड का वाटर सुपर पावर है। हम भी उम्मीद करें कि हमारा बीकानेर में भी आप उस तरह काम करें।

**श्री सभापति:** विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): और अंत में यही कहते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने....

**श्री सभापति:** अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए आप।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): 000

**श्री सभापति:** बोलिए, बोलिए आप।

**श्री किसनाराम विश्नोई** (लोहावट): सभापति महोदय, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। सदन में मैं पहली बार

(श्री किसनाराम विश्नोई)

आया हूं और आज दूसरी बार सदन में बोलने का मौका मिला है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जिस जिले से आता हूं। जिस जिले ने तीन-तीन मुख्य मंत्री दिये और जिस जिले में ग्राउण्ड वाटर नहीं होने के कारण एक बार जोधपुर जिला उजड़ने की स्थिति में आ गया। रेलों से भी पानी लाया गया और बाद में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा जोधपुर को नहर के पानी से जोड़ा गया। उस समय स्थिति यह हो गई थी कि बहुत ही तीव्र गति से नहर के पानी को जोधपुर को जोड़ा गया। जिसका श्रेय हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी को है। तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर जी के समय अशोक गहलोत जी को पीएचईडी का मंत्री भी बनाया गया, जोधपुर जिले को मीठा पानी देने के लिए। आज उसके बाद में तीसरी बार अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री बने। जोधपुर जिले में ग्राउण्ड में पानी नहीं है। आधे जिले के अंदर पानी खारा है। जिस क्षेत्र से में आता हूं, उस क्षेत्र में पानी अधिकतर खारा होने के कारण पुराने जमाने में लोग अपने जल कुण्ड के अंदर मीठा बरसात का पानी रखते थे और आधा ट्यूबवैल का पानी खारा अपने घर पर रखते थे।

मेहमान जब आते थे तो हाथ धोने के लिए खारा पानी का एक लोटा अलग होता था और पीने के लिए एक लोटा मीठे पानी का कुण्ड में अलग होता था। वो समय भी हमने देखा और जब ब्याह शादी होते थे' अधिकतर समय ब्याह-शादी का एक ही महीना तय होता था सावन और भादवा क्योंकि बारिश जब होती थी उस समय भी बेटे और बेटी का ब्याह-शादी करते थे। जिस जिले से, माननीय सभापति महोदय, मैं आता हूं आज उस इलाके में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री की कृपा से इन्दिरा गांधी नहर के पानी के कई प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए। कई प्रोजेक्ट पूरे हुए और आधी आबादी को पीने का मीठा पानी सुलभ हो रहा है। साथ ही साथ जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां आधे इलाके में मीठा पानी भी है, वहां ट्यूबवैल की व्यवस्था है। आज पूरे प्रदेश भर से मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार रखे। जिस समय जनता जल योजना पूरे प्रदेश में शुरू हुई उस जनता जल योजना में सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश के अन्दर सात सौ ट्यूबवैल संचालित हैं जोधपुर जिले में। आज हम जब कोई पंचायत समिति की बैठक में जाते हैं, सबसे पहला प्रस्ताव पारित होता है जनता जल योजना को पुन: पीएचईडी को दिया जाए। जिला परिषद की बैठक में जाते हैं मैं पंचायती राज से भी जुड़ा रहा कई वर्षों तक तो जिला परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होता है कि जनता जल योजना के रखरखाव का काम पुन: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

(श्री किसनाराम विश्नोई)

विभाग को दिया जाए। अगर यह नीचे से लोकल बाडी के नीचे सभी सदनों से सब जगह यह बात आती है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसमें सवा सौ ट्यूबवैल जनता जल योजना के हैं। पिछले एक साल से पांच सौ की आबादी पर एक ट्यूबवैल बना हुआ है। पिछले एक साल से मेरे लोहावट क्षेत्र में 61 ट्यूबवैल्स की फाइलें, पानी गहरा हो गया है जिसके कारण से ट्यूबवैल्स नाकारा हो गये हैं, उनका पुन: निर्माण करने के लिए पुन: स्वीकृत कराने के लिए एक साल से फाइल्स पीएचईडी के मुख्य अभियंता ग्रामीण के कार्यालय में लम्बित पड़ी हैं। पिछली सरकार ने निर्देशित कर दिया पंचायतों को कि आप एसएफसी योजना से इसके बिजली के बिल भरोगे। रखरखाव के पैसे उससे दोगे। अब वो रखरखाव के पैसे जो आबादी के अनुपात से आते हैं वो दूसरे विकास के काम भी उनको करने पड़ते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के 61 ट्यूबवैल्स की स्वीकृति जारी करवाई जाए, ताकि तीस हजार की आबादी जो आज पानी से वंचित है उनको पानी सुलभ हो सके और इस योजना के रखरखाव का काम पुन: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिया जाए ताकि लोगों को इस योजना से आसानी से पानी मिल सके। चूंकि मेरा पूरा इलाका ढाणी में बसता है सिर्फ एक घड़े की भी आवश्यकता होती है तो नजदीक कोई सोर्स नहीं है।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, विराजिये। आसन का निर्देश भी मानिये। विराजिये।

**श्री किसनाराम विश्नोई** (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि ये सारे 61 ट्यूबवैल्स स्वीकृत कराये जाएं और इस योजना के रखरखाव का काम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपा जाए, ताकि आसानी से लोगों को पानी मिल सके और इसकी मानिटरिंग सही तरीके से हो सके। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति:** श्रीमती रमीला खड़िया।

**श्रीमती रमीला खड़िया** (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका मिला। मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र से आजादी के बाद जनता दल का ही विधायक जीतता रहा है और एक बार कांग्रेस का विधायक जीता था श्री बरसिंह भाई। इसके बाद भीमा भाई संसदीय सचिव बने। कांग्रेस कभी जीती नहीं। मैं निर्दलीय जीत कर सदन में आई हूं। आज मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका मिला।

**श्री सभापति:** आप पानी पर बोलिये फटाफट, समय कम है।

**श्रीमती रमीला खड़िया** (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पानी की भारी समस्या है। कुशलगढ़ में हाथियादिली गांव है वहां आज भी महिला के नाते मैं कहना चाहती हूं कि मैं उस गांव में जाती हूं तो महिलाओं द्वारा पानी भरने से उनके माथे के बाल भी नहीं रहे, आज भी वहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मकमपुरा गांव में एक पानी की टंकी पिछली सरकार में हमारे गहलोत साहब थे उस समय बनाई थी, लेकिन पानी न होने की वजह से वह टंकी आज सूखी पड़ी है। रामगढ़ पंचायत में भारी समस्या है वहां बंदी बस्ती है उसमें पानी के लिए 5-10 किलोमीटर जाते हैं तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि हमारे घाटा क्षेत्र में अच्छे से और बांध दें और हमारे तालाब बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री धर्मेन्द्र मोची।

**श्री धर्मेन्द्र कुमार** (पीलीबंगा): धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं इस सदन में दूसरी बार जीत कर आया हूं, पर बोलने का मौका पहली बार मिला उसके लिए आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं।

**श्री सभापति:** मेरी ओर से आप बधाई स्वीकार करें।

**श्री धर्मेन्द्र कुमार** (पीलीबंगा): सभापति जी, जल ही जीवन है और जल हमारे जीवन का आधार है और जल के कारण हम बर्बाद भी हो रहे हैं। मैं पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने जल संग्रहण योजना चलाई जिसके कारण से हमारे क्षेत्र में जल का भण्डार बना और बरसात का पानी इकट्ठा किया, परन्तु आज दु:ख इस बात का है कि वह योजना बंद हो गई है पर मैं धन्यवाद दूंगा नरेन्द्र भाई मोदी जी और गजेन्द्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्रीजी को जिन्होंने एक तारीख को अभी जो हाल ही गई है उसमें राजस्थान के 29 जिलों को जल संग्रहण के लिए लिया है, परन्तु दु:ख मुझे इस बात का है कि हनुमानगढ़ जिले में नोहर, भादरा, रावसर, पीलीबंगा क्षेत्र भी जो वर्षा आधारित हैं, वहां इस योजना को लागू नहीं किया गया है।

मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जल संरक्षण अभियान की जो अभी एक तारीख को कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी उसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला नहीं है।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

इस योजना का लाभ हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों को मिलना चाहिए। हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी बहाव क्षेत्र है। घग्घर नदी का पानी संगरिया, पीलीबंगा और सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र और अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र से होकर पाकिस्तान चला जाता है। आज वहां जल का स्तर नीचे चला गया है और मेरा आपसे निवेदन है कि इस जल का संरक्षण करने के लिए उस नाला बहाव क्षेत्र में जगह-जगह बोरवैल करवाएं, ताकि पानी उसके अन्दर चला जाए और पानी का स्तर ऊंचा आये।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हमारे क्षेत्र में है, भाखड़ा हमारे क्षेत्र में है परन्तु दु:ख इस बात का है कि जो ढाणी क्षेत्र हमारे क्षेत्र में बने हुए हैं वहां पानी की व्यवस्था नहीं है और नीचे का पानी है उसमें पांच पीपी से अधिक फ्लोराइड है। उस पानी के कारण से वहां लोगों को रोग लग चुके हैं और सीधा जो रॉ वाटर हम हमारी डिग्गियों में डालते हैं उसके कारण जैसे गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यह जहरीला पानी है और जहर के कारण से हमारे अनेकों बीमारियां आ गई हैं वह पानी हम सीधा पी रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी पेयजल योजना जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के धनासर गांव में स्थित है और इस योजना में बहुत ही बड़ा योगदान माननीय स्व. भैरोंसिंह जी शेखावत का रहा है। उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी योजना लागू की परन्तु आज वह योजना लड़खड़ा रही है। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजना मेरे विधान सभा क्षेत्र और हरदासवाली, धनासर, बंगासर और रामपुरा जो दस किलोमीटर क्षेत्र में है, वहां पर भी पानी की अव्यवस्था हो रही है, इस योजना को बचाएं और इस योजना का लाभ जो आपने बहुत जिलों में दे रखा है, अगर नजदीक में लड़खड़ा गई है योजना तो वह बाहर जाने के लायक नहीं रहेगी। एशिया की सबसे बड़ी योजना को बचाएं। इसके साथ-साथ तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सावा में जो आपणी योजनान्तर्गत पानी जाता है वो रावसर ब्रांच के माध्यम से जाता है और जिसके कारण से रावसर में उस पानी की चोरी होती है। आप जीरो आरडी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से वह योजना बनाएं और सीधा सावा ले जाएं, ताकि पचास क्यूसैक्स पानी पूरा पहुंच सके। आज मंत्री मंहोदय, सावा में मात्र दस परसेंट पानी पहुंचता है।

**श्री सभापति:** समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री धर्मेन्द्र कुमार** (पीलीबंगा): अब मैं ज्यादा न बोलते हुए मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि चालीस परसेंट जनता हमारे क्षेत्र की ढाणियों में रहती है और हमारी कई योजनाएं हैं जो आपके यहां पैंडिंग पड़ी हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोलूवाला स्यागन की और गोलूवाला नयादन की,...

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें।

**श्री धर्मेन्द्र कुमार** (पीलीबंगा): हां, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। दौलतावाली, पीलीबंगा ग्राम, 16 पीबीएम, सुनरसियवाला, अमरपुरा गांव, अमरपुरा ढाणी, रतनपुरा ढाणी, सरदारपुरा, उमेवाला में यह योजना विचाराधीन है इसके साथ-साथ रावसर क्षेत्र की 22 एजी, 400 आईएम, 14-15 बीबीएम, 10 केडब्ल्यूडी और 16 डीडब्ल्यूडी की योजना लम्बित पड़ी है।

**(20.00 बजे)**

सरदारपुरा ग्राम की योजना के दो बार टेंडर हो चुके हैं, उसको चुनाव के कारण आचार संहिता में रोक दिया था। अभी हाल में सरदारपुरा में लोग बहुत गंदा पानी पी रहे हैं, उस योजना के आज की तारीख में टेंडर हो गये हैं परन्तु उसके वापस आदेश नहीं हुए हैं। अधिकारियों से पूछने पर पता चला है कि सरकार ने रोक लगा दी।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, अब समाप्त करेअ।

**श्री धर्मेन्द्र कुमार** (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

**श्री सभापति:** श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

**श्री खिलाड़ी लाल बैरवा** (बसेड़ी): सभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं।

**श्री सभापति:** आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप समय का ध्यान रखेंगे।

**श्री खिलाड़ी लाल बैरवा** (बसेड़ी): मैं डांग क्षेत्र के धौलपुर के बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। डांग क्षेत्र नाम से ही आप सबको विदित होगा कि वहां पानी की कितनी बडी समस्या है और लोग गर्मी के समय किस तरह से पलायन करके दूसरी जगह चले जाते हैं। अपने जानवरों को अलग जगह हांक देते हैं, बिस्तर लेकर अलग पहुंच जाते हैं। जब बरसात के छींटे पड़ते हैं

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

तब वह लोग वापस आते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन राज्य सरकार अशोक गहलोत जी को जिन्होंने इस बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के लिये 96 गांवों की योजना बनाई। योजना बनाकर उसकी क्रियान्विति हुई, उसका उद्घाटन हुआ, तब मैं आपकी कृपा से सांसद था, 96 गांवों की जो योजना चल रही है उससे काफी कुछ क्षेत्र को फायदा मिल रहा है लेकिन फिर भी सम्पूर्ण डांग में पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अभी 64 गांवों की योजना जो बसेड़ी और बाड़ी दोनों को मिलाकर बनती है, अगर वह योजना क्रियान्वित हो जाये, वह पास हो जाये, अंगूरी डैम जो बना हुआ है, जो 96 गांवों की योजना बनी है, उसी का सैकिण्ड फेज अगर चालू हो जाता है तो डांग क्षेत्र की समस्या काफी कुछ कम हो सकती है।

महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसी धौलपुर से लगते हुए चंबल जा रही है और चंबल के पानी के लिये पूर्वी राजस्थान के सभी विधायक महोदयों ने निवेदन किया है, स्थिति यह हो रही है कि जहां हम हैं और जहां जिला है, उस जिले के पास से ही चंबल जा रही है और वह चंबल से वंचित है। मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि जो हमारा अंगूरी डैम है वह इतना बड़ा डैम है कि अगर यह 64 गांव भी इसमें समाहित हो जाएं और इसके बाद जो बरसात का पानी है, ओवरफ्लो पानी है, जो चंबल से चलकर आगे चलकर खतम हो जाता है, अगर उस पानी को अंगूरी डैम में डलवा दिया जाये तो बसेड़ी ही नहीं हमारे बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा को भी इसका फायदा मिलेगा। मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मामले को निश्चित रूप से संज्ञान में लाएं।

मैं दूसरा निवेदन करूंगा कि हमारा कुछ इलाका है जिसको चौड़ी धरती के नाम से बोला जाता है। कुछ पंचायतें हैं, ममोदर है, वहां कुछ गांवों में फ्लोराड वाटर है। ऐसी स्थिति में अगर वहां पर आरओ लगाकर स्थिति को संभाला जाये तो भी पानी की व्यवस्था ठीक हो सकती है। महोदय, आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्रीमती शकुन्तला रावत।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही अनुरोध करना चाहूंगी कि जो अभी आपने हमारी बोरिंग स्वीकृत की, पाइप लाइन स्वीकृत की, उनके लिये तो मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं। जो शेष रह गये हैं यह जरूरी नहीं है कि 4000 की ही जनसंख्या उस गांव की या पंचायत की हो। अगर दो पंचायतों की जनसंख्या मिलाकर के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

4000 की हो रही है तो वहां पर भी पेयजल योजना की व्यवस्था हो तो ज्यादा उचित रहेगा। बाकी सभी चीजें बोल दी हैं, मेरे ऊपर पहाड़ पर जो छीन एरिया है, जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां पर सौर ऊर्जा की बोरिंग करवा कर जिससे जो रेवेन्यू विलेज हैं, उनकी पानी की समस्या से निजात मिल सकती है। यह क्षेत्र हैं जयसिंहपुरा छीन है, हमीरपुर, नांगलहेडी, नाथुरसर लोज, धामला का बास, ऐसी ग्राम पंयायतें जहां बिजली की व्यवस्था कम है और कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां पर टंकी बनी पड़ी हैं लेकिन पिछली सरकार के बहरेपन के कारण वहां पर पानी नहीं पहुंच पाया है। पांच साल तक बोलते रहे, सुना नहीं ...(व्यवधान) जब ही तो धन्यवाद दिया है। कुछ बस्तियां ऐसी रह गई हैं जो पानी से वंचित हैं, उनको जोड़ा जाये, यह मेरा अनुरोध है। जो बिजली के बिल जमा नहीं हो पाते हैं तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। गांवों में बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीएचईडी विभाग ही इसमें बिजली के बिल की व्यवस्था करे तो ज्यादा उचित रहता है। बोरिंग होने के बाद, डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद कई-कई दिनों तक जो बिजली के कनेक्शन नहीं हो पाते हैं, उसके कारण भी गांव वालों को कई दिनों तक भटकना पड़ता है, यह मेरा आपसे अनुरोध है। जो प्रपोजल एक्सईएन, जेईएन जो वहां से बनाकर भेजते हैं तो ऊपर यहां आने के बाद में उनमें देरी नहीं होनी चाहिये, मंत्री महोदय, यह मेरा आप से निवेदन है। टेबल पर रखे रखे कई दिन हो जाते हैं क्योंकि पिछली सरकार की देरी से काम करने की आदत पड़ी हुई है। उस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय, अलवर में चंबल का पानी लाने की बात थी। पिछली सरकार ने उसको कहां अटका दिया, कागजों में रख दिया, उसको भी लाया जाये।

**श्री सभापति:** आप अपनी समस्या बताइए, कहां पिछली सरकार, पिछली सरकार।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): जो प्लास्टिक की पाइप लाइन अभी मंजूर हुई है, उसकी जगह लोहे की की जाये। पिछली सरकार ने जल स्वावलंबन आरओ का सिस्टम चलाया था, वह सिर्फ और सिर्फ कागजों में चला था। एक भी गांव और कोई ऐसा तालाब नहीं है जिसमें कि बरसात में पानी भरा हो, अगर यह मन से देखें तो इनके मन में भी यही पीड़ा है। इनकी जो योजना थी उसको बदलकर अपने तरीके से उस योजना को करें। हम भेदभाव नहीं करेंगे जैसे आप लोग करते थे। इनमें तो भेदभाव की भावना थी इसलिए मेरे यहां आरओ प्लांट नहीं लगाया। आपसे अनुरोध है कि इनकी तरह

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

से भेदभाव नहीं करें। पानी तो एक धर्म और कर्म का काम है इसलिए पिछली सरकार की भावना को भूलते हुए पानी के लिये व्यवस्था की जाये। सभापति महोदय, धन्यवाद, मैं दो लाइन मेरी तरफ से कहना चाहूंगी, अगर समझ ले कोई

**बारिश रो पानी घणो, मायड़ रो लाड़ घणो,**
**मायड़ रो दूध घणो, पक्षिया रो मेल घणो,**
**पानी रो मोल घणो, माटी रो मान घणो,**
**बेटी रो लाड़ घणो और पानी रो मोल घणो।**

**श्री सभापति:** विराजिए। श्री गिर्राज सिंह। माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। समय की सीमा है, मेहरबानी करें आप, प्लीज सहयोग करे।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, पांच साल तो इन्होंने नहीं बोलने दिया, अब आप भी मत बोलने दो।

**श्री सभापति:** बोलिए आप, बोलिए।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी पानी पर चर्चा हो रही है और मंत्रीजी भी यहां पर बैठे हुए हैं। अगर गंभीरता से इस पर बात करें और जो लोगों की समस्या है, यहां पर जो लोग आये हैं वह अपने-अपने क्षेत्र की समस्या उठा रहे हैं। जिनके सामने वह समस्या है, वही लोग जानते हैं कि क्या-क्या समस्याएं हैं। लोग एक-एक, पांच-पांच किलोमीटर दूरी से पानी लेकर आ रहे हैं। आप पूरे प्रदेश की स्कीम एक बनाएंगे, बाड़मेर-जैसलमेर को एक, धौलपुर-करौली को आप एक में देखे, तो वह काम नहीं चल पायेगा। आपको अलग-अलग जिले की अलग समस्या वहां के लोकल एमएलए से आप मीटिंग करें और उन लोगों की राय लें कि किस जिले में क्या-क्या समस्याएं हैं। बाड़मेर-जैसलमेर में तो आपको पानी के कारण परेशानी है, हमारे यहां पानी की कोई कमी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, धौलपुर जिले से चंबल निकल कर जाती है, इतनी तादाद में पानी जाता है, मैं समझता हूं कि राजस्थान ही नहीं दो चार और प्रदेशों के लिये भी पानी की कमी नहीं आयेगी, इतना पानी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो चंबल का पानी है, अभी यहां काफी लोग मांग रहे हैं, भरतपुर वाले भी मांग रहे हैं, धौलपुर वाले भी मांग रहे हैं, करौली की भी वही

(श्री गिर्राज सिंह)

स्थिति है, वह भी चंबल का पानी मांग रहे हैं, दौसा के लोग भी मांग रहे हैं।

हर जगह से चंबल का पानी मांग रहे हैं तो चंबल में पानी की कोई कमी नहीं आने वाली है। चंबल में बहुत पानी है। बरसात में इतना पानी बहकर जाता है कि वह किसी काम में नहीं आता है। चंबल से जाकर यमुना में जाता है, यमुना से जाकर समुद्र में चला जाता है। तो उस पानी का यूज करें। वह पानी हमारे काम में आयेगा। मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूं। मेरे जिले में एक पार्वती डैम है। हमारे चारों विधान सभा क्षेत्र में, अभी बसेड़ी वाले माननीय सदस्य ने बोला था कि बसेड़ी में जो तालाब बना हुआ है, उसमें अगर चंबल लिफ्ट योजना का पानी होकर आ जाता है तो हमारे चारों विधान सभा क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है। अब तो सरकार को करना है। अपनी डीपीआर बनाएं। क्या करें, कैसे करना है, यह काम मंत्रीजी आपको देखकर करना है। हमारे यहां पानी की कोई कमी नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही कहना चाहता हूं कि आप इस स्कीम को देखें। मैं एक मंत्रीजी से और निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जो हमारे साथ बदले की भावना से ऐसे कार्य किये थे। जैसे बीजेपी के लोग तो पानी पीएंगे, कांग्रेस के लोग पानी नहीं पीएंगे। ये लोग इतना भूल गये कि उस समय कुछ न कुछ वोट तो आप लोगों को भी मिले होंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि सभी कांग्रेसियों को मिल गये तो आपने वोट के ऊपर राजनीति की। सभापति महोदय, हमारी 44 गांवों की पानी की योजना थी। पिछली गहलोत सरकार ने स्वीकृति की, टेण्डर करा दिये, कार्य भी हो गये। मैं जानता हूं कि 50 परसेंट काम हो गया है। इन्होंने आते ही इस योजना को इस तरीके से ठप कर दिया कि आज तक वह योजना पटरी पर नहीं आ पायी है। माननीय मंत्री महोदय, इसको बहुत गंभीरता से सुनें। उस ठेकेदार के खिलाफ आप कार्यवाही करें। माननीय सभापति महोदय, आज मुझे सदन के माध्यम से जवाब चाहिए कि इस पानी की योजना को आप कब तक लागू करेंगे, आप कब तक जनता को पानी पिलायेंगे।

सभापति महोदय, इन लोगों ने तो इतने घटिया काम किये हैं। इन्होंने सौ-सौ हैण्डपम्प अपने एमएलए को दे दिये और हम लोगों को इन्होंने हैण्डपम्प ही नहीं दिये। हम लोगों के साथ इन्होंने ऐसा कर दिया जैसे हम तो कोई विदेश से आये हैं, हम इस प्रदेश के हैं ही नहीं, इस देश के नहीं हैं। इन्होंने ऐसा समझा कि हम तो कोई पाकिस्तान से या बहुत दूर से चले आये। इन्होंने इस तरीके से बदले की भावना से काम किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि चाहे वह बीजेपी का एमएलए

(श्री गिर्राज सिंह)

हो या कांग्रेस का एमएलए हो, हमको कतई राजनीति नहीं करनी है। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी का विधायक अगर अपनी आवाज उठा रहा है, तो उसमें कांग्रेस के लोगों को ही पानी मिल रहा है या बीजेपी के लोग पानी नहीं पीयेंगे। सभी के लिए पानी की व्यवस्था करें। सभी की सुनें। पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है। आप भर्ती करें। जब तक आपके पास साधन नहीं होंगे तो आप कैसे काम करेंगे?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो हैण्डपम्पों का सिस्टम बना रखा है। आपके हैण्डपम्प मिस्त्री दो-तीन महीने काम करते हैं। क्या हम लोग दो-तीन महीने ही पानी पीते हैं? आप उनकी गाड़ी बंद कर देते हैं। वे बहाना लगा देते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी हम देंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको गाड़ी उपलब्ध कराये। तीन महीने लोग पानी नहीं पीते हैं, सभापति महोदय, पानी तो 12 महीने चाहिए। मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा नहीं तो एक गाड़ी परमानेंट लगाकर ही रखें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आपके जो पंचायत के हैण्डपम्प हैं या जो एमएलए लैड के हैण्डपम्प हैं, आपको इन पर भी विचार करना चाहिए। आपके हैण्डपम्प मिस्त्री जाते हैं। आपके ए.ई.एन. जे.ई.एन. कह देते हैं कि हम इन हैण्डपम्पों को नहीं बनाएंगे। जनता का क्या दोष है? आप उनको आदेश करें कि वे हैण्डपम्प भी बनाये जाएं। सभापति महोदय, पानी की जो आवाज उठ रही है, जो चंबल लिफ्ट योजना की आवाज उठ रही है। हर जगह से और प्रदेश से उठ रही है। एम.पी. वाले भी यही मांग करते हैं, राजस्थान वाले भी चंबल की ही मांग करते हैं और अपने करीब आठ-दस जिले के लोग वे भी इसकी मांग करते हैं। हमको इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अमल में लाएं और जनता को राहत पहुंचाएं। हमारे धौलपुर जिले में गर्मियों में तीन-चार महीने आपको घरों में कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ एक-दो घरों में औरत मिल पाती है। पानी के लिये पशुओं को लेकर लोग बाहर चले जाते हैं। इतनी गम्भीर समस्या है। इन लोगों ने तो कोई काम नहीं किया, पर हमें इनकी तरफ नहीं देखना है कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करें। हमको कार्य करना है और हमको अपनी सरकार की ऐसी उपलब्धि गिनानी है कि पहले गहलोत सरकार ने किस तरीके से काम किया

(श्री गिर्राज सिंह)

और इन्होंने पांच साल बाद आने के बाद हमसे बदले की भावना से काम किया। हमको उस पर नहीं जाना है। हमको सबको पानी पिलाना है और इनको भी पानी पिलाना है। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री जोराराम कुमावत। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखेंगे।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): सभापति महोदय जी, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पिछली सरकार ने भेदभाव किया। भेदभाव हमारी सरकार ने तो कभी नहीं किया।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): आपकी सरकार ने किया है।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पूरे राजस्थान में प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर गौरव पथ दिये।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, माननीय उप नेता महोदय, मुझे बंद करना पड़ेगा। माननीय सदस्य मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं फिर दूसरा नाम पुकारुंगा।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): हमारी सरकार ने माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी पंचायत हैडक्वार्टरों पर क्रमोन्नत किया।

**श्री सभापति:** आप अपनी बात करें। माननीय जोराराम कुमावत, मुझे दूसरा नाम पुकारना पड़ेगा। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय जी, सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के बारे में ही बोलूंगा। सबसे पहले तो यह बता दूं कि सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है और सुमेरपुर में जवाई बांध होते हुए भी सुमेरपुर में पीने के पानी की बहुत ही गम्भीर समस्या है, 20 परसेंट गांवों में पानी टैंकरों से पहुंचाया जाता है, 40 परसेंट गांवों में बिना फिल्टर किया हुआ फ्लोराइड युक्त पानी पीया जाता है। कई गांव और ढाणियां ऐसी हैं, जहां पर अभी पानी की व्यवस्था भी नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र जवाई बांध पर आधारित है। जवाई बांध में जब पानी आता है, उसी बांध के पानी से सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को पानी पिलाया जाता है। जवाई बांध से कई योजनाएं बनीं।

(श्री जोराराम कुमावत)

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भी जवाई बांध के लिये कई योजनाएं बनीं। जिनमें मारवाड़ के लिये 82 गांवों को जोड़ा गया, जैतारण और सोजत के 133 गांवों को जोड़ा गया है। बाली देसूरी, रानी के 224 गांवों को जोड़ा गया और सुमेरपुर के 111 गांवों को जोड़ा गया। कुल मिलाकर 811 गांवों को पानी पिलाने की योजना जवाई बांध से जोड़ी गयी। जवाई बांध वैसे मौसम आधारित बांध है। जब बरसात होती है तो बांध में पानी आता है और बरसात नहीं होती है तो बांध सूखा रह जाता है। आज वर्तमान में बांध की स्थिति ऐसी है कि बांध में 600 एमसीएफटी पानी है और पानी नहीं होने के कारण से सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में यह पेयजल का संकट पैदा हुआ है। सभापति महोदय जी, निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो जवाई बांध है, उसके लिये यहां से पानी ले जाने की योजनाएं तो खूब बनीं, लेकिन पानी लाने का प्रयास आज तक किसी ने नहीं किया। सिर्फ एक योजना हमारी पूर्व मुख्य मंत्रीजी ..

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): सभापति महोदय जी, अभी तो शुरू किया है। यह गम्भीर समस्या है।

**श्री सभापति:** आप एक मिनट में समाप्त करें।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): बोलने से क्या मतलब है जब बात ही समझ में नहीं आये तो। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जवाई बांध के लिए आज तक किसी सरकार ने पानी लाने की योजना नहीं बनायी। सिर्फ वसुंधरा राजे की सरकार ने 2003 में जवाई बांध के लिये सही बांध का पानी लाने की योजना बनायी थी और सही बांध का ओवरफ्लो आठ फीट बढ़ाया था और उसी से जवाई बांध भरता था।

**श्री सभापति:** विराजिए। श्री मुकेश भाकर।

**श्री मुकेश कुमार भाकर** (लाडनूं): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे पेयजल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। आजादी के 70 साल के बाद भी चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, इस बात पर मैं नहीं आना चाहूंगा, सरकार चाहे कांग्रेस पार्टी की रही या भारतीय जनता पार्टी की रही, सबसे ज्यादा सोचने की बात इस सदन में हम लोगों के लिए यह है कि आजादी के 70 साल बाद भी आज आदमी के जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत की चीज पानी है, उस मुद्दे पर हम लोग

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

आज चर्चा कर रहे हैं। यह सदन और सरकारें आज भी पीने का शुद्ध पानी राजस्थान के गांवों और कस्बों में नहीं पहुंचा पाई हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मुद्दे पर इस सदन में बोलना तब सार्थक समझूंगा जब हम लोग किसी परिणाम पर पहुंच पाएंगे। मैं नागौर जिले से आता हूं, उस जिले में खारा पानी और फ्लोराइड की समस्या हमेशा ही रही है। जिले के हालात पर जाऊं तो जो हमारी माताएं-बहनें है, उनकी पूरी जवानी, पूरा समय पानी की टंकी और घर के बीच में निकल गया। वह जरूरत का पानी उस पानी की टंकी से लेकर घर पहुंचती है, वह खतम होता है फिर पूरे दिन का उनका यही शिड्यूल रहता है कि वह इस काम में लगी रहती है। बुढ़ापे में फ्लोराइड पानी से, खारे पानी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित वहां की माताएं, बहनें व बुजुर्ग रहते हैं। कई सालों से जो फ्लोराइड की समस्या है, उसको लेकर पिछली कांग्रेस की सरकार आदरणीय अशोक गहलोत जी की रही, वह 3 हजार करोड़ रुपए की एक नहरी पानी मीठे पानी की योजना नागौर जिले में लेकर आए। उस पानी की योजना के तहत आज तक जिन गांवों में हम लोगों ने कभी शुरू से लेकर अब तक मीठा पानी नहीं पीया था, फ्लोराइड का पानी पीकर बड़े हुए, आज उन गांवों में मीठे पानी की योजना लेकर आए। आज नयी-नयी टंकियां उन गांवों में बन रही हैं। पानी के नल कनेक्शन देकर पानी की पूर्ति की जा रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले 5 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां रही, उस दौरान वे कार्य जो कांग्रेस के राज में शुरू हुए, वह कुछ हद तक आगे बढ़े लेकिन जहां भी बीजेपी के विधायक रहे, उन्होंने राजनीतिक द्वेषतापूर्ण जहां पानी के नल कनेक्शन लगने थे, वे उन जगह ज्यादा लगाये गये जहां उनको राजनीतिक फायदा हो सकता था। गरीब, दलित व बहुसंख्यक लोग जहां रह रहे थे, उन जगहों को पेयजल से दूर रखने की कोशिश की गयी।

**श्री सभापति:** दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री मुकेश कुमार भाकर** (लाडनूं): मैं आदरणीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गांवों में पानी का कनेक्शन छोड़ा गया है, उनकी पूर्ति आप कराएं। इसके अलावा मैं लाडनूं विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां जो 16 करोड़ रुपए की पानी की योजना शहर में थी, उसकी पूर्ति नहीं की गयी, वह 16 करोड़ रुपए आप स्वीकृत कर जल्दी से वहां पहुंचाएं ताकि आने वाले समय में पानी की समस्या का निवारण किया जा सके। सबसे बड़ी समस्या जो

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

लाडनूं शहर की है, चूंकि 50 हजार की आबादी का कस्बा लाडनूं है फिर भी 50 साल पुरानी वहां पाइप लाइन डली हुई है, जिसकी वजह से जितना पानी घरों में पहुंचता है, उससे ज्यादा पानी लीकेज के माध्यम से जमीन पर रहता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मंत्री महोदय से इस समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। सभापति महोदय, आपका धन्यवाद देना चाहूंगा आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द।

**श्री सभापति:** श्री हरेन्द्र।

**श्री हरेन्द्र निनामा** (घाटोल): सभापति महोदय, पेयजल पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं जिस जिले से आता हूं, राजस्थान के दक्षिण जिले में घाटोल विधान सभा से आता हूं, वहां पर पिछले समय में माननीय वसुन्धरा जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देलवाड़ा जो गांव है, वहां पर उन्होंने वृहत् परियोजना शुरू की। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही लोगों को फायदा मिलने वाला है। मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपलखूंट की 22 पंचायतों का क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले में आता है, वहां पर 102 गांवों की पेयजल योजना के लिए पिछली सरकार ने 560 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ। टंकियां बनकर तैयार हो गयीं, पाइप लाइन तैयार हो गयी लेकिन अभी सरकार आने के बाद में 6 महीने के अंदर मेरे विधान सभा क्षेत्र में उस पेयजल योजना को ठप किया गया है और वह काम डिले किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा का तो सौभाग्य है कि पानी की कोई कमी नहीं है। पानी का रख-रखाव करने की और पानी को ठीक ढंग से पूरे जिले के अंदर सप्लाई देने की आवश्यकता है। पिछले समय जिस तरह की योजनाएं बनीं, जिस तरह से पूरे जिले में पानी की सप्लाई की गयी, मैं माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माही डैम बनने के बाद में, 30-40 साल के बाद पहली बार वसुन्धरा जी ने 165 करोड़ रुपया माही के किनारों को ठीक करने के लिए, पेवर पद्धति के साथ काम करने के लिए कार्य स्टार्ट किया। माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि जिस तरह से 6 महीने के अंदर जो 165 करोड़ रुपए की माही की लेफ्ट कैनाल, माही की राइट कैनाल दोनों, एक तो आरएमसी कैनाल 70 किलोमीटर लंबी है और एलएमसी कैनाल मात्र 35 किलोमीटर लंबी कैनाल है। इन दोनों कैनालों के लिए पैसा दिया। लेकिन अब उन ठेकेदारों ने काम रोक दिया। सरकार ने पैसा

(श्री हरेन्द्र निनामा)

रोक दिया। माही डैम, माही का प्रोजेक्ट उदयपुर संभाग में सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। उस बांध के लिए मैं धन्यवाद स्वर्गीय हरिदेव जोशी, पूर्व मुख्य मंत्री को भी सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। उन्होंने अपना गांव, माही डैम बनाते वक्त उनका खुद का गांव डूब गया लेकिन परवाह न करते हुए बांसवाड़ा जिले के लिए भलाई का काम किया इसलिए उनको याद भी करता हूं।

**श्री सभापति:** विराजिए। श्री रामकेश।

**श्री हरेन्द्र निनामा** (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार इस सदन में जीत कर आया हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री रामकेश।

**श्री रामकेश** (गंगापुर): सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। राजस्थान में देश की 5.5 प्रतिशत आबादी निवास करती है। यहां देश का कुल 18.70 प्रतिशत पशुधन है। सभापति महोदय, इस प्रदेश में, देश में उपलब्ध कुल जल के मुकाबले सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16 प्रतिशत और दोहन योग्य भूजल मात्र 1.72 प्रतिशत ही उपलब्ध है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश का इतिहास गवाह है कि गत 50 वर्षों में इस प्रदेश को 43 अकालों का सामना करना पड़ा। जहां जल उपलब्धता में कमी रही वहां पर राज्य सरकार द्वारा वाटर ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्रकों, ट्रैक्टरों के माध्यम से जल उपलब्ध कराया गया। और जल पुनर्भरण न करने के कारण, भूजल दोहन पर निर्भरता के कारण भू जल स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है। साथ ही, भू जल में नाइट्रेट, सल्फेट, आयरन, लवण व अन्य हानिकारक तत्वों की बढ़ोतरी से फसल व आम आदमी को सेहत का नुकसान भुगतना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश देश का 51 प्रतिशत फ्लोराइड और 42 प्रतिशत लवणता से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक भूजल दोहन से भूजल भण्डारण में निरन्तर कमी आ रही है। सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश में पूर्वी राजस्थान में पीने के पानी की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूर्वी राजस्थान के संबंध में मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान के ज़िलों में वर्तमान में सिंचाई व पेयजल के लिए कोई स्थाई व दीर्घकालीन योजना व संसाधन अभी तक भी नहीं है।

(श्री रामकेश)

जनता एवं मवेशी जल संकट से जूझ रहे हैं। भू जल स्तर 500 से 1000 फीट नीचे तक चला गया है। किसान कर्जा लेकर सिंचाई के लिए टयूबवैल खोदने का प्रयास करता है लेकिन भू जल उपलब्धता की आशंका नगण्य रहती है। दिन-प्रतिदिन कृषि एवं पशुपालन, जो पूर्वी राजस्थान की जनता का मुख्य धन्धा है वह चौपट नजर आ रहा है। जनता मजदूरी के लिए गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रही है। नवयुवक बेरोजगार हो गए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का पूर्वी राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह महत्वपूर्ण परियोजना है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं जिससे पूर्वी राजस्थान में, 13 ज़िलों में इसका पानी पहुंच सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ऐतिहासिक है इससे भी पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी, पूर्वी राजस्थान में पेयजल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर किसानों का जीवन खुशहाल बनाया जा सकता है।

पूर्वी राजस्थान में वर्षा जल का संग्रहण समुचित नहीं होने के कारण सतही जल की उपलब्धता कम है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, यह आपस में बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री रामकेश** (गंगापुर): स्थानीय नदी नालों पर एक एनिकट और चैक डैम बनवाया जाए जिसमें दो मीटर ऊंचाई की वैधता समाप्त की जाए। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल नदी पर 400 किलोमीटर पानी बहकर समुद्र में जा रहा है। चम्बल नदी पर घड़ियाल प्रोजेक्ट के नाम पर वहां एनिकटों में और दो मीटर की ऊंचाई पर एनिकट बनाने का प्रयास हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वी राजस्थान में पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ईआरसीपी का प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान दिया जाए।

एक बहुत बड़ी समस्या पांचना बांध की है। पांचना बांध बनकर तैयार है। उसमें 2006 से लगातार पानी की उपलब्धता होने के बावजूद बांध को बंद किया हुआ है। उसमें लगातार पानी बह कर आ रहा है। पानी भरा हुआ होने के बावजूद भी नहरों में पानी नहीं खोला जा रहा है। मंत्री महोदय, इस समस्या को दूर किया जाए। इसका पता लगाया जाए कि 2006 के बाद बांध को क्यों नहीं खोला जा रहा है। किन कारणों की वजह से पानी होते हुए भी

(श्री रामकेश)

कमांड एरिया को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस बात पर मंत्री महोदय गौर किया जाना चाहिए।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, समाप्त करे।

**श्री रामकेश** (गंगापुर): दूसरा, चम्बल, सवाईमाधोपुर, नादौती पेयजल योजना जो 2004 में स्वीकृत हुई थी, जिसमें सवाईमाधोपुर और करौली ज़िले के कम से कम 700 गांवों को पेयजल उपलब्ध होना था वह भी 2004 से अभी तक पेंडिग है, उसमें बार-बार व्यवधान आ रहा है।

**श्री सभापति:** समाप्त करें।

**श्री रामकेश** (गंगापुर): पता नहीं किन कारणों से वह योजना भी पूरी नहीं हो पा रही है। इसको जल्दी से जल्दी एसपीएमएल कम्पनी, उसको पाबंद किया जाए कि हमारे सवाईमाधोपुर और करौली जिले के जितने भी गांवों के लिए यह योजना बनी है इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा कराकर इससे पानी उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति:** श्रीमती इन्द्रा मीणा।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देती हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। वैसे तो  पूरे प्रदेश की सभी ने अपनी-अपनी बात बताई है, पूरे प्रदेश में पानी की गम्भीर समस्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी। मैं मेरे विधान  सभा क्षेत्र की बात करती हूं, वहां पर 200 गांव ऐसे हैं जहां फ्लोराइड और खारा पानी है और उस पानी को पीने के लिए जनता मजबूर है। 30-40 ऐसे गांव हैं जहां बाहर से पानी पाइप लाइन द्वारा लाया जा रहा है, वहां की स्थिति से मैं अवगत कराती हूं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि 30-40 गांव ऐसे हैं जहां पर तुरन्त ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पाइप लाइन द्वारा वहां पानी सप्लाई हो, क्योंकि वहां पर बहुत ही गम्भीर समस्या है। जिन गांवों में पानी आ रहा है वहां की मैं आपको स्थिति बताऊं, पानी आ रहा है ओपन वैल में डाला जा रहा है, ओपन वैल में पानी डाला जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि पानी डालेंगे तो वह मिट्टी में घुल जाएगा, 4-5 घंटे सैटल होने में लग जाएंगे। फिर भी उस  गंदे पानी को जनता पी रही है। ऐसा गंदा पानी है जिसको जानवर भी पीना पसंद नहीं करेंगे। मुझे देखकर बहुत अफसोस होता है कि पानी की समस्या का समाधान किस प्रकार हो पाएगा।

(श्रीमती इन्द्रा)

कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर दूर-दूर तक भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर टैंकरों से पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी कंटींजेंसी में एक करोड़ रुपया स्वीकृत किया लेकिन अधिकारियों की लापरवाही समझें या जो कुछ भी समझें, वहां पर एक करोड़ रुपये में से एक पैसा भी उन्होंने खर्च नहीं किया, जबकि हमने कई बार उनको लिखकर दे दिया है। हम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि आगे से अधिकारियों की ऐसी लापरवाही नहीं हो।

सभापति महोदय, हम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा प्रोब्लम है। चम्बल से हमारी व्यवस्था हो सकती है। ईसरदा डैम से हमारी व्यवस्था हो सकती है। जब तक स्थाई समाधान नहीं होगा तब तक जनता परेशान रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जल्दी से पानी का स्थाई समाधान करवाया जाए। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री बुलाकीदास कल्ला।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जिस शहर से मैं आता हूं वहां से ही चम्बल पूरे राजस्थान में जाती है। प्राचीन काल में जब राज कन्या अपना वर पसंद करती थी, पचासों राजकुमार आते थे, उन पचासों राजकुमारों में से वह राजकन्या किसी एक के गले में माला डा़लती थी, वह हाल इस चम्बल का हो रहा है। हमारे भी चम्बल, हमारे भी चम्बल, पता नहीं यह चम्बल का क्या करना चाहते हैं। यह निवेदन कर रहा हूं कि मेहरबानी करके कोई दूसरे सजेशन आएं चम्बल के अलावा। मैं माननीय पेयजल मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि चम्बल को छोड़ो, जहां तक है वहां तक ही रहने दो, आप कोई दूसरा इंतजाम करो।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, रामगंज मण्डी से लेकर बामनवास तक 52 माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, पक्ष और विपक्ष के।

**श्री सभापति:** मुझे छोड़कर।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। उन्होंने अपने उपयोगी सुझाव दिए हैं। जल जिसको जीवन कहा गया है, यह निश्चित बात है.....

**श्री सभापति:** माननीय मंत्री महोदय, मेरे तो बिना कुछ कहे ही सारा मामला निपटाना क्योंकि बोलने तो आप दे नहीं रहे हो।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): आप तो वैसे ही आसन पर विराजमान हैं, आपकी बात को कौन टालता है।

**श्री सभापति:** फरमाएं। सुनिये, आप शांति से सुनिये।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): जल, निश्चित रूप से एक अनिवार्य आवश्यकता है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने रहीमदासजी का एक दोहा बोला, लेकिन उसका अर्थ नहीं बताया।

**रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।**

**पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुष, चून।।**

यानी जिस प्रकार से किसी मोती का पानी निकल जाये तो मोती कोई काम का नहीं है। इसी प्रकार यदि चून का पानी, यानी गेहूं का पानी नहीं हो तो गेहूं कोई काम का नहीं है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में पानी उतना ही आवश्यक है। किन्तु आप यदि एक योगी की आत्म कथा पढ़ें तो उसमें खेचरी और एक क्रिया योग का जिक्र किया है। खेचरी और योग क्रिया यदि कोई करता है, वह क्रिया योग जिसको बोलते हैं, वह व्यक्ति बिना खाये, बिना भोजन किये, बिना पानी पिये रह सकता है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आप तो वह योग सिखा दो।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): वह तो सीखने के लिये योग्य गुरु को आपको अपना गुरु बनाना पड़ेगा।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो आप हैं न, आपको बना देंगे।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): मेरे पास आएंगे तो मैं करना बता दूंगा।

कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां ऐसी-ऐसी विधियां हैं, इसके कारण महातार बाबा 1600 साल से हिमालय की तराई में रह रहे हैं और बिना पानी के, बिना भोजन के अपना जीवन जी रहे हैं। यह तो बात पर बात कही। साईंस में पानी हाइड्रोजन के दो मोलेक्यूल और आक्सीजन का एक मोलेक्यूल मिलकर $H_2O$ बनता है और वह पानी हमारे जीवन के लिये बहुत उपयोगी है।

माननीय सभापति महोदय, जैसे इस सदन में चर्चा हुई, हमारे देश की जनसंख्या का 5.5 प्रतिशत भाग राजस्थान में रहता है। यदि पानी के साथ

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

उसकी तुलना करें तो पूरे देश का पानी 1.16 प्रतिशत हमारे प्रदेश में है। यह बहुत बड़ा गैप है। और पानी में भी देश का 92 प्रतिशत लवणीय वाटर हमारे पास है। हमारे पास करीब 64 प्रतिशत नाइट्रेट वर्ग क्षेत्र का है, 51 प्रतिशत में फ्लोराइड है। ऐसी स्थिति में पानी की स्थितियां, और धीरे-धीरे भूजल के दोहन होने से हमारे यहां पानी की निरन्तर कमी होती रहती है। भूजल का जो स्तर है वह नीचे चला जाता है। निरन्तर डार्क जोन बन रहे हैं। इसके लिये माननीय सदस्यों ने जल संरक्षण की बात कही, मैं इसके लिये सहमत हूं। जल संरक्षण के लिये राजस्थान सरकार ने वक्त-वक्त पर कई उपाय किये। जो भी 300 मीटर तक के प्लाट हैं वहां पर जल संरक्षण आवश्यक है। उसके बिना वह मकान नहीं बना सकता। इसी प्रकार अन्य शहरों में भी इस उपाय को करने के लिये, गांवों में भी इस उपाय को करने के लिये काम करना चाहिए। ताकि यह जो बरसात का पानी है, वह उसी जगह इकट्ठा हो जाये और भूमि का जल स्तर नीचे नहीं जाये। इसके अतिरिक्त जब हम सिंचाई करते हैं तो आप देखते हैं कि ज्यादातर लोगों की इच्छा यह रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पानी हमारे खेत में आये। हमको ज्यादा पानी मिले। ज्यादा पानी से पंजाब के खेत खराब हो गये, हरियाणा के खेत खराब हो गये। उसको ठीक करने के लिये उनको अलग-अलग उपाय करने पड़ रहे हैं। किन्तु इजरायली पद्धति से और हमारी पुरानी जो पद्धति है, जिसमें बूंद-बूंद सिंचाई से पानी को बचा सकते हैं। फव्वारा खेती से पानी को बचा सकते हैं। इसी प्रकार जल का संरक्षण और जल की बचत कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मुझे याद है, जब मैं बचपन में छोटा था तो बीकानेर के लोग लोहे की परात में नहाते थे। यह अनुभव मैंने भी किया हुआ है। लोहे की परात में नहाने के बाद उस पानी में कपड़े धोते थे और कपड़े धोने के बाद उससे घर की सफाई करते थे, और घर की सफाई के बाद जो पानी बचता था उस पानी से नाली की सफाई होती थी। चार उपयोग करते थे। भोजन करने के बाद हाथ धोते थे तो उस पानी को इकट्ठा करके एक बाल्टी में लेकर वह गायों की कुण्डी में जाकर डालते थे ताकि गली के, मौहल्ले के जो पशु हैं, वे उससे अपना पेट भर सकें। तो पानी की बचत जरूरी है।

अभी माननीय सदस्यों ने कई बार यह बातें कहीं कि जल संरक्षण जितना जरूरी है, उतनी जल की बचत भी जरूरी है। आज आदमी जितना पानी पीता नहीं है, उतना बर्बाद करता है। सभापति महोदय, एक घर में

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सुविधाओं में जो व्यक्ति जाता है, वह बाथरूम में कम से कम 250 लीटर, पांच की इकाई यदि किसी परिवार की हो तो वह बर्बाद कर देता है। इसके लिये केवल मात्र, या तो वह छोटी आवश्यकता के लिये और बड़ी आवश्यकता के लिये डबल बटन की टंकी घर में लगवा ले। केवल अपनी फ्लश की टंकी बदलवा ले। छोटी आवश्यकता हो, छोटा बटन दबाये, बड़ी आवश्यकता हो, बड़ा बटन दबाये। इस प्रकार से 200 लीटर तक पानी की बचत केवल फ्लश सिस्टम को बदलने से हो सकती है। हमारे यहां बरतन पहले लोग राख से और मिट्टी से मांजते थे, लेकिन आज आप देखते हो नल चल रहा है और बरतन धुल रहे हैं, पानी बर्बाद जा रहा है। नल की टोंटी खोली, मंजन हो रहे हैं, चार गिलास, पांच गिलास, पता नहीं कितना बर्बाद हो गया। आप एक गिलास में रखकर उससे मंजन कर सकते हैं।

इसी प्रकार आर.ओ. सिस्टम के बारे में माननीय सदस्यों ने बड़े उपयोगी सुझाव दिये कि आर.ओ. सिस्टम आजकल ऐसे हैं कि जितना पानी साफ नहीं होता उससे ज्यादा बर्बाद हो जाता है। उसको इकट्ठा करो, उसको सिंचाई के काम में लो, और कोई काम में लो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पानी की बचत, पानी की बर्बादी को रोकना है। कुल मिला करके इसके लिये एक अभियान चलाकर हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि अपने-अपने क्षेत्रों में फ्लश की टंकियां बदलवा दें तो आप राजस्थान का बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पानी के लिये विश्वयुद्ध हो सकता है। सही बात है। यह भविष्यवाणी सही है कि आने वाला विश्वयुद्ध होगा तो वह पानी के लिये होगा। लेकिन इसके लिये हम सब लोगों को जल संरक्षण और जल की बचत का संकल्प लेकर राजस्थान को आगे बढ़ाना होगा। तब जा करके हम राजस्थान की जनता के साथ न्याय कर पाएंगे।

मैं इस अवसर पर खास तौर से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे मानसून सत्र जो पिछले 50 साल में रहे हैं, उसमें 30 वर्ष ऐसे रहे हैं, जिसमें सामान्य वर्षा नहीं हुई। हमारे यहां तो पूगल का अठावा अकाल पड़ा है। कहीं अकाल ढूंढना हो तो पूगल पहुंच जाओ, जैसलमेर पहुंच जाओ, बाड़मेर पहुंच जाओ। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को मिलकर एक बात करनी चाहिए कि राजस्थान में सतही पानी ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, इसके लिये उपाय करना चाहिए। आजादी के बाद इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बनी। हमारी चम्बल,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

माही, इन परियोजनाओं से काफी लाभ मिला और 23 से 24 प्रतिशत सतही पानी राजस्थान के गांवों को मिल रहा है। किन्तु इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नर्मदा का पानी, इसी प्रकार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का, चम्बल का और ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, जो लगभग 37500 करोड़ रुपये का है, उसको यदि केन्द्र की सरकार मंजूर करती है तो निश्चित रूप से ईस्टर्न राजस्थान का पूरा का पूरा इलाका लाभान्वित होगा और अनेक, 13 से अधिक जिलों को इससे पानी उपलब्ध हो सकेगा। हजारों गांवों को इससे पानी उपलब्ध हो सकेगा। ब्रह्माणी, जिससे जयपुर जुड़ने वाला है। बीसलपुर बांध को ब्रह्माणी से जोड़ने के बारे में भी योजना बनाई हुई है। लगभग 5800 करोड़ रुपये की है। इस योजना के क्रियान्वयन या इसकी मंजूरी होने से निश्चित रूप से आप यह समझिये कि जयपुर, आसपास का इलाका, ब्यावर, अजमेर, टोंक और इसके साथ-साथ और आसपास के इलाके इससे लाभान्वित होंगे। अभी पिछले दिनों में ईसरदा बांध को इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने मंजूर कर दिया। उस बांध का कार्य शुरू हो गया है। यह भी जब पूरा हो जायेगा, इसके साथ-साथ हमारी कोशिश रहेगी कि हम ईसरदा से सम्बन्धित योजनाएं बनाएं, जिससे दौसा और आसपास के जिलों को इससे पानी उपलब्ध हो सकेगा।

इस अवसर पर मैं बजट के परिदृश्य के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट में भारत सरकार की हिस्सेदारी निरंतर कम हो रही है। 2016-17 में राज्य मद से 3606.6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, केन्द्रीय बजट में इसके लिए हमको 1027.54 करोड़ रुपये का बजट मिला। 2017-18 में 3827.54 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान राज्य मद में था जबकि केन्द्रीय सरकार की तरफ से 1065.72 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध हुआ और इसके साथ-साथ 2018-19 में 3409.10 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार के बजट में था और केन्द्र ने 951.63 करोड़ रुपया हमें दिया। इस प्रकार आप देख रहे हो कि निरन्तर पैसा जो केन्द्रीय मद से मिलता था, एक वक्त था कि जब मरुस्थल की योजनाओं के लिए करीब-करीब 100 परसेंट या 90 परसेंट सहयोग केन्द्र सरकार का मिलता था, वह धीरे-धीरे कम होकर 75 हुआ और अब तो आप देख रहे हो कि 50-50 में आ गये। हर योजना में 50-50, जब से यह नीति आयोग बना है, माननीय सभापति महोदय, नीति आयोग जो है योजना आयोग की तुलना में हमारे साथ और अन्य राज्यों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। इसमें फायदा किसको होता है,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जो पूंजीपति राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं, उनको पैसा मिल जाता है। आज महाराष्ट्र है, चेन्नई है, आंध्र-प्रदेश, गुजरात यह सारे के सारे इन योजनाओं का लाभ ले लेते हैं और राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश यह सारे के सारे प्रदेश वंचित रह जाते हैं, यह हकीकत है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा।

मैंने तो स्वयं पूर्ववर्ती सरकार के बारे में बताया कि अब तक केन्द्र सरकार में 5073 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान सरकार की बकाया है, जिसको मैंने जलदाय विभाग के मंत्रीजी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, इन मसलों को उठाया था कि हमारा 5073 करोड़ रुपया जो योजनाओं में आपसे मंजूर करके हमने यह क्रियान्वित की थी, उसका पैसा बकाया है, वह हमें चाहिए ताकि हम राजस्थान में इस पैसे का उपयोग कर सकें।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर तीन प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। एक तो वृहत् पेयजल योजनाएं, ग्रामीण पेयजल योजनाएं और शहरी पेयजल योजनाएं। इन तीनों योजनाओं के लिए हम बराबर केन्द्र सरकार से और अपने फंड से काम करते रहते हैं लेकिन मुझे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इन योजनाओं के लिए पर्याप्त साधन जो उपलब्ध होने चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

अभी भारत सरकार ने हर घर में जल पहुंचाने की जो एक नीति बनाई है या कार्यक्रम की घोषणा की है, हम यह देखेंगे। यदि यह नीति बनाते तो राजस्थान में कम से कम मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत अनुदान हमें मिलना चाहिए तब जाकर हम पूरी कर सकेंगे क्योंकि राजस्थान में और अन्य प्रदेशों में बहुत बड़ा अंतर है। राजस्थन के गांव दूरस्थ हैं, बहुत दूर-दूर है। माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि एक-एक गांव तीस-तीस, चालीस-चालीस, पचास-पचास किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर पानी पहुंचाना, हर घर में पानी पहुंचाना कितना कठिन है। एक हैबिटेशन के ऊपर एक लाख रुपये का खर्चा आता है, हैबिटेशन का मतलब एक परिवार में। एक परिवार में पांच आदमियों को पानी पहुंचाने के लिए मोटे तौर पर एक लाख रुपया का औसतन खर्चा आता है। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश के गांवों में, शहरों में और कस्बों में पानी पहुंचाने के लिए कम से कम सवा से डेढ़ लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है और इसके लिए भी सरकार 50-50 या इस तरह का कोई लेकर आती है तो आप जानते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में पानी कब तक पहुंचेगा? 2024 तक यह योजना पूरी होनी है तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्रों में और राजस्थान में खास तौर से शत-प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय सरकार को पेयजल योजनाओं के लिए देना चाहिए।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे राज्य की कई ऐसी योजनाएं हैं जो सतही पानी से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हम न केवल बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली का रोहट कस्बा, वहां तक पानी पहुंचा रहे हैं। नागौर में पानी पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि नागौर आपके पड़ौस का जिला है, वहां पर एक कुबड़-पट्टी है, ऐसा पानी है जो पानी पीते-पीते लोग कुबड़े हो जाते हैं। उस कुबड़-पट्टी तक इंदिरा गांधी नहर का पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलदाय विभाग ने पहुंचाया है और इसके साथ-साथ आगे भी हमारी यह कोशिश रहेगी कि जो-जो क्षेत्र रह गये हैं, चूरू में यह पानी पहुंच रहा है, गंगानगर के लोग पानी पी रहे हैं, हनुमानगढ़ के लोग इस पानी को पी रहे हैं और इसी प्रकार बीसलपुर का पानी जयपुर, ब्यावर, अजमेर और आस-पास के क्षेत्र के लोग पी रहे हैं।

यहां पर बीसलपुर की चर्चा खूब हुई। मैं खास तौर से यह बताना चाहता हूं जयपुर के और आस-पास के माननीय सदस्यों को कि बीसलपुर परियोजना का पानी पिछले वर्ष बहुत कम था और जब मैंने चार्ज लिया तो उस समय मुझे बताया गया कि बीसलपुर में पानी का स्टाक बहुत कम है। हमने तुरन्त माननीय मुख्य मंत्रीजी से स्वीकृति लेकर 732 ट्यूबवैल यहां पर मंजूर किये और 600 से ज्यादा खोद दिये तब आज जयपुर में पानी की सप्लाई पूरी तौर से हो रही है। पूरे राजस्थान में कंटींजेंसी प्लान बनाया गया और कंटींजेंसी प्लान के अंतर्गत नए हैण्डपम्प, ट्यूबवैल और जहां पर कोई साधन नहीं था वहां पर टैंकरों से, ट्रैक्टरों से पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश हमने की और इसका परिणाम यह है कि कठिन समय निकल गया और अब तो एक तरह से मेघ मेहरबान हो रहे हैं, राजस्थान में वर्षा हो रही है। मैं इंद्र भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि पानी की बरसात पूरे राजस्थान में हो और पानी की कोई कमी नहीं रहे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जैसा मैंने आपको बताया कि इस पानी को हमको संरक्षित रखना है कुओं में, अपने स्थानीय सोर्स में, तालाबों में। मनरेगा योजना से मैंने देखा है, मैं जिस जिले का प्रभारी हूं जैसलमेर और बाड़मेर का कई तलाइयां खुद रही हैं, कई तालाब जो खुदे हुए हैं उनके आगारों को ठीक कर रहे हैं और वह सारे के सारे इस पानी से भरे जाएंगे।

एक जलकुंड योजना पहले डी.डी.पी. प्रोजेक्ट के अंतर्गत आई थी। आप

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जाकर देखें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और जो डैजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको एरिड जोन कहते हैं। Prof. C.S. Christian 1959 में भारत आए थे, उन्होंने यहां की एक्स्ट्रीम एरिडिटी यहां के flora fauna और यहां की क्लाइमैटिक कंडीशन को देखकर 12 जिलों को एरिड और सेमी एरिड जोन में बाटा था। उस एरिड और सेमी एरिड जोन में डी.डी.पी. प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाखों की संख्या में जलकुंड खुदे हैं और वह आज एक तरीके से वह जल हमारा जीवन रेखा के रूप में काम कर रहा है और हमारा एक तरीके से जीवन का आधार है। कहीं पानी नहीं होगा तो आपको टांके में पानी मिलेगा, जलकुंड में पानी मिलेगा।

इसी कारण से डैजर्ट के लोग चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति हो, अपने जीवट किस्म के लोग हैं, उस पानी से जीवित रहते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि लोग किसी के यहां पर पानी पीने जाते थे तो लोग कहते थे कि दूध मिलेगा, घी मिलेगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा लेकिन आज डैजर्ट के लोग आराम से आपको पानी पिलाएंगे।

इधर ईस्टर्न राजस्थान की स्थिति पहले बहुत अच्छी थी, वह निश्चित रूप से खराब हुई है, इससे मैं सहमत हूं लेकिन इसके लिए सरकार योजनाएं बना रही है और पूरे राजस्थान को एक समग्र इकाई मानकर हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम पूरे राजस्थान में जो भी योजनाएं बन सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा सतही पानी से योजनाएं बनाकर सतही पानी पिलाने का प्रयास करेंगे और हमारा जो भूमिगत जल है, उसका दोहन कम से कम हो और आवश्यकता पड़ने पर दोहन हो और उसका हम बचत के साथ उपयोग करें तो निश्चित रूप से राजस्थान पानी में कभी कमी नहीं आने देगा।

इसी प्रकार हम लोग बाड़मेर, झुंझुनूं, जैसलमेर, ईसरदा से ईस्टर्न राजस्थान में, ब्रह्मानी से भी ईस्टर्न राजस्थान जयपुर और इसके अलावा झुंझुनूं, चूरू सब जगह की अलग-अलग योजनाओं को कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी जो विचारधारा रखी है, उसके आधार पर भी हमारे यहां पर यह कमी है, यह कमी है, अगर आप विस्तार से चाहें तो मैं एक-एक का जवाब दे सकता हूं, मैंने पूरा उसको नोट किया है लेकिन कुछ माननीय सदस्यों के जो यहां पर प्रश्न उठे थे उनका जवाब देना चाहूंगा।

रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने सुकेत कस्बे के लिए 15.44 करोड़ रुपये की निविदाएं आमंत्रित कीं, उसके बारे में जिक्र किया था।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्री-क्वालिफाइड बिड दिनांक 30.07.2019 तक खोली जानी संभावित है, यह टेंडर पिछली सरकार के समय 6-8 महीने पेंडिंग रहा। खामियों के चलते निविदा को निरस्त करना पड़ा था।

नई एन.आई.टी. लगा दी गयी है, जिसका निस्तारण 30 जुलाई तक किया जाना संभावित है।

**(21.00 बजे)**

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपणी योजना के प्रथम चरण में तारानगर तहसील के 130 गांवों को लाभान्वित किया जाना बताया था। इस योजना का डिजाइन वर्ष 2012 का था और अब 2019 आ गया है, सात वर्ष में जनसंख्या बढ़ गयी, पशुओं की संख्या बढ़ गयी तो इसके लिये पीडीकोर को कार्यादेश दे दिया गया है। डी.पी.आर. माह जुलाई में बनाकर फर्म द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी, जोकि खण्डीय कार्यालय में तकनीकी परीक्षण के लिये प्रक्रियाधीन है। इस पुनर्गठन योजना में तीन हजार से ऊपर की जनसंख्या के गांवों में घर-घर कनेक्शन के प्रस्ताव आये हुए हैं। इससे आपके इस परिवर्तित योजना से, जिसकी लंबाई लगभग 31.5 किलोमीटर है, यह पाइप लाइन से जुड़ेंगे और नहरी पानी की चोरी को रोका जा सकेगा।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्तर्गत शहरी और 56 ग्रामीण योजनाओं के संधारित और संचालित करने के बारे में जिक्र किया। वर्तमान में यहां 154 कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, इनके विरुद्ध में 141 कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से कुछ पद समाप्त हुए हैं। किसी भी कर्मचारी के द्वारा एवजी कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कराया जा रहा है। इन्होंने कहा था कि आठ हजार रुपये देकर असली कर्मचारी मौके पर नहीं रहता। ऐसा एक भी केस नहीं है। यदि वह बताएंगे तो मैं उचित कार्यवाही करूंगा।

योजनाओं पर कार्यभार को देखते हुए 46 श्रमिक ग्राम पंचायतों के माध्यम से अनुदान पर कार्यरत हैं।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनका प्रश्न 33 गांवों और तीन कस्बों में पेयजल आपूर्ति बत्तीसा नाला से करने बाबत् था। बत्तीसा नाला पर जल संसाधन विभाग द्वारा बांध का निर्माण करवाया जा रहा है। इस बांध से सिरोही जिले के 33 गांवों और तीन कस्बों यथा-सिरोही, पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज को पेयजल आपूर्ति के लिये रुपये 250

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

करोड़ की अनुमानित लागत से विस्तृत अभियांत्रिकी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। यह योजना वर्तमान में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जांच की प्रक्रिया में है।

सिरोही जिले को जवाई बांध से जोड़ने बाबत आपने एक मुद्दा उठायां था। जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित जवाई पुनर्भरण योजना में सिरोही जिले की पेयजल मांग हेतु एक हजार एम.सी.एफ.टी. जल मात्रा का प्रावधान लिया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात् ही सिरोही जिले के गांवों को जवाई बांध से जोड़ा जा सकेगा।

सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने गत छह माह में चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना में आने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी चाही थी। गुलाबपुरा एवं 74 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। यह परियोजना माह नवम्बर, 2020 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

भीलवाड़ा जिले के नये राजस्व ग्राम 199 एवं 1316 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु डी.पी.आर. बनाने की स्वीकृति हेतु वित्तीय प्रबन्धन राशि 140.60 लाख वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है।

पाली से आने वाले माननीय विधायक ने पाली विधान सभा की तीन मुख्य पेयजल योजनाओं का यहां पर जिक्र किया। यथा- भूरियासनी-सांवलता, लालकी-निम्बली तथा मंडली जैतपुर-पुख्त्यारी, प्रथम चरण प्रगतिरत हैं, जिन्हें समय पर पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। मंडली जैतपुर-पुख्त्यारी द्वितीय चरण की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है तथा तकनीकी स्वीकृति हेतु डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगतिरत है।

राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना, तृतीय चरण में पाली विधान सभा के 79 गांवों की पेयजल मांग सम्मिलित की गयी है। रुपये 1454 करोड़ की उक्त परियोजना बाहरी वित्तीय सहायता की प्रक्रिया में है।

ओसियां से आने वाली माननीय सदस्या ने ओसियां विधान सभा क्षेत्र में 698 जनता जल योजना क्रियाशील हैं जिनमें से वर्तमान में 65 योजनाओं के संवर्धन की आवश्यकता है। इसके लिये 10 करोड़ के प्रस्ताव आवश्यक हैं। वित्त विभाग से प्रस्ताव उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जाएगी।

विधान सभा क्षेत्र ओसियां में सतही पेयजल परियोजना से वंचित 21 ग्रामों हेतु वृहत् परियोजना डेह हरल्या की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है तथा राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना के तृतीय चरण की क्रियान्विति के पश्चात् ही उक्त वंचित गांवों को सतही स्रोत से लाभान्वित किया जा सकेगा। अब मैं छोटे-छोटे जवाब दे देता हूं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पाली से आने वाले माननीय सदस्य और मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जैन बंधु का यहां पर जिक्र किया और इन्होंने यह कहा कि उन्होंने पानी का वाष्पीकरण करके एक ऐसा संयंत्र वहां पर लगाया है जिससे पानी वापस उपयोग में लिया जा सकता है। मैं जब भी पाली आऊंगा तो इस संयंत्र को देखूंगा और यदि उस व्यक्ति ने, स्वयं ने यह आविष्कार किया है तो हमारी कोशिश रहेगी कि जिला कलेक्टर के माध्यम से उसको सम्मानित करवाया जाए।

जहां तक किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने रामगढ़ के अतिक्रमण हटाने, द्रव्यवती नदी, भूजल दोहन, वर्षा जल के संरक्षण के बारे में उपयोगी सुझाव दिये, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जीत, खून और पानी का महत्व बताया। पानी कृत्रिम तौर पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन खून को कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता। प्रकृति जमीन में जल, सतह पर जल, औसत वर्षा कम हो रही है, इसके बारे में उनकी चिंता थी। इसके लिये मैंने आपको बहुत विस्तार से बता दिया कि जल का संरक्षण करो और जल की बचत करो और सुख पाओ।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): आपका ज्ञानवर्धन कर दिया इन्होंने।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): ज्ञानवर्धन तो महाभारत में किया था। जब पांडवों को प्यास लगी और उनको कहीं से पानी नहीं मिला तो सबसे पहले सहदेव गया, फिर नकुल गया, फिर अर्जुन गया, फिर भीम गया और चारों जब वहां पर जाते थे तो वहां से यक्ष निकलता था और उनको कहता था कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फिर तुम पानी पी सकते हो। आखिर में जब कोई वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर गया और जैसे ही युधिष्ठिर पानी पीने लगा तो उसने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। उसने एक प्रश्न किया कि जल से पतला कौन, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज और कौन काजल से काला। आप बताइये। बोलो, बोल सकते हो तो बोलो, मैं बैठ जाता हूं।

**श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): पानी से पतला ज्ञान है, गम भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काला।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): आपने सही उत्तर दिया है। उसने कहा जल से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज और कलंक

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

काजल से काला। यदि किसी आदमी के कलंक लग जाए तो फिर वह मिटाये नहीं मिट सकता। इसलिये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जल का महत्व है। पानी अनमोल है और मैं तो शंकुतला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मारवाड़ी में जिस तरीके से पानी का वर्णन किया, वह निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को अच्छी भावना से लेना चाहिये। पानी वास्तव में अनमोल है और आपके ऋग्वेद में भी कहा है - 'वरूणो: देवता, वातो: देवता, वसुवौ: देवता, दित्या: देवता, मरूतो: देवता' यानी वरूण वास्तव में देव हैं और इस देव का जितना हम अनादर करेंगे, जितना दुरुपयोग करेंगे, उतना ही आपको नुकसान होगा। इसलिये जल को बचाइये और जल का संरक्षण कीजिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): जवाब देओ राठौड़ साहब।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने गिरते जल स्तर और टांका निर्माण हेतु अनुदान वगैरह की बात की। यह मनरेगा में आज भी टांका बनाने के लिये मजदूर वगैरह उपलब्ध कराये जा रहे हैं, इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये।

नदियों को जोड़ने के बारे में कई माननीय सदस्यों ने उपयोगी सुझाव दिये। नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम मैं समझता हूं कि अम्बेडकर से लेकर कई, आपने सुझाव दिये, अटल जी ने यह बातें कहीं, हम तो स्वागत करेंगे नदियों को जोड़ो, कौन मना करता है? लेकिन इसमें कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। यदि वास्तव में नदियों को जोड़ना है तो सीरियसली पूरे देश को साथ लेकर नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। सतही पानी, इस देश में पूरे विश्व की तुलना में हमारे देश में पानी की कमी है। हालांकि 1500 फुट नीचे समुद्र की वेव चल रही है, उसके अन्तर्गत हमारे को 1300 से 1500 फुट पर पानी उपलब्ध है लेकिन वो पानी निकालना बहुत महंगा है। उसमें कम से कम 13 से 15 करोड़ रुपये की राशि चाहिए जब एक ट्यूबवैल खुदता है लेकिन उसका डिस्चार्ज एक लाख लीटर से सवा लाख लीटर पर आवर है। किन्तु वो इतना महंगा होने के कारण से हम सब लोगों को मिलकर के सतही पानी को लाने का प्रयास करना चाहिए और इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोग मिलकर यह मांग करें कि राजस्थान को नर्मदा का पानी, राजस्थान को साबरमती का पानी और राजस्थान को यमुना नदी का पानी जो हमारा हिस्सा है, वो हमें मिले।

मैं 1980 में आया था तब यहां पर जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत, यदुनाथ सिंह जी और हमारी पार्टी की तरफ से भी कई नेतागण हैं, शिवचरण जी माथुर साहब वगैरह, इन्टर स्टेट डिस्प्यूट के बारे में खूब बोलते थे, खूब सुनते थे लेकिन आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि जैसे अन्य राज्यों में लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो राज्य के मामले हैं उसमें एकता रखते हैं वैसी एकता, माफ करना, हमारे राजस्थान में नहीं है। जिसके कारण अपने बहुमूल्य मुद्दों पर एक नहीं होने के कारण हमारे को नुकसान हो रहा है। आज यमुना का पानी, आज नर्मदा का पानी, साबरमती का पानी यहां आ जाए तो पानी की कोई कमी नहीं है। माही का बैक रिवर का पानी यदि हमारे को मिल जाए तो पानी की कोई कमी नहीं है। (व्यवधान) चम्बल का नाम तो लिया है न। चम्बल का पानी जो समुद्र में जाता है न वो केवल मात्र हम, धारीवाल जी, उपयोग में लेंगे और राजस्थान की जनता को पानी पिलायेंगे।

सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने आर.ओ. का वेस्ट पानी उपयोग में लेने की बात की, वो मैं कह चुका हूं। जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बीसलपुर के पानी की मांग की और साथ-साथ रामगढ़ के बंधे को भी रिवाइव करने की बात की, यह अच्छे सुझाव हैं। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मंत्री महोदय, लोगों ने सुझाव बहुत अच्छे दिये हैं, आपका उपदेश भी बहुत अच्छा है, अब कुछ घोषणा करने लायक बात है तो करो।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): मैं करूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मुद्दे की बात करो। मतलब की बात है नहीं।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): घोषणा तो बजट से पहले थोड़ी होती है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आपने यह कह दिया केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, आप कुछ करोगे क्या?

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): मैंने 52 आदमियों को सुना है तो आप 52 मिनट तो मेरे को भी सुनो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): कन्टीन्जेंसी प्लान आप बना नहीं पाये। राजस्थान में त्राहिमाम-त्राहिमाम हो रहे हैं, आप गम्भीर ही नहीं हो। पूरा राजस्थान त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा है, पानी को लेकर हाहाकार मचा है। (व्यवधान) इतनी देर से उपदेश टेक रहे हो।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): आप सुनो तो सही। सुनो, अभी घोषणा हो रही है, सुनो तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, हमने सौ दिवसीय कार्य योजना चलायी, उसमें रिवर परियोजनाओं के माध्यम से 1216 ग्राम और ढाणियों को सतही जल पेयजल स्रोतों से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया। पेयजल गुणवत्ता, फ्लोराइड प्रभावित गांव, ढाणियों में 256 आर.ओ. प्लांट एवं सोलर ऊर्जा आधारित डीफ्लोराइडेशन प्लांट की स्थापना कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया।

प्रदेश की 38 शहरी जलापूर्ति योजनाओं एवं 391 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में आवश्यक सुधार कर इनका सुदृढ़ीकरण करवा कर जलापूर्ति में उत्तरोत्तर सुधार किया। प्रदेश में 3117 हैंडपम्पों का निर्माण कर विभिन्न ढाणियों, शहर एवं गांव की अनुसूचित जाति और जनजाति बस्तियों में पेयजल मुहैया कराया गया। प्रदेश में 406 थ्री फेस नलकूपों का निर्माण कार्य कर पेयजल मुहैया कराया गया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हैण्डपम्पों का सर्वे कर खराब पाये जाने वाले 63,135 हैण्डपम्पों की मरम्मत करवायी गयी, जो रिकार्ड है।

अब माननीय सदस्य अपना उत्तर नहीं सुनना चाहें तो मैं पूर्ण कर दूं और कोई सुनना चाहें तो उनकी बातों को रख दूं। (व्यवधान) बजट के बिना कोई घोषणाएं की जाती हैं क्या? बजट को सुनना उसमें पानी की घोषणाएं खूब आएंगी। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, डिबेट मत बनाइये ...(व्यवधान)

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भूमिगत जल के कम होने के बारे में चिंता बतायी और उन्होंने इसके साथ-साथ अपने क्षेत्र की मांगें रखीं, उसके बारे में मैं ध्यान करके कार्यवाही करूंगा।

चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यमुना का पानी अपने यहां लाने की बात कही तो यमुना का पानी केन्द्र सरकार हमको दिलवा देगी तो निश्चित रूप से आपकी योजनाओं पर विचार किया जायेगा।

**एक माननीय सदस्य:** गये वो तो।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): सबसे ज्यादा जल प्रबंधन पर लोगों ने बहुत बात कही। जल प्रबंधन में मैं विभाग की तरफ से आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जहां भी पानी बह रहा हो, अपव्यय हो रहा हो उसको

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

तो रोकने की कार्यवाही हम करेंगे, जहां कोई पाइप लाइन टूटी-फूटी है उसको बदलने का काम करेंगे, बाकी अपने घरों में पानी के अपव्यय को तो आपको ही रोकना पड़ेगा।

जहां तक मोटरें जलने के बाद बदली नहीं जातीं, तीन दिन में, चार दिन में मोटरें बदलने का मामला, हमारे विभाग ने हमको सूचना दी है, कहीं तीन-चार दिन में नहीं बदली जाती हैं तो आप बता देना। मकराना से आने वाले माननीय सदस्य, आपने तो इसको कवि सम्मेलन बना दिया था। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये। हां, माननीय मंत्री महोदय।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): यदि स्पेसिफिक केस बताएंगे तो हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे।

भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने 'आपणी योजना' के बारे में जिक्र किया, जो मैंने आपको बता दिया यह 2012 में बनी थी और अब इसके विस्तार के लिए हमने डी.पी.आर. बनायी है, उसके आगे कार्यवाही करेंगे।

पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पानी नहीं है, हम आठ लाख लीटर पानी प्रतिदिन पुष्कर के तालाब में दे रहे हैं और अभी ईश्वर की कृपा से आठ फुट पानी बरसात से आ गया है, अब आप भगवान से प्रार्थना करो कि झील पूरी भर जाए और यदि उसमें पानी नहीं होगा तो जैसे आठ ट्यूबवैल से पानी दे रहे हैं, दो, चार, पांच ट्यूबवैल और खुदवा देंगे, पानी की कमी नहीं आने देंगे। (व्यवधान) मैं बोल लूं उसके बाद।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आदिवासी क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या का जिक्र किया। जाखम बांध अभी अधूरा है, पांच वर्ष में आगे बढ़ा ही नहीं, हम लोग ने तो जाखम योजना को पहले भी आगे बढ़ाया है और आगे भी यह कोशिश रहेगी जैसे-जैसे वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

आगे जो माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की मांगें उठायी हैं, जिस समय बजट पारित होकर आएगा उस समय मैं ध्यान दूंगा और उस पर कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने चार हजार की जनसंख्या को कम करके

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

और दो गांवों को मिलाकर पानी की टंकी और पेयजल योजना बनाने का सुझाव दिया है, इस सुझाव का हम परीक्षण करेंगे।

गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चम्बल नदी पर 400 किलोमीटर पानी बहकर समुद्र में जा रहा है, इसका जिक्र किया।

पांचना बांध 2006 के बाद में बंद है, वैसे तो यह प्रश्न सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, हम सिंचाई विभाग से बातचीत करके, इस बांध से जिन-जिन जगहों पर पानी जाता था, उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

बामनवास से आने वाली माननीय सदस्या ने 200 गांवों में फ्लोराइड की समस्या का जिक्र किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि राज्य में करीब 6 हजार स्थानों पर आरओ के प्लांट लग चुके हैं। एसएफसी का पैसा बहुत सी ग्राम पंचायतों के पास पड़ा हुआ है। यदि एसएफसी का पैसा आरओ प्लांट के लिए लगा दिया जाए तो हर गांव में आरओ प्लांट लग सकता है। इससे फ्लोराइडरहित, नाइट्रेटरहित, गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एसएफसी के फंड का, माननीय सदस्य अपने विधायक कोटे का फंड यूज करके गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे।

मैं इसी के साथ तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने जो उपयोगी सुझाव दिए हैं, उनका हम योजना बनाते वक्त उपयोग करेंगे।

**श्री सभापति:** विराजिए। विराजिए माननीय सदस्य।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): एनआईटी घोटाले पर आप कुछ नहीं बोले। मंत्री महोदय, एनआईटी घोटाले पर।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सदस्य, आपने स्वयं ने देखा था कि 9 टेंडर तो हमने स्वयं ने कैंसिल कर दिए। इस पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): मंत्री महोदय, एक तो जवाब दे दें।

**श्री सभापति:** सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 21.21 बजे मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

--------

# सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पद

40. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज व चिकित्सालय अजमेर में चिकित्सकों व चिकित्सा शिक्षकों के कितनें पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? विभागवार व संवर्गवार चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालय के कुछ प्रमुख विभागों जैसे न्यूरोसर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, नेफ्रोलाजी आदि में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? क्या सरकार ऐसे विभागों में चिकित्सकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या सरकार उक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से चिकित्सक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज एवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। चिकित्सा शिक्षा विभाग में राज्य के सरकारी मेडिकल कालेज में विभिन्न विशिष्ठताओं के चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 27.03.2018 को 39 पद, दिनांक 24.05.2018 को 86 पद एवं दिनांक 13.07.2018 को 144 (कुल 269) पदों हेतु आरपीएससी को अर्थनाएं भिजवाई गयी हैं। उक्त भर्तियां आरपीएससी में प्रक्रियाधीन हैं। (परिशिष्ट-2)

(3) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज एवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में प्रमुख विभागों में चिकित्सकों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

| विभाग | पदनाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| न्यूरोसर्जरी | आचार्य | 01 | 01 | 00 |
| | सह आचार्य | 02 | 00 | 02 |
| | सहा. आचार्य | 01 | 00 | 01 |
| कार्डियोथोरेसिक | आचर्य | 02 | 00 | 02 |
| | सह आचार्य | 02 | 00 | 02 |
| | सहा. आचार्य | 03 | 01 | 02 |
| नेफ्रोलोजी | सहा. आचार्य | 01 | 00 | 01 |

न्यूरोसर्जरी में 01 पद 07.12.2011 से तथा 01 पद 02.02.2017 से रिक्त है। सहा. आचार्य का 31.12.2014 से रिक्त है।

कार्डियोथोरेसिक में 02 पद 30.11.2012 से सह आचार्य का 01 पद 30.11.2012 से तथा 01 पद 23.05.2018 से,

नेफ्रोलोजी में 01 पद 01.05.2015 से रिक्त है।

शेष बिन्दु सं. 2 के अनुसार।

वर्तमान में उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से चिकित्सक शिक्षक लगाये जाने का प्रकरण विभाग में विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## नवीन पर्यटन नीति बनाने की कार्य योजना

41. **श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई नवीन नीति या नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो कब तक नीति बना दी जाएगी?

(2) क्या पर्यटन की नई नीति/नियम में अलवर के पर्यटन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे क्षेत्रों को? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर के शीतलनाथ, तालवृक्ष, बानसूर का किला, कूल का कुण्ड, गरवा जी आदि को नई पर्यटन नीति/नियम में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में वर्तमान में पर्यटन नीति 2001, पर्यटन इकाई नीति 2015, राजस्थान रोप वे अधिनियम 1996 एवं तदनुसार नियम, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 एवं तदनुसार नियम तथा राजस्थान पर्यटन भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण नियम 1997 प्रवृत्त हैं।

वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र में नई पर्यटन नीति बनाना प्रावधित है।

(2) उपरोक्त नीति एवं नियम सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी है।

(3) उपरोक्तानुसार।

**प्रश्न संख्या 42**

**(स्थगित)**

## चित्तौड़गढ़ के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संकायों का क्रमोन्नयन

43. **श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में विभिन्न संकाय में ऐसे कितने विषय स्नातक स्तर पर संचालित हैं, जो स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आगामी शिक्षण सत्र से उक्त विषयों को स्नातकोत्तर स्तर पर भी संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में वाणिज्य संकाय में ई.ए.एफ.एम., व्यावसायिक प्रशासन व विज्ञान संकाय में प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित विषय केवल स्नातक स्तर पर ही संचालित है। ये विषय स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित नहीं है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र वाणिज्य संकाय में ए.बी.एस.टी. व विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र विषय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत कला संकाय में संस्कृत एवं विज्ञान संकाय में वनस्पति शास्त्र भी संचालित हैं। इन विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के लिये विद्यार्थियों को अन्यत्र जाना पड़ता है।

(3) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में उक्त विषयों को स्नातकोत्तर स्तर में संचालित करने पर विचार किया जा सकेगा।

## रीको औद्योगिक क्षेत्र जैतपुरा की अवाप्त भूमि

44. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में विकसित कर कितनी भूमि सरकार द्वारा रीको को दी गई? कितने प्लाट रीको द्वारा विक्रय किये गये व कितने भूखंड शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने रीको को आबंटित भूमि पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो ऐसी कितनी भूमि है, जो रिकार्ड में रीको के नाम है लेकिन कब्जा अभी तक रीको द्वारा नहीं लिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि रीको की अवाप्त भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से सड़क का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो किसकी सहमति से? क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों व अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है।

राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 22.02.1983 द्वारा ग्राम-जैतपुरा,

(उद्योग मंत्री)

तहसील-चौमूं में कुल 197 बीघा 18 बिस्वा राजकीय भूमि आबंटन औद्योगिक प्रयोजनार्थ रीको को किया गया था। आबंटन पत्र दिनांक 22.02.1983 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

तत्पश्चात् राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.01.1999 द्वारा आबंटन-पत्र में संशोधन कर उक्त रकबे को 180 बीघा 18 बिस्वा (45.75 है.) किया गया। शुद्धि-पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

उक्त आबंटित भूमि में से निगम द्वारा 43.04 है. भूमि पर दिनांक 15.02.1983 को औद्योगिक क्षेत्र का मानचित्र अनुमोदित किया गया। कुल 191 औद्योगिक भूखण्ड नियोजित किये जाकर आबंटित किये जा चुके हैं एवं वर्तमान में निगम के पास विक्रय/आबंटन हेतु कोई भी औद्योगिक भूखण्ड रिक्त नहीं है।

(2) जी हां। रीको को आबंटित कुल 45.75 है. भूमि में से 43.04 है. भूमि पर ही औद्योगिक क्षेत्र नियोजित किया गया। रीको को आबंटित कुल 45.75 है. भूमि का सीमाज्ञान कर इसमें से शेष 2.71 है. भूमि का चिह्नीकरण करने हेतु राजस्व विभाग को लिखा गया है।

भूखण्ड संख्या जी-91 में रीको द्वारा 1950 वर्गमीटर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय को आबंटित है। इसके पीछे ओपन भूमि पर भी अतिक्रमण है। औद्योगिक क्षेत्र के पूर्वी भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई खाली भूमि में राजकीय पशु उप स्वास्थय केन्द्र, पुलिस चौकी, मंदिर आदि निर्मित हैं। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के पश्चिमी भाग में रीको द्वारा नियोजित भूखण्ड संख्या जी-187, जी1-187(ए), जी1-187(बी) व एच1-187(डी) की भूमि पर वर्तमान में पानी की टंकी, ग्राम पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र व कुछ दुकानें निर्मित हैं एवं कुछ भमि रिक्त पड़ी है। अतिक्रमित भूमि खाली करवाए जाने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

आबंटन पश्चात् इस भूमि का रीको के पक्ष में नामान्तरण नहीं खुल पाया और इस क्षेत्र के जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आ जाने क्षेत्र की समस्त राजकीय भूमि के साथ-साथ इस भूमि का भी नामान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में खुल गया। इस प्रकार यह भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है जिसका नामान्तरण रीको के पक्ष में कराये जाने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश-तृतीय जयपुर के समक्ष अपील दायर की हुई है।

(3) रीको द्वारा भूखण्ड संख्या जी-88 एवं जी-89 की मूल रूप से की

(उद्योग मंत्री)

गई प्लानिंग में बाद में परिवर्तन कर इन दोनों भूखण्डों के मध्य कुछ भूमि खाली छोड़ दी गई। वर्तमान में इस खाली भूमि में ग्रेवल सडक डली हुई है जो आवागमन हेतु काम आ रही है। इस जांच हेतु एक जांच समिति गठित की जाकर उसकी रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बाल कल्याण समिति, जयपुर में कार्मिकों की नियुक्ति

45. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाल कल्याण समिति जयपुर ने अन्य संस्था के कार्मिकों को नियुक्त कर रखा है? यदि हां, तो कब से व किस-किस संस्था के द्वारा उपलब्ध करवाये गये हैं? संस्था का नाम व कार्मिकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाल कल्याण समिति में सहयोग के लिए रखे गये कार्मिक के संदर्भ में संस्था तथा समिति के बीच क्या पत्राचार हुआ? किस प्रकार का सहमति पत्र बना? पत्राचार के पत्र व सहमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बाल कल्याण समिति व संबंधित संस्था द्वारा सरकार से सहमति ली गयी थी? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार की अनुमति के बगैर बाहरी व्यक्ति को समिति में नियुक्त रखना उपयुक्त है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। बाल कल्याण समिति जयपुर ने अन्य स्वयंसेवी संस्था के कार्मिको को नियुक्त नहीं किया है। मात्र कतिपय व्यक्तियों की नि:शुल्क सेवाएं बाल कल्याण समिति के बेहतर संचालन एवं तकनीकी सहयोग हेतु ली जा रही हैं।

संस्था का नाम व व्यक्तियो का विवरण मय कार्य अवधि परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) बाल कल्याण समिति जयपुर के बेहतर कार्य संचालन व्यवस्था में सहयोग हेतु स्वयंसेवी संस्था प्रथम एवं बाल श्रम से मुक्त करवाये गये बालकों की सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने एवं उनके पुनर्वास में सहयोग तथा मुक्त करवाये बच्चो के दस्तावेजों एवं जानकारी को डिजिटल

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

फार्म में संधारण करने हेतु तकनीकी एवं मानव संसाधन सहयोग करवाये जाने के संबध में सेन्टर फार चाइल्ड प्रोटेक्शन सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जयपुर के साथ सहयोग लिये जाने के संबध में पत्राचार किये गये जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। बाल कल्याण समिति व सम्बन्धित संस्था द्वारा विभाग से सहमति नहीं ली गयी। समिति द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से नि:शुल्क मानव संसाधन एवं तकनीकी सहयोग लिया गया। उक्त कार्य से विभाग एवं समिति द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जा रहा है।

(4) बाल कल्याण समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी गयी है। अत: विभागीय अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण विभागीय कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मेडिकल स्टोर खोलने के नियम

46. **श्री जगदीश चन्द्र** (सादुलशहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में मेडिकल स्टोर खोलने की क्या-क्या शर्तें हैं ? किस आधार पर मेडिकल स्टोर खोला जाता है? क्या मेडिकल स्टोर पर दवाइयां बेचने की भी कोई शर्तें है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

मेडिकल स्टोर खोलने के लिये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 62बी, (रेस्टिक्टेड लाइसेन्स) नियम 64, (खुदरा थोक, खुदरा एवं थोक) नियम 65ए (आवेदक के द्वारा लाइसेन्सिंग प्राधिकारी को अतिरिक्त वांछित सूचना हेतु) के अनुसार हैं। उपरोक्त नियमों की छायाप्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

खुदरा थोक, खुदरा व थोक इत्यादि लाइसेन्स जारी करने हेतु कारपेट एरिया की उंचाई निर्धारित करने के संबंध में औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा पत्र क्रमांक डीसी/डी-1/06/806 दिनांक 08.11.2006 द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें उंचाई 08 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। जिसकी छाया प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के नियम 65, (लाइसेन्स की शर्ते) 65बी (लाइसेन्स की शर्तों की अनुपालना के सत्यापन के लिये निरीक्षण) के अनुरूप औषधियों का विक्रय किया जाता है। जिसकी छायाप्रतियां परिशिष्ट-स पर संलग्न हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पटवारियों के रिक्त पद

47. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पटवारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में पटवारियों के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में पटवारियों के कुल 12252 पद हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में पटवारियों के 3745 पद रिक्त हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सिवाना के राजकीय महाविद्यालय में नवीन विषय एवं संकाय खोलने की योजना

48. **श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय वीरनारायण परमार राजकीय महाविद्यालय में कितनें पद स्वीकृत हैं? कितनें पद कब से रिक्त हैं? सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय एवं नवीन संकाय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां तो कौन-कौनसे व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय का अतिरिक्त भवन बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय वीरनारायण परमार राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों (कब से रिक्त) की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

महाविद्यालय में शैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/आगामी स्थानान्तरण/ पदोन्नति द्वारा भरने की कार्यवाही की जाएगी।

महाविद्यालय में अशैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति/ स्थाना न्तरण/नवीन नियुक्ति/अनुकम्पात्मक नियुक्ति पश्चात कार्मिक उपलब्ध होने पर शीघ्र नियुक्ति की जायेगी।

(2) राजकीय महाविद्यालय, सिवाना में कला संकाय में अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत एवं समाज शास्त्र विषय संचालित है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय वीरनारायण परमार राजकीय महाविद्यालय में नवीन विषय एवं नवीन संकाय प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया जावेगा।

(3) राजकीय महाविद्यालय सिवाना को भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उपरोक्त कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा 2018-19 में महाविद्यालय भवन हेतु 3 करोड़ रुपये और स्वीकृत किये गये हैं। (परिशिष्ट-3)

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्राम उद्योगों को सहायता

23. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमंद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2014 से मई, 2019 तक प्रतिवर्ष जिला अनुसार कितने ग्राम उद्योगों को कुल कितनी सहायता राशि दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में बोर्ड ने खादी प्रसार एवं ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए क्या कार्य किए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में राज्य सरकार ने आयोजना, आयोजना भिन्न एवं अन्य शीर्षों में बोर्ड को कितनी राशि उपलब्ध करवायी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष मई 2019 तक प्रति वर्ष जिला अनुसार ग्राम उद्योगों को उपलब्ध कराई गयी सहायता का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अ. उक्त अवधि में बोर्ड द्वारा खादी के प्रसार हेतु निम्न कार्य किये गये:-

1. लघु खादी परियोजना के अन्तर्गत 17 संस्थाओं को 403.87 लाख की सहायता/ऋण उपलब्ध कराया गया।
2. खादी विकास फण्ड के अन्तर्गत 35 संस्थाओं को 240.07 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया।
3. भण्डार नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत 43 संस्थाओं को 224.07 लाख की सहायता उपलब्ध करायी गई।
4. कत्ताई-बुनाई शैड योजना के अन्तर्गत 5 संस्थाओं को 25.00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी गई।
5. राष्ट्र स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर 34 प्रदर्शनियां एवं मेलों का आयोजन किया जाकर खादी ग्रामोद्योगों उत्पादों के प्रसार व विक्रय संवर्द्धन हेतु राशि रु. 185.00 लाख व्यय किया गया।
6. उक्त अवधि में खादी 59 संस्था/समिति एवं वित्त पोषित इकाइयों को राज्य के बाहर आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने पर रु. 26.68 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(उद्योग मंत्री)

7. अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय फैशन डिजाइनरों के द्वारा खादी के प्रसार हेतु 5 फैशन शो/प्रत्यक्ष प्रदर्शन आयोजित किये जाकर रु. 78.93 लाख व्यय किये गये।

ब. उक्त अवधि में खादी बोर्ड द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत खनिज आधारित, वन आधारित, कृषि आधारित और खाद्य उद्योग, बहुलक व रसायन आधारित, इंजिनियरिंग और गैर परम्परागत ऊर्जा आधारित, वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर), सेवा उद्योग के लिये बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने हेतु 2344 ग्रामोद्योगों को 5813.91 लाख रुपये की मार्जिन मनी की सहायता दी गयी एवं 16152 लोगो को रोजगार दिया गया।

(3) उक्त अवधि में राज्य सरकार द्वारा आयोजना, आयोजना भिन्न व अन्य शीर्षों में बोर्ड को उपलब्ध कराये गये वित्त की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सीमेंट दरों में वृद्धि पर रोक

24. **श्री पुखराज** (भोपालगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में सीमेंट कंपनियों द्वारा सीमेंट विक्रय की दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं? यदि हां, तो इसका आधार क्या है तथा दरों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या प्रयास किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सीमेंट कपंनियों द्वारा बढ़ाई जा रही उक्त दरों पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा सीमेन्ट विक्रय की दरों का निर्धारण नहीं किया जाता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा सीमेन्ट विक्रय की दरों का निर्धारण नहीं किया जाता है।

## नमक उत्पादकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं

25. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन प्रजापत)

(1) प्रदेश में नमक उत्पादकों के कल्याणार्थ कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला बाडमेर में पचपदरा नमक उत्पादन क्षेत्र में श्रमिकों के हितार्थ प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो कब से तथा अब कब तक इनका निस्तारण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में नमक उत्पादकों के कल्याणार्थ कोई योजना संचालित न हीं है, परन्तु लवण श्रमिकों के हितार्थ लवण श्रमिक कल्याण योजना संचालित है जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्रीजीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लवण श्रमिकों का बीमा किया जाता है।

(2) पचपदरा नमक उत्पादन क्षेत्र में श्रमिकों के हितार्थ कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

## किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज प्रकरण

26. **श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गठित किशोर न्याय बोर्ड में विगत पांच वर्षों में कितने मामले दर्ज किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त न्याय बोर्ड के समक्ष कितने बालक व बालिकाएं किन-किन अपचारों के तहत पेश किये गये? गत पांच वर्षों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पेश बालक/बालिकाओं पर क्या-क्या कार्यवाही बोर्ड द्वारा की गयी? गत पांच वर्षों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य के समस्त जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड में कितने प्रकरण पांच वर्ष से अधिक की अवधि के हैं जो लम्बित चल रहे हैं? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश मे गठित किशोर न्याय बोर्ड में विगत पांच वर्षों में कुल 26047 मामले दर्ज किये गये। जिलेवार एवं संख्यावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त न्याय बोर्ड के समक्ष 27100 बालक-बालिकाएं हत्या, चोरी, बलात्कार, जानलेवा हमले, अपहरण मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती एवं अन्य अपराधों में लिप्तता के आधार पर पेश किये गये। उक्त बालक व बालिकाओं का जिलेवार एवं अपराधवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) (अ) पेश किये बालक/बालिकाओं को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा तत्समय प्रचलित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रावधान 15 व संगत नियम 2011 के अन्तर्गत की जाती थी।

दिनांक 15 जनवरी, 2016 से नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 14 के तहत विधि का उल्लघंन करने वाले बालक/बालिकाओं के बारे में बोर्ड द्वारा जांच की जाती है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम 10 के अनुसार बच्चे को प्रस्तुत किये जाने पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बच्चे की सामाजिक पृष्ठिभूमि निरुद्ध किये जाने की परिस्थितियां तथा बच्चे को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत विवरण एवं रिपोर्ट की समीक्षा करते हुये अधिनियम की धारा 17 एवं 18 के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित किये जाते हैं।

(ब) गत पांच वर्षों में जिले में गठित विभिन्न किशोर न्याय बोर्डों के समक्ष पेश किये गये बालक-बालिकाओं के निस्तारित प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) राज्य के समस्त जिलो में गठित किशोर न्याय बोर्ड में कुल 1585 प्रकरण 05 वर्ष से अधिक अवधि के हैं, जो लम्बित चल रहे हैं। जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रश्न संख्या 27

**(स्थगित)**

## सिरोही जिले में खरीफ की फसल से हुए नुकसान का आकलन

28. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सिरोही में वर्ष 2017 की खरीफ की फसल में किसानों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर द्वारा प्रभावित किसानों एवं अनुमानित नुकसान के आंकलन की भेजी गई जानकारी व किसानों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) उक्त क्षति पूर्ति के लिए सिरोही जिले को आदान अनुदान राशि (इनपुट सब्सिडी) की कितनी राशि किस तिथि को प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कितनें किसानों को आदान-अनुदान राशि प्रदान की गई? राशि वितरण में अगर लापरवाही हुई है तो कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? इनके विरुद्ध की गई कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने तीन माह पूर्व इस संबंध में विभाग को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए थे? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सिरोही जिले में वर्ष 2017 की खरीफ की फसल में किसानों को हुए नुकसान के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा प्रभावित किसानों एवं अनुमानित नुकसान के आकलन की भेजी गई खरीफ फसल 2017 (संवत 2074) की गिरदावरी रिपोर्ट (7-डी) की प्रतिलिपि परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) खरीफ फसल 2017 (संवत 2074) में कृषि आदान अनुदान हेतु आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) जिले में वर्ष 2018 (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) में वितरित राशि व लाभान्वित किसानों का विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

जिले में राशि वितरण में कोई लापरवाही नहीं हुई हैं।

(4) विभाग द्वारा कृषि आदान अनुदान वितरण की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा जिला कलेक्टर सिरोही को एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कृषि आदान अनुदान वितरण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बूंदी के चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

29. **श्री अशोक डोगरा** (बूंदी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

बून्दी जिले के "अ" श्रेणी चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

बून्दी जिले में 300 बैडेड जिला चिकित्सालय संचालित है।

जिला चिकित्सालय बून्दी में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 40 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4 पद वर्तमान में रिक्त हैं, परन्तु 6 अन्य चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद विरुद्ध कार्यरत हैं।

उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी/पीजी पूर्ण कर आने वाले चिकित्सकों से प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जाएंगे।

## चिकित्सकों की नियुक्ति

30. **श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक विभाग में किस–किस संवर्ग की कब–कब भर्तियां निकाली गयीं? कितने व कौन–कौनसे पदों पर भर्ती की गयी? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले में किस-किस जिले के आवेदकों का पदस्थापन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में गत जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में निकाली गयी राजपत्रित संवर्ग की भर्तियों एवं नियुक्तियों का विवरण परिशिष्ट-अ व अराजपत्रित संवर्ग का विवरण परिशिष्ट-ब तथा चिकित्सा शिक्षा की भर्तियों एवं नियुक्तियों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित संवर्ग के पाली जिले में पदस्थापित किये गये आवेदकों का विवरण परिशिष्ट-द व अराजपत्रित संवर्ग का विवरण परिशिष्ट-य पर तथा चिकित्सा शिक्षा के पाली जिले में पदस्थापित किये गये आवेदकों का विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## भामाशाह योजना का निजी चिकित्सालयों द्वारा किये गये दुरुपयोग की जांच

31. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना कब से प्रारम्भ हुई? प्रारम्भ होने से 30 मई, 2019 तक कितनी राशि का भुगतान किया गया? रोगी का नाम, जिला, चिकित्सालय का नाम, राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों से अधिक का भुगतान निजी संस्था/चिकित्सालयों को किया गया ? यदि हां, तो प्रदेश में उक्त योजना के प्रारम्भ होने की तिथि से 30 मई, 2019 तक जिलेवार व संस्था/निजी चिकित्सालयवार भुगतान की गयी राशि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि निजी चिकित्सालयों द्वारा इस योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच कराई गई ? जांच में कौन-कौनसे निजी चिकित्सालय दुरुपयोग के दोषी पाये गये तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 13 दिसम्बर 2015 से राज्य में लागू है। दिनांक 24.06.19 तक कुल 35,87,719 पात्र मरीजों को लाभान्वित किया गया है तथा कुल रु. 2811.85 करोड़ प्रेषित (सबमिट) राशि के क्लेम्स में से रु. 2408.05 करोड़ के क्लेम्स का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा किया गया है।

(2) जी हां। निजी अस्पतालों के द्वारा दिनांक 24.06.2019 तक कुल रुपये 2166.36 करोड़ के क्लेम्स जबकि राजकीय चिकित्सालयों के द्वारा रुपये 645.50 करोड़ के क्लेम्स, बीमा कंपनी को प्रेषित किये गए, जिसके अनुसार निजी अस्पतालों को रुपये 1886.21 करोड़ व राजकीय अस्पतालों को रुपये 521.84 करोड़ के क्लेम्स का भुगतान किया गया है।

जिलेवार व चिकित्सालयवार भुगतान की गयी राशि की सूचना परिशिष्ट:-अ पर संलग्न है।

(3) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत मरीज की पहचान आधार-बायोमेट्रिक से किये जाने, भर्ती-डिस्चार्ज के समय की रियल टाइम फोटो लेने का प्रावधान होने तथा क्लेम प्रेषित किये जाने से लेकर क्लेम भुगतान की समस्त प्रक्रिया आनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से होने के कारण दुरुपयोग की संभावना बहुत कम है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कतिपय प्रकरणों में बीमा कम्पनी के द्वारा नियमानुसार की जाने वाली फील्ड ओडिट (मरीजों से प्राप्त फीड बैक अनुसार) अथवा अस्पतालों के भौतिक निरीक्षणों में दोषी पाये गये अस्पतालों के विरुद्ध व्यक्तिगत सुनवाई की जाती है और सुनवाई के उपरान्त दोष सिद्ध होने पर प्रावधानों के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करना, शास्ति लगाया जाना, असम्बद्ध किया जाना या शास्ति व असम्बद्ध दोनों, अथवा दोष मुक्त करने की कार्यवाही की जाती है।

इन प्रकरणों में नियमानसुार राज्यस्तरीय परिवेदना निस्तारण कमेटी व तदानुसार अपीलीय प्राधिकरण में प्राप्त अपीलों की सुनवाई किये जाने का प्रावधान हैं।

राज्यस्तर पर राज्यस्तरीय परिवेदना निस्तारण कमेटी अपीलीय प्राधिकरण सम्बद्ध अस्पतालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों व कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सुमेरपुर के साण्डेराव में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

32. **श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के साण्डेराव कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा सेन्टर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साण्डेराव से पाली ट्रोमा सेन्टर के मध्य की दूरी लगभग 56 किलोमीटर है तथा सीएचसी साण्डेराव से सिरोही ट्रोमा सेन्टर के मध्य की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। दो ट्रोमा सेन्टरों के मध्य 100 किलोमीटर की अधिकतम दूरी का प्रावधान है। सीएचसी साण्डेराव में वर्तमान में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## जालौर जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

33. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीमावर्ती एवं पिछड़ा जिला जालोर में कहां व कितने आयुर्वेदिक औषधालय किस-किस श्रेणी के हैं और उनमें कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के

(श्री नारायण सिंह देवल)

स्वीकृत हैं, उनमें से कितनें पद रिक्त हैं और कब से? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले में कहां–कहां, कौन–कौनसे राजकीय चिकित्सालयों में आयुष वार्ड संचालित है? क्या सरकार उक्त जिले में नये आयुष वार्ड खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला जालोर में औषधालय/चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारकों के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों की स्थिति की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

चिकित्साधिकारियों का कैडर रिव्यू किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु पद रिक्त नही हैं एवं 400 नर्स/कम्पाउण्डर की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

(2) वर्तमान में किसी भी राजकीय चिकित्सालय में आयुष वार्ड (इण्डोर चिकित्सा सुविधा) संचालित नहीं है।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## दौसा के मिड-वे को पुन: चालू करने की योजना

34. **श्री मुरारी लाल** (दौसा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला मुख्यालय दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मिड-वे को सरकार द्वारा कब व क्यों बंद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मिड-वे को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) उक्त मिड-वे दिनांक 30.11.2017 से बंद किया गया है।

गत कई वर्षो से हानि में संचालित होने के कारण बन्द किया गया है।

(2) जी नहीं। उक्त मिड-वे गत कई वर्षो से हानि में संचालित होने के कारण पुन: चालू करने का विचार नहीं है।

## मंदिरों की सम्पत्तियां

35. **श्री गोविन्द राम** (खाजूवाला): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में कितने मंदिर देवस्थान के अधीन आते हैं? उक्त मंदिरों की कितनी-कितनी सम्पत्ति है? प्रदेश से बाहर उक्त मंदिरों की कितनी-कितनी सम्पत्तियां कहां-कहां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन 857 मंदिर हैं। उक्त मंदिरों की सम्पत्तियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्रदेश से बाहर उक्त मंदिरों की कोई सम्पत्ति नहीं है, सूचना शून्य है तथा प्रदेश के बाहर देवस्थान विभाग के अधीन 79 (राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर 25 एवं राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर 16 कुल 41 तथा राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मंदिर 38) मंदिर हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सांगानेर तहसील कार्यालय हेतु भूमि का आबंटन

36. **श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में स्थित तहसील कार्यालय को स्थानान्तरित करने हेतु नवीन भूमि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो भूमि आबंटन संबंधी आदेश व साइट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त तहसील कार्यालय के भवन निर्माण हेतु कोई बजट आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कितना विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त तहसील कार्यालय को स्थानान्तरित कर जनता को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। सांगानेर में स्थित तहसील कार्यालय को स्थानान्तरित करने हेतु नवीन भूमि का आबंटन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक उपा/जोन-08/1146 दिनांक 11.04.2008 द्वारा ग्राम रामसिंहपुरा भू अभिलेख निरीक्षक शिकारपुरा के खसरा नं. 157/1 रकबा 1.4905 है. वर्तमान उपखण्ड अधिकारी सांगानेर कार्यालय के पीछे किया गया है। आबंटन आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। तहसील कार्यालय सांगानेर का निर्माण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रस्तावित निर्धारित प्लान से करवाया जायेगा।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। अभी नवीन तहसील कार्यालय भवन हेतु बजट आबंटन नहीं हुआ है।

(3) जी हां। तहसील कार्यालय को स्थानान्तरित किये जाने पर आमजन को लाभ होगा। बजट आबंटन करा कर तहसील भवन का निर्माण शीघ्र करवाया जाएगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## शाहपुरा-बनेड़ा (भीलवाड़ा) में विभागों/संस्थाओं को भू-आबंटन

37. **श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में उपखण्ड शाहपुरा, बनेड़ा, फुलियां कला में वर्ष 1998 से वर्ष 2013 तक किन-किन किसानों, संस्थाओं, व्यक्तियों को जमीन का आबंटन किया गया? क्षेत्रफल सहित किसानों, संस्थाओं व व्यक्तियों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि तक जिला कलेक्टर के समक्ष भूमि आबंटन के कितने प्रकरण विचाराधीन हैं एवं उनमें से कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विचाराधीन प्रकरणों में से कितनें प्रकरण सरकार के पास आबंटन हेतु प्रेषित किये गये एवं उनमें से कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लम्बित हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार किसानों को राहत देने के लिए उक्त लम्बित प्रकरणों के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में उपखण्ड शाहपुरा, बनेड़ा, फुलियांकला में वर्ष 1998 से वर्ष 2013 तक जिन-जिन किसानों, संस्थाओं, व्यक्तियों को जमीन का आबंटन किया गया है, की सूची संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि तक का कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अत: सूचना शून्य शुमार है।

(3) उक्त विधानसभा क्षेत्र में उक्त अवधि तक का कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अत: कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होने से राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया है। अत: सूचना शून्य शुमार है।

(राजस्व मंत्री)

(4) कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार निष्पादन की कार्यवाही की जाएगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## अजमेर जिले की तहसीलों में रिक्त पद

38. **श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर जिले में कितने तहसील कार्यालय कहां-कहां पर स्थित हैं? उनमें किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कौन-कौनसे पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर जिले में पटवारी/अमीन/गिरदावर के कितनें पद स्वीकृत हैं? उनमें से कौन-कौनसे पद कब से रिक्त हैं? पटवार सर्किलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त रिक्त पदों के कारण काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पडता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) अजमेर जिले में 16 तहसील कार्यालय यथा अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, मसूदा, नसीराबाद, भिनाय, सरवाड़, पीसांगन, टाटगढ़, पुष्कर, रूपनगढ़, बिजयनगर, अरांई, सावर, टांटोटी स्थित है। उक्त तहसीलों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सवंर्गवार सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) अजमेर जिले में पटवारी/अमीन/गिरदावर के स्वीकृत पद

| पद | पटवारी | अमीन | गिरदावर |
|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 600 | 60 | 198 |
| रिक्त | 206 | 55 | 27 |

निम्नानुसार हैं-

अमीन के पद अप्रैल, 2019 से रिक्त है।

पटवारी/गिरदावर के रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) काश्तकारों को परेशानी का सामना न करना पड़े इसलिए रिक्त पदों का कार्यभार अन्य नजदीकी कार्मिकों को दिया हुआ है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों का संचालन

39. **श्री बिहारीलाल** (नोखा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितनें छात्रावास कहां-कहां पर संचालित हैं तथा उक्त छात्रावासों में बालक-बालिकाओं की कितनी-कितनी संख्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं वार्डन के कितनें पद स्वीकृत हैं? उक्त पदों में कितनें पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को देय सुविधाओं पर कितनी राशि व्यय होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त छात्रावासों में सीटें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कोई छात्रावास संचालित नहीं किया जा रहा है। विधानसभा नोखा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नांकित 3 राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास एवं 1 अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास संचालित हैं:-

| क्र.सं. | नाम छात्रावास मय स्थान | स्वीकृत संख्या |
|---|---|---|
| 1 | राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नोखा | 35 |
| 2 | राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जसरासर | 40 |
| 3 | राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पाचू, नोखा | 25 |
| 4 | अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, नोखा | 49 |

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(2) विधान सभा क्षेत्र नोखा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कोई छात्रावास संचालित नहीं किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उक्त छात्रावासों में 3 नियमित छात्रावास अधीक्षक के पद स्वीकृत हैं। उक्त पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिनमें वर्तमान में शिक्षा विभाग के अध्यापकों को अतिरिक्त चार्ज दिलवाया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नोखा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कोई छात्रावास संचालित नहीं किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उक्त छात्रावासो में रहने वाले छात्रों को देय सुविधाओं पर 2000/- रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की राशि व्यय होती है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(4) विधान सभा क्षेत्र नोखा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कोई छात्रावास संचालित नहीं किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता बढ़ाने/घटाने संबंधी कार्य विभाग के जिलाधिकारी की अभिशंसा के आधार पर किया जाता है। जिलाधिकारी अभिशंसा एवं छात्रावासों में अतिरिक्त आवास एवं स्थाई सामग्री आदि को भी मध्यनजर रखते हुये स्वीकृत क्षमता में परिवर्तन किया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## माडा तथा जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित योजनाएं

40. **श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माडा तथा जनजाति क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत, कितनी-कितनी आबादी आती है तथा उनके लिए कौन-कौनसी योजना अमल में लायी जा रही है? पृथक-पृथक योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में केन्द्र एवं राज्य सरकार से मदवार कितना बजट स्वीकृत हुआ? किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा प्रतिवर्ष कितना बजट व्ययगत हुआ? माडा तथा जनजाति क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग को प्राप्त बजट व्ययगत होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य में माडा तथा जनजाति क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति) के अंतर्गत आने वाली आबादी का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

राज्य में जनजाति आबादी हेतु निम्नानुसार योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं।

**अ. राज्य बजट**

1. जनजाति कल्याण निधि

**ब. केन्द्रीय बजट**

2. विशेष केन्द्रीय सहायता

3. संविधान की धारा 275 (1)

4. केन्द्र प्रवर्तित योजना

योजनाओं का विवरण परिशिष्ठ-ब पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में पिछले पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से निम्नानुसार संशोधित बजट अनुमान स्वीकृत एवं व्यय हुआ है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक स्वीकृत बजट एवं व्यय

**राशि लाख रुपये में**

| केन्द्र/राज्य सरकार | स्वीकृत बजट | व्यय |
|---|---|---|
| केन्द्र सरकार | 122414.33 | 115917.85 |
| राज्य सरकार | 131860.49 | 127772.78 |

केन्द्र एवं राज्य सरकार से स्वीकृत बजट एवं व्यय की मदवार सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

माडा तथा जनजाति क्षेत्र के विकास के संबंध में वर्षवार मदवार पृथक-पृथक विवरण परिशिष्ट-द पर सलंग्न हैं।

(3) विगत पांच वर्षो में विभाग द्वारा प्रावधित बजट के अनुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट राशि अनुसार स्वीकतियां जारी की जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत समस्त राशि संबंधित कार्यकारी एजेंसियों/जिला परिषदों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जाने से कोई राशि व्ययगत नहीं रही हैं।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

राज्य निधि अंतर्गत आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के संचालन एवं शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन ट्रेजरी के माध्यम से किया जाकर वास्तविक मांग के अनुरूप व्यय किया जाता है। विगत पांच वर्षों में राज्य योजना अंतर्गत 97 प्रतिशत राशि का व्यय किया जा चुका है। केवल मात्र 3 प्रतिशत राशि ही व्यय से शेष रही है। यह राशि पूरे राज्य स्तर पर तथा विभाग की सभी योजनाओं, जो कि विभिन्न 300 से अधिक बजट शीर्षों के अर्न्तगत व्यय की जाती है। इस राशि को व्यवहारिक रूप से नगण्य मानते हुए किसी अधिकारी/कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं माना गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा का क्रमोन्नयन

41. **श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में कोई भी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित नहीं है?

(2) यदि हां। तो क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय मालपुरा को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में कोई भी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित नहीं है।

(2) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविद्यालय मालपुरा को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

## चित्तौड़गढ़ जिले के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पद

42. **श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितनें राजकीय महाविद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं तथा उक्त में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 8 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। जिनमें 7 सहशिक्षा के एवं 1 महिला शिक्षा का राजकीय महाविद्यालय है। इनमें से महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ एवं राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ स्नातकोत्तर व शेष सभी राजकीय महाविद्यालय स्नातक स्तर के हैं। (परिशिष्ट-1)

चित्तौड़गढ जिले में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) महाविद्यालय में शैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर/आगामी स्थानान्तरण/ पदोन्नति द्वारा भरने की कार्यवाही की जाएगी।

महाविद्यालय में अशैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति/ स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति/अनुकम्पात्मक नियुक्ति पश्चात कार्मिक उपलब्ध होने पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजकीय महाविद्यालयों में शीघ्रलिपिक डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्स

43. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में पूर्व में अथवा वर्तमान में आशुलिपि/शीघ्रलिपि में डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्स चलाये जा रहे हैं अथवा चलाये जा रहे थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर स्टेनोग्राफर/शीघ्रलिपिक की भर्ती में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य किये हुए हैं जिसके कारण से प्रदेश में उक्त कोर्स संचालित नहीं होने से प्रदेश के शीघ्रलिपि के अभ्यर्थी पात्रता नहीं रखते हैं और उन्हें उक्त भर्तियों से वंचित होना पड़ता है?

(4) क्या सरकार उक्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के संघटक वाणिज्य महाविद्यालय में आशुलिपि/शीघ्रलिपि में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स चलता था। इसके अतिरिक्त महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट इन स्टेनो टाइपिंग संचालित था।

वर्तमान में किसी भी राजकीय महाविद्यालय में आशुलिपि/ शीघ्रलिपि में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स नहीं चलाये जा रहे हैं।

(2) जी हां। पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में वर्ष 2007-08 के बाद से उक्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स को बन्द कर दिया गया है। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में भी उक्त कोर्स को बन्द कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। राज्य में शीघ्रलिपिक की भर्ती हेतु शीघ्रलिपि में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य नहीं है बल्कि राजकीय विभागों में शीघ्रलिपिक की भर्ती हेतु राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय सेवा नियम-1999 लागू है। उक्त नियम के अन्तर्गत स्टेनाग्रोफर/शीघ्रलिपिक की भर्ती में शीघ्रलिपिक संबंधी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य नहीं है अपितु नियमों के अनुसार उक्त पद के लिए योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और कम्प्यूटर कोर्स (अधिसूचना दिनांक 14.03.2016 में अंकितानुसार प्रति संलग्न) होना चाहिए तथा उक्त योग्यताधारी सभी अभ्यर्थी शीघ्रलिपिक की परीक्षा हेतु पात्र होंगे। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आशुलिपि के डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स नहीं होने से किसी भी अभ्यर्थी को शीघ्रलिपिक भर्ती से वंचित नहीं होना पड़ता है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(4) जी नहीं। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 की अनुसूची-1 के बिन्दु संख्या-14 के अनुसार प्रदेश में स्टेनोग्राफर/शीघ्रलिपिक की भर्ती में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य नहीं है, अत: वर्तमान में विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करने के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय, बाड़मेर में विकास कार्य

44. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कितनें संकाय संचालित हैं? इसमें कितने छात्र अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में वर्तमान में विभिन्न संवर्ग के कितने पद स्वीकृत है? कितने पद भरे हुए हैं? कितने पद रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालयों में गठित महाविद्यालय विकास समिति की अंतिम बैठक कब आयोजित की गयी थी तथा उक्त स्थिति द्वारा पिछले पांच वर्षों में महाविद्यालय के विकास के लिए क्या-क्या कार्य करवाये गए व इस हेतु कितनी राशि किस-किस मद में खर्च की गयी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में 03 संकाय संचालित हैं। सत्र 2018-19 में महाविद्यालय में संकायवार अध्ययनरत छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है-

| संकाय | कला संकाय | वाणिज्य संकाय | विज्ञान संकाय |
|---|---|---|---|
| छात्र | 1899 | 238 | 551 |
| छात्रा | 97 | 5 | 86 |
| योग | **1996** | **243** | **637** |

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

| क्र.स. | पद | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राचार्य | 01 | 0 | 1 |
| 2 | उपाचार्य | 01 | 1 | 0 |
| 3 | सहायक आचार्य | 45 | 29 | 16 |
| 4 | पुस्तकालयाध्यक्ष | 1 | 0 | 1 |
| 5 | शारीरिक शिक्षक | 1 | 0 | 1 |
| 6 | सहायक लेखाधिकारी -1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | अति. प्रशासनिक अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 8 | सहा. प्रशासनिक अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 9 | वरिष्ठ सहायक | 2 | 0 | 2 |
| 10 | कनिष्ठ सहायक | 2 | 0 | 2 |
| 11 | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 1 | 2 |
| 12 | प्रयोगशाला वाहक | 4 | 0 | 4 |
| 13 | बुक लिफ्टर | 2 | 0 | 2 |
| 14 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 7 | 3 | 4 |
| 15 | जमादार | 1 | 0 | 1 |
| | **योग** | **73** | **34** | **39** |

(3) राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर की महाविद्यालय विकास समिति की आखिरी बैठक 18.01.2016 को आयोजित की गई थी।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

महाविद्यालय विकास समिति द्वारा पिछले पांच वर्षो में महाविद्यालय विकास के विभिन्न कार्यो जैसे फर्नीचर क्रय, भवन मरम्मत कार्य, महाविद्यालय परिसर को सौदर्यकरण, संविदाकर्मियों पर व्यय व नैक मूल्यांकन के लिए पूर्व तैयारियों पर विविध कार्य किये गये है।

महाविद्यालय विकास समिति द्वारा पिछले पांच वर्षो में उक्त विकास कार्यो के लिए किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है-

| मद | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| संविदाकर्मी व्यय | 84200 | 235578 | 213061 | 64720 | 113945 |
| फर्नीचर क्रय | शून्य | 369462 | शून्य | शून्य | शून्य |
| मरम्मत | शून्य | 99750 | शून्य | शून्य | शून्य |
| नैक मूल्यांकन | शून्य | 244739 | शून्य | शून्य | शून्य |

## संस्कृत शिक्षा हेतु संचालित योजनाएं

45. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा में अनौपचारिक शास्त्र परिचय केन्द्र, अनौपचारिक शास्त्री शिक्षण केन्द्र, सांध्य विद्यालय, शास्त्र संरक्षण योजना जैसी योजनाएं प्रस्तावित की गयी थीं? यदि हां, तो उक्त योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में से कौन-कौनसी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजनाओं को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। गत सरकार द्वारा राज्य में शास्त्रों के संरक्षण एवं प्रदेश में उपलब्ध संस्कृत विद्वानों के ज्ञान से युवा पीढ़ी व जन-सामान्य को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से अनौपचारिक शास्त्र शिक्षण केन्द्र योजना प्रस्तावित की गयी थी।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

इसी प्रकार जनसामान्य को भारत की समृद्ध संस्कृति से अवगत कराने के लिए सांध्य विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की योजना बनाई गयी थी। विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों के अभाव में उक्त योजनाएं प्रारम्भ नहीं की जा सकीं एवं वर्तमान में भी संचालित नहीं हैं।

(3) वित्तीय व भौतिक संसाधनों की उपलब्धता होने पर उक्त योजनाएं संचालित की जा सकेंगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## ब्यावर में नवीन संस्कृत विद्यालयों की स्थापना

46. **श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में कुल कितने राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नये संस्कृत विद्यालय खोलने एवं संचालित संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) अजमेर जिले में 06-राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, 10-प्रवेशिका, 14-उच्च प्राथमिक एवं 26-प्राथमिक स्तर के संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। इस प्रकार कुल 56 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं संचालित विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति में वर्णित प्रावधान को पूरा करने, क्षेत्र की मांग एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही विभाग द्वारा नवीन विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

47. **श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीर सिंह भायल)

(1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग का प्रशासनिक कार्यालय कहां पर स्थित है एवं उक्त के अधीन राज्य में कौन-कौनसे कार्यालय कहां-कहां स्थापित हैं? पदवार संगठनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को एक ही छत के नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है? यदि हां, तो संस्कृत शिक्षा विभाग को इसी प्रक्रिया के अधीन किये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विद्यालय संस्कृत शिक्षा के को क्रमोन्नत करना, नये विद्यालय खोलना, रिक्त पद भरना इस हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) बाड़मेर जिले में संस्कृत शिक्षा के कितने विद्यालय कौन-कौनसे स्तर के कहां-कहां संचालित रहे हैं इनमें स्वीकृत, रिक्त एवं भरे हुए पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त विद्यालयों में रिक्त पद भरने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या सरकार उक्त विभाग को सामान्य शिक्षा के अधीन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यालय, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर एवं संभाग स्तर पर संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, संभागीय कार्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर मुख्यालय पर एवं बीकानेर संभाग का कार्यालय चूरू मुख्यालय में स्थापित है। संगठनात्मक ढांचे का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग पृथक से संचालित है। संस्कृत शिक्षा विभाग को शिक्षा विभागों के साथ एकीकृत किये जाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) आवश्यकता व विभागीय मानदण्डों एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

(4) बाड़मेर जिले में 70 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

इनमें 03-राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, 09-प्रवेशिका, 42-उच्च प्राथमिक एवं 16-राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय स्वीकृत हैं। इन विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(5) संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम के 1829 पदों एवं अध्यापक लेवल ।। के 571 पदों पर भर्तियां निकाली गयीं। विज्ञापन के आधार पर अध्यापक लेवल प्रथम 1678 पदों तथा अध्यापक लेवल ।। के 416 पदों पर पदस्थापन आदेश जारी किये गये। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्राध्यापकों के विभिन्न विषयों के 134 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन अगस्त माह में प्रस्तावित है। वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 690 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पद, प्राध्यापक के 152 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 177 पद, अध्यापक के 226 पद, शारीरिक शिक्षक ।।। ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड ।।। के 31 पदों एवं कनिष्ठ सहायक के 131 पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति प्रक्रियाधीन है।

संस्कृत शिक्षा विभाग को सामान्य शिक्षा के अधीन करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।